(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 39वां दिवस [संख्या 27

मंगलवार,

9 अप्रेल, 1974

विधान सभा की बैठक म०पू० 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता, खनिज, जनस्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, नगर-आयोजना, नागरिक रसद, आबकारी, वन, खाद्य, पंचायत, स्वायत्त शासन, योजना एवं देवस्थान विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

श्री गौरीशंकर मुनीम !

ग्राम हरिगढ़ व सारोला की नल योजना

751. **श्री गौरीशंकर मुनीम** (खान० पुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, खानपुर में ग्राम हरिगढ़ व ग्राम सारोला में पानी देने की नल लगाने हेतु सरकार के नियमानुसार रकम जमा किये दो वर्ष हो गए मगर अभी तक वहां नल नहीं लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब यह कार्य कब शुरू करा दिया जायेगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : जी नहीं। सिर्फ ग्राम हरिगढ़ से जन सहयोग के 4050 रुपये 20-1-72 को प्राप्त हुये हैं। योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है जिसके उपरान्त धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

श्री गौरीशंकर मुनीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही मंत्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नहीं, लेकिन वहां की जनता भी कतई सन्तुष्ट नहीं है। उसका कारण मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जो यहां पर मंत्री महोदय विराजमान हैं उन्होंने इन सबके लिए वायदा किया और एक भी काम नहीं किया गया। तो मैं निवेदन करूं कि आपने फरमाया है कि सार्वजनिक रकम जमा हो गई तो आपने कहा नहीं हुई। कम दी है तो और दे दी जायेगी और उसकी एन्क्वायरी की जा रही है और योजनायें तो क्रियान्वित नहीं कीं। मैं अर्ज करूं कि भीमसागर के लिए गत सत्र में मंजूरी की कही कि इसको

(2)

(श्री गौरीशंकर मुनीम)
शुरू कर दिया गया, लेकिन वह खत्म कर दिया। दूसरे कृषि उपज मण्डी को दो साल हो गए वह खत्म हो गयी ......

श्री अध्यक्ष : कोई पूरक प्रश्न पूछिये। नहीं पूछने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन पूरक प्रश्न करें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : जितने भी वायदे किये वह पूरे नहीं किये तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में 10 योजनायें या तो पूरी हो चुकी हैं या फिर निर्माणाधीन हैं। जो पूरी हो चुकी हैं उन योजनाओं के नाम हैं– झालावाड़ रोड़, मनोहरथाना, चौमहला, रायपुर की स्कीमें पूरी हो चुकी हैं और जो निर्माणाधीन हैं वह खानपुर, डग, पिड़ावा, असनावर, इकलेरा और बकानी की योजनायें हैं। इसमें से खानपुर, डग, पिड़ावा और असनावर 1974-75 में पूरी हो जायेंगी और इकलेरा की योजना जन, 1974 में पूरी हो जायेगी। बाकी की 1975-76 में पूरी हो जायेंगी। ऐसी बात नहीं है कि हम झालावाड़ जिले के लिए कोई योजना नहीं दे रहे हैं। आपने दो योजनाओं के लिए पूछा है उसके लिए मैंने अर्ज किया है कि एक योजना के पैसे आ गये हैं और एक योजना के लिए जो 2½ पर्सेन्ट की राशि वह आई नहीं है और इस साल योजनायें स्वीकृत की जायेंगी तो धन की उपलब्धि देखकर इन विचार किया जायेगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह टेक्नीकल जांच कब तक समाप्त हो जायेगी ?

श्री रामगोपाल : (किशनगंज) : इसके साथ-साथ एक प्रश्न का और जवाब दे दें। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में ऐसी नल-योजनायें चालू की जा रही हैं जिनके कि 2½ पर्सेन्ट की रकम जमा हो चुकी है। क्या जहां पीने के पानी की समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार उनको प्राथमिकता देगी ?

श्री चन्दनमल बैद : 2½ पर्सेन्ट की जो छूट है वह रेगिस्तानी इलाकों के 8 जिलों में और आदिवासी इलाकों के दो जिलें हैं उन्हीं को वह छूट दी है बाकी जिलों में 2½ पर्सेन्ट रकम जमा कराना जरूरी है। जहां रीजनल स्कीम है वहां पर ही यह छूट हमने दी है।

श्री रामगोपाल : जहां जमा हो चुकी है उसके बारे में पूछा है और जहां पीने के पानी की समस्या है उनको प्राथमिकता देने के बारे में मैंने पूछा था।

श्री गौरीशंकर मुनीम : 25 वर्षों में दस योजनाओं के नाम बताये हैं। दो योजनायें चल रही हैं। यह कोई करने में करना माना जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

जयपुर जिले में भूमिहीनों को भूमि का अलॉटमेण्ट

752. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** : (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में किस किस तह-

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
सील में कितनी-कितनी जमीन काबिल ग्रलॉटमेंट उपलब्ध है ? ग्रामवार मय खसरा नम्बर सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 1973 में किस-किस तहसील में भूमिहीनों को भूमि ग्रलॉट की गई है ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्रलॉटमेंट के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यदि हां, तो किस-किस तहसील से तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) जयपुर जिले में ग्रावंटन योग्य कुल 2701 बीघा 5 विस्वा भूमि उपलब्ध है, जिसकी तहसीलवार सूची 'क' संलग्न है तथा ग्रामवार मय खसरा नम्बर (तहसील फागी के ग्रामों के ग्रलावा) सूची 'ख' संलग्न है।

(2) वर्ष 1973 में जयपुर जिले में ग्रावंटन हुई भूमि की सूचना तहसीलवाइज सूची 'ग' संलग्न है।

(3) उपलब्ध जानकारी के ग्रनुसार सन् 1973 में ग्रावंटन हुई भूमि के संबंध में ग्राम केशवाना गूजर (तहसील कोटपूतली ग्राम घानोता (तहसील बैराठ) ग्राम मंडालिया नेदा (तहसील चाकसू) व ग्राम मुहाना (तहसील सांगानेर) में ग्रावंटन हुई भूमि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से प्रथम 3 के बारे में जांच पर कुछ व्यक्तियों को ग्रावंटन ग्रनियमित प्रतित हुग्रा है ग्रौर उसके निरस्त करने हेतु संबंधित ग्रावंटियों को कारण बताग्रो नोटिस जारी कर कार्यवाही की जा रहही है। ग्राम मुहाना के बारे में जांच की जा रही हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में जो ग्रलॉटमेंट ग्राम केशवाना गूजर में हुग्रा उसकी शिकायत प्राप्त हुई है ग्रौर इस पर जांच जो जिलाधीश द्वारा की गई उसमें पाया गया कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि नाबालिग थे जिनको ग्रलॉटमेंट हुग्रा ग्रौर कुछ ऐसे लोग थे जो उस शहर में ही नहीं रहते थे ग्रौर कुछ ऐसे लोग थे जो कि राजस्थान में ही नहीं रहते ?

श्री मूलचन्द : ऐसे ग्रावंटनों में कुछ सूचना ऐसी प्राप्त हुई हैं जिसमें कुछ व्यक्ति नाबालिग हैं, कुछ को भूमिहीनों की परिभाषा में नहीं ग्राने के कारण उनको ग्रावंटन नहीं होना चाहिए या ग्रौर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बिना प्रार्थना-पत्र दिये ही ग्रालॉटमेन्ट हो गया। ऐसे केसेज हैं।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : जब यह स्थिति है कि जिनके प्रार्थना पत्र नहीं हैं ग्रौर उनको भी भूमि का ग्रलॉटमेन्ट कर दिया, जो नाबालिग हैं उनको भी कर दिया ग्रौर जो व्यक्ति राजस्थान में रहते नहीं हैं उनको भी कर दिया तो जिन ग्रधिकारियों ने यह काम किया है उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? या कारण बताग्रो नोटिस भूमिहीनों को दे दिया ? जिस ग्रधिकारी ने ग्रलॉटमेन्ट कर दिया उनके खिलाफ ग्राज तक एक्शन क्या लिया ?

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : तीन प्रकार के एलीगेशन्स राज्य

Page No 4

(५)

(श्री परसराम मदेरणा)
मंत्री जी ने बताये केशवाना गूजर की भूमि आवंटित की गयी है तो यह तीनों ही कारणों को मानते हुए आवंटियों को नोटिस दिये गये हैं । आवंटियों के नोटिस आवंटियों के नोटिस के जवाब आने पर ही मालूम होगा कि जो भी एलीगेशन्स हैं वह सच हैं और जो एलीजीबल नहीं थे और उनको अलाटमेन्ट कर दी यह मालूम हो जायेगा उसके बाद ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा : क्या यह सही है कि इस संबंध में मौके पर जाकर जिलाधीश महोदय ने जांच कर ली और आवंटियों के बयान हो चुके और जांच पूर्ण हो चुकी है। केवल अधिकारियों को बचाने के लिए डिले की जा रही है । क्या सरकार आश्वासन देगी कि अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास सूचना नहीं है कि जिलाधीश ने मौके पर जांच की या नहीं और वह मौके पर गये या नहीं लेकिन उन्होंने सूचना भेजी है वह यह है कि तीन प्रकार के एलीगेशन्स हैं। नाबालिग हैं उनको अलॉटमेन्ट कर दिया, कुछ लोगों की एप्लीकेशन्स नहीं थीं ? फिर भी अलॉटमेन्ट किया गया और कुछ वह लोग जो भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आते हैं- तीनों ही एलीगेशन्स के संबंध में कहा है कि आवंटियों को नोटिसेज दिये हैं और रिप्लाई आने के बाद में ही कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर सक्षम है । जिनको भी यह आवंटन किया गया है यह गलत तरीके से किया गया है यह साबित हो जाता है तो मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि कलेक्टर की फाइनल रिपोर्ट होने के बाद उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने रूल्स के मुताबिक आवंटन नहीं किया है कार्यवाही की जायेगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आपके खाद्य मंत्री के रूप में कई ऐसे मामलात थे उनको आपने ए० सी० डी० को दिया है । यह प्रश्न अब आपके सामने आया है । जहां तक अलॉटमेन्ट निरस्त करने का प्रश्न है, अनियमितताओं का प्रश्न है, यह तो अलग बात है । लेकिन जो एलीगेशन्स हैं, नाबालिग को जमीन अलॉट करना, राजस्थान में नहीं हैं फिर भी उनको जमीन दे दी, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आफेंस में आते हैं । क्या आप इनको फाइंडिंग की इन्तजार न करके एण्टी-करप्शन को देने को तैयार हैं ?

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है । कलेक्टर के पास से यह रिपोर्ट नहीं आई है, यह तो अलग बात है लेकिन आप यह बतावें कि कलेक्टर को कितने दिनों में फैसला कर देना चाहिए ?

श्री परसराम मदेरणा : फैसले की अवधि निश्चित नहीं है लेकिन शीघ्राति-शीघ्र उनको करना चाहिए । लेकिन जहां तक एण्टी-करप्शन में देने का प्रश्न है, कलेक्टर की फाइंडिंग के वांटिग में इस प्रकार का आश्वासन सदन के प्रांगण में नहीं दे सकता । फूड के मामले में कुछ एलीगेशन्स माननीय सदस्यों ने उठाये थे और वे इस प्रकार के एलीगेशन्स थे जिसमें, जिन एलीगेशन्स में उस वक्त के तत्कालीन खाद्य मंत्री के सम्बन्ध में एक्सपर्शन्स कास्ट

(श्री परसराम मदेरणा)
किए गए थे, इस प्रकार का सदन को और माननीय सदस्यों को डाउट नहीं रहे कि मेरा किसी प्रकार का उसमें हाथ था, प्राईमाफेसी अस्वीकार करने की स्थिति होने पर भी कुछ एलीगेशन्स माननीय सदस्यों ने लगाए, उनको बिना किसी प्रकार की प्राईमाफेसी एंक्वायरी किए, अपने आपको अबाऊ बोर्ड रखने के लिए मैंने उनकी एण्टी-करप्शन में दे दिया था, लेकिन इस प्रकार के एलीगेशन्स यहां पर नहीं हैं। आवंटन किस रूप में किया गया यह जांच का विषय है। आवंटी ने अपने आपको छुपा लिया या क्या हुआ। इसके अलावा आवंटन के लिए जो कमेटी बैठती है उसमें एस० डी० ओ० ही नहीं हैं दूसरे माननीय सदस्य भी हैं। यह सब मुद्दे हैं जांच के और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : यह बिल्कुल गलत है। एक भी जन प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया कमेटी की मीटिंग में और केवल एस० डी० ओ० और तहसीलदार थे उसमें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय सदस्य ने जो यह जानकारी दी है....

श्री परसराम मदेरणा : यह जांच रिपोर्ट से पता लगेगा।

श्री भानु कुमार शास्त्री : जांच जिलाधीश महोदय ने पूरी कर दी है। फाइंडिंग आपके पास नहीं पहुंची होगी। जांच पूरी हो चुकी है तो उस जांच के मुद्दों पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : कार्यवाही कानून के अन्तर्गत की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, शकुन्तला श्रीवास्तव।

भूतपूर्व सरपंच, सिरसी द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

753. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग द्वारा भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, सिरसी को राजकीय धन राशि का दुरुपयोग करने के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो श्री प्रभुनारायण ने कितनी धन राशि का दुरुपयोग किया ? और विभाग द्वारा उनसे अब तक कितनी धन राशि की वसूली की जा चुकी है ? यदि अब तक वसूली नहीं की है तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्री प्रभुनारायण को राजकीय धन राशि का दुरुपयोग करने पर सरपंच पद से पृथक् किया गया था ? यदि हां, तो सरपंच पद से पृथक करने के पश्चात् उनसे राजकीय धन राशि की कितनी वसूली की गई है तथा अब वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। 35,677 रु० 27 पैसे की धन राशि का दुरुपयोग किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने से सरपंच से राशि पूर्व में वसूल नहीं हो सकी है। उच्च न्यायालय ने अब सरपंच द्वारा

Page No 6

(6)

(श्री रामनारायण चौधरी)
दायर रिट याचिका खारिज कर दी है। अब जिलाधीश, जयपुर द्वारा वसूली की कार्यवाही चालू है।

(2) जी हां, अभी तक कोई राशि वसूल नहीं हो सकी है। जिलाधीश द्वारा वसूली की कार्यवाही चालू है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ग्राम-पंचायत समिति के सरपंच श्री प्रभुनारायण के खिलाफ तो ये एलीगेशन्स हैं, मैंने एक क्वेश्चन और दिया था। इनके भाई प्रधान थे पंचायत समिति, झोटवाड़ा के, उनके खिलाफ भी जब इस प्रकार के एलीगेशन्स थे जिसमें 41,500 रु० की धन राशि बकाया निकलती थी, लेकिन वह दोनों 62-63 में इनको सरकार ने निलम्बित किया और उसके बाद में वे लोग हाई कोर्ट में गए। हाई-कोर्ट ने उनकी रिट खारिज कर दी और सरकार के फैसले को माना। उसके बाद आज की तारीख तक उन लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा दुरुपयोग का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और न ही उनसे वह सरकारी जो धन है वह वापिस लिया गया। तो क्या सभी सदस्यों को, सरपंचों और प्रधानों को यह अधिकार है कि सरकार के पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग करते रहें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ एक प्रश्न और है। माननीय मंत्री महोदय आपने यह स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है, जिसका अर्थ यह हुआ कि दुरुपयोग यानी एम्बेजलमेंट हुआ, मिसएप्रोप्रियेशन किया है। जब आपकी निगाह में यह एम्बेजलमेंट है, धन का दुरुपयोग है, मिसएप्रोप्रियेशन है तो आप इसकी कार्यवाही, आफेंस के आधार पर क्यों नहीं कराते ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस अपराध में सरपंच को उसके पद से पृथक् कर दिया गया है और धन राशि वसूल करने के लिए पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही की जा रही है जिलाधीश द्वारा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न यह है कि धन राशि को खा लिया। सरपंच के द्वारा मिसएप्रोप्रियेशन हुआ। अगर मिसएप्रोप्रियेशन है तो आपका क्या कर्त्तव्य है ? आपकी निगाह में क्या कोग्नीजेबल आफेंस होने के कारण एफ० आई० आर० दी जानी चाहिए। आप इसमें एफ० आई० आर० दें और इसको पुलिस के सुपुर्द करें यह आपका फर्ज है अण्डर दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या आप इस फर्ज का पालन करने के लिए तैयार हैं ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सप्लीमेंट्री पूछना चहता हूं। जिस सरपंच ने इतनी रकम का गबन किया तो वह किस हैड से, किस नाम से रकम उठाई और क्या वह रकम उठाने के बीच में कभी उसकी जांच आडिट रिपोर्ट में ब्यौरा नहीं है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सरपंच ने इतनी बड़ी धन राशि का गबन किया, क्या मंत्री महोदय ने उसको केवल

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

निलम्बित कर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली ? जो गबन करता है उसको केवल निलम्बित ही किया जाता है या आगे भी कोई कार्यवाही की जाती है ?

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय······

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं यह पूछना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार दोषी सरपंच को केवल मात्र निलम्बित करके और अपनी ड्यूटी पूरी समझती है और इस तरह से सरकार द्वारा अपव्यय, धन का दुरुपयोग कैसे भी, कोई भी आदमी कर सकता है तो क्या उसके लिए और कोई सजा का प्रावधान नहीं है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री। जरा यह भी बताने का कष्ट करें माननीय मंत्री महोदय कि यह गबन किस पीरियड का है ? साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि आपके नोटिस में यह गबन की कार्यवाही किस तारीख को या किस महीने में लाई गई ? यह भी बताने का कष्ट करें कि यह सब्सटेंटिव ऑफेंस होने के बाद में पुलिस में 409 के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करने का क्या कोई विशेष कारण है, और क्या आप अब यह कार्यवाही करेंगे पुलिस में ?

श्री रामलाल (बाड़ी) : मैं भी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बाड़ी पंचायत समिति में कम से कम सात हजार का गबन हुआ है और मंत्री महोदय को एक बात कह दूं कि सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय सदस्यों ने कई सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे हैं मैं एक एक का उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत पुराना है और जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तारीख का पूछा है, तो यह मामला 1962 के पहले का है और सरकार के ध्यान में 1962 से पूर्व ही आ गया था और सरपंच को निलम्बित कर दिया गया था ········

श्री गुमानमल लोढ़ा : किस तारीख को किया, यह बताने का कष्ट करें, साल और तारीख।

श्री रामनारायण चौधरी :19-11-62 को उक्त सरपंच को पद से पृथक् किया गया। उसके खिलाफ 35,677 रु० 27 पैसे की वसूली की कार्यवाही की ही जा रही थी कि इस बीच में वह हाई कोर्ट में चला गया और रिट याचिका पर हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। सरपंच के खिलाफ विभिन्न प्रकार की राशियां हैं। विभिन्न प्रकार के आरोप हैं जिनमें राशि का गबन, श्रमदान का सहयोग प्राप्त नहीं करना और विकास कार्यों को पूर्ण नहीं कराने आदि अनियमितताओं के सरपंच पर चार्ज हैं। अब इसमें गबन और एम्बेजलमेंट की कितनी रकम है यह मैं दिखलवा दूंगा। और एम्बेजलमेंट की किसी रकम के सम्बन्ध में पुलिस में एफ० आई० आर० देना जरूरी हुआ तो मैं देखूंगा कि पुलिस के द्वारा इसमें कार्यवाही कराई जाना आवश्यक है तो वह कराई जावे और पी० डी० आर० में जो वसूली की कार्यवाही की जा रही है, वह भी जल्दी से

Page No 8

(8)

(श्री रामनारायण चौधरी)
जल्दी पूरी हो। इस तरह से जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी यह कार्यवाही हो जायेगी, यह मैं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रश्न सं० 754।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं··

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल ले लिया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं यह···

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी। अब दूसरा सवाल ले लिया है।

ग्राम पंचायत भीलवाड़ा द्वारा कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

754. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री बिहारी लाल माथुर निवासी, भीलवाड़ा ने ग्राम पंचायत के भूतपूर्व जागीरदार श्री मनमथ सिंह से खसरा नं० 1628 की 10 बीघा कृषि भूमि व खसरा नं० 1610 की 4 बीघा कृषि भूमि का पट्टा बनवा कर इस भूमि को सन् 1967-68 व 68-69 में आबादी में परिवर्तित कराया है? यदि हां तो यह परिवर्तन किन नियमों के अन्तर्गत किस प्रक्रिया के आधार पर किसके द्वारा किया गया और परिवर्तन शुल्क के रुपये श्री भोपाल सिंह द्वारा कब-कब राज्य सरकार को जमा करवाये गये?

(2) क्या यह सही है कि आबादी भूमि को परिवर्तित करने का आदेश देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा इस जागीरदार से उपर्युक्त भूमि खरीदने के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई थी? यदि हां तो इस खरीद का सब से पहले सरकार के किस किस रिकार्ड में इन्द्राज हुआ था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जागीरदार के अधिकार में पट्टा देते समय उक्त जमीन नहीं थी?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) यह सही है, कि श्री भोपाल सिंह पुत्र बिहारीलाल माथुर निवासी भीलवाड़ा ने पान्सल के भूतपूर्व जागीरदार श्री मनमथ सिंह से खसरा नं० 1628 रकबा 10 बीघा भूमि व खसरा नं० 1610 रकबा 4 बीघा कृषि भूमि का पट्टा बनवाकर आबादी में परिवर्तित कराई है। किन्तु यह सही नहीं है कि उक्त भूमि को सन् 67-68 व 68-69 में आबादी में परिवर्तन कराया है। खसरा नं० 1628 रकबा 10 बीघा का परिवर्तन जिलाधीश भीलवाड़ा की आज्ञा दिनांक 5-9-57 से आबादी में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन शुल्क 50/- रुपये 29-11-57 को तहसील, भीलवाड़ा में जमा हुए हैं। आराजी खसरा नं० 1610 के 4 बीघा रकबे का कृषि भूमि से आबादी में परिवर्तन का नामान्तरकरण सं० 332 दिनांक 12-7-64 द्वारा हुआ है। इस भूमि का परिवर्तन शुल्क नहीं

(श्री मूलचन्द मीणा)
लिया गया क्योंकि इस भूमि का पट्टा 1111/- रुपये जनराने पर भूतपूर्व जागीरदार श्री मनमथ सिंह ने चैत्र वदी 2 सम्वत् 2005 में अर्थात् जागीर रिजम्प्शन के पूर्व ही आबादी में परिवर्तन करके पट्टा दे दिया था।

(2) आराजी खसरा नं० 1628 रकबा 10 बीघा के लिए जांच होकर दिनांक 5-9-57 को जिलाधीश, भीलवाड़ा ने परिवर्तन करने के आदेश दिये तथा इस भूमि के खरीद का इन्द्राज, सबसे पहले नामान्तरकरण संख्या 9 सन् 1955 तहसील भीलवाड़ा में हुआ है। आराजी खसरा नं० 1610 रकबा 4 बीघा को आबादी में परिवर्तन करने से पूर्व जांच करने के कागजात उपलब्ध नहीं हैं। केवल नामान्तरकरण सं० 322 दिनांक 12-7-64 द्वारा यह परिवर्तन किया गया है। पट्टे के आधार पर परिवर्तन की कार्यवाही होना पाया जाता है।

(3) उक्त दोनों पट्टे जागीरदार पान्सल द्वारा सम्वत् 2005 एवं 2009 में दिया जाना पाया जाता है जो जागीर रिजम्प्शन दिनांक 23-8-54 के पूर्व के हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह क्या नगरपालिका के क्षेत्र में आता था ?

श्री परसराम मदेरणा : (राजस्व मंत्री) : जी हां।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या इस जमीन को आबादी में परिवर्तित करने से पूर्व नगरपालिका से सम्मति ली गई ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्यों नहीं है ? जो जानकारी आपको देनी चाहिये वह नहीं दे रहे हैं। यह म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में है और उसकी सम्मति लेनी चाहिये थी, जो आपने नहीं ली है।

श्री परसराम मदेरणा : कृषि लैन्ड को आबादी में परिवर्तित करने के लिये म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेना कौन से कानून के अन्तर्गत आवश्यक है, यह आप बता दें ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने कौन से कानून के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र की कृषि भूमि को बिना उसकी सम्मति से आबादी में परिवर्तित कर दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : आबादी में परिवर्तित करने का अधिकार केवल कलेक्टर को है और उस कानून के अन्तर्गत ही यह परिवर्तित की गई है। इसमें म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेना आवश्यक नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सम्मति लेना आवश्यक था जो आपने नहीं ली है ? दूसरा सवाल यह है जब जागीर एबोलिश हुई थी संयुक्त राजस्थान की सरकार थी और भूरेलाल जी क्या राजस्व मंत्री थे उस समय जागीरदारों को जमीन बेचने का अधिकार छीन लिया गया था। सारे जागीरदारों ने अपने बही, पट्टे जमा करवाये थे। क्या इन बही पट्टों में श्री मनमथ सिंह

Page No 10

(10)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
के नाम से, उसके पक्ष का कोई इन्द्राज है ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय यह मामला फर्जी है । जब नाम नहीं है तो किस से खरीद ली ?

श्री परसराम मदेरणा : जागीर रिजम्पशन 23-7-60 को हुई थी । उसके बही में बेचने का उल्लेख है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है । मंत्री महोदय की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि खसरा नं० 1610 की जो 4 बीघा कृषि भूमि है उसकी बात को स्वीकार किया है कि उसके कागज बीच के गायब हैं । अध्यक्ष महोदय, उसके साथ यह भी स्वीकार किया है कि जागीरदार ने कम्पेनसेशन के लिये जो क्लेम पेश किया है, उसमें यह जमीन नहीं थी । बही पट्टा नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस सारी जानकारी मिलने के बाद इसकी जांच करेंगे कि किसने यह फर्जी पट्टा बनाया रिजम्प्शन के बाद में इस जमीन को बेचने के लिये ? श्री भोपाल सिंह जी माथुर ने यह फेक, बोगस पट्टा बना कर सरकार की इस जमीन को हड़पा है । पहले भी इसी सदन के अन्दर इसी जमीन के सिलसिले में खाद्य मंत्री पर आरोप लगाया गया था । तो क्या यह सारा मामला एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को देंगे ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में ऐसे कई केसेज हुए हैं । वहां पर फर्जी कार्यवाहियां हुई हैं । यह जो केस है इसमें जबर्दस्त स्केन्डल हुआ है । इसमें बहुत बड़े राजनेताओं और अधिकारियों का हाथ है । क्या मंत्री महोदय की स्वीकारोक्ति के बाद, बही में उनके पक्ष में इन्द्राज नहीं है और दोनों के बीच के कागज गायब हैं, तो उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और इसका केन्सेलेशन करने के लिये कानूनी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जांच के आदेश आपने किस को दिये हैं ? जो आदमी इसमें गिल्टी हैं, जो जिम्मेवार हैं उसको जांच करने के आदेश दिये हैं ? यह मामला स्पष्टतया सदन के सामने आ गया है । यह स्केन्डल है और इसके अन्दर काफी लोगों का हाथ है । यह सामने आ गया है कि श्री भोपाल सिंह माथुर और कई लोगों ने जमीन दबाई है । बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता भी इसमें शामिल हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि जांच के आदेश दें, एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को दें, पुलिस विभाग को दें या किसी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को इसमें लगावें । सिर्फ लीपा-पोती करने के लिये ही जांच के आदेश न दें । राजनेताओं, अधिकारियों का बचाव न किया जाये ।

श्री परसराम मदेरणा : खसरा नं० 1628 की 10 बीघा की जो रेलेवेन्ट फाइल है वह मैंने मंगाई है । जो फाइल अवेलेबल है उसमें म्यूटेशन की प्रोसिडिंग्स हैं । कलेक्टर को आदेश दिया है कि वह फाइल भेजे । यहां पर जांच के आदेश दे दिये हैं ताकि इन सब को एग्जामिन किया

(श्री परसराम मदेरणा)
जा सके कि किस तरह का यह मामला है। किसी अधिकारी को जांच के आदेश दिये हैं, लीपा-पोती करने का कोई कारण नहीं है। है। माननीय सदस्य यहां पर प्रश्न पूछते हैं। उसका मतलब यही है कि प्रशासन में जहां कहीं कोई गड़बड़ हुई है या किसी आदमी की रेसपान्सिबिलिटी है वह बात ध्यान में आते ही कार्यवाही की जाती है। जैसे ही यह नोटिस में आया है जांच के आदेश दे दिये गये हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चले और कोई अनियमित कार्यवाही हो रही हो तो उसको रोका जाय। इस केस की फाइलें मंगवाई गई हैं। उसके बाद भी आप राजनेताओं, अधिकारियों पर चार्ज लगाते हैं यह आपकी मर्जी की बात है। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। और भी कोई उदाहरण आप बतायेंगे तो हम निश्चित तौर से उसकी जांच करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन वही है जिसमें हमारे मंत्री जी, शिवचरणजी माथुर की जमीन थी और इस सदन के अन्दर शिवचरणजी माथुर पर आरोप लगाया गया था और माननीय शिवचरणजी ने उस जमीन को सरेन्डर किया था और राज्य सरकार ने तय करके उस जमीन को ले लिया था। जब शिवचरणजी माथुर से जमीन ले ली गई तो क्या कारण है कि यह जमीन राज्य सरकार नहीं ले सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शिवचरण जी ने जमीन सरेन्डर की है, वह इस सदन की प्रोसिडिंग्स में है। जहां तक मेरी जानकारी है खसरा नंबर 1628 या 1610 के अन्दर जो जमीन है जिसका कि डिस्प्यूट चल रहा है, उस जमीन को बेचने के सम्बन्ध में, या सरेन्डर करने के सम्बन्ध में, माननीय कृषि मंत्री का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत बड़ा गम्भीर मामला है · · ·

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। आगया है गंभीर मामला है तो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो जमीन बेची थी उसमें तीन पार्टनर्स थे। उनमें से एक का नाम तो बता दिया तो दो पार्टनर्स और कौन थे वह बाता दें ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

बहुधन्धी सहकारी समिति, सनवाड़ का रेकार्ड

755. **श्री निरंजननाथ आर्य** (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बहुधन्धी सहकारी समिति, सनवाड़, जिला उदयपुर का रेकार्ड किसी व्यक्ति द्वारा गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसने और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बहुधंधी सहकारी समिति के रु० 1500 की धनराशि के शेयर्स का भी कोई पता नहीं है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई और कौन दोषी पाया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें दो अन्य पार्टनर्स हैं और गम्भीर करप्शन का मामला है और भ्रष्टाचार के अन्दर . . .

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण-चौधरी) : (1) जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है . . .

श्री भानुकुमार शास्त्री : दो और पार्टनर्स थे उनका नामोल्लेख नहीं किया गया उनके नाम राज्य सरकार बतलाये . . .

श्री रामनारायण चौधरी : (2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : (श्री भानुकुमार शास्त्री से) आप बैठ जाइये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप अध्यक्ष महोदय जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने क्लोज कर दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : राज्य सरकार ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ......उनका नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष : इसको समाप्त कर दिया है। माननीय मंत्री जी।

श्री रामनारायण चौधरी : (1) जी नहीं।...

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह अध्यक्ष महोदय, हजारों का मामला है . .

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्रीजी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए। यह मालूम नहीं क्यों बचा रहे हैं। × × × इसका जवाब आने दें . . . .

श्री अध्यक्ष : मैं इस किस्म की बात को नामुनासिब समझता हूं। यह मेरा डिस्क्रीशन है। जब चाहूं तब जब कि सवाल काफी डिसकस हो चुका है तो उसको बन्द करदूं और आगे के सवाल को लूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसको भी एक्सपन्ज कर दिया जाय।

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी नहीं।
(2) जी नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब यह प्रश्न कैसे उठ सकता है। आप ही बता दें ताकि . . .

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : मौसम नहीं रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुधंधी सहकारी समिति सनवाड़ 30-8-65 से लिक्वीडेशन में है। उसकी लिक्वीडेशन की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको यह जानकारी दे सकता हूं कि 529 रु० 12 पैसों का उसमें दुरुपयोग मिला था और 100 रुपये सरकारी ऋण के थे उनकी वसूली के आदेश रजिस्ट्रार सहकारी विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं। 17(2) और 74 के तहत यह मामला है और 29-2-67 को सहायक रजिस्ट्रार के यहां से आदेश हो चुके हैं।

× × × ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : करप्शन और डिटेक्शन के मामलों को आप पुलिस को सुपुर्द करने में सक्रिय हैं। इसमें कोई गड़बड़ हुई हो तो बतला दें।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें इतनी गड़बड़ हुई है कि बहुधंधी सहकारी समिति लि० के 1500 रु० शेयर्स के जो जमा होने चाहिए उसमें 629 रु० 12 पैसे का दुरुपयोग श्री किशनलाल आर्य, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाना पाया गया है। गबन का मामला नहीं है। उसकी जांच हो गई है और उसकी रिपोर्ट की जानकारी आ गई है और सहकारी अधिनियम की धारा 74(2) के तहत श्री किशनलाल आर्य से 529 रु० 12 पैसे और 100 रुपये सहकारी ऋण के वसूल किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं और उनकी वसूली हो चुकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अपराधी का मामला तो रह ही गया। आपने फरमाया कि गबन का मामला है तो आपकी क्या सद्भावना है कि इस मामले को सुपुर्द कर दिया जाय पुलिस को, और यदि नहीं है तो मैं भी आग्रह नहीं करता हूं और इसको दबा दिया जाय तो दबा दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे खयाल से इसमें दबाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है और सहकारी अधिनियम की धारा 74 (2) के तहत कार्यवाही की जा चुकी है और राशि की वसूली सरकार की हो चुकी है इसलिए इसमें आगे कार्यवाही के लिए माननीय सदस्य....

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें दो फेज हैं। यह तो आपने सरकारी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से कर लिया कि अपना पैसा ले लिया, लेकिन जो गड़बड़ हुई है जिसके बारे में आप सक्रिय हैं तो उस गड़बड़ के संबंध में मिसएप्रोप्रियेशन या गबन वह तो रहेगा, उसको भी आप अपनी जबान मुबारक से कह दें कि पुलिस के सुपुर्द करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे खयाल से माननीय सदस्य इस उत्तर से संतुष्ट होंगे कि मामला बहुत छोटा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : छोटा है तो छोड़ दें। मैं संतुष्ट हो गया और आप मामले में सक्रिय रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

सीमेंट का वितरण

756. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या राज्य सरकार यह आवश्यक नहीं मानती कि 50 पर्सेन्ट सीमेंट जो खुले बाजार में बिकती है उसके नियमन हेतु कोई व्यवस्था की जावे ?

(3) आम नागरिक को सीमेंट साधारण तरीके से उपलब्ध होती रहे, इस संबंध में सरकार क्या कोई कदम उठाने की सोच रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सीमेंट के कट्टे में जो वजन ऊपर लिखा होता है वह सही होता है ?

(14)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(5) क्या राज्य सरकार को उसके वजन कम होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राज्य में सीमेंट का वितरण भारत सरकार के सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर, 1967 के तहत किया जाता है।

(2) राजस्थान को एक तिमाही में मिलने वाले सीमेंट का 30 पर्सेन्ट सीमेंट ही खुले बाजार में बिकता है जिसे जिलाधीशों के मार्फत वितरण किया जाता है। वितरण के नियम की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(4) वास्तव में वजन कट्टे पर लिखे अनुसार ही होना चाहिए। परन्तु कुछ कुछ मामले कम मात्रा होने के भी प्राप्त हुए हैं।

(5) जी हां। उक्त मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन सी कोर्ट में विचाराधीन हैं और किनके खिलाफ ये मामले चलाये गये हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह बिरला सीमेंट फेक्ट्री, चित्तौड़गढ़ के खिलाफ एक केस बना है जिसमें उनके सीमेंट के कट्टे में जितना ऊपर लिखा था वजन उससे कम पाया गया। वह कोर्ट में विचाराधीन है। इसी प्रकार से जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के खिलाफ ऐसा मामला पकड़ा गया है और उस मामले में भी एस०डी०एम० कोर्ट, सवाई माधोपुर, में चालान पेश कर दिया गया है और वहां पर विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले आपका 50 पर्सेन्ट फ्री सेल में रहता था और अब यह 30 पर्सेन्ट फ्री सेल में किया है तो मैं यह जानना चाहता था कि किस वजह से कम किया गया है।

श्री शिवचरण माथुर : 30 पर्सेन्ट जो टोटल कोटा होता है उसका। 11500 टन एक क्वार्टर का हमारा कोटा होता है तो उसका 30 पर्सेन्ट फ्री सेल के लिए होता है और उसका 50 पर्सेन्ट जो है वह अलग से देहातों में बांटा जाता है और 50 पर्सेन्ट शहरों में बांटा जाता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में सीमेंट की कमी है और यहां पर सीमेंट के लिए बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा और तामिलनाडू ने यह किया कि वहां पर जो सीमेंट फेक्ट्रीज हैं जैसे कि दादरी की सीमेंट फेक्ट्री तामिलनाडू में है तो वहां की सीमेंट फेक्ट्री से सीमेंट बाहर जाने के लिए उन्होंने पाबन्दी लगादी कि पहले अपनी स्टेट की डिमाण्ड को पूरी करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां की सरकार ने भी इस संबंध में कोई कदम उठाया है ?

श्री शिवचरण माथुर : दूसरी राज्य सरकारों ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं उठाया है, मैंने आपको एक्जाम्पल दी है।

श्री शिवचरण माथुर : यह भारत सरकार के नियन्त्रण का मामला है · · ·

श्री श्रीराम गोटेवाला : भारत सरकार में कौन इसको नियन्त्रित करता है ?

श्री शिवचरण माथुर : सीमेंट ग्राथोरिटी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ज्वाइन्ट सीमेंट कन्ट्रोलर करता है ।

श्री शिवचरण माथुर : यदि यह मान लिया जाय कि जिस राज्य में सीमेन्ट फेक्ट्री है वहां की सब ग्रावश्यकताग्रों की पहले पूर्ति हो तो सारे देश में सीमेन्ट का वितरण नहीं हो सकेगा । ग्राज राजस्थान में सीमेंट फेक्ट्रीज ज्यादा हैं ग्रौर हमारी ग्रावश्यकता से ग्रधिक सीमेंट पैदा होता है · · ·

श्री गुमानमल लोढ़ा : यहां की ग्रावश्यकता तो पूरी कर दें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यहां तो सीमेंट के लिए हाहाकार मचा हुग्रा था ग्रौर कल ही सदन में इस बारे में 3 घन्टे की चर्चा हुई है · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेंट जाता नहीं है । जिलावाइज पॉलिसी होना चाहिए ।

श्री शिवचरण माथुर : इसको भारत सरकार नियन्त्रित करती है ग्रौर हम लगातार प्रयत्न करते रहे हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाय । सारे का सारा सीमेंट ग्रपने यहां ले लें यह सम्भव नहीं हो सकता है । इसलिए कोटा बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं ग्रौर 11500 टन प्रति क्वार्टर का कोटा राजस्थान को एलॉट होता है । जहां तक उसमें भी सेल कोटे का सवाल है तो 30 पर्सेन्ट उसका उसके हिस्से में बेचते हैं तो उसको नियन्त्रित करने के लिए ग्रापने पूछा है तो इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है । उसके लिए कलेक्टर्स को ग्रादेश दिये हैं कि कोई ऐसा तरीका बनाया जाय कि म्युनिसिपल एरिया में यदि वितरण करने वाली बात ग्राती है तो किसी म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट या यू०ग्राई०टी० का सर्टिफिकेट लेकर उसको सीमेंट दिया जाय ग्रौर देहाती इलाके में विकास ग्रधिकारी या पंचायत समिति का सर्टिफिकेट लेकर उसकी ग्रावश्यकता की पूर्ति की जाय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि साल भर से बहुत बड़ा प्राब्लम सीमेंट का ग्रापके सामने हैं ग्रौर ग्राज इसके लिए जो लाइन में खड़े होकर लेते हैं वह लोग ब्लेक में उसको बेचते हैं । उसके नियमन के लिए हम हमेशा से ही कह रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि विचार कब पूर्ण होगा ग्रौर मैं इसकी निश्चित डेट ग्रापसे चाहता हूं कि उस तारीख से इस प्रकार की ग्रॉथोरिटी होगी ग्रौर इस प्रकार से वितरित किया जायगा । यह बहुत बड़ा प्राब्लम है इसलिए किस डेट तक इसकी घोषणा कर देंगे ग्रौर उस तारीख से पॉलिसी की पालना सख्ती के साथ करायेंगे ।

दूसरी जानकारी मैं यह चाहता था कि जो खुले ग्राम सीमेंट की बोरियां कम तोल की ग्रा रही हैं उनके बारे में ग्रापने फरमाया कि जयपुर उद्योग के खिलाफ एस०डी०एम० सवाई माधोपुर की कोर्ट में चालान पेश कर दिया बिरला सीमेंट फेक्ट्री का चालान पेश हो गया, ग्रौर यहां पर खुले ग्राम जयपुर

Page No 16

(16)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
शहर के अन्दर जब कि कट्टों पर 48 या 50 के०जी० वेट लिखा हुआ था और 35 के०जी० निकला और इस सदन में कई बार प्रश्न आया तो उसके बारे में जयपुर शहर में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? इसकी भी मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आ जाने दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सबका एक साथ आ जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक साथ सब भूल जायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सीमेंट के बारे में आपने फरमाया कि नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर वितरित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की 80 पर्सेन्ट है और डिमाण्ड सीमेंट की बहुत ज्यादा है तो इसके बारे में क्या राज्य सरकार सोचेगी ? उनकी जमीन भी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए राज्य सरकार को यह चाहिए कि सीमेंट का वितरण 3/4 तो ग्रामों के लिए कर दिया जाये। 1/4 शहरों के लिए हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या सरकार इसके लिए कोई कोटा निश्चित करेगी ?

श्री मोठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जयपुर जिले के लालसोट का मामला आया है। वहां के विकास अधिकारी ने कट्टे को नपवाया है। नापने पर वह 35 किलो का ही कट्टा बैठा है। लालसोट का यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दूसरा यह कि जयपुर उद्योग और बिरला के यहां की जो जांच करा रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो कट्टे से सीमेन्ट निकाल कर अभाव के समय में किसानों को देते हैं, किसान भी अभाव के समय में अपना काम चलाने के लिए ले लेते हैं तो उन डीलर्स के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार से चोरबाजारी करते हैं ?

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (श्री करणपुर) : मेरा एक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अगर इन बैगों के अन्दर प्लास्टिक की थैलियां लगवा दी जायें फिर भले ही उनकी 4 आना कीमत बढ़ा दी जाये ताकि उनके अन्दर से सीमेन्ट नहीं निकाला जा सके।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जब सीमेन्ट की सप्लाई की जाती है तो वह कम होता है। जयपुर उद्योग का इस बारे में चालान किया गया। सवाई माधोपुर के अधिकारियों का चालान किया गया। तो मैं निवेदन करूंगा, क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड जो इस प्रकार से चोरबाजारी करता है, उनको जो राज्य की ओर से सुविधाएं दी हुई हैं, उनको राज्य सरकार ने विड्रा करने की कार्यवाही की है ? अगर नहीं की है तो क्या उनको यह प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं। जहां जहां जो भी मिला—यह सही है कि सीमेन्ट कम मिलता है ? और वह ज्यादा मिलना चाहिए—यह

(श्री शिवचरण माथुर)

समान रूप से इलाकों में बांटा है। यहां जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री श्रीराम गोटेवाला ने प्रश्न पूछा है उसमें अन्तर है। कई शहर ऐसे हैं जो ज्यादातर देहात हैं उन जिलों को जो आवंटित होता है, वह देहात में जाता है। लेकिन जयपुर में ऐसे तत्व हैं जो सही उपभोक्ता नहीं हैं। वह लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। वह सीमेन्ट लेकर ब्लैक करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुये यह तय किया जाता है कि जो मकान बनाने वाले हैं, उनको नगर परिषद् से परिचय-पत्र इस बारे में दिया जाये और लोग देहात में हैं उनको विकास अधिकारी की ओर से परिचय-पत्र दिये जायें। हम ऐसा सोच रहे हैं। 3 महीनों पहले यह स्थिति थी कि जो कुछ कोटा केन्द्र से आवंटित होता था, उसकी सूचना हमें नहीं मिलती थी। फरवरी में हमने भारत सरकार के अधिकारियों को बुलाया और उनसे यह तय किया। जो कोटा अलोट किया जाये वह हमारे जिलाधीशों को मालूम होना चाहिए। ताकि वह उसकी सही वितरण व्यवस्था कर सकते हैं। इसी के आधार पर यह तय हुआ है। जो कुछ आथोराइज्ड कोटा दिया जाय उसकी सूचना जिलाधीशों को मिले। मैं समझता हूं कि इसके होने के बाद नियन्त्रित तरीके से बंटवाने की बात हो सकेगी। जहां तक क्यूज का सवाल है, जब किसी चीज की कमी है तो उसके लिए क्यूज तो रहेंगे। दूकान पर नहीं तो सप्लाई आफिसर के यहां क्यू लगेगा। म्युनिसिपेलिटीज में क्यू लगेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्यू तो रहेगा। इस राज्य के लिए ही क्यू में वोट डाले गये हैं।

श्री शिवचरण माथुर : तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप व्यवस्था कर दें।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना कि सवाई माधोपुर के साथ में हमारी मिलीभगत है, यह बिल्कुल गलत है। अगर कहीं कम मात्रा में उपलब्ध हुआ है तो उसके लिए उस एक्ट के अन्दर कार्यवाही की जाती है। इसके अन्तर्गत कोर्ट में चालान पेश किये गये हैं। कोर्ट ही उस पर फैसला करेगी। कोई चीज कम है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उनके सारे के सारे लाइसेंस और सुविधाएं समाप्त कर दिये जायें। यह प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों कुएं अधूरे पड़े हुये हैं। सीमेन्ट नहीं मिलने से हजारों कुएं अधूरे पड़े हुये हैं। यही महीने हैं, जिनमें कुएं बनते हैं। हमारे सवाई माधोपुर के क्षेत्र में कुएं ही सिंचाई का साधन हैं। गंगापुर में 1500 एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं। अगर किसी को सीमेन्ट दिया जाता है तो वह भी 5 कट्टे दिया जाता है। इससे तो कुवां बनेगा नहीं। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या उनको उचित मात्रा में सीमेन्ट दिलवायेंगे ?

श्री केसरी मल (ब्यावर) : क्या मन्त्री महोदय, जो मयंक सिनेमा बन रहा

(श्री केसरीमल)
है, उसको सीमेन्ट दिलवाना बन्द करवायेंगे ?

श्री मीठालाल : आप यह कहते हैं, हमने यह शिकायत दिल्ली भेज दी है। तो क्या यह सब दिल्ली से ही होगा ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनिये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ····

श्री अध्यक्ष : No more supplementaries now.

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, वह इस बारे में जानकारी दे दें तो मैं इसकी जांच कराऊंगा ।

श्री मीठालाल : लिखकर दिया हुआ है ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी जानकारी में नहीं है ।

ग्रामों को देने के बारे में अभी अभी आदेश दिये हैं। बिजली की कमी के कारण बहुत सी फैक्टरियां बन्द रही हैं । हमने अब उसको साढ़े बारह % इम्पोज किया है। इसको ध्यान में रखते हुये हमने कहा है कि देहाती इलाकों में सीमेन्ट की अधिक आवश्यकता है। 12½% कोटा देहातों में देना चाहते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को निवेदन कर देना चाहता हूं कि अप्रेल, मई, जून, यही महीने आते हैं जब कि देहातों में सीमेन्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार जागरूक रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो मोर क्वेश्चन । स्थगित प्रश्न ।

श्री अजीतसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-3-74)

ग्राम खुडाला की भूमि का औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन

133. **श्री अजीत सिंह** (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खुडाला, तहसील बाली, जिला पाली की खसरा नं० 118 की भूमि, जिलाधीश, पाली के दिनांक 10-1-61 के आदेश द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ व्यक्तियों ने राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से सांठ-गांठ करके इस सारी सरकारी भूमि को हड़प लिया व आपस में बांट ली है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस भूमि के औद्योगिक क्षेत्र होने की पुष्टि जिलाधीश, पाली के पत्रांक रेवेन्यू 111/65/7822, दिनांक 4-9-65 से होती है जिसमें उन्होंने तहसीलदार, बाली को उपरोक्त भूमि में बीज गोदाम बनाने के विषय में लिखा था ?

Page No 19

(19)

(श्री अजीतसिंह)

(4) क्या यह सही है कि इस भूमि के अधिकार का हस्तान्तरण तहसीलदार, बाली ने पत्रांक 15, दिनांक 4-1-62 के द्वारा फालना उद्योग मण्डल लिमिटेड, फालना को उद्योग वस्ती व स्टॉफ क्वार्टर बनाने के लिए कर दिया गया था परन्तु बाद में सरकारी फाइल से मूल नक्शे गायब करके दूसरे बदले हुए नक्शे लगा दिये ?. जिनमें फालना उद्योग मण्डल लि०, द्वारा अपने अधिकार में ली गई भूमि के बाहर यह भूमि बता कर चेअरमैन, फालना उद्योग मण्डल लि०, व उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने आपस में बांट ली ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस भूमि के एक भाग पर फालना उद्योग मण्डल लि०, के चेअरमैन व उसके सम्बन्धियों ने कई आवासीय मकान व्यक्तिगत रूप में बनवा लिये हैं ?

(6) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने इस सरकारी भूमि का एक भाग 80,000 रु० में प्लाट के रूप में बेचा है वह समस्त सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों ने जानकारी होने पर भी कोई कानून कार्यवाहो नहीं की है यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द) : (1) कलेक्टर पाली ने उनके आदेश दिनांक 10-1-61 द्वारा ग्राम खुड़ाला के खसरा नम्बर 118,120 व 121 एवं ग्राम जादरी के खसरा नम्बर 315 के कुल रकबा 370.01 बीघा में से 320 बीघा भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु सुरक्षित की थी। यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ग्राम खुड़ाला के खसरा नम्बर 118 की पूरी भूमि सुरक्षित की थी या नहीं।

(2) उक्त भूमि पर कब्जे आदि का ब्यौरा संलग्न सूची* में निहित है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र में रेल हैड गोदाम की जगह निर्धारित करने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रश्न में वर्णित पत्र द्वारा तहसीलदार वाली को कलेक्टर द्वारा लिखा गया था।

(4) तहसीलदार ने ग्राम खुड़ाला के खसरा नम्बर 118,120,121 व ग्राम जादरी के खसरा नम्बर 315 में से 91 बीघा कुल 85.5 एकड़ भूमि फालना उद्योग मण्डल के चेअरमैन को संभलाई थी। यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि चेअरमैन को किस किस खसरा नम्बर की कौन कौन सी जमीन का कब्जा दिया गया था। नक्शे गायब करने एवं चेअरमैन द्वारा भूमि बांट लेने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(5) संलग्न सूची में अंकित अतिक्रमणियों में से महावीर मैटल मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी का 16 बीघा 17 बिस्वा पर कब्जा है, शेष अतिक्रमण की हुई भूमि पर आज दिन तक कोई आवासीय व्यक्तिगत मकान बने हुए नहीं हैं।

(6) सर्व श्री शिवदत्त एवं कैलाशदान के खास मुख्त्यार श्री बाबूलाल पुत्र जीवराज निवासी, बाली द्वारा कुछ जमीन 24000 रु० में रजिस्ट्री के आधार पर बेचान होना पाया गया है। इस आराजी बाबत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जैर तजवीज है।

* (सूची के लिये परिशिष्ट संख्या 1 देखें)

Page No 20

(220)

श्री अजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन की लूट हुई है फालना के अन्दर उस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सवाल पेश किया है। इसके अन्दर ऐसा आपने स्वीकार किया है, इसके अन्दर फालना उद्योग मण्डल वाला नक्शा बदल कर, सारे के सारे प्लाट के गलत नक्शे पेश करके फाइल बदली है। मैं चाहूंगा कि आप इस फाइल को स्वयं देखें और नाजायज तौर पर जो कब्जा कर लिया है, उस पर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री बेगाराम !

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : इसका उत्तर तो आना चाहिए। यह तो अनियमितता की पराकाष्ठा है। इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। क्या यह भ्रष्टाचार का विषय नहीं है ? क्या इसमें लीपा-पोती नहीं हुई है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं चाहती है ? चुपचाप मौन धारण करके मंत्री विराजमान है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): क्वेश्चन पर रेलेवेन्ट सप्लीमेन्ट्री हो तो जवाब दिया जायगा। आप मुझे सुनिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : इर्रेलेवेन्ट सप्लीमेन्ट्री हो तो आप कह दें कि जवाब नहीं देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उत्तर दे चुका हूं। उत्तर में कहा है कि नक्शे को बदलने का विषय है, इसमें सरकार को जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने दुबारा कहा, रिइट्रेट किया है कि नक्शा बदला गया है, तो मैं उसकी जांच करा लूंगा मैंने रिटन में उत्तर में कहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्वेश्चन आया है तो मंत्री महोदय को जानकारी देनी चाहिए और पूरी तैयारी इस सिलसिले में होनी चाहिए कि दरअसल में अनियमितता है या नहीं। क्या मंत्री महोदय का इतना भी फर्ज नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्वेश्चन के आने के बाद में····

श्री लक्ष्मणसिंह : क्वेश्चन में यह पूछा गया····

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्वेश्चन में यह पूछा है, इट हेज बीन लिस्टेड, तो आपका जवाब आना चाहिए। यह प्रोसीजर है, पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर है। और सदन यह चाहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : सदन जितना चाहता है, जितनी मुझ से अपेक्षा रखता है, उससे ज्यादा मैं क्वेश्चन के बारे में सूचना एकत्रित करता हूं····

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह आपसे अपेक्षा रखते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह क्वेश्चन पोस्टपोन इसलिए ही करवाया गया था। कलेक्टर को स्पोट पर भेजा है, उससे विलग्रर रिपोर्ट मांगी है। सेक्शन 91 की कार्यवाही क्वेश्चन के आने के बाद में की है। अब नक्शे में हेर फेर का सवाल है, सरकार को जो सूचना मिली है, उसमें

(श्री परसराम मदेरणा)
कलेक्टर ने यह सूचना नहीं दी है। अब आप कहते हैं कि नक्शे में तब्दीली की गई है, हेर फेर की गई है तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री मीठालाल : यह क्वेश्चन में है कि नक्शा बदला है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : मिसल गायब, नक्शे में हेर-फेर-बहुत गम्भीर आरोप हैं । मंत्री महोदय को सजगता बरतनी चाहिए, अहतियात बरतना चाहिए ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आयन्दा खयाल रखना ।

श्री मीठालाल : क्वेश्चन नम्बर 4 में है ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : खयाल तो पहले ही बहुत ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री बेगाराम !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-3-74)

सूरतगढ ब्रान्च के पास की भूमि

468. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ ब्रांच के पास जंगलात 55 फुट समतल पटरी है तथा 90 फुट जमीन में जंगलात विभाग ने पौधे लगा रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जंगलात विभाग उपरोक्त जमीन के अलावा 100 फुट जमीन और लेना चहता है तथा किले भी गाड़ दिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि 100 फुट जमीन और लेने से किसानों को काफी नुकसान होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई आदेश देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द):
(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बेगाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 51 फीट जमीन पहले जंगलात को दे रखी है नहर के पास में, और 55 फीट पर समतल पटरी है, सौ फीट जमीन किसानों की जंगलात को दे रखी है । भूमिहीन किसानों को वह भूमि मिली है, वह छीन छीन करके जंगलात के किले लगा रहे हैं तो उनको जमीन कैसे मिलेगी ? भटकते भटकते उनको जमीन मिली है वह छीन रहे हैं जंगलात वाले । मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से, जो यह जमीन 100 फीट, जहां जंगलात बनें, वह जिन भूमिहीन किसानों को जमीन मिली है, उनको दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री निरंजन नाथ आचार्य ।

श्री मीठा लाल : जवाब दे रहे ह ।

श्री मूलचन्द : जैसा माननीय सदस्य ने सवाल किया है, ऐसी योजना जंगलात विभाग की नहीं है । 100 फीट के अन्दर ऐसा कार्यक्रम रखा, जो पहले खड़ीन

(22)

(श्री मूलचन्द)
थे, उनमें जो वृक्षारोपण का काम था, उसको किया गया है। खड़ीन की जब नहर योजना चालू हुई, उसमें भूमि एक्वायर की गई, वह अलग अलग है। किसानों से जमीन लेने का प्रश्न नहीं है। किसानों ने जो नाजायज कब्जा कर रखा है जमीन पर उस, पर, अलग कार्यवाही हो रही है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : प्रश्न कर्त्ता ने पूछा है, वहां कीलियां लगाई हैं ? उस पर कीलियां लगा कर, उस रकबे, उस जमीन को घेरा है -- क्या यह सही है ? यह प्रश्नकर्त्ता ने पूछा है।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): यह सही नहीं है। इस क्वेश्चन को इसलिए ही पोस्टपोन करवाया गया था. वहां पर कीलियां लगाई हैं या नहीं -- इसकी जांच करने के लिए ही वहां डी० एफ० ओ० को मौके पर भेजा है।

श्री नेगाराम : 55 फीट में पौधे लगा रखे हैं और 90 फीट में कीली गाड़ कर जंगलात लगाने की सोच रहे हैं। इससे जो भूमिहीनों को जमीन मिली है नहर के पास 100 फीट, जंगलात वाले लेते हैं तो जिनको पांच पांच बीघा जमीन मिली है वह मारे जायेंगे। गरीब किसान।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न गरीब का नहीं है। राजस्थान कैनाल बनाने के लिए जमीन एक्वायर की थी और एक्वायर्ड जमीन पर, नहर खदान के ऊपर खाली जमीन पड़ी है, उस पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। किसी किसान ने एक्वायर्ड लैंड पर ट्रैसपास कर लिया है तो उसको हटायेंगे। ट्रैसपास नहीं करना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजन नाथ आचार्य।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-74)

जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

578. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा सन् 58 में किस-किस दर पर किन किन व्यक्तियों को कितने-कितने वर्ग गज का किस स्कीम से भूखण्ड आवंटित किया गया ? (कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।)

(2) उक्त आवंटित भूखण्डों का अधिकार-पत्र कब-कब जारी किया गया और भूखण्डों की कीमत कब-कब और कितनी जमा हुई ? इन भूखण्डों में किस किस भूखण्ड का कब-कब किन-किन व्यक्तियों को पट्टा दे दिया गया ?

(3) जिन व्यक्तियों को पट्टा दे दिया गया उनमें से किन किन ने अब तक भवन-निर्माण नहीं कराया है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्नों में वर्णित कार्यवाही में सब ही स्तर पर अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो किन-किन में क्या क्या अनियमितता हुई ?

(5) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को रियायती दरों पर भू-खण्ड

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
दिये गये उनको भू-खण्ड स्थानान्तरित करने की अनुमति भी दी गई ? यदि हां, तो किन-किन को ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जो सूचना एकत्रित करनी है, उस सूचना को एकत्रित करने में काफी समय अपेक्षित है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसका प्राणान्त हो गया है। इसका अन्तिम संस्कार कर दिया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : गरुड़ पुराण पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित !

प्रश्न संख्या 757

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमान सहाय।

जयपुर एवं सीकर जिले में खनिज पदार्थों का सर्वे

758. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर एवं सीकर जिले के खनिज पदार्थों का सर्वे कब किया गया है ? सर्वे के आधार पर किन किन ग्रामों में क्या क्या खनिज उपलब्ध हैं तथा किस-किस खान का किस किस को कब से पट्टा दिया गया है तथा कौन कौन सी खान कब से चालू है ? इन चालू खानों से प्रत्येक से वार्षिक आय सरकार को कितनी कितनी राशि की हुई है ?

(2) क्या सरकार उन पट्टों को खारिज करने का विचार रखती है, जिन्होंने कि अभी तक खानें चालू नहीं की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु कच्चा माल उपलब्ध है ? यदि हां, तो किन-किन जगह और किस-किस मात्रा में ? क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इन जिलों में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाये जाने हेतु कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कहां पर ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझार सिंह) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नियमानुसार पट्टा धारी को निश्चित अवधि में खनन कार्य प्रारम्भ करना होता है इस शर्त के उल्लंघन करने पर पट्टाधारी को विभाग द्वारा नियमानुसार चेतना पत्र दिये जाते हैं और चेतना पत्र की पालना नहीं होने पर नियमानुसार खनन पट्टे को खंडित किये जाने की विधिवत कार्यवाही की जाती है।

(3) सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु कच्चे माल के रूप में लाइम स्टोन के भंडार सीकर जिले के भांवड़ा क्षेत्र व पाटन के पास रामपुरा, झामास क्षेत्र में व जयपुर जिले के कोटपूतली क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे।

प्रमाणिकता के आधार पर कोटपूतली क्षेत्र में 26-58 मिलियन टन,

Page No 24

(२५)

(श्री गुमानसिंह)

पाटन क्षेत्र में करीब 10 मि० टन व मांवड़ा क्षेत्र में 23.68 मिलियन टन सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन मिलने की सम्भावनाएं हैं।

रामपुरा क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने हेतु श्री केशोराम को सीमेन्ट लाइम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वह से लैटर आफ इन्टेन्ट भी मिल गया है। निकट ग्राम पवाना तहसील कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने हेतु लाइम स्टोन का खनन पट्टा लेने के लिये प्रार्थना पत्र केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्टेट लाटरीज व अल्प बचत विभाग द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन

767. **श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा स्टेट लाटरीज व अल्प बचत विभाग के समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की क्या नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा विज्ञापन देने में पक्षपात वरता जाकर खास अखबारों को विज्ञापन जाता है ?

(3) मार्च, 1972 से फरवरी, 1974 तक किस किस अखबार को कितना विज्ञापन दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अखबारों को विज्ञापन किस किस दर पर दिया गया ? कृपया पृष्ठों की मूल्य की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) देश के सभी प्रमुख तथा स्थानीय पत्रों द्वारा विस्तृत एवं व्यापक प्रचार हो जिससे कि अधिक से अधिक लाटरी टिकट बिकें तथा अल्प बचत में धन राशि उपलब्ध हो।

(2) जी नहीं।

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायसिंहनगर का चक नं० 39 पी० एस० की भूमि

463. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील रायसिंह नगर के रायसिंह नगर चक नं० 39 पी० एस० में हरिजनों के नाम आराजी व अलाट (स्थायी) की गई कितनी जमीन है व्यक्ति का नाम और उनके मु० नं० क्या

(श्री बेगाराम)
है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में उन हरिजन व्यक्तियों के नाम कोई दूसरा फर्जी व्यक्ति काश्त कर रहा है ?

उत्तर

(i) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जी नहीं

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

भूमि का आवंटन

464. श्री मनोहर लाल (कामां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की सांचोर तहसील के गांव भर कुआ में खत खसरा नं० 40, 55 सरकारी भूमि होने से मुसम्मी कोना, पुनमा, भसरा को आवंटन की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि का आवन्टन जिलाधीश, जालौर द्वारा केन्सिल कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदारी प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल की अदालत में इस्तकरार हक का दावा किया गया था और उसमें सरकार की तरफ से कोई भी पार्टी नहीं बनाई गई और खातेदारी देदी गई है ? यदि हां, तो कब व इसके क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

अलवर स्थित पोल्ट्री फार्म

465. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर स्थित पोल्ट्री फार्म का सेल टैक्स का नम्बर क्या है ?

(2) गत पांच वर्षों में कितना कितना सेल्स टैक्स अलग अलग वर्ष में उक्त पोल्ट्री फार्म का जमा हुआ ?

(3) पोल्ट्री फार्म के बिल बुक के फार्म के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सेल्स टैक्स का नम्बर 245/100 है ।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त पोल्ट्री फार्म का सेल्स टैक्स रु० 21,733.85 जमा हुआ है , जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि
	रुपया
1969-70	3,005.12
1970-71	5,196,48
1971-72	4,006,42
19[illegible]-73	5,[illegible]
1973-74	3,892.03

(31-12-73 तक)

(वित्त मंत्री)

(3) बिल बुक के फार्म की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

चूरू जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

45. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कौन कौन सी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हैं ? प्रत्येक की क्षमता, लागत अनुमान, पूरा होने की अवधि और कहां से पानी दिया जायगा तथा प्रति व्यक्ति व प्रति पशु कितना पानी मिलेगा आदि विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) स्वीकृत योजनाओं के कार्य की क्या प्रगति है ? प्रत्येक का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त जिले की कौन कौन सी योजनाओं का सर्वे हो चुका है परन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं हुई हैं तथा ये कब तक स्वीकृत हो जायेंगी ?

(4) उपरोक्त योजना के अतिरिक्त पीने के पानी के अभाव वाले अन्य गांवों को पानी देने की क्या योजनायें हैं ? और इनको कब तक किस प्रकार पीने योग्य पानी दे दिया जायगा तथा ऐसे कौन से गांव हैं ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की निर्माणाधीन योजनाओं की सूची मय संबंधित सूचना के संलग्न है।

(2) प्रश्न (1) की सूची में यह जानकारी दे दी गई है।

(3) उपलब्ध योजनाओं की सूची संलग्न है। स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जावेगी।

(4) अन्य योजनाएं भी धन की उपलब्धि के अनुसार बनाई जावेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले की जल प्रदाय योजना

4[illegible]. श्री [illegible] सहाय व्यास (बैराट) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 1500 की जनसंख्या तक वाले ग्रामों में ग्रामीण जल-प्रदाय योजना लागू किए जाने का विचार है ? यदि हां, तो जयपुर जिले के किन किन ग्रामों में वर्ष 74-75 ई० में कार्य प्रारम्भ किये जाने का सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है जयपुर जिले की तहसील विराटनगर के अनेकों ग्रामों की जनता द्वारा अंशदान की राशि जमा करादी है ? यदि हां, तो किन 2 ग्रामों की जनता द्वारा और इन ग्रामों में कब तक जल-प्रदाय योजना प्रारम्भ किये जाने का विचार हैं ?

(3) अब तक राजस्थान प्रदेश के किन-किन गांवों की नल-योजना स्वीकृत की गई है ? उन ग्रामों के नाम एवं जनसंख्या सहित जिले वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(श्री हनुमान सहाय)

(4) क्या सरकार जयपुर जिले के ग्राम मेंड, भामोद, नौरंगपुरा, भामरा, सालीवाड, करीरी, राडावास, हनुतपुरा, धवली, खोरा, लाडखानी, भामरू, देवन, खोरी में नल योजनाएं स्वीकृत किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ।

उत्तर

(1) जी नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं । वर्ष 74-75 में धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की जावेगी ।

(2) जी हां । धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(3) सूची संलग्न है ।

(4) ग्राम भामोद व हनुतपुरा की आबादी 2,000 से कम है अतः उनके लिये योजना नियमानुसार स्वीकृत नहीं की जा सकती है । अन्य ग्रामों के लिये धन की उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ब्यावर शहर की पानी की समस्या

468. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में पीने के पानी की एक लम्बे अर्से से समस्या रही है ? इस इलाके में लगातार अकाल पड़ते रहते हैं तथा इस समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार ने लाखों रुपये खर्च भी किये हैं परन्तु समस्या का स्थाई हल अभी तक नहीं निकाला गया ।

(2) क्या यह सही है कि इस समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार का ध्यान कई प्रकार से दिलाया गया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस समस्या के स्थाई हल हेतु कोई कार्य किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने कौनसी योजना स्वीकार की है ? इस योजना पर कितना पैसा खर्च होगा और यह योजना कब तक पूरी करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां, गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा ब्यावर में हैण्ड पंप लगाने का कार्य किया गया । राज्य मंत्री परिषद् द्वारा अजमेर, ब्यावर व किशनगढ़ के लिये बनास नदी पर पिकअप वियर बनाकर जल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है । इस प्रस्ताव अनुसार विस्तृत योजना बनाई जा रही है । पंचम पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये 4.00 करोड़ रु० का प्रावधान प्रस्तावित है । जिसमें ब्यावर को 21.7 लाख गैलन पानी प्रतिदिन देना भी शामिल है । योजना के प्रथम खण्ड की लागत लगभग 6.81 करोड़ रु० व दूसरे खण्ड की लागत 15.17 करोड़ रु० है ।

सहकारी समिति 41 आर० बी० द्वारा खाद का वितरण

469. श्री गुरदयाल सिंह संधू (श्रीकरणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी समिति 41 आर०बी० द्वारा जनवरी, 1974 से आज तक कितनी खाद का किस-किस किस्म का खाद का, कब-कब और किस किस को आवन्टन किया गया ?

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

किस कीमत पर सहकारी समिति को खाद मिली और उसका बंटवारा किस कीमत पर किया गया ? खर्च किस प्रकार से हुआ केरिएज किसके द्वारा किया गया जो रसीदें खर्चे की की गयीं उसकी नकल दी जावे ।

(2) इस क्षेत्र के कितने काश्तकारों को खाद नहीं दी गयी ? और कितने कितने काश्तकारों को एक माह में दो बार खाद दी गई ? इस खाद के वितरण का स्थान कौनसा है ? पंचायत केन्द्र न होकर दूसरा स्थान होने का क्या कारण और इसकी वितरण किसके द्वारा की जाती है और इस सहकारी समिति का अधिकार क्षेत्र क्या है ? जिन नियमों के अन्तर्गत वितरण व्यवस्था की जा रही है उसकी प्रतिलिपि साथ शामिल की जावे और यह बतलाया जावे कि जो इस समिति के सदस्य नहीं हैं उन्हें समिति से खाद प्राप्त करने का क्या अधिकार है ?

(स्थगित किया गया)

सरपंच, प्रधान एवं पंचायतों के विरुद्ध शिकायतें

470. **श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की विराटनगर एवं शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच, प्रधान एवं पंचायतों के विरुद्ध जिलाधीश एवं राज्य सरकार के पास शिकायतें पेन्डिग हैं ? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध और कब से, तथा क्या-क्या शिकायतें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायत-पत्रों की जांच की गई है ? यदि हां, तो किस किस की और कब कब तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, शाहपुरा एवं विराटनगर द्वारा खाद, सीमेन्ट एवं डीजल, क्रूड आयल के परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को और कब-कब तथा कितने-कितने का ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(4) क्या यह सच है कि पंचायत समिति विराटनगर द्वारा स्वयं सीमेन्ट ले जाकर वितरण की है ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी ? इस पर क्या व्यय हुआ और समिति को कितना लाभ या हानि रही, और किस-किस को कितनी कितनी, कब कब दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जी हां । सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है ।

(3) जी हां । पंचायत समिति विराटनगर द्वारा 331 कृषकों को 9,733 सीमेन्ट के कट्टों के परमिट मई, 1973 से मार्च, 1974 तक जारी किये गये । डीजल, क्रूड आयल एवं खाद के परमिटों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है । पंचायत समिति, शाहपुरा द्वारा 25-4-73 से 4-3-74 तक 2,870 व्यक्तियों को खाद, 1,650 व्यक्तियों को सीमेन्ट, 386 व्यक्तियों को डीजल आयल एवं 295 व्यक्तियों को क्रूड आयल के

(पंचायत मंत्री)
परमिट जारी किये गये। सूची अधिक लम्बी होने के कारण सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(4) जी हां। मई 1973 से मार्च 1974 तक 9,733 सीमेन्ट के कट्टे वितरित किये गये। सीमेन्ट की कीमत के रुपये 1,19,466.29 पैसे एवं सीमेन्ट लाने, उसकी ढुलाई व उतराई पर रुपये 14,811.49 पैसे कुल रुपये 1,34,277.78 पैसे व्यय हुए। सीमेन्ट का वितरण बिना किसी लाभ-हानि पर किया गया है। सूची लम्बी होने से सदन की मेज पर रखा जाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिला सहकारी संघ

741. **श्री चतुर्भुज** (टोडा रायसिंह): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टोंक जिला सहकारी संघ के केन्द्रीय सहकारी बैंक के खाते पर सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा पिछले दो वर्ष से रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो सहायक रजिस्ट्रार को ऐसी रोक लगाने का अधिकार है? यदि नहीं, तो संघ का जिस अधिकारी ने भारी नुकसान किया है उस पर क्या राज्य सरकार कोई कानूनी कार्यवाही करेगी? यदि करेगी तो क्या?

उत्तर

जी हां। टोंक जिला सहकारी संघ लि०, टोंक के खाते पर जो केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, टोंक में है, पर सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 8-5-72 से रोक लगाई गई है। यह रोक टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, टोंक व ब्रांच, टोंक के पत्र पर विचार करने के बाद लगाई गई थी। संघ के संचालक मंडल की बैठक का प्रस्ताव दिनांक 6-10-71 जो बैंक से रकम लेने का अधिकार संघ के उपनियम संख्या 22(9) के तहत श्री राजाराम भाई को 500.00 रुपये तक का दिया गया था और दिनांक 4-5-72 को संघ के अध्यक्ष श्री मदन मोहन गुप्ता ने शाखा को लिखित में सूचित किया था कि श्री राजाराम न तो संघ के मंत्री हैं और न ही संचालक मंडल ने बैंक से रकम निकालने का अधिकार ही दिया है। अतः श्री राजाराम के हस्ताक्षर से चैक नहीं सीकारे। अतः समय की उपयोगिता को देखते हुये सहायक रजिस्ट्रार द्वारा यह रोक लगाई गई थी जिसके लिये वह सक्षम हैं।

संघ के खाते पर रोक लगाने से संघ को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। अपितु संघ की राशि को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बैंक से निकालकर दुरुपयोग किया जाता उसकी इस रोक से संघ की धनराशि की पूर्ण सुरक्षा हुई है। अतः किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाकर कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर शहर में हरिजन व्यक्तियों को रियायती दर पर पट्टे

742. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर शहर में कितने हरिजन व्यक्तियों को रियायती दर पर किन किन मोहल्ले में पट्टे दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि सादुलगंज व जयनारायण व्यास नगर आदि महत्वपूर्ण

(श्री चुन्नीलाल इन्दलीया)

स्कीमों में न तो हरिजनों को बसने का मौका दिया गया है और न उनको रियायती दर पर पट्टे ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने लोगों को ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मोहल्लों में हरिजनों ने रियायती दर व सरकारी दर पर भूखण्ड लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने प्रार्थना-पत्र किन-किन व्यक्तियों के नाम के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बीकानेर के शहर पनाह के अन्दर कोई हरिजनों के लिए रिहायती मकान नहीं हैं। इसलिए नगरपरिषद्, बीकानेर ने भूमियों के पट्टे नहीं दिये हैं।

बीकानेर शहर में हरिजनों की छोटी गुवाड़ के 122 पट्टे रियायती दर रु० 1) में पट्टे नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा तैयार किये हुए हैं। हरिजनों ने पट्टा फीस का एक रुपया जमा करवाकर अभी तक किसी ने भी पट्टा नहीं लिया है।

(2) सादुलगंज योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कोई भी भू-खण्ड रिजर्व नहीं किए हुए हैं परन्तु इस योजना में नाजायज कब्जे हैं जिनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिसके नियमन करने का मामला ट्रस्ट के विचाराधीन है।

जयनारायण व्यास नगर योजना में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों के लिए 100 भूखण्ड रिजर्व किये हुए हैं। आवंटन की कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा शीघ्र की जा रही है।

(3) सादुलगंज स्कीम में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

जयनारायण व्यास नगर स्कीम में इस जाति के 11 व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आवंटन हेतु प्राप्त हुए हैं। जिसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राजकीय पोल्ट्री फार्म, अलवर

473. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर में स्थित राजकीय पोल्ट्री फार्म की वार्षिक आय क्या है ?

(2) उक्त पोल्ट्री फार्म से पिछले 5 साल में कितने रुपये के अण्डे व मुर्गे बेचे गये ? प्रति वर्ष की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कुल कितने मुर्गों से यह फार्म प्रारम्भ किया गया था और अब इसकी स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) औसतन 30,000 रुपये।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई

(पशु पालन मंत्री)

(3) यह फार्म 375 परिन्दों से प्रारम्भ किया गया था। अब इसमें 6,245 परिन्दे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-3-74 व 29-3-74)

पुराने फाइनल बिल्स के भुगतान हेतु पड़ी हुई बकाया राशि

177. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग में ठेकेदारों के ठेके के काम समाप्त होने के दिन के पश्चात् के एक वर्ष से अधिक पुराने फाइनल कितने बिल्स अब तक भुगतान करने बकाया हैं ? पूर्ण सूचीमय ठेकेदार व काम के नाम, काम समाप्त होने का दिनांक और बकाया धनराशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कामों की कितनी सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि जमा पड़ी है जो काम समाप्त होने के छः माह बाद भुगतान की जा सकती है परन्तु फाइनल बिल पेमेन्ट न होने के कारण अब तक भुगतान नहीं की गई ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कारण है कि ठेकेदारों को अभी तक उपरोक्त बिलों का भुगतान नहीं किया गया और उसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सिक्योरिटी की जमा राशि सूची में अंकित कर दी गई है।

(3) ठेकेदारों को बिलों के भुगतान नहीं करने के साधारणतया कारण निम्न प्रकार हैं :—

1. कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय पर नहीं किया जाना, अतः जब तक समय वृद्धि मामले तय नहीं हो जाते, बिलों के भुगतान विचाराधीन रहते हैं।

2. ठेकेदार द्वारा अन्तिम नापों पर हस्ताक्षर न करना।

3. कार्य की फिनिशिंग न कर अधूरा छोड़ देना।

4. ठेकेदार की मृत्यु होने के बाद लीगल हेअर का विवाद खड़ा हो जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकना।

5. ठेकेदार द्वारा बचे हुये सामान को वापिस जमा नहीं कराया जाना, आदि।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74)

रा स्थान नहर क्षेत्र में हरिजन परिवारों को भूमि का आवंटन

22.. श्री मनफूल राम (केसरी-सिंहपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह

(श्री मनफूल राम)

बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में सन् 72-73 में कितनी भूमि कितने परिवारों को आवन्टित की गई है और कितनी शेष है ?

(2) कितने, हरिजन परिवारों को व कितने अनुसूचित जन-जाति परिवारों को इसमें से कितनी भूमि बांटी गई है।

उत्तर

(1) 7,992 परिवारों को 1,28,724 एकड़ भूमि स्थायी रूप से आवंटित की गयी और शेष 3.98 लाख एकड़ बची जिसमें से गैर मुमकिन आराजियात छोड़कर शेष अस्थायी रूप से आवंटित की गयी।

(2) 4,008 अनुसूचित जाति/जन-जाति के भूमिहीनों को 29,837 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है!

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 19-3-74 व 29-3-74)
ऋणों की वसूली

235. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर के बीज, ऋण एवं अन्य ऋणों की वसूली का मतालबा बनाकर तहसील में पटवारियों द्वारा वसूली के लिये भेजा गया है? अगर हां, तो कब व कितनी रकम का तथा वसूली कितनी वर्षों की है।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मतालबे के अनुसार व मुकाबले मूल ऋण ब्याज की रकम ज्यादा है? अगर हां, तो कितनी व क्यों? अगर नहीं, तो कितनी कम है? मूल ऋण रकम एवं ब्याज साधारण व दंडनीय ब्याज रकम का ग्राम पंचायतवार नक्शा पिछले सालों की वसूली आदि का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पंचायत समिति के वसूली हेतु मतालबे के अनुसार ब्याज सहित किस्तों के मांग-पत्र मतालबा तहसील में भेजने के पूर्व काश्तकारों को नहीं दिये गये थे? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो मांग-पत्र देने की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(4) ऋण वसूली में दण्डनीय ब्याज वसूली करने के क्या क्या आधार हैं? क्या इन आधारों के अनुसार ही उपरोक्त ऋणों की वसूली में दण्डनीय ब्याज वसूल किया जा रहा है?

(5) क्या यह सत्य है कि अकाल वर्षों की वजह से उक्त पंचायत समिति के ऋणों की वसूली राज्य सरकार द्वारा स्थगित की गई थी? अगर हां, तो कब कब एवं कितने सालों की? क्या स्थगित ऋण वसूलियों के समय का भी ब्याज काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं तो स्थगित वसूली की अवधि का कितना ब्याज कम किया गया है?

(6) क्या यह सत्य है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पुराने ऋण की वसूली के लिये ज्यादा से ज्यादा दो किश्तों में वसूली मय ब्याज के काश्तकारों से करने के आदेश प्रसारित किये थे? अगर हां, तो राज्य सरकार वर्तमान बकाया वसूली के लिये भी यही नीति

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रखना चाहेगी? अगर हां, तो क्या इस बारे में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 22-1-74 को तहसील में 8.18 लाख की वसूली का मतालबा बनाकर भेजा गया था। इस मांग-पत्र में 1959-60 वर्ष से 1969-70 की देय योग्य तथा अवधिपार किस्तें शामिल हैं।

(2) जी नहीं। मूल ऋण राशि से ब्याज की राशि 2.28 लाख कम है। मूल ऋण रकम एवं ब्याज साधारण व दण्डनीय ब्याज की रकम की पंचायतवाइज सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। पिछले सालों की वसूली के विवरण की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) पंचायत समिति द्वारा दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों की वसूली हेतु जमा कराने के लिये नोटिस काश्तकारों को दिए गए हैं। अल्पकालीन ऋणों की वसूली के लिये नोटिस सम्बन्धित पटवारी द्वारा ऋणी को दिए गये हैं।

(4) दण्डनीय ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17-2-73 तक का सभी ऋणों की वसूली पर माफ कर दिया है परन्तु ट्रेक्टर व पंपिंग सैट खरीदने हेतु दिए गए ऋणों पर यह वसूली योग्य है। इन्हीं आदेशों के अनुरूप दण्डनीय ब्याज वसूल किया जा रहा है।

(5) जी हां। अभावग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा ऋणों की वसूली स्थगित करने के आदेश निम्न प्रकार प्रसारित किये गये हैं।

(1) एफ 7(78) रेवेन्यू/सी/68, दिनांक 23-2-69।

(2) एफ 7(86) रा/ग/67, दिनांक 21-1-70।

(3) एफ 7 (86) रा/ग/67, दिनांक 23-4-71।

(4) एफ 7 (86) रा/ग/·67/ग्रुप 2, दिनांक 20-10-72।

(5) एफ 7 (59) रा/ग्रुप-2/72, दिनांक 17-2-73।

ये आदेश ट्रेक्टरों व पंपिंग सैट्स खरीदने हेतु दिए गए ऋणों की किस्तों एवं ब्याज की वसूली पर लागू नहीं थे। सिर्फ साधारण ब्याज ही, वसूल किया जा रहा है। वसूली स्थगित समय का साधारण ब्याज माफ करने का अभी कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(6) राज्य सरकार के ऋणों की अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में वसूली की प्रक्रिया निर्धारित करने के आदेश समय समय पर राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। जो आदेशों में वर्णित समयावधि के लिये लागू होते हैं। वर्ष 1973 में ऐसे आदेश प्रसारित किए गए थे जो 1973 में वसूली पर लागू हैं अच्छे समय में पंचायत समितियों के ऋणों की वसूली राजस्थान पंचायत समिति एवं ऋण नियम, 1966 के अन्तर्गत की जाती है। चूंकि राज्य सरकार के ऋणों की वसूली के आदेश राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, अत: विभाग द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की नीति निर्धारण किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

Page No 34

(३५)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

छतरगढ़ एस्टेट

30?. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य में छतरगढ़ एस्टेट थी ? यदि हां, तो क्या इस एस्टेट का जैसा कि बीकानेर राज्य का राजस्व रेकार्ड था उसी अनुरूप गिरदावरी ढालबांछ आदि रेकार्ड था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रेकार्ड के गैर खातेदार लोग जो तहसील अनोपगढ़ के अन्तर्गत छतरगढ़ एस्टेट के गांवों के थे जिनका कि चार्ज एस्टेट मर्जर होने पर राजस्थान सरकार को दिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त तहसील के गैर खातेदारों को राजस्थान को अन्य तहसीलों की भांति सं० 2012, सन् 1955 के सरकारी रेकार्ड गिरदावरी में व मौके पर काबिज होने से गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि संवत् 2012 की गिरदावरी के आधार पर उपरोक्त तहसील के अन्तर्गत एस्टेट के इन गांवों के खातेदारी अधिकार से किसानों को वंचित रखा गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि बिना किसी तरह का नोटिस दिये सं० 2013 में जिनके कि मौके पर व राजस्व रेकार्ड में पहले से कब्जा चला आ रहा था तहसीलदार ने अपनी मर्जी से किसानों का कब्जा रेकार्ड में से हटा दिया ? यदि हां, तो तहसीलदार ने नाम अपने अधिकार से हटाये या उच्च अधिकारियों के आदेश से ? यदि कोई आदेश हुआ हो, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि इस प्रकार से हटाये गये नामों के बावजूद भी अभी अधिकांश किसानों का अभी तक कब्जा है और सरकार ऐसे कब्जे अवैध मानती हुई रेकार्ड में कुछ भी नहीं दर्शाती है ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही से पीड़ित कुछ किसान उच्च न्यायालय, जोधपुर की शरण में भी गये और फैसला किसानों के हक में हो गया और सरकार की कार्यवाही को अवैध माना गया ? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपने रिकार्ड से हटाये गये किसानों के नामों को पुनः दर्ज कर उनका कब्जा मान लिया है ?

(7) यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो ऐसे हटाये गये समस्त किसानों के नामों को सरकार कब तक वैध कर देगी ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-74)

तहसील, जहाजपुर की गुमशुदा मिसलें

308. श्री माणकचन्द्र सोगाणी (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा के पर्चे लगानी भू-प्रबन्ध विभाग

Page No 35

(३५)

(श्री माणकचन्द सोगाणी)

भीलवाड़ा के तकसीम होने के बाद में किस अधिकारी व किस किस कर्मचारी को लगाया गया व कितने समय तक जहाजपुर की उज्रदारी का कार्य किया गया व कितनी मिसलें दर्ज हुई व कितनी फैसल हुई व कितनी खारिज की गई व कितनी पेन्डिंग दी गई व उज्रदारी कार्य के लिये किस नये अधिकारी को मुकर्रर किया गया व इसके बाद चार्ज किस अधिकारी से किस तारीख को लिया गया व चार्ज लेते व देते समय में कितनी मिसलें गुम होने की रिपोर्ट दी गई ?

(2) मिसलें गुम होने बाबत किन किन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया गया या नहीं ? अगर केस दर्ज करवाया गया तो पुलिस में किस तारीख को कितनी मिसलों का और पुलिस ने किन किन कर्मचारियों को दोषी ठहराया व पुलिस में चोरी की रिपोर्ट करने के बाद में अब तक कितनी मिसलें मिल चुकी हैं और अब कितनी मिसलें किस किस गांव की बाकी हैं ?

(3) तहसील, जहाजपुर की गुमशुदा मिसलों की जांच के लिये किस अधिकारी को नियुक्त किया गया व विभागीय जांच किस तारीख को शुरू हुई व किस तारीख को खत्म हुई ? विभागीय जांच में पंचनामा बैठाया गया या नहीं व चार्ज देने वाले अधिकारियों के समक्ष दोषी कर्मचारियों को साथ बैठने का मौका दिया गया या नहीं ?

(4) तहसील, जहाजपुर की मिसल गुम होने बाबत किस कर्मचारी के द्वारा संख्या एफ० 11 (17) रा० स० ग्रो० 168, दिनांक 21-5-68 को राजस्थान सरकार सतर्कता आयोग में केस दर्ज करवाया ? क्या उसकी जांच की गई और जिस गांव की मिसलें कम थीं उन गांवों के काश्तकारों के बयान लिये या नहीं व चार्ज देने वाले व लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान लिये या नहीं और उस पर अब क्या जांच की जा रही है ?

(5) क्या तहसील, जहाजपुर की फर्जी मिसलें भी तैयार की गई थीं ? यदि हां, तो किस कर्मचारी के द्वारा किस किस गांव की किस किस नम्बर की गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई व किस तारीख को किन कर्मचारियों के द्वारा किस अधिकारी को जानकारी दी गई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) तहसील, जहाजपुर के केस में सरकार का अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और किन किन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है ?

उत्तर

(1) तहसील, जहाजपुर के 101 ग्रामों की रेन्ट रेट्स राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3-4-65 को स्वीकृत होने पर दिनांक 3-7-65 से 10-7-65 तक पर्चे लगानी का वितरण कराया गया था। पर्चे वितरण के बाद से दिनांक 1-4-66 से पूर्व श्री मिश्रीलाल घीया, आर० ए० एस०, ए० एस० ओ० ने कार्य किया तथा 1-4-66 से मार्च, 1968 तक श्री वी० एल० पाण्डे, आर० ए० एस०, ए० एस० ओ० ने कार्य किया था और इनके बाद मार्च, 68 से जुलाई, 68 तक श्री कानमल मालगा, आर० ए० एस०, ए० एस० ओ० ने कार्य किया था।

इस तहसील के केस वर्क स्टेटमेंट के अनुसार अगस्त 65 से जुलाई 68 तक 3,586 मिसलें दर्ज हुई तथा 3,521 का निर्णय किया

(राजस्व मंत्री)

गया और इस तहसील के सेटिलमेंट आपरेशन्स वन्द करने की घोषणा दिनांक 4-7-68 को राजपत्र में प्रकाशित होने पर जिलाधीश, भीलवाड़ा को 65 पैण्डिग केस स्थानान्तरण किये गये थे। गुमशुदा 63 मिसलें इनमें शामिल थीं।

श्री घिया ने जिस समय चार्ज दिया था उस समय 789 पत्रावलियां चार्ज में दी गई थीं और जब तक श्री पाण्डे रहे उस समय में उनके पास 243 केसेज और दायर हुये। इस प्रकार उनके पास की 1,032 में से 1,028 मिसलों के निर्णय उन्होंने दिये तथा 4 मिसलें श्री मालगा को दी गई थीं। मार्च 68 से जुलाई 68 तक 68 केसेज श्री मालगा के पास भी आये और इस प्रकार कुल मिलाकार वन्दोवस्त कार्यवाहियां बन्द होने की तिथि को 65 मिसलें जिलाधीश, भीलवाड़ा को स्थानान्तरण की गई और 7 के श्री मालगा ने निर्णय दिये थे।

उपर्युक्त वर्णित अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिये सर्व श्री टीकमचन्द, नाथूलाल, पुरुषोत्तमलाल, मधुसूदन बिड़ला, गजेन्द्र व सवाईसिंह लगाये हुये थे। चार्ज देने व लेने के बाद 63 मिसलें गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी।

(2) भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा ने दिनांक 7-1-67 को सर्व श्री नाथूलाल, सवाईसिंह, टीकमचन्द, पुरुषोत्तमलाल, अमीनान व तिलकराज तलवार कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध पुलिस में केस दर्ज करवाया गया था तथा दिनांक 11-1-67 को पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा को सूचित किया कि इस रिपोर्ट से कोई जुर्म काबिल दस्तन्दाजी का वकुवे से आना प्रतीत नहीं होता. अतः कागजात फायल किये गये। गुमशुदा 63 मिसलों में से अब तक केवल दो मिसलें (मि० नं० 752, ग्राम बदनपुरा व मि० नं० 1,703 ग्राम, पंडेर) मिल चुकी हैं। शेष 61 मिसलें प्राप्त नहीं हुई हैं। कुल 63 मिसलों की सूची संलग्न है।

(3) गुमशुदा मिसलों के संबंध में विभागीय जांच दिनांक 5-1-67 को आरम्भ हुई और दिनांक 26-3-70 को समाप्त हुई थी। इस अवधि में दिनांक 9-3-67 को श्री कन्हैयालाल पुरोहित, एस० ओ०, भीलवाड़ा को दिनांक 25-9-67 को श्री कानमल मालगा, ए० एस० ओ०, माण्डलगढ़ को तथा दिनांक 26-4-68 को श्री मंगलसिंह, ए० एस० ओ०, भीम को नियुक्त किया गया था। विभागीय जांच में पंचनामा बैठाया गया था। जांच पत्रावली से विदित होता है कि श्री तिलकराज, कनिष्ठ लिपिक को अधिकारी से क्रास करने का अवसर नहीं दिया गया और शेष कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों से क्रास क्वेश्चन करना जांच पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इतना अवश्य मालूम होता है कि अधिकारियों के बयान लेते समय में दोषी कर्मचारी उपस्थित थे।

(4) सर्व श्री नाथूलाल व सवाईसिंह अमीनान ने दिनांक 27-4-68 को एक प्रार्थना-पत्र राजस्थान सतर्कता आयोग को उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि यह जांच स्वयं सतर्कता आयोग को करनी चाहिये। इस पर कार्यवाही करने के लिये सतर्कता आयोग ने भू-प्रबन्ध आयुक्त को पत्र दिनांक 21-5-68 को भिजवाया था और इस पर भू-प्रबन्ध आयुक्त ने भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा को टिप्पणी देने हेतु भिजवाया था। ए० एस० ओ०, भीलवाड़ा

(राजस्व मंत्री)

ने अपनी टिप्पणी में निवेदन किया था कि इन व्यक्तियों द्वारा जांच कार्य में सहयोग न दिये जाने के कारण जांच कार्य में विलम्ब हो रहा है। जिन कृषकों की पत्रावलियां गुम हुई थीं उनके बयानात लेना जांच पत्रावली से मालूम नहीं होता मगर अधिकारियों के बयानात लिया जाना जांच रिकार्ड से साबित होता है । दिनांक 26-3-70 को जांच कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अब और कार्यवाही शेष नहीं रहती ।

(5) तहसील जहाजपुर की मिसल नं० 1077 व मि० नं० 1078 अलग अलग श्री पुरुषोत्तमलाल, अमीन द्वारा, बनाई, जबकि इनका उनवान एक था, इस प्रकार दो मिसलें फर्जी बनाई । इसी प्रकार 1045/65 के सरवर्क एवं मिसल-बन्द रजिस्टर के इन्द्राज में भिन्नता है, यह भी फर्जी कार्यवाही की तारीफ में आता है । श्री टीकम चन्द जैन, अमीन (अब स्वर्गीय) ने मिसल नं० 314, 589, 587, 532, 581 व 562 सांवला पुत्र नानजी की मिसलों पर स्वयं आदेश देकर ए० एस० ओ० के फर्जी हस्ताक्षर किये थे इसी तरह श्री जैन अमीन मिसल नं० 2009, 2113, 2015, 2017, 2538, मौके पर ले गये थे, बाद में जमा नहीं करवाई इसकी जानकारी श्री नन्दराम मीणा साकिन सरसिया ने दी थी । श्री पुरुषोत्तम लाल अमीन द्वारा फर्जी कार्यवाही की जानकारी दौरान गणना मिसलात व जांच पाया गया तथा स्वं० श्री टीकम चन्द, अमीन द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करने की जानकारी श्री नाथूलाल शर्मा, अमीन ने दी । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराई जाकर सजा दी गई ।

(6) क्योंकि जांच अधिकारी व दोषी कर्मचारी इसी विभाग के थे । इनके पास इस कार्य के अलावा विभाग का दूसरा कार्य भी था । अतः उसके साथ साथ यह भी कार्य भी करते रहे हैं । इसलिये इस कार्य में अलग से कोई खर्चा होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस केस में श्री तिलकराज, कनिष्ठ लिपिक को 3 ग्रेड इन्क्रीमेन्ट, श्री नाथूलाल, अमीन को 3 ग्रेड इन्क्रीमेन्ट श्री सवाई सिंह, अमीन को 3 ग्रेड इन्क्रीमेन्ट व श्री पुरुषोत्तमलाल, भू-मापक के 2 ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोकने की सजा दी गई है।

(पया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

राज्य सरकार को बकाया राशि

340. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार की कुल बकाया की राशि 31-3-73 तक कितनी थी ? विभागानुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य सरकार की कुल बकाया की राशि अब तक कितनी है ? नवीनतम सूचना देने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

अतिक्रमणियों की संख्या

312. **श्री चेतराम** (टोडा भीमा) : क्या राजस्व मंत्री यह

(श्री चेतराम)
बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ० 6 (20) राजस्व /71 एवं 72, दि० 13-4-71 के अनुसार सन् 1971-72 में कितने अतिक्रमणियों के अतिक्रमण नियमित किये गये थे और भूमि का रकबा कितना है ? जिलेवार आंकड़े पेश करने की कृपा करें।

(2) उक्त नियमन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिक्रमणियों की संख्या एवं रकबा जिलेवार क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में ऐसे अतिक्रमणियों को, जिन्होंने अतिक्रमण किया था और उन्हें नियमित करना नियम विरुद्ध था को उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित कर दिया ? यदि हां, तो इनकी संख्या एवं रकबा क्या है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां। नियमन की कार्यवाही नियमानुसार ही की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-74)

तहसील, कोलायत में भूमिहीनों को भूमि का अलाटमेन्ट

345. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में 1 जनवरी, 1970 से लेकर आज तक कितने भूमिहीनों को किस किस गांव में कितने कितने बीघा भूमि अलॉट की गई है ? प्रार्थी का नाम एवं निवास स्थान दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि सीलिंग में खारिज हो चुकी है वही भूमि उन्हीं लोगों के परिवार को अलॉट कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) कुल कितनी भूमि कोलायत तहसील में सीलिंग में आई और किन किन व्यक्तियों को अलाट की गई ? उनके नाम, निवास स्थान की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में 1 जनवरी, 1970 से आजतक 2,844 भूमिहीनों को भूमि आवंटित की गई है जिनकी सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(3) तहसील कोलायत में कुल 21,156 एकड़ भूमि सीलिंग में आई है। इसमें से जिन जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया उनकी सूची 'ख' सदन-पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-74)

बून्दी जिले में अनुसूचित जाति के भूमिहीन को भूमि का आवन्टन

399. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की कौन-कौन सी तहसीलों में 1969 से 1973 तक कितनी भूमि आवन्टित की गई है ? इसमें कितनी भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवन्टित की गई ? गांव वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन भूमि-हीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवन्टित की गई उन्हें मौके पर कब्जा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो कहां कहां और क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले की 4 तहसीलों बून्दी, हिंडोली, नैनवा तथा केशोरायपाटन में सन् 1969 से 1973 तक 11,010.40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है जिसमें से 3,376.60 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवन्टित की गई है। गांव वार सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन भूमिहीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया है उसकी सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष आवंटियों को शीघ्र कब्जा देने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

राजस्थान में सीलिंग कानून के तहत आई भूमि

401. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** :(सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पुराने सीलिंग कानून के तहत कितनी भूमि आने की सम्भावना थी तथा वास्तव में कितनी भूमि आई, कुल कितने केसेज चलाये गये और कितने तय कर कितनी-कितनी भूमि निकाली गई ? जिले-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नये सीलिंग कानून के तहत राजस्थान में कितनी कितनी भूमि आई तथा कितने पुराने चल रहे केसेज नये कानून के तहत तय कर दिये गये हैं ? उससे कितनी भूमि मुक्त हुई है तथा कितने नये नोटिस जारी किए गए हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५०)

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. सर्वश्री मोहम्मद गफ्फार अली, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 2 अप्रेल को शुबराती नामक जिस युवक की ट्रक से कुचल कर मृत्यु हो गई थी उसकी लाश को पुलिस द्वारा जला देने के संबंध में,

2. सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गुमान मल लोढ़ा और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 5 अप्रेल को फुलेरा थाने में सुवालाल रेगर की पुलिस द्वारा मारपीट से होने वाली मृत्यु के संबंध में,

3. सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री व गुमान मल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से टी० डी० सी० द्वितीय वर्ष के सिन्धी ऐच्छिक विषय में निर्धारित एक पुस्तक के अब तक प्रकाशित न होने के विषय में,

4. सर्वश्री केदारनाथ, रामकिशन व गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा, की ओर से राजस्थान व पंजाब के मुख्य मंत्रियों की आपसी बातचीत के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा बीकानेर कैनाल पर नहर का निर्माण बन्द न करने के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

5. श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा, की ओर से भरतपुर शहर में स्थित किले के चारों तरफ सुजान गंगनहर की सफाई न होने के विषय में,

6. सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गुमान मल लोढ़ा व अजीत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से गत फरवरी तथा मार्च में सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पशु अपहरण की दो घटनाओं के विषय में,

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा बी० एससी० विद्यार्थियों को दिए जा रहे स्टाईपेंड को बन्द किए जाने के विषय में,

8. सर्वश्री सुरेशचन्द्र व मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम मोहनपुरा तहसील बस्सी में गत 27 मार्च को भोंरीलाल रेगर की पिटाई के विषय में।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं हैं।

9. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से गत वर्ष 7 जुलाई को बीकानेर की पुलिस को दी गई अवैध गांजे की सूचना के विषय में। यह प्रश्न हाल की किसी घटना से संबंधित नहीं है।

10. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा की ओर से जोधपुर में मंडोर रोड़ पर

(श्री अध्यक्ष)

आर० ए० सी० और बाद में बी० एस० एफ० के लिए जो भूमि अवाप्त की गई थी उसका मुआवजा भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा काफी अधिक तय कर देने के विषय में। यह एक प्रश्न का विषय है और इस प्रस्ताव में कई विषय एक साथ उठाये गए हैं, साथ ही यह विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

11. सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य, केदार नाथ व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाले कमीशन में वृद्धि न करने के विषय में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है और आगे की किसी घटना की आशंका पर आधारित है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल में 2 अप्रेल को ट्रक की दुर्घटना के कारण से मरे हुए व्यक्ति के शव को लेने के लिए उसका रिश्तेदार अल्लादीन टोंक से आया था और मरे हुए व्यक्ति का शव, बेरी कमीशन की फाइंडिंग्स के अनुसार, दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है कि उनके रिश्तेदारों को लेने का और अपने धर्म या मजहब के हिसाब से उसका क्रियाकर्म करने का अधिकार अंतराष्ट्रीय स्तर पर माना गया है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छंगाणी साहब के महकमें में लाश का मुंह देखने के लिए 10/- रुपये रिश्वत के दिए गए, वह तो नसीब नहीं हुआ। अभागे अल्लादीन को अपने बहनोई के अंतिम क्षण दर्शन करने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री के कर्मचारियों ने 10) रिश्वत के चार्ज किए। उसके बाद में भी दुर्भाग्य की बात है कि उसको शमशान स्थल पर लेजाकर यह कहा गया कि कब्रिस्तान में पुलिस के लोगों ने 24 घंटे खतम होने से पहले ही रफा दफा कर दिया। रिश्वत की सीमाएं कहां तक चली गई हैं? इस पर विचार करें, मरे हुए आदमी का मुंह दिखाने के लिए रिश्वत लें, कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए भी रिश्वत ली जाएगी, ऐसा भी समय आने वाला है। जीने के लिए रिश्वत ली जाए तो समझ में आता है। मैं समझता हूं लाश के कपड़ों की रिश्वत दी जाएगी, यह स्थिति भी आने वाली है। यह गंभीर विषय है, जयपुर में विधान सभा सत्र चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री यहां विराजमान हैं और सत्र के चलते ही ऐसे जघन्य कार्य किए जायेंगे अस्पताल कर्मचारियों द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा कि उन्होंने सारे पुलिस एक्ट को तिलांजलि देकर, परम्पराओं को तिलांजलि देकर मरने वाले परिवार के प्रति इतनी इन्सानियत नहीं रखी और रिश्वत देकर भी लाश का मुंह देखने को नसीब नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्री विराजमान हैं। यह घटना आपकी दृष्टि में छोटी हो सकती है इस रूप में कि भारत में दुर्भाग्य से मानव के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मर जाए तो उसका और भी कोई मूल्य नहीं। मरते समय रिश्तेदार मुंह देखना चाहें, वह बिल्कुल ऐसी बात है जिसके लिए कोई मानवता या मर्यादा संभव नहीं है परन्तु कम से कम सरकारी कर्मचारी या विभाग के लोग इस बात के लिए आवश्यक प्रिकाशन्स लें ताकि भविष्य में ऐसी घटना रिपीट न हो, और जिन्होंने यह अमानुषिक कार्य किया है, जले पर नमक छिड़का है, बहते हुए आंसुओं को पोंछने की जगह और आघात किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाना चाहिए। जानकारी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आएगी नहीं, वह अल्लादीन केवल मुंह देखना चाहता था कि वाकई मेरा रिश्तेदार है भी या नहीं। अब हमेशा के लिए उनको आशंका रहेगी कि वास्तव में मेरा रिश्तेदार मरा हुआ है या जिंदा है। इसकी जानकारी उसको नहीं मिली, वह तो परलोक में चला गया, अब तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता लेकिन भविष्य में इसका रेफरेंस न हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के आश्वासनों के बावजूद विश्वविद्यालयों में ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि वे केवल अपना स्टडी कोर्स छपवाने में ही अपना कर्त्तव्य समझते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के टी० डी० सी० द्वितीय वर्ष के कोर्स में सिंधी के एच्छिक विषय में उन्होंने कुछ पुस्तकें निर्धारित कर दीं। एक साल पूरा होने को आया, कालेजों में किताबें प्राप्त नहीं हैं, अभी तक नहीं छपी। एक पुस्तक है 'उमंग' वह श्री राम पंजवाणी द्वारा लिखी हुई है। दूसरी पुस्तक का नाम है 'सुखियारी' वह भी राम पंजवाणी द्वारा लिखी हुई है। तीसरी किताब है 'पसियारा' गोविन्द माली की। आज तक गोविन्द माली के नाम से इस संसार में कोई पुस्तक छपी है, इसका पता नहीं। किताबों के अभाव में विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? यह तो मुख्य कोर्स में निर्धारित पुस्तक है। इस प्रकार विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, परीक्षा 15 अप्रेल को होने वाली है, अब वह बच्चा क्या परीक्षा देगा? इस बारे में शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य दें, उन विद्यार्थियों के बारे में कोई रास्ता निकालें या तो विद्यार्थी असफल होंगे या फिर वे परीक्षा में नहीं बैठेंगे। राज्य सरकार इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करें।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव है पुलिस विभाग से संबंधित। इस विभाग से संबंधित प्रतिदिन स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं, विधान सभा का सत्र भी चल रहा है और जबसे यह नया मंत्रीमंडल आया है, मुझे ऐसा लगता है कि गृह विभाग की बागडोर पुलिसवालों पर ही छोड़ दी है, प्रतिदिन पुलिस द्वारा हत्याओं के केसेज हमारे सामने आते हैं। अभी अभी ताजा 4 अप्रेल को फुलेरा में एक गांव में सुवालाल नाम के रेगर को चोरी के मामले में पकड़ा। पुलिस चोरी के मामले में तफतीश करे किसी को पकड़े जांच करे इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन फुलेरा में अपने थाने में लाकर पुलिस ने उसको 4 तारीख की रात को अर्थात् 5 तारीख को इतना पीटा, इतना पीटा कि पिटते पिटते वह घायल हो गया और घायल हो जाने के बाद उसका देहावसान हो गया।

एक गरीब को पुलिस की कस्टडी में रख कर उस थानेदार ने इतनी पिटाई की कि वह मर गया। अध्यक्ष महोदय, वह सुआलाल नाम का एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की रेगर जाति का व्यक्ति था। अध्यक्ष महोदय, उस अभियुक्त की उक्त थानेदार द्वारा इस तरह से पिटाई की जाती रही कि वह मर गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक गरीब इन्सान की मृत्यु हो जाये और गृह विभाग इस तरह से बैठा बैठा देखता रहे। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, उक्त थानेदार द्वारा तारीख 6 को करीब साढ़े 6 बजे के करीब उस व्यक्ति का पोस्ट मार्टम करने के लिये लाया गया। जब तक वह पोस्ट मार्टम करने के लिये लाया गया तब तक उसके घरवालों को पता तक नहीं था कि उनके रिश्तेदार को पीट-पीट कर मार दिया गया

Page No 43

(43)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

है । पोस्ट मार्टम होने के बाद उसके घरवालों को सूचना किन्हीं लोगों द्वारा पहुंचा दी गई । उसकी लाश को ढूंढ़ लाया गया था तथा उसकी लाश को उसके रिश्तेदारों को न देकर संगीनों के साये में उस लाश को जला दिया गया । कितने खेद की बात है अध्यक्ष महोदय, कि उस थानेदार के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । एक थानेदार किसी अभियुक्त को इस तरह पीटे कि उसका मर्डर हो जाय । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि ऐसे थानेदार के खिलाफ एक गरीब इन्सान की पिटाई करके मारने के लिये 302 इंडियन पीनल कोड की कार्यवाही की जाय तथा उस थानेदार को गिरफ्तार करके उसका चालान किया जाय । मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप गरीबों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उक्त अभियुक्त की हत्या के संबंध में उस थानेदार का तुरन्त चालान किया जाय ताकि भविष्य में दूसरे थानेदारों को ऐसी कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं पड़े । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे इस स्थगन प्रस्ताव को जानकारी के लिये भेजा है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 11 तारीख को सत्र समाप्त हो जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : सत्रावसान हो जायेगा, सत्र समाप्त नहीं हो जायेगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 11 तारीख को सत्रावसान हो जायेगा उसके पहले आप गृह मंत्री जी को आदेश दें कि वह इसके लिये सदन में एक वक्तव्य दें तथा साथ में सदन को यह भी अवगत करावें कि उस थानेदार के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और थानेदार को गिरफ्तार करके उसका चालान किया जायगा या नहीं ? और नहीं किया जायेगा, तो क्यों ? यह सारी स्थिति सदन में बतायी जावे । बस इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के बाहर राशन विक्रेता ऐसोसियेशन के सदस्य नारे लगा रहे हैं और बहुत ही उद्विग्न वातावरण बना हुआ है वह लोग विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तथा नारे लगा रहे हैं । उनकी आवाज अध्यक्ष महोदय, आपकी चेम्बर में आ रही है । मुझे इस बात की खुशी है कि कल वह लोग खाद्य मंत्रीजी से भी मिलकर आये थे तथा उन्हें अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया, इससे उन्हें कुछ सन्तोष मिला, क्योंकि उन्होंने उनकी समस्याओं को बहुत सहानुभूति पूर्वक सुना तथा उन्हें सन्तोष भी दिलाया । यह लोग सदन के बाहर अपनी मांगों को शीघ्रातिशीघ्र मनवाने के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं । मुझे उनकी मांगों में काफी यथार्थ नजर आ रहा है । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जयपुर में करीब 213 फेअरप्राइस शाप्स हैं और उन फेअरप्राइस शाप्स में काम करने वाले लोगों को आज करीब सन् 48 से 80 पैसे प्रति क्विन्टल मिलता है । अध्यक्ष महोदय, आज सन् 48 से सन् 74 आगया है । इतने सालों में गंगा का पानी भी बहुत बह गया है महंगाई काफी बढ़ गई है, और इस प्रकार चीजों के भाव भी काफी बढ़ गये हैं । इस प्रकार से सारी चीजों में विकृतियां आ गई हैं । आप सन् 48 से इन फेअरप्राइस शाप्स को फर्म्स को सिर्फ 80 पैसे ही दे रहे हैं जबकि दिल्ली में 80 पैसे से बढ़ा कर चार रुपये 90 पैसे प्रति क्विन्टल तक हो गया है । अब यह 80 पैसे में वह राशन विक्रेता दुकान का किराया भी देता है, अपने पास जो नौकर काम करता

(५४)

(**श्री निरंजननाथ आचार्य**)
है उसे भी पैसे देता है माल ढोने की कीमत भी देता है इस प्रकार काफी खर्च हो जाता है। मैं इस सारे पचड़े में न पड़कर सूक्ष्म में ही निवेदन करना चाहूंगा· · · ·

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में ही फरमावें तो ठीक रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं तो हमेशा से ही सूक्ष्माति सूक्ष्म पर ही चलता हूं· · · ·

श्री अध्यक्ष : थेन्क यू।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूक्ष्म में ही निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो बाहर लोग खड़े हैं उनसे नहीं मिले, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर, लेकिन उनके डेपूटेशन से मिल लें। आपके मिलने से, आपके सान्निध्य से आप ऐसी व्यवस्था करावें कि उन लोगों को प्रति क्विन्टल अगर आप दिल्ली में जो फेयरप्राइस शाप्स कीपर को पैसे मिलते हैं चार रुपये 90 पैसे नहीं दिलावें तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके आसपास का कमीशन दिलाने की कृपा करें तो अच्छा रहेगा। इससे उनकी हालत सुधरेगी और उन्हें सन्तोष होगा। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने चार स्थगन प्रस्ताव आपके पास भेजे थे लेकिन आज उनमें दो ही आये हैं। इसमें एक तो बीकानेर के मुलजिम के संबंध में है। एक मुलजिम के पास जसवन्तसिंह, एस०एच०ओ० ने गान्जा पकड़ा जो करीब बीस हजार रुपये का था। अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार ने वह बीस हजार का गान्जा हजम कर लिया है, और जो रिपोर्ट उसने एफ०आई०आर० दर्ज की उसका नम्बर 113 है। उसके अन्दर एक मुलजिम एक सख्स है उसके पास से गान्जा पकड़ा, लेकिन वह खुद ही हजम कर गया है इसके लिये जांच की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि यह तो मैं मानता हूं कि हम बार बार गंगानगर इलाके के बारे में चर्चा उठाते हैं; लेकिन उस चर्चा उठाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज गंगानगर का इलाका बिलकुल उजड़ रहा है उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। आज वहां की काश्त की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं आपके सामने गेहूं के नमूने लाया हूं इसमें कई वैराइटीज के हैं कुछ मेक्सिकन गेहूं के हैं तथा और भी गेहूं की क्वालिटी के हैं। वहां पर फसल बरबाद हो गई है और आप यह देखलें कि इन गेहूं के पौधों में कितना बीज गेहूं का है· · · ·

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इनको दूर रखिये इससे खाज छूट जायेगी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, आप देख लें कितने बीज गेहूं के निकल रहे हैं। यह मैं डिमोन्स्ट्रेशन के लिये नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं तो आपको वहां की फसल की हालत बता रहा हूं कि बिना पानी मिले गंगानगर के इलाके की फसल नष्ट हो रही है, और काश्तकार बरबाद हो रहा है। वहां की हालत बहुत ही गम्भीर है अध्यक्ष महोदय, काश्तकार परेशान हो चुका है· · ·

श्री अध्यक्ष : आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर आ जायें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, अगर गंगानगर के काश्तकारों के लिये आपने नहर का इन्तजाम ठीक तरह से नहीं

(श्री गुरदयाल सिह सन्धु)

किया तो वहां के करीब 12 हजार काश्तकार दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं; और इसके कलंक का टीका आपके मत्थे पर होगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह अनुरोध है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर राज्य सरकार आज ही स्टेटमेन्ट दे क्योंकि अब स्थिति काफी गम्भीर हो चुकी है। आज पंजाब सरकार ने अपनी नहर को कम्पलीट कर लिया है। जब पहले हमने आपके सामने यह प्रश्न उठाया था तो केन्द्रीय सिचाई मंत्री जी श्री पन्थ ने यह आश्वासन दिया था कि हमने पंजाब के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल-सिंह से बात कर ली है तथा वहां पर नहर का काम बन्द हो गया है। पर मैं आपसे साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि नहर का काम बन्द नहीं हुआ है वह कम्पलीट हो चुकी है। आज ही मेरे पास मेरे लड़के की चिट्ठी आयी है उसमें लिखा है कि वहां पर पंजाब में पानी लिया जा रहा है नहर से तथा उस नहर को चौड़ा और अधिक कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो गंगानगर के इलाके में सन् 70 वाली हालत हो जायेगी। हम लोगों को पानी मिल नहीं रहा, पानी नहीं मिलने से हमतो बरबाद हो रहे हैं लेकिन इसके लिये फिर हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। हम सरकार को बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इसकी तरफ विशेष ध्यान दे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कह दूं कि आप भाखड़ा नहर के मेनेजमेन्ट बोर्ड को पंजाब की इन हरकतों के लिये लिखिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी यह सूचना मिली है कि आज एक बजे नहर विभाग की मीटिंग हो रही है फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सरकार का इस बारे में स्टेटमेन्ट होना चाहिये और हमें बतलाया जाये कि सरकार गंगानगर के किसानों के लिये अब क्या कर रही है, सरकार गंगानगर के काश्तकारों के लिये कुछ करना चाहती है या नहीं? अगर नहीं करना चाहती है तो हम अपनी सही बात के लिये राज्य सरकार से लड़ने को तैयार हैं। राजस्थान सरकार गंगानगर के किसानों को नहर से पानी नहीं दे रही है और न ही उन लोगों को राजस्थान कैनाल के एरिया में ही जमीन देना चाहती है तो फिर हम अब क्या करें। हमारे पास लड़ाई करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है।

इन्ही शब्दों के साथ में यह जो चार गेहूं के पौधे लाया हूं उन्हें एक तो मुख्य मंत्रीजी को दूंगा, दूसरा खाद्य मंत्रीजी को तथा तीसरा सिचाई मंत्रीजी को भेंट करूंगा जो चौथा पौधा रह गया वह और किसी को दे दूंगा। वैसे तो हम यह जानते हैं कि यह सरकार गंगानगर के किसानों के लिये कुछ करने वाली नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके बारे में सरकार जल्दी से जल्दी एक स्टेटमेंट सदन में देकर गंगानगर के काश्तकारों के मन में विश्वास पैदा करें, कोई ठोस कार्यवाही करे, वैसे हम आपकी सिर्फ बातों से मानने वाले नहीं हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है 2 अप्रेल को सुबह 7।। बजे ट्रक से दुर्घटना हुई उसके सिलसिले में उसमें एक शुबराती नामक मुसलमान था वह कुचला गया। ट्रक था जो रोड से हट कर 15-20 कदम आगे गया। वह शुबराती नामक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और बीड़ी पी रहा था उसको इस ट्रक ने मार दिया। यह ट्रक गुरु नानक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का है। पुलिस ने इमीजियेटली लाश को कब्जे में

Page No 46

(46)

(श्री मो० गफ्फार अली)

किया और एक कैलाश नाम का व्यक्ति जो दूसरी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का मुलाजिम है उसके बयान लेकर उसको पहिचानवाया। डॉक्टर के पास लाश भेजी गई। उसमें पुलिस ने यह लिखा कि यह लावारिश है और इसका पता नहीं चलता है कि यह कौन है। डॉक्टर की ओर से तुरन्त उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। डाक्टर ने 1॥ घंटे तक उसका पोस्टमार्टम किया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम को प्राप्त हुई। डॉक्टर ने तो पोस्टमार्टम करके 1॥ घंटे में ही लाश को वापिस पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जिस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में वह शुबराती मुलाजिम था उससे सांठ गांठ करके आधे घण्टे में पुलिस ने भंगी की मार्फत लाश को जलवा दिया। पुलिस एक्ट के मातहत भी 24 घंटे उस व्यक्ति की लाश को रखना चाहिये था। पुलिस को इस प्रकार से कोई अधिकार नहीं था कि उसको इस प्रकार से डिस्पोज ऑफ करदे। आपके यहां इस प्रकार के करप्ट अधिकारी हैं जिनको आप बर्दाश्त कर रहे हैं कि इस लाश को आधा घंटे में ही जलवा दिया गया। कैलाश नाम का व्यक्ति मौजूद था और जहां लड़का मुलाजिम है उसकी दुकान भी वहीं है। गुरुनानक कम्पनी वालों को उस शुबराती की जानकारी थी।

श्री अध्यक्ष : मुख्तसर में कहिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पुलिस वाले जिस तरह करते हैं। एक तो लोढ़ा साहब ने फरमाया। इस डिपार्टमेंट में क्या होता है? पुलिस ने बयान लिया। 30 रुपया दिला दिया। उससे कहा कि तेरा भाई मर गया। गुरुनानक कम्पनी वालों ने कहा कि तू भाग जा और पुलिस वालों से कहा कि इसको लावारिश करार दे दें। और आधा घंटे में ही उस लाश को डिस्पोज आफ कर दिया। मेरी गुजारिश यह है अध्यक्ष महोदय, कि आज गृह मंत्रीजी तशरीफ नहीं रखते हैं, जो भी मंत्रीजी यहां मौजूद हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि आगरा रोड़ की यह घटना है। जो भी अधिकारी वहां के हैं उनकी हरकत यह है। जब डॉक्टर ने लाश दे दी तो उनकी जिम्मेदारी वहां पर ही खत्म हो जाती है। उनको इस वक्त तक का इन्तजार करना चाहिए कि जब तक एक्स रे रिपोर्ट प्राप्त न हो जाय। वह 6 बजे प्राप्त हुई। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने लाश जला दी। लाश जलाने के बाद 6 बजे उनको एक्स रे रिपोर्ट मिली। इसलिये लाश को जलाया कि एविडेन्स को खत्म करना चाहते थे और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के एविडेन्स को भी खत्म करना चाहते थे इसलिये लाश को जला दिया। दफन कर देते तो वह पहिचाना जा सकता था। इसलिये उसको जला दिया कि पहिचाना न जा सके। इस तरह उसका नामोनिशान मिटा दिया गया।

ट्रान्सपोर्ट कंपनी और पुलिस के अधिकारी हैं उनके बारे में गुजारिश करूंगा कि आज ही बयान संक्षेप में दे दें कि यह हरकत हुई है। मैंने हास्पिटल का रिकार्ड देखा है। हास्पिटल वालों ने लाश को 12॥ बजे सुपुर्द कर दिया। 1 बजे लाश को जला दिया गया। 6 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको निलम्बित करके फौरन सख्त एक्शन लेना चाहिये। रिश्वतखोरी की भी इन्तिहा होती है। मुझे यह पता चला है कि इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वोल्वड हैं। इस पर तुरन्त एक्शन लिया जावेगा। एक छोटासा बयान गृह मंत्रीजी आज दे दें, कल दे दें। जैसा मुनासिब समझें। मेरे

(श्री मो. गफ्फार अली)

पास इस बात को लेकर काफी लोग आये हैं, मैंने उनको समझा-बुझा कर रोका है और कहा है कि मैं इसको देखूंगा और इसको रखूंगा। इस किस्म की बातों से लोगों में उत्तेजना पैदा होती है। इसलिये गृह मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में सेटिस्फाई करना चाहिये। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निलम्बित करना चाहिये। यह मेरी गुजारिश है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता था। हाउस इन सेशन हो, चीफ मिनिस्टिर, राजस्थान और चीफ मिनिस्टर, पंजाब की दिल्ली में मीटिंग हो, 4 तारीख को दिल्ली में बात हुई। यहां 30 तारीख को यह कहा गया कि बीकानेर कैनाल में 87 आर०डी० है उसका कन्स्ट्रक्शन बन्द कर दिया गया है। 4 तारीख को गंगानगर गया तो देखा कि कन्स्ट्रक्शन चालू है। वह इलाका उन काश्तकारों का जहां माननीय ज्ञानी जेलसिंह की कान्स्टिट्युएन्सी है। 87 आर०डी० कैनाल निकाली जा रही है। यह ज्ञानी जैलसिंहजी की कान्स्टिटुएन्सी में पड़ेगी। कन्स्ट्रक्शन अभी जारी है। यहां हाई यील्डिंग वैराइटी होती है। आठ टाइम जिसको पानी लगे तब जाकर यह पूरी यील्ड देती है। दो पानी लगा है। यहां 50 क्यूसेक अराइवल है और वहां पर 700 क्यूसेक अराइवल होता है। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा यह सहज ही समझा जा सकता है। सिचाई मंत्रीजी के गर्दन हिलाने पर मिटिंग नहीं हुई है तो आयन्दा होने जा रही है क्या? आपकी पोजिशन कहां स्टेन्ड करती है।

श्री रामकिशन : सिचाई मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि मिटिंग नहीं हुई है। राज्य सरकार इस मामले में क्या कर रही है? बड़ा गम्भीर मामला है। कॉरेस्पोन्डेन्स कुछ हुई है?

श्री अध्यक्ष : वे कहना चाहेंगे तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय कहना चाहते या नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि गंगानगर सारे राजस्थान की ग्रेनरी है। मैं खुद गंगानगर गया हूं और जिन माननीय सदस्यों ने गेहूं लाकर यहां सदन के समक्ष पेश किये हैं ऐसी की ऐसी गेहूं की बालियां मैंने भी देखी हैं।

पानी पंजाब नहीं ले सकता। राजस्थान का हक है। मैंने यह सुना है कि मुख्य मंत्री, पंजाब का यह निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण यह पानी पंजाब चोरी से ले रहा है और राजस्थान को उसके हक से महरूम रखा जा रहा है। आखिरकार राजस्थान की भी सरकार है। राजस्थान के किसानों को बरबाद करने का कोई षड़यन्त्र करे, राजस्थान के उत्पादन की समस्या पर कुठाराघात करे, तो इससे बदत्तर स्थिति और क्या हो सकती है। लाखों रुपयों की फसल यहां की बरबाद हो चुकी है। तंग आयद-जंग आयद। अगर सरकार ने उनके असन्तोष के कारण को दूर नहीं किया जल्दी ही तो वे स्वयं कोई उग्र कदम उठाने को तैयार होंगे। सारे देश में आज हिंसा का वातावरण उग्र से उग्रतर होता जा रहा है उसको और भी बढावा देकर कोई क्या करेगा मेरी कुछ समझ में नहीं आता। सरकार

(श्री लक्ष्मण सिंह)

को अपना कर्तव्य समझना चाहिये और इसको प्राथमिकता देकर हल किया जाना चाहिये। पंजाब सरकार से मिलकर या केन्द्रीय सरकार से मिलकर इस समस्या का जल्दी ही निराकरण करना चाहिये। देर करने के परिणाम भयंकर हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दो शब्द इस बारे में मैं भी निवेदन करूंगा कि फेयर प्राइस शाप्स की यहां पर चर्चा चली। आप उनको आज भी वही सन् 48 से चला आ रहा अस्सी पैसा का कमीशन दे रहे हैं। यह राजस्थान राज्य भर की समस्या है। युनीफार्मिटी के आधार पर सारे राजस्थान के लिये सोचना चाहिये। आज जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उस स्थिति में 48 के भाव के हिसाब से कमीशन आज भी देना हास्यास्पद है। जब आपने जयपुर में इसमें कुछ अभिवृद्धि की है तो सारे राजस्थान में क्यों नहीं करते। यह राजस्थान व्यापी होना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : इन्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में हम फंस गये हैं। सदन का सत्र समाप्त होने वाला है। अब अगर इससे पूर्व इस बारे में माननीय मंत्रीजी सदन को अवगत नहीं करावेंगे तो यहां स्थिति क्या करवट ले लेगी इसे कौन कह सकता है। पंजाब आज भी बराबर हमारे हक का पानी ले रहा है, हमारी फसलें सूख रही हैं। लहलहाती खेती हमारी समाप्त हो गई पानी समय पर नहीं मिल पाने और पूरा नहीं मिल पाने के कारण। इस बारे में सदन को आश्वस्त करना चाहिये। अगर राजस्थान सरकार वास्तव में जैसा कहती है कि वह इस बारे में जागरूक है तो क्यों नहीं अभी तक पंजाब सरकार के मुख्य मंत्रीजी से मिली है? दोनों मुख्य मंत्री क्यों नहीं मिले? पंजाब सरकार हठधर्मी से बाज नहीं आ रही है। स्थिति गम्भीर है। इसका तुरन्त समाधान निकाला जाना अत्यावश्यक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव आपने मंजूर किये हैं?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मंजूर किये हैं? कैसे?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राजस्थान में कई छात्रों को एस०टी०सी० और बी०-एड० के लिये 150 रुपया और अधिक से अधिक 250 रुपया मासिक मिलता है। अब बी०ए०,एम०ए० और एस०टी०सी० वाले छात्रों को कहा गया है कि वे बी०-एस०टी०सी० की ट्रेनिंग करेंगे। यह नई बात है और अनुचित है। एस०टी०सी० की ट्रेनिंग केवल वे छात्र करते हैं जो मैट्रिक पास हैं। इन बी०ए०,एम०ए०, और एस०-टी०सी०, वालों के लिये केवल बी०एड० पास करना होता है। अब 65 में जिसने बी०ए० पास किया और राज्य में अध्यापक है और यही नहीं सत्रह सत्रह वर्ष का अध्यापन का जिनका काल हो गया है उनको भी आप कह रहे हैं। इनसे कोई लाभ नहीं। उनको तो बी०एड० की अनुमति मिलनी चाहिये और मैट्रिक पास को बी०एस०टी०-सी० की परीक्षा में भेजना चाहिये। बाकी को बी०एड० की परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिये। अब जो हालत है उसमें तो कई को तो बी०एस०टी०सी० की

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ट्रेनिंग करनी चाहिये इसकी सूचना भी नहीं मिली। जब कि उनको बी० एड० की सूचना मिलनी चाहिये। दोनों ही प्रकार की सूचना नहीं मिली कुछ को तो। इस तरह से सारे छात्रों का स्टिपेण्ड आपने बन्द कर दिया।

आखिर राज सरकार की नीति क्या है? जिन लोगों ने 17-17 वर्ष अध्यापन का कार्य किया है और जो बी०ए०, एम०ए०, एस०टी०सी० आलरडी हैं उनको बी०एस०-टी०सी० की ट्रेनिंग के लिये मजबूर क्यों किया जा रहा है? मैट्रिक पास वालों के लिये यह आवश्यक है। उनके लिये तो बी०एड० की अनुमति दी जानी चाहिये।

इसलिये मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि वे इस मामले को देखें और जल्दी ही इसे ठीक करें।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव जो था उसके बारे में दो महानुभाव बोल चुके हैं। मैं थोड़ा विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

दुकानदारों को पूरा उचित कमीशन ही नहीं दिया जाता बल्कि उनको राशन का कोटा भी एक साथ नहीं दिया जाता। उनको डबल खर्चा और समय बरबाद करना पड़ता है। दो दो बार चालान भरकर रुपया बैंक में जमा कराना होता है, दो दो बार ठेला भाड़ा देना पड़ता है, दो दो बार चक्कर लगाते लगाते उनको अपना समय भी बरबाद करना पड़ता है और इसके बाद भी आप उनको देते हैं वही 48 वाला कमीशन 80 पैसे का। आज के इस घोर महंगाई के जमाने में भी। खाद्य विभाग के कर्मचारी कम तोलते हैं, बाट उनके निकम्मे हैं अच्छे किस्म का अनाज दे नहीं पाते यह मसीबत अलग है। जयपुर में जिस किस्म की ज्वार दी जाती है उसे जानवर भी नहीं खा सकते।

श्री अध्यक्ष: कृपया अपने स्थगन प्रस्ताव पर ही सीमित रहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: यह भी उसी से सम्बन्धित है। मैं व्यापारियों की परेशानियों को आपको बता रहा हूं। इस तरह का अनाज उनको दिया जाता है ज्वार का नमूना आपके सामने है, बीकानेर में सड़ी हुई ज्वार दी जाती है। इस बारे में मोशन मेरा आपने स्वीकार नहीं किया है तो इस तरह का खराब अनाज लाकर वे व्यापारी किस तरह से उसको बेच पावेंगे यह एक समस्या उनके सामने और है। उपभोक्ता लेगा नहीं तो व्यापारी को नुकसान होगा। उनको आप अस्सी पैसा कमीशन ही देंगे। फिर भले ही सरकार का खाद्य विभाग सौ एक सौ पांच में खरीद कर 25 रुपया की मुनाफे की खुली लूट करता रहे। अब व्यापारी के सारे खर्चे का हिसाब लगाया जाय तो मैं आमदनी बताता हूं आपके 80 पैसे के हिसाब से एक क्विन्टल का 80 रुपया हुआ। सौ बोरी पर चने पर 14), खाली बोरी का 1) 50, गेहूं बोरी और चना बोरी का 275), और अन्य खर्चा 55) कुल खर्चा 424) का आया है चना और गेहूं की बोरी के उपरान्त। खर्चा टोटल किराया सौ बोरी का 137), अनाज का किराया 80), तुलाई का 150), रकम पर ब्याज 150), इस तरह से 1437) का खर्चा आया है। 13 रुपया पचास पैसा प्रति माह उसको नुकसान होता है। वह यह काम धन्धा करता है अपना पेट पालने के लिये पर उसको इससे इस तरह से एक पैसा भी नहीं मिलता। बिलकुल मुफ्त में समाज सेवा कर रहा है।

(5)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो राज सरकार की कमीशन देने की योजना है वह अनुचित है। खाद्य निगम 105 में गेहूं खरीद कर 125 में बेचेगा और वह भी निकम्मा सड़ा गला खाने के अयोग्य इस भ्रष्ट खाद्य निगम को लाखों का मुनाफा लूटने की खुली छूट है पर जो वितरण का काम ईमानदारी से करता है उसको आप 13.50 का घाटा उठाकर काम करने के लिये बाध्य कर रहे हैं। इसलिये आप उनका भी 4.90 प्रति क्विन्टल कमीशन तय करें। पड़ौस के राज्यों से आप सबक सीखें। उनको हक की कमाई भी नहीं देकर आप उनको बेईमानी सिखाते हैं। बेईमानी की प्रवृत्ति आप स्वयं पैदा करना चाहते हैं, कम तोलने की आदत आप स्वयं डालने के लिये उनको बाध्य कर रहे हैं इस तरह से मिलावट करने की सारी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। राज सरकार की है। उचित कमाई नहीं देकर राज सरकार उनको चोरी, मिलावट बेईमानी आदि करने के लिये रास्ता बताती है स्वयं। रा ा सरकार इस तरह उनको बेईमानी करना सिखाना चाहती है, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वह। कमीशन की दर आपकी कम है। आप इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ न करावें। इसका असर जनता पर पड़ता है। आप इस पर उचित ध्यान दें और उनकी दरें कमीशन की ठीक तरह से तय करें। उसको रोकने के लिये राज्य सरकार को विचार करके कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना चाहिये।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वैसे मैं दो बार सदन में किसी रूप में निवेदन कर चुका हूं। भरतपुर में एक नहर है, उसकी सफाई करना जरूरी है और अगर सफाई भी न की जाय तो कम से कम उसके पानी को साफ किया जाय। अब चूंकि सदन समाप्त होने वाला है। वहां अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भयंकर बीमारी फैलने वाली है। डालमिया का गन्दा दूध उसमें डाला जा रहा है। वाटर वर्क्स की सप्लाई पूरा पानी दे नहीं पा रही है। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सके तो यह बहुत ही अफसोस जनक स्थिति है। मेरा राज्य सरकार से इतना ही निवेदन है कि उस नहर की सफाई की कुछ न कुछ व्यवस्था के लिये जल्दी से कदम उठाना चाहिये ताकि भंयकर बीमारी न फैले और गर्मी में पीने का पानी पूरी तरह उपलब्ध हो।

एक कमीशन वाला सवाल है। यह व्यवहारिक है, तर्क की जरूरत नहीं है न कोई निवेदन करने की जरूरत है। जब सब चीजों की रेट बढ़ गई है तो ऐसे समय में भी 80 पैसे प्रति क्विन्टल जो उनको दिया जाता है वह बहुत ही कम है। उसमें दुकान का खर्च, अपना खर्च और उसकी लागत को देखते हुये मैं समझता हूं राज्य सरकार इसमें उचित बढ़ोतरी करेगी। इन दोनों सवालों पर उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। खास चिन्ता है गंगानगर की वहां सरकार क्या करने जा रही है यह भी बतावें।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अभी यहां पर 4 तारीख को दिल्ली में मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान, मुख्य मंत्रीजी,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पंजाब सिंचाई मंत्रीजी, भारत सरकार व हमारे प्लानिंग के मंत्री महोदय भारत सरकार के साथ और सिंचाई मंत्री, राजस्थान के साथ होने वाली मीटिंग का जिक्र किया। यह सही है कि 4 तारीख को मीटिंग होने वाली थी लेकिन केन्द्रीय मंत्रियों के अन्यत्र चले जाने के कारण पोस्टपोन की गई है। मैं तो यह जानकारी देना चाहता हूं जिस नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में इस सदन में पहले भी निवेदन किया गया था, जिस केनाल का जिक्र आता है। बीकानेर केनाल का कनिया वालो और पंजाब में निवाली और उसकी वजह से 25 क्यूसेक पानी चला गया। अभी भी हमारा यह मत है, राजस्थान के शेयर का पानी नहीं मिल सकता है और अभी तक उस नहर से पंजाब सरकार ने पानी नहीं लिया है। मेरे पास जो इन्फारमेशन है, उसके अनुसार। मुख्य मंत्रीजी, पंजाब सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री को कहा है कि काम बन्द कर दिया गया है। यह सूचना मेरे पास है। अब सदन समाप्त होते ही मैं स्वयं वहां जा रहा हूं और वहां मैं देखकर आगे राज्य सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये, उससे अवगत करा दूंगा और वह स्टेप्स राज्य सरकार लेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जहां तक पानी की कमी का सवाल है इस बार पंजाब हमारे शेयर का कोई पानी नहीं ले रहा है। इस वर्ष नदी में चूंकि पानी कम हो गया है इसलिये कम्परेटिवली जो पानी मिलना चाहिये, उससे कम जरूर मिला है उससे इन्कार नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारा शेयर का पानी पंजाब ले रहा है, जो मुझे जानकारी मिली है पंजाब पानी नहीं ले रहा है। इस बार पानी कम आया है इसलिये जो पानी मिलना चाहिये था सम्भवतः वह नहीं मिला। यह सारी स्थिति जब मैं वहां जा ही रहा हूं, माननीय सदस्यों से भी जानकारी लूंगा। उस नहर पर रिपेयर का काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी रिपेयर कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र को पानी मिल सके इसके लिये राज्य सरकार जागरूक है। आपका सहयोग भी जहां जहां आवश्यकता होगी, हम लेंगे और आपकी जितनी चिन्ता है, वह वाजिब है। उसको मैं इन्कार नहीं करता हूं लेकिन उतनी ही चिन्ता सरकार को है और सरकार पूरी तरह जागरूक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, 4 तारीख को मीटिंग पोस्टपोन हो गई, वह किस तारीख को रखी गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : No date has been fixed.

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने काम बन्द कर दिया है लेकिन उन्होंने अपना काम कम्पलीट कर लिया है। यह जानकारी मैं देना चाहता हूं। दूसरा आपने यह फर्माया पंजाब हमारा पानी नहीं ले रहा है। कल 367 आउटलेट उस नहर में से, आज से पहले कल की बात है, चल रहा था और उसमें से पानी आ रहा था इसलिये पंजाब सरकार इतने आउटलेट का पानी ले रही है। इसके अलावा पिछले दिनों पंजाब के शेयर का कोई पानी नहीं था लेकिन पंजाब इस नहर से पानी लेता था और पानी आगे दरिया में जाता था जिसमें से पानी ले सकता वह नहीं लिया यह जानकारी देना चाहता हूं। वह अपना काम

(52)

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

कम्पलीट कर चुका है। उससे पानी लेने का प्रश्न उस दिन पैदा होगा जिस दिन नहर में पानी छोड़ा जायगा··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा आपको जल्दी मुखालफत करनी चाहिये उसकी मरम्मत के लिये और जो नहर बन गई है उसको बन्द कर देना चाहिये।

व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् चर्चा

श्री अध्यक्ष : दिनांक 3 अप्रेल, 1974 को जब मैंने उस दिन प्राप्त स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर अपनी व्यवस्था सुनाई थी उस समय श्री यशवन्त सिंह नाहर, सदस्य विधान सभा ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिसमें उन्होंने यह जानकारी चाही थी कि स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के पश्चात् सदस्यों को उसके सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर कहां तक दिया जाना चाहिये और क्या यह उपयुक्त होगा कि जो स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजे जायं उन पर माननीय सदस्यों द्वारा उसी समय चर्चा न करके जब सदन में जानकारी के आधार पर उस प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय लिया गया हो, उसी समय चर्चा की जाय तथा जो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायें केवल उन्हीं प्रस्तावों पर सदन में चर्चा की जाय।

मैंने इस प्रश्न पर नियमों और परम्पराओं के आधार पर विचार किया है। स्थगन प्रस्तावों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा, लोक सभा तथा अन्य राज्य विधान सभाओं में अनेक व्यवस्थायें उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में जो मान्यतायें और सिद्धान्त सुनिश्चित हैं उनके आधार पर मैं निम्नलिखित व्यवस्था देता हूं:—

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव एक अत्यन्त असाधारण प्रकार की प्रक्रिया है और नियमों की मंशा है कि इसका उपयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब कि नियमों में दी गई अन्य व्यवस्थायें पर्याप्त कारगर सिद्ध न हों। तथा जब कोई असाधारण और आपत्कालीन घटना उत्पन्न हो गई हो और वह घटना उस स्वरूप और गुरुत्व की हो कि सदन को अपनी पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित करके उस पर विचार करना पड़े। माना यह गया है कि प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार के किसी आचरण, अवहेलना अथवा उसके किसी कार्य में असफलता पर ध्यान आकर्षित करके उसकी निन्दा की जाती है। यह एक असाधारण प्रकार की प्रक्रिया है और अध्यक्ष को पूरी सावधानी से उन पर विचार करके अपनी व्यवस्था देनी पड़ती है, किन्तु पिछले कुछ अनुभव से यह सिद्ध होता है कि स्थगन प्रस्तावों की सूचना देते समय माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अत्यन्त छोटी मोटी घटनाओं को लेकर कई माननीय सदस्य प्रतिदिन 2-2, 3-3 या इससे भी अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना देते हैं जब कि विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी दिन एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव सदन में विचारार्थ नहीं लिया जावेगा। नियमों में यह

Page No 53

(53)

(श्री अध्यक्ष)

भी प्रावधान है कि स्थगन प्रस्ताव हाल ही किसी अविलम्बनीय लोक महत्व की विशेष घटना से सम्बन्धित होना चाहिये जिसके सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का दायित्व हो तथा उसमें किसी के सम्बन्ध में मानहानिकारक आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये । साथ ही यदि किसी सत्र में किसी विषय पर किसी रूप में चर्चा हो चुकी हो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उसी विषय पर सदन में दुबारा चर्चा नहीं उठाई जावेगी ।

मेरा ऐसा अनुभव है कि स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में उपरोक्त नियमों का ठीक रूप में पालन नहीं हो रहा है अतः मैंने इस सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिये हैं:-

(1) भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य साधारणतया किसी भी दिन एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना नहीं देंगे, चाहे वह प्रस्ताव उनके द्वारा स्वयं उनके हस्ताक्षरों से हों अथवा अन्य किसी सदस्य के द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके हों । यदि किसी माननीय सदस्य ने किसी दिन एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी हो तो यह अध्यक्ष के विवेक पर ही रहेगा कि वे उनमें से किसी एक प्रस्ताव को विचारार्थ रखें ।

(2) यह आवश्यक नहीं होगा कि जितने स्थगन प्रस्तावों की सूचना अध्यक्ष को प्राप्त हो उन सब पर सदन में व्यवस्था सुनाई जाये । जिन स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था सुनाई जाये उनके संबंध में सदन में सदस्यों को चर्चा करने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) नियमों के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावों पर दी जाने वाली व्यवस्था के पश्चात् सदस्यों को उस पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है किन्तु यदि अध्यक्ष चाहें तो किसी माननीय सदस्य को किसी प्रस्ताव के संबंध में अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहने का अवसर दे सकते हैं । फिर भी जो प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजे जायं उन पर सदन में केवल एक ही दफा चर्चा उठाई जा सकती है । यदि राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजने संबंधी व्यवस्था के समय माननीय सदस्य कोई चर्चा उठायेंगे तो बाद में उस प्रश्न पर सदन में कोई व्यवस्था नहीं सुनाई जावेगी ।

(4) जिस विषय पर सदन में एक बार चर्चा उठाई जा चुकी हो उसके संबंध में दूसरी बार उसी सत्र में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा उठाने का अवसर नहीं दिया जायेगा ।

(5) अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि यदि वे उपयुक्त समझें तो किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर सकते हैं ।

(6) जिन स्थगन प्रस्तावों में किसी पर मानहानिकारक आरोप लगाया गया हो उन पर सदन में चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जायेगा ।

(7) जो विषय किसी प्रश्न, प्रस्ताव या अन्य वैधानिक तरीके से सदन में उठाया जा सकता हो, उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया जाना चाहिए ।

(8) जब मंत्री द्वारा किसी स्थगन प्रस्ताव के विषय पर स्पष्टीकरण हेतु वक्तव्य

(श्री अध्यक्ष)
दिया जावे तो उसके पश्चात् केवल प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए ।

(9) जहां तक हो सके, स्थगन प्रस्ताव निजी जानकारी के आधार पर ही होना चाहिए ।

(10) जैसा कि अब तक होता आया है, स्थगन प्रस्तावों की सूचना विधान-सभा सचिवालय में प्रातः 9.30 बजे तक तीन प्रतियों में प्राप्त हो जानी चाहिए और यदि किसी प्रस्ताव की तीन प्रतियां प्राप्त नहीं हुई तो उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जिन प्रस्तावों की सूचना प्रातः 9. 30 बजे के बाद में प्राप्त होगी उन्हें अगले दिन प्राप्त किया हुआ माना जायेगा ।

(11) मैंने ये कुछ बातें माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए दी हैं जो सुनिश्चित संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य भविष्य में स्थगन प्रस्तावों के संबंध में इन सिद्धान्तों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे ।

श्री केदारनाथ : आपकी व्यवस्था के समय गिरधारीलाल जी पहले ही चले गए ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में · ·

श्री अध्यक्ष : यहां डिस्कस नहीं होगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जानकारी करनी थी ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में फमाना हो तो चेम्बर में आ जायें ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह व्यवस्था दी यह तो ठीक है लेकिन सरकार से जानकारी चाहते हैं यह व्यवस्था दे दें इस बारे में कि सरकार इतने दिनों के अन्दर अपना उत्तर दे देगी उस समय चर्चा हो जायेगी । लेकिन साधारणतया यह होता है कि जानकारी के लिए दिया जाता है उसका उत्तर आता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने दोनों ही अवसर दिये हैं । आप मेरी व्यवस्था को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने यह भी कहा है कि सरकार को जानकारी के लिए भेजा है उस समय बोल दिया है तो फिर दुबारा नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको दोनों चान्स हैं । सरकार को भेजा गया उस समय अवेल कर लें तो कर लीजिए और बाद में फिर नहीं करेंगे । पहले नहीं और जानकारी के बाद अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इस हालत में पहले नहीं ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने गुजारिश की थी कि मेरे ग्रुप के लीडर नहीं हैं और मुझे आज की जानकारी नहीं थी बल्कि 10 तारीख की थी और मुझे उनको कन्सल्ट करना जरूरी है इसलिए कल या परसों जब भी आप उचित समझें मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित तो कर सकता हूं लेकिन कल या परसों में आ सकें या नहीं इसका वायदा करना कठिन है क्योंकि आगे दो दिनों की लिस्ट आफ बिजनेस बहुत लंबी बन चुकी है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : काफी बिजनेस है इन दो दिनों में ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह आपकी मर्जी पर है ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो इसे आज ले आया था । स्थगित हुआ ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनाएं

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 8(18) राज/ख/78, जी० एस० आर० 351 (24), दिनांक 12 नवम्बर, 1971.

(2) राजस्व (ग्रुप–4) विभाग की अधिसूचना संख्या प० 6(9) राज। ग्रु। 64, दिनांक 27 अप्रेल, 1973.

(3) राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या प० 4(10) राज। उप। 73 दिनांक 30 मार्च, 1974.

(4) राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या प० 4(1) राज। उप। 73, दिनांक 5 अप्रेल, 1974.

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बाड़मेर नगर की विद्युत समस्या

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बाड़मेर नगर की विद्युत समस्या के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मैं इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर इस समय सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं 'Let him say.' उसके बाद आप कहें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर शहर में बिजली की व्यवस्था की दृष्टि से ध्यान आकर्षित किया । आज बाड़मेर में यह व्यवस्था किस प्रकार चल रही है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं । बाड़मेर में अध्यक्ष महोदय सिर्फ दो पावर हाउसेज हैं । एक पुराना पावर हाउस और एक नया पावर हाउस । पुराने पावर हाउस में दो डीजल सेट हैं एक तो एम०ए०एन० मेक का जिसकी केपेसिटी 640 किलोवाट की थी और जिसकी आज केपेसिटी 200 किलोवाट की है और दूसरा सैट जिसकी केपेसिटी 268 किलोवाट की थी जिसकी आज की केपेसिटी 80 किलोवाट की है और नये पावर हाउस में भी दो डीजल सैट हैं। दोनों एक ही मेक के हैं । यह दोनों ही एक एक हजार किलोवाट की केपेसिटी के थे जिनकी आज की केपेसिटी प्रत्येक की 500 किलोवाट की है । इन चारों सैटों से आज बाड़मेर को जितनी बिजली की आवश्यकता है आज की क्षमता जो कि लगभग 400–500 के बीच में है उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं । बाड़मेर में भविष्य की दृष्टि से और शहर की जो तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है उस दृष्टि से वहां पर एक सेट और जयपुर से भेजा जा रहा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है 1000 किलोवाट की केपेसिटी का। उसको वहां लगाने की तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। अब तक यह जो सेट वहां पर चल रहे हैं उसमें कुछ पार्ट्स की कमी हो गयी थी और यह पार्ट्स फोरेन ही मंगाने पड़ते हैं विदेशों से और उसमें कुछ देरी होती है। तो जयपुर से एक पार्ट को भेजकर इस सेट को चालू रखा गया है और नया सेट लगाना चाहते हैं। उसके कुछ पार्ट्स हमें विदेश से मंगाने पड़ते हैं जिनका आर्डर प्लेस कर दिया गया है और कुछ पार्ट्स जल्दी ही तीन-चार महीने में अवेलेबल होने वाले हैं और जब सेट लग जायेगा तो बाड़मेर में जो आज स्थिति है वह और बेहतर हो जायेगी, अच्छी स्थिति हो जायेगी और पावर और बनने लगेगी।

बाड़मेर में पावर की वस्तुःस्थिति जैसा मैंने निवेदन किया, भविष्य में यह सही है कि जब तक हाईडल पावर नहीं पहुंचेगी तब तक जो भविष्य के विकास की दृष्टि से देखते हैं, वह स्थिति इस स्त्रोत से पूरी नहीं हो सकती। उस दृष्टि से बाड़मेर को इस वर्ष हम 33 के. वी. लाइन से जोड़ना चाहते हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में या अगले साल के प्रारम्भ में हम पूरा कर लेंगे और इसके बाद में हम बाड़मेर को रात्रि को जो बिजली का उपयोग होता है वह हाईडल पावर इस लाइन से दे पायेंगे और ये सेट्स जो हमारे पास बचेंगे, इनसे हम एक्स्ट्रा पावर जो इण्डस्ट्रीज के लिए चाहिए और दूसरे पर्पज के लिए चाहिए, उसके लिए देते रह सकेंगे। बाड़मेर को 132 के०वी० लाइन से जोड़ने का कार्यक्रम है उसमें कुछ समय लगेगा। हम इसको जोधपुर से बाड़मेर को जोड़ना चाहते हैं और इसी दृष्टि से जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम है, उसमें हम इसको जोधपुर-बालोतरा को 132 के० वी० से जोड़ देंगे ताकि यह पावर ज्यादा मिल सके। जब 132 के०वी० लाइन से जो देंगे तो उस वक्त और भी पोजीशन ईजी हो जाएगी और बाड़मेर को और अधिक बिजली मिल सकेगी।

वहां पर इण्डस्ट्रियल कनेक्शन की बात भी आपने पहले कही थी। तो इस वक्त हमारे पास 24 इंडस्ट्रीज की कनेक्शन की डिमाण्ड आई है उसमें से आठ व्यक्तियों ने सम्भवतः ऐसा कुछ किया है, पैसा जमा कराया है जिनको कनेक्शन जल्दी ही मिलने वाला है। एक इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाली, महालक्ष्मी आयल फैक्ट्री। उनको 30 हार्स पावर की इजाजत दे दी है वह मोटर लगायें उसको हम कनेक्ट कर देंगे पावर से। इन डीजल सेटों में आज कल जो खास दिक्कत आ रही है वह फ्यूअल की है जिसके बारे में इस सदन में कई दफा जिक्र हो चुका है, वह शोर्टेज हमारे यहां पर भी असर डाल रही है। फिर भी हमने एक स्पेशल आफिसर लगा रखा है जो बराबर इण्डियन आयल कम्पनी जोधपुर से सम्पर्क रखता है और यहां के लिए भी फ्यूअल लाकर इस व्यवस्था को चला रहे हैं। भविष्य में विकास की दृष्टि से क्या किया जा सकता है इस सम्बन्ध में निवेदन किया है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाड़मेर में बिजली आवश्यकतानुसार समय समय पर दी जाती रहेगी और जैसे जैसे बाड़मेर का विकास आगे बढ़ता रहेगा उसी दृष्टि से बिजली को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं उससे

(श्री हीरालाल देवपुरा)
बिजली मिल सकेगी, यही मैं माननीय सदस्य को विश्वास देना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि विद्युत् के बारे में जो मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है, मैं एक तो यह जानना चाहता हूं कि यह जो सेट बतलाएं हैं आपने, नए पावर हाउस में दो सेट और ओल्ड पावर हाउस में दो सेट। जो ओल्ड पावर हाउस में दो सेट हैं वे तो बहुत ही पुराने हैं और उसकी दृढ़क्षमता दिनों दिन गिर रही है और वे 1956 के मैंक के हैं। 1956 के जो मैंक के हैं, उनके लिए जो नियम हैं कोई भी सेट फिफ्टीन ईयर से ज्यादा काम में नहीं लिया जा सकता है और फिफ्टीन ईयर के बाद अगर काम में लाए जायं तो उनकी यूटिलिटी नहीं के बराबर होती है। तो इसलिए जो ओल्ड पावर हाउसेज की स्थिति है, मेरे को इन्फार्मेशन मिली है, मैंने तारांकित प्रश्न किया था 268 नम्बर का जिसका 80 किलोवाट की शक्ति दृढ़क्षमता के बारे में जिक्र है 1956 के सेट का और दूसरा जिक्र किया वह मेन है, एम०ए०एन० 640 किलोवाट का, यह भी 1963 का है। फिर दोनों की कण्डीशन बहुत ही खराब है। वे डिटियोरेट हो चुके हैं और उनसे, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि सिक्स मन्थ्स से कण्टीन्यूअसली नहीं चला सकते। दूसरा नए पावर हाउस में जो सेट हैं वह भी 1963 के मैंक का है और उसमें वन थाउजण्ड के सेट में फाइव हंड्रेड किलोवाट शक्ति मिल रही है। अब जो सेट भिजवाए जा रहे हैं, एक सेट के बारे में कहा है कि वह भी पुराना सेट है और 1963 का मोडल है और उस सेट के लिए भी स्पेयर पार्ट्स की व्यवस्था नहीं हो सकी है। उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए एक साल से कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक स्पेयर पार्ट नहीं आ सके हैं। वह कब तक प्राप्त होंगे, यह भी प्रश्न है। तो जो डीजल सेट है वह बहुत पुराना है और वो एक साल से ज्यादा चल नहीं सकता और नए सेट के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं वह नया सेट नहीं है, वह भी 1963 का मोडल है और यूज्ड है। उसके लिए स्पेयर पार्ट मंगाए गए हैं लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए इससे तो किसी भी तरह से व्यवस्था, डीजल सेट से व्यवस्था, नहीं हो सकेगी।

अब उपाध्यक्ष महोदय, 33 के० वी० हाइड्रो-इलेक्ट्री की पावर दी जाती है परन्तु 33 के०वी० की पावर जो दी जा रही है वह बालोतरा से है और बालोतरा को भी प्राप्त हुई है 33 के०वी० जोधपुर से। अब 33 के०वी० से 33 के०वी० पावर देंगे तो वह कितनी बिजली दे सकेगी, यह भी प्रश्न विचारणीय है। वह 33 के० वी० रात्रि में एक वक्त में सप्लीमेंट करने में काम आ सकेगी। अगर यह वन थाउजेण्ड का सेट लगा दें, यह भी ओल्ड है, 1963 का मैंक है, इसको भी आप लगा दें तो भी एक साल तक आप किसी न किसी तरह से व्यवस्था चला सकते हैं। परन्तु एक साल के बाद क्या करेंगे। नया डीजल सेट अगर वन थाउजेण्ड केपेसिटी का हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए फोरेन एक्सचेंज की आवश्यकता होगी। उसको विदेशों से मंगाने की आवश्यकता होगी अब 132 की लाइन के बारे में जिक्र किया, 132 के०वी० लाइन यह बालोतरा में जोधपुर

Page No 58

(58)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

से व्यवस्था करेंगे । बाड़मेर में जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक यह समस्या बनी रहेगी । भविष्य में जब कि एक साल के बाद भी वही स्थिति आएगी, वही अनसरटेन्टी रहेगी, पानी की समस्या रहेगी विद्युत् का प्रश्न आ जाएगा, उद्योगों का भी प्रश्न आ जाएगा और जिस प्रकार की डिमाण्ड है, जो एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं, 1974 की जनवरी तक, वे 1286 किलोवोट की अप्लीकेशन्स हैं जिसमें लोड पेंडिंग हैं, वह 1286 किलोवोट के बारे में अप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं और इमीजियेट एक्सपेक्टेड लोड़ है वह भी 12200 किलोवाट का है। अब इस 1256 किलोवाट की आवश्यकता को किस प्रकार से पूरा करेंगे एक साल के बाद में और आप जो यह 132 के०वी० की जगह क्या यह पहुंचा सकेंगे । तो इसलिए यह भविष्य बिल्कुल ही अनिश्चित सा मालूम होता है और बाड़मेर टाउन के लिए जो व्यवस्था आपने बताई है वह किसी प्रकार से आप एक साल तक तो कर लेंगे लेकिन बाद का भविष्य बिल्कुल अनिश्चित दिख रहा है । उद्योग पनप रहे हैं । अभी भी अप्लीकेशन्स दी गई हैं उद्योगों के बारे में वह 748 के० वी० की अप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं और फाइव हण्ड्रेड के. वी. की इंडस्ट्रीज के लिए और अप्लीकेशन्स एक्सपेक्टेड हैं । तो इसलिए जो है, इस सम्बन्ध के अन्दर राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? जब तक पूरी निश्चितता से इसके बारे में निर्णय नहीं लिया जावे फ्यूचर के बारे में

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तब तक कोई व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो सकेगी, यही मुझे पूछना है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपनी बात निवेदन की उसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि वर्तमान में जो डीजल सेट वहां पर हैं उनकी आज की जो कैपेसिटी है उसको मैंने छुपाया नहीं है । आप कहते हैं कि उसकी कण्डीशन डिटियोरेट हो गई है, मैंने खुद ने कहा है कि इसकी कैपेसिटि 268 की है वहां 80 किलोवाट ही पावर दे रही है और जिसकी कैपेसिटि 640 की है वह 200 किलोवाट पावर दे रही है ।

और जो नये पावर हाउस हैं उनकी कैपिसिटी बताई है 1000 की और वे 500 किलोवाट बिजली दे रहे हैं । मैंने यह निवेदन किया है कि दूसरा सेट वहां के लिये भेजा जा रहा है । उसके लिये नये शब्द का उपयोग नहीं किया ? वह सेट जयपुर में है और वह निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । उसके कुछ पार्ट्स के लिये आर्डर प्लेस कर दिया गया है । फोरेन से पार्ट मंगाने के लिये सरटेन पीरियड होता है । 8/9 महीने का पीरियड होता है और अब उसके लिये 4/5 महीने का समय रह गया है । जहां तक तात्कालिक आवश्यकता का प्रश्न है, वह पूरी करने जा रहे हैं और भविष्य में इसको 33 के० वी० लाइन से जोड़ने जा रहे हैं । 33 के० वी० लाइन जोधपुर से बालोतरा जायेगी । लेकिन बालोतरा के पावर को शेयर नहीं करने जा रहे हैं । एडीशनल जितना पावर चाहिये वह दिया जायेगा । यह जोधपुर की लाइन से दिया जा रहा है । उसको शेयर करने की कोई बात नहीं है। 132 के० वी० लाइन की बात है । इस पंचवर्षीय योजना में बालोतरा से जुड़ जायेगा फ्रोम जोधपुर टू बालोतरा और

(श्री हीरालाल देवपुरा)
उसके बाद बालोतरा से बाड़मेर जोड़ा जायेगा । इसमें समय लगेगा । यह सैट्स डेटोराइट हो गये हों, या काम नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति नहीं है । दूसरे डीजल सैट्स की आवश्यकता होगी तो बाड़मेर में दूसरे डीजल सैट्स मंगवा कर लगाये जायेंगे । हर हालत में बाड़मेर में बिजली की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करेंगे । ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि वहां बिजली न हो ।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : पाइन्ट आफ आॅर्डर ।

श्री **उपाध्यक्ष** : With regard to this Point of Order first.

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इन्फरमेशन चाहता था कि जो दुर्घटना हुई है जोधपुर में, नाथूराम मिर्धा, संसद सदस्य के फार्म पर हमला हुआ है, उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिये गये थे । यह कहा गया कि इसके सम्बन्ध में जानकारी कर लें । संसद में इसके बारे में रामनिवास जी मिर्धा का वक्तव्य होने वाला है । सदन के बाहर भी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये गये है । संसद सदस्य ने भी वक्तव्य दिये हैं । हम भी यह चाहते हैं कि सद्भावना की, शान्ति की अपील इस सदन के माध्यम से हो । इस पर मुख्य मंत्री महोदय से संपर्क स्थापित कर के सदन में वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें और वस्तु स्थिति से सदन को अवगत कराया जाये । हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में, प्रदेश में शान्ति बनी रहे । हम यह चाहते हैं कि क्या स्टेप्स लिये जा रहे हैं यह जानने के लिये सारे सदन के माननीय सदस्य व्यग्र हैं। इस सम्बन्ध में आज ही या सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पहले पहले वक्तव्य दिलाया जाये तो उचित होगा ।

श्री **केदार नाथ** : अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में भी बातचीत हुई है । कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता है कि टेन्शन कायम हो । दोनों कम्युनिटीज में शांति रहे । इस सारे आस्पेक्ट पर जो स्टेटमेन्ट बाहर हो रहे हैं, तो उन पर यहां पर भी स्टेटमेन्ट होना चाहिये । हम चाहते हैं कि दोनों कम्युनिटीज में यूनिटी कायम हो, पीस हो और जिन्होंने गलत काम किया है, उनको दंडित किया जाये ।

श्री **रामसिंह कुड़ी** : जाट राजपूत संघर्ष कह कर इसको दबाया जा रहा है । वास्तव में यह जाट–राजपूत का कोई विवाद नहीं है । यह विवाद तो तेजा मंदिर से संबंधित है ।....

(1.13 म० प०)

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री **अध्यक्ष** : बैठिये । अभी कुछ स्थगन प्रस्ताव भेजे गये थे जिनका जिक्र यहां पर नहीं किया गया था । उनके सम्बन्ध में यहां पर बात उठाई गई है । उसके बारे में कहा गया । पहले भी एक व्यवस्था दी गई है । उसके तुरन्त बाद ही उसका उल्लंघन हुआ है । खैर । लेकिन माननीय सदस्यों को विशेष रूप से जिनका स्थगन प्रस्ताव है उनकी शायद जानकारी में है कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही हो रही है । इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों और मुख्य मंत्री महोदय से बातचीत भी की है और आपकी भी होने वाली है । मैं समझता हूं कि इसका और जिक्र नहीं किया जाये और जब भी समय हो आप आ जायें । मुख्य मंत्री भी होंगे ।

Page No 60

(60)

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय उल्लंघन के लिये क्षमा चाहता हूं। इस बारे में इसलिये निवेदन किया कि मुख्य मंत्री स्टेटमेन्ट दें, संसद सदस्य स्टेटमेन्ट दें। संसद में स्टेटमेन्ट हो रहा है तो हम लोग भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है। हम भी चाहते हैं शान्ति की अपील इस सदन के माध्यम से हो।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा और हमने मान लिया परन्तु बाहर मिनिस्टर स्टेटमेन्ट देते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ऐसा है, यह नाजुक मामला है। मैंने खुद ही बात की है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : उनको बाहर स्टेटमेन्ट नहीं देना चाहिये।

(1.15 मं० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 परिनियत संकल्प

श्री **उपाध्यक्ष** : विधायी कार्य। शिक्षा मंत्री जी।

श्री **खेतसिंह** : (श्री गिरधारीलाल भार्गव से) क्या आप मूव नहीं कर रहे हैं?

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री राम किशन (अनुपस्थित) श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री केदार नाथ,

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : किस बारे में?

श्री **खेतसिंह** : आप दो बार बोलेंगे। मुझे मूव करने दें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : आप एक बार भी नहीं बोलने देते हैं। आपका बस चले तो आप निकाल बाहर करेंगे।

श्री **खेत सिंह** : क्या आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने के लिये बोल रहे हैं?

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : मैंने जनमत जानने के लिये दिया है। परन्तु यह आफिस की व्यवस्था है शायद कि कोई एक ही पर बोल सकते हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : जनमत जानने के लिये नहीं है। आपका नहीं है। श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री केशरी मल, श्री गुमान मल लोढ़ा, श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री विजयसिंह और श्री यशवन्त सिंह नाहर केवल अमेन्डमेन्ट्स मोशन आये हैं।

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : जनमत जानने के लिये भी दिया है।

श्री **उपाध्यक्ष** : आपका नहीं है।

श्री **परसराम मदेरणा** : शायद माननीय सदस्य ने तेल पत्ते के लिये दिया होगा।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : मैंने जनमत जानने के लिये दिया है?

मैं यह निवेदन करने जा रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि यह जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में राज्य सरकार ने जो अध्यादेश रखा है, यह इसलिये रखा है कि जोधपुर विश्व विद्यालय का विकास हो। जोधपुर विश्वविद्यालय के आसपास जितने भी विद्यालय हैं वे इससे सम्बन्धित हों। यह खुशी की बात है। उदयपुर का भी आ रहा है। ठीक है। राजस्थान विश्व विद्यालय को रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटी बना दें तो उपयुक्त होगा। जोधपुर विश्वविद्यालय का विकास हो, इसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं। जयपुर में हाई कोर्ट की बेन्च स्थापित हो इस पर जब बोलने के लिये खड़ा होता

Page No 61

(61)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हूं तो जोधपुर के कई माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं। जयपुर के सदस्यों की हमदर्दी है कि जोधपुर की यूनिवर्सिटी का विकास हो। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर विकास हो लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता था कि गत सत्र इस प्रकार का, यहां पर विचार आया था कि संशोधन बार बार न हो। एक ही बार हो। मैं समझता हूं कि संशोधन एक ही बार न होने के कारण जोधपुर विश्वविद्यालय की जो मांगे हैं, वहां के छात्रों की जो मांगे हैं और जो अन्य लोगों की मांगे हैं उन मांगों पर भली प्रकार से विचार नहीं किया जा सकेगा और आज वहां पर जोधपुर विश्वविद्यालय की क्या हालत है। वहां छात्र प्राध्यापक पर आक्रमण करते हैं। आखिर इस असन्तोष की जिम्मेदारी किस की है? और जोधपुर में किसी भी प्रकार से, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा, कि राजपूतों और जाटों में झगड़ा बना रहे, यह जोधपुर के तथाकथित कांग्रेस के जो नेता हैं आज उनकी गलती के कारण है, उनकी भूल के कारण है...

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपका एमेंडमेंट तो इस बारे में नहीं है। किस के बारे में एमेंडमेंट हैं और वहां पर जाटों और राजपूतों को घसीट रहे हैं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : ग्रोन ए० पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जो जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बिल है...

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरा पॉइंट आफ ऑर्डर है। मेरा निवेदन यह है कि आप विश्वविद्यालय बिल पर बोल रहे हैं या माननीय सदस्य जाटों और राजपूतों में संघर्ष खड़ा करने की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है, कि माननीय उपाध्यक्ष, कि इनके शब्दों को आज की प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय, क्योंकि इस प्रकार से माननीय सदस्य जाटों और राजपूतों में झगड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे हमारी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है निकालने की। इसमें कोई पाइंट आफ ऑर्डर नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब यह है कि कोई रूल्स की बात हो या कोई कान्स्टीट्यूशनल पॉइंट हो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरे कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि मेरी पार्टी पर डाइरेक्ट आक्षेप लगाया जा रहा है कि इस प्रकार से कांग्रेसी मिल कर जाटों और राजपूतों में झगड़ा उपस्थित कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के निराधार आक्षेप हमारे पर नहीं लगाये जायं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पार्टी पर आरोप आप भी लगाते रहते हैं, लेकिन वह इस तरह से नहीं कहेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य ने एक बात उठाई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसद सदस्य श्री नाथू

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
रामजी मिर्धा के फार्म पर घातक हमला हुआ और रात के दो बजे हमला हुआ। सारे फार्म में आग लगा दी गई उनकी फसल में आग लगा दी गई....;

श्री खेत सिंह : यह कॉल अटेन्शन मोशन है या एड्जोर्नमेंट मोशन है? किस पर आप ध्यान दिला रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जोधपुर युनिवर्सिटी अध्यादेश पर जो संशोधन लाने जा रहे हैं मैं उसके बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। मैं पूर्ण रूप से युनिवर्सिटी में किस प्रकार से चल रहा है...

श्री रामकिशन : यह इसलिए याद दिला रहे हैं कि इस वातावरण का विश्वविद्यालय के छात्रों पर असर पड़ रहा है वह व्यापक रूप में फैले।

श्री खेतसिंह : यह छात्र विश्वविद्यालय विद्यालय के नहीं थे, स्कूल के थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे मालूम है आप माननीय मंत्रीजी जोधपुर से सम्बन्धित हैं और आप हाई कोर्ट वाली बात पर नहीं बोले, लेकिन मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के विकास पर बोल रहा हूं तो आपको मुझे दाद देना चाहिए। जोधपुर से आप मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य हैं, सचेतक हैं, आप थोड़ा गम्भीरता से बोलें, वर्ना आपका क्या प्रभाव पड़ेगा सदस्यों पर। आप कम से कम गम्भीर रहें।

मैं निवेदन करने जा रहा था कि नाथू रामजी मिर्धा के फार्म पर घातक हमला छात्रों ने किया और उनके चौपासनी रोड पर स्थित मकान को जला दिया और फसल को जला दिया, उनकी जीप जला दी। मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी। यही नहीं उनकी वृद्धा माताजी जिनकी आयु 80 वर्ष है और पूज्यनीय हैं, ऐसी वृद्धा माता पर छात्रों ने घातक हमला किया इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि शर्म की बात नहीं हो सकती। उनके भाई जो हास्पिटल में एडमिट हैं उन पर घातक हमला किया गया। 35 उपद्रवी छात्रों को सरकार ने पकड़ा। लेकिन इस काण्ड की जितनी भर्त्सना की जाय उतनी थोड़ी है। जिस प्रकार से लोकतन्त्र में संसद सदस्य के फार्म को जला दिया जाय, उनकी वृद्धा माता और भाई पर घातक हमला हो और छात्रों के द्वारा उनका घर घेर लिया जाय, तो इस पर विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि वहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी पहुंच गये, खेतसिंहजी पहुंच गये, रामसिंहजी वहां पहुंच गये और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गये, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि छात्रों में इस सारे असन्तोष को दूर करना पड़ेगा। आखिर यह घटनाएं क्यों होती हैं? इन सारी घटनाओं के लिए दोषी कौन हैं? यह काफी भ्रान्त स्थिति पैदा करते हैं जोधपुर के कांग्रेसी नेता अपनी सत्ता जमाने के लिए? वह दोषी हैं। वह दोषी इसलिए हैं, माननीय उपाध्यक्ष, कि राजस्थान विश्व विद्यालय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छात्र नेता श्री विमल चौधरी पर अजमेर में आक्रमण हुआ, जयपुर में आक्रमण हुआ और घातक आक्रमण हुए। और विश्वविद्यालय में आज जो जयपुर में शान्ति है और राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

महसूस करते हैं, कांग्रेस के नेता स्वयं यह महसूस करते हैं कि वास्तव में विमल चौधरी जब से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता बने हैं वह बातचीत करने के बारे में उदार हैं और सद्भावना के आधार पर बातें करके मामले निपटा दिये जाते हैं। उन पर घातक हमला हो और राजस्थान के मुख्य मंत्री बैठे रहें, पुलिस के अधिकारी बैठे रहें, किसी प्रकार की कार्यवाही न करें। यह छात्रों में असन्तोष पैदा करने की भावना किस के ऊपर हैं। जोधपुर में असन्तोष पैदा किया। जयपुर में असन्तोष पैदा कर रहे हैं चौधरी पर घातक हमला करने के बारे में जांच नहीं होगी। पोलोविक्ट्री में तीन दिन पहले घातक हमला हुआ और मार दिया गया। दुकानदार शर्मा रेस्टोरेन्ट पर हमला हुआ, पर राजस्थान की पुलिस और जयपुर की पुलिस निष्क्रिय रही। वह चुपचाप बैठे रहे। किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में बलात्कार किया जाय, छात्रों पर गोलियां चलाई जायं और इस प्रकार के गम्भीर मामले होने पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाय। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सरनाम सिंहजी, उनके काले कारनामों की असेम्बली में सारी रिपोर्ट आई है। एक समिति बैठी थी उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद और समाचार पत्रों में उनके सारे काले कारनामे छप जाने के बाद भी ...

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई रिपोर्ट भेजी हो तो उसके बारे में पेश न करें। मैं अनुमति उसको पढ़ने की नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो राजस्थान युनिवर्सिटी के बारे में ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं रिपोर्ट नहीं रख रहा हूं। सीनेट की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। हिन्दी विभाग में जहां 100-100 छात्र-छात्राएं होते थे वहां आज 12 ही हिन्दी विभाग में विद्यार्थी हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह हालत है।

इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि जोधपुर के विश्वविद्यालय के विकास के लिए आसपास के विद्यालयों को एफिलियेशन जोधपुर से हो जाय और उदयपुर के विद्यालयों को उदयपुर विश्वविद्यालय से हो जाय और राजस्थान विश्वविद्यालय एक रेजीडेन्शल युनिवर्सिटी हो जाय यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन निवेदन करना यह है कि इस प्रकार से छात्रों ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक मिनिट में आपको अर्ज कर दूं। आप सुन लें। जो आर्डिनेन्स सरकार ने उपस्थित किया है उस पर आपका संकल्प है कि इसको स्वीकार न किया जाय ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वही बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसमें जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, सारे विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करना चाहते हैं। यह इसके मायने नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह बात बता दूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें एक मिनिट। मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो रिजोल्यूशन है, संकल्प है उसके ऊपर ही सीमित रहें। उसके बाद इधर उधर जायेंगे तो कोई अन्त नहीं है। जिस विश्वविद्यालय के बारे में बिल हैं उसकी शिक्षा प्रणाली के बारे में बोल सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि केवल संकल्प पर सीमित रहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों में जो आज असन्तोष है उसका कारण क्या है। वह असन्तोष भी इस भयंकरता के रूप में है कि एक संसद सदस्य के घर पर हमला किया गया घातक और उनकी वृद्धा माता को पीटा। तो इस असन्तोष की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस प्रकार से असेम्बली में अध्यादेश पास करेंगे और वह नहीं होगा तो काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से पीसमील अमेंडमेन्ट में एमेंडमेंट्स न करें और एक बार ही जो भी जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों में असन्तोष का कारण है, जो भी वहां के प्राध्यापकों में असन्तोष का कारण हो और जो भी समितियां अधिकारियों की बैठी हैं उनकी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट आई हैं तो उन सारी रिपोर्टों पर विचार करके उस लेजिस्लेशन को बदलें और एक बार में ही बदलें। इस प्रकार से अध्यादेश लाकर पीसमील में एमेंडमेंट्स न करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक बार में ही सम्पूर्ण रूप से जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में जितने संशोधन आने चाहिए जो कि छात्रों के हित में हों, प्राध्यापकों के हित में हों, उन सारी बातों को एक साथ लाया जाय, वह मुनासिब होगा। इस प्रकार से पीसमील में अध्यादेश चोर दरवाजे से विधान सभा में लाना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिए इस एमेंडमेंट को अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह एमेंडमेंट एक बहुत ही सीमित दायरे का है कि वाइस चान्सलर अपनी रेजिडुअल पीरियड के अन्दर काम न करे बीमारी के कारण छोड़ जांय तो उस वक्त में कौन उस जगह को फिल-अप करे। तो पहले जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट में रजिस्ट्रार वहां पर उस काम को ले लेगा। आज जो एमेंडमेंट किया जा रहा है और असेम्बली में एमेंडमेंट लाया गया है कि यह....

श्री उपाध्यक्ष : यही एमेंडमेंट ला रहे हैं।

श्री केदारनाथ : वाइस चान्सलर किस को नोमीनेट करे। रजिस्ट्रार को अपने आप एक्ट के तहत पावर्स हैं उस जगह वेकेंसी को फिल-अप न करें तो वाइस चान्सलर किस आदमी को नोमीनेट करे। तो मेरा इस बारे में निवेदन है कि मेहता साहब ने एक कमेटी बनाई थी कि युनिवर्सिटी एक्ट्स में कम्प्रिहेन्सिव एमेंडमेंट्स लाने चाहिए। वह रिपोर्ट आपके पास हैं और श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट आपके पास आने वाली है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि स्टूडेन्ट्स को सिण्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा। दूसरी जो बाडीज हैं, उनमें भी हिस्सा मिले। तीनों वाइस चांसलर मेम्बर हैं। कमिश्नर मेम्बर हैं। इनकी जो कमेटी है, उसने अपने अब्जरवेशन दिये हैं। इन चारों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता तो ठीक था। यह झगड़ा क्या था। यह तो रजिस्ट्रार के देखने का काम है। वह फिल-अप

(श्री केदारनाथ)
कर सकता था। इस आर्डिनेंस को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी ।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि यह आना चाहिए था तीनों युनिवर्सिटीज के बारे में । जैसे वहां के रिटायरमेंट, आफ एज का सवाल है । हैडशिप के रोटेशन का सवाल है। इन सारी चीजों पर राज्य सरकार तीनों जगह से रिपोर्ट मंगवाकर सरकार को एक पेटर्न एडॉप्ट करना चाहिए था । जैसे डेमोक्रेटाइजेशन का सवाल है । एक सिस्टेमेटिक पैटर्न एडॉप्ट करना चाहिए था । अभी अभी केन्द्रीय सरकार ने ग्रेड की घोषणा की है । लेक्चरार 600 से 900, रीडर 1,200 से 1,900, प्रोफेसर 1,500 से 2,500 कर दिया है। प्रोफेसर या इग्जामिनर नेशनल इम्पोर्टेन्स के हैं, उनको 3,000 किया है। तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर इन तीनों के काम करने का तरीका एक है। ऐसी हालत में यह वन टायर सिस्टम हो या टू टायर सिस्टम हो। युनिर्वसिटी लेविल में लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर में अन्तर ठीक होना चाहिए। यह हमारे सामने आना चाहिए था। इस बारे में आपको सेण्ट्रल गवर्नमेंट 80% देगी जब कि राज्य सरकार को 20% देना होगा । मैं ज्यादा न बोलता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आर्डिनेंस इश्यू करने का कोई आधार नहीं था । कोई जस्टीफिकेशन नहीं था । क्योंकि स्टुडेण्ट्स में यह भावना है कि सिंडीकेट में उनको जो स्थान दिया गया है, उससे उनको कोई बहुत सन्तोष नहीं हो रहा है। दो दिन के बाद में यह हाउस समाप्त हो जायेगा । अगर यूनिवर्सिटी एजूकेशन में सुधार लाना चाहते हैं तो यह इस प्रकार से ठीक नहीं है । जोधपुर के बारे में जहां तक सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर की अपनी विशेषता है । जोधपुर ने अच्छे स्पोर्ट्स मैन और अच्छे डिबेटर भी दिये हैं । उस वक्त, आज से 20 साल पहले जोधपुर ने इस लर्निंग मिडिल क्लास में एक नयी क्लास पैदा करने का, लोकल बोसीफेरियस क्लास पैदा करने का जोधपुर इलाके का सबसे ज्यादा हाथ राजस्थान में रहा है । इसलिए आज जो झगड़े आ रहे हैं, यह एक सीमित आधारों की लड़ाई हो सकती है । मैं इसे युनिर्वासिटी की एजूकेशन का दोष नहीं कहता हूं । मैं उसको लड़ाई नहीं कहता हूं । तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां वाइस चांसलर को पावर देंगे तो यह गलत है । यह चांसलर के डिस्क्रिशन पर छोड़ना भी गलत है। इसलिए आप डिस्क्रिशन दे दीजिये । जो सीनियर मोस्ट प्राफेसर हैं, जब भी वेकेन्सी होगी तो वह उसको दी जायेगी । यह तीन आदमियों की कमेटी बनाकर किया जा सकता है । जैसे मेहता साहब ने किया । सिण्डीकेट मीट करती थी । वह रेजीडेंश्यल डिपार्टमेण्ट सम्भालती थी । तो इससे यह होगा कि वह सोचेगा कि मैं चांसलर की गुडविल लूं । वह सोचेगा कि हम लोगों को नाराज नहीं करें । टीचर्स को नाराज नहीं करें। तो यह मान्यवर, डेमोक्रेटिक नहीं है। वाइस चांसलर को पावर इसके नहीं दी जायें। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस आर्डीनेंस को नामंजूर किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी ।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन : क्या शिक्षा मंत्रीजी को यह पता है कि क्या आ रहा है ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य, हवामहल से आनेवाले और माननीय सदस्य जो गंगानगर से आनेवाले हैं, उन्होंने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं, आर्डीनेंस के जो कारण हैं, उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त करूंगा। क्योंकि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने झगड़े की जो बातें कही हैं, वह अधिकतर पुलिस आदि के बारे में कही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट में प्रावधान आज भी है। आज भी यह प्रावधान है कि जब भी उप–कुलपति छोड़कर जाये तो उस स्थिति में चांसलर को यह अधिकार दिया है कि किसी भी सीनियर प्रोफेसर को चार्ज दिला दें। वह व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं। लेकिन जो जोधपुर और उदयपुर के विश्वविद्यालय हैं, उनके एक्ट में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार को चार्ज दें। रजिस्ट्रार एक जूनियर आदमी है। उसके पद को देखते हुये उसकी खुद की स्थिति डांवाडोल हो सकती है। किस प्रकार से वह अपने सीनियर्स को आदेश दे। यह पोजीशन जब उदयपुर विश्वविद्यालय का चार्ज दिलवाया गया तो बड़ी दिक्कत आई। अभी हाल ही में जब बसावड़ा साहब ने उदयपुर विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दे दिया तो यह हुआ कि रजिस्ट्रार को चार्ज नहीं दिला कर सिनियर प्रोफेसर को दिलाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुये यह आर्डिनेंस लाना पड़ा। आर्डिनेंस क्यों लाये। यदि हम चार्ज रजिस्ट्रार को दिला देते तो आप का कहना है कि थोड़े दिनों में ही विधान सभा होने वाली थी। तो वहां की अथोरिटीज ने यह लिखकर दिया। उन्होंने लिखित में कहा कि जहां हो सके इसके लिए व्यवस्था की जाये। और उसे ध्यान में रखते हुए आर्डिनेंस लाना पड़ा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हमने जो आर्डिनेंस में प्रावधान रखा है, वह ज्यादा बेटर है। माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य स्वयं सिण्डीकेट के सदस्य हैं, वह जानते हैं, सिण्डीकेट और युनिवर्सिटी की परम्परायें। सब हालात को दृष्टिगत रखते हुए सीनियर मोस्ट प्राफेसर को चार्ज देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है, अभी हाल ही नाथूराम मिर्धा के फार्म पर हमला हुआ, उसकी और कई बातें उन्होंने कहीं। वह अनर्गल बातें थीं, उनसे युनिवर्सिटी के आर्डिनेंस से ताल्लुक की बात नहीं है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप उस पर अनर्गल बात क्यों करते हैं, उसको आप ड्राप कर दीजिये।

श्री खेतसिंह : उस पर विचार छोड़ देता हूं। मेहरबानी करके, जो प्रस्ताव आपने रखा है, उसको आप विथड्रा कर लें ताकि आगे कार्यवाही चले।

श्री उपाध्यक्ष: हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा मंत्री जी को सुनने के बाद, जो संकल्प दिया है उसको वापिस लेना चाहते हैं ?

श्री केदारनाथ : स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : यह इसके सब्जेक्ट मैटर के बाहर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय ने अनर्गल मेरी सारी बात कह दी। मेरा

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
निवेदन है कि छात्रों में असंतोष है, उसके नाते मैंने बात कही थी· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : भाषण द्वारा देने का आपको मौका नहीं दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने उनको तो अनुमति दे दी अनर्गल बात कहने की उनको जो मेरे सम्बन्ध में कहना था वह कह दिया, वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि छात्रों में असंतोष है इस कारण इस प्रकार का पीसमील लेजिस्लेशन नहीं आना चाहिए। यह बात मैंने कही थी।

मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात कही है, उसके आधार पर मैं आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प आर्डिनेंस के सम्बन्ध में रखा है, उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एब्सेंट सर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रजेन्ट सर। क्या बात करते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में· ·

श्री अध्यक्ष : जनमत के लिए कहना आवश्यक समझते हैं उन्होंने कहा उसको सुनने के बाद ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा अर्ज करना है, वह बता देता हूं।

मेरा अर्ज करना यह है कि आज जो शिक्षण संस्थाओं में असंतोष और बेचैनी है, और शिक्षकों में अपने मुस्तकबिल के बारे में है, आज यह समझ में नहीं आता है कि उनको अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद में अपनी आगे की जिन्दगी में क्या करना है। इस वजह से एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो रही है। मेरा अर्ज करना यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में बहुत से विषय हों, मैं यह चाहूंगा कि आज वह स्टेज है कि हम समझते हैं कि इसके अन्दर कुछ परिवर्तन करे और जोब ओरियेंटेड एजूकेशन हम इन्ट्रोड्यूज करें। इस सिलसिले में मेरे बहुत से सुझाव हैं, पर मैं यह अर्ज करूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के विकास के सिलसिले में जो हम कहते रहे हैं, जो इम्बेलेन्स है और जो पिछड़ापन है उस इलाके के अन्दर, उस पिछड़ेपन को दूर किया जाना चाहिए, और हर मौके पर उनका अख्तियारात हों, ऐसी बात रखनी चाहिए जिससे उनका भला हो। मेरी मान्यता यह है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे विषय जोड़े जाने चाहिए, जिन विषयों में टेक्निकल जानकारी हो। इस किस्म की एजूकेशन आप लोगों को दें

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जिससे वे अपना कारोबार चला सकें। आज यह पोजीशन है, वहां से डॉक्टर तालीम पाकर निकलते, वहां से इंजिनियर तालीम पाकर निकलते हैं, वे बेरोजगार घूमा करते हैं। मैं यह तो नहीं कहता, यह दोनों ब्रान्चेज समाप्त कर देनी चाहिए। मेरा सुझाव यह जरूर है कि आप यह कुछ जोब जोधपुर में खोलें, जिससे लोग अच्छा आर्ट सीख कर निकलें, अच्छी अच्छी तालीम पावें, बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हों और ऐसी सूरत पैदा हो सके, जिन चीजों का अभाव है और जिन एक्सपर्टस् का अभाव है उन एक्सपर्टस् को वहां तालीम दी जाय, ताकि उनको बाद में एब्जोर्ब किया जा सके। आज जितनी किस्म की तालीम दी जा रही है, उनमें जोब ओरिएंटेड तालीम का प्रचलन कम हो गया है।

इसके अतिरिक्त मैं यह चाहूंगा कि जोधपुर युनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के जो विषय हैं, उनको भी राइज करना चाहिए। राज्य सरकार ने चार लिंग्विस्टिक माइनोरिटी मानी हैं, उनका डिक्लेरेशन किया है, पंजाबी है, सिन्धी है, उर्दू है, गुजराती है? इन चार जबानों की आला तालीम, मैं समझता हूं, वहां जोधपुर युनिवर्सिटी में होनी चाहिए। जो लोग इन लिंग्विस्टिक माइनोरिटी को बिलांग करते हैं, जो लोग इस किस्म की तालीम में रुचि रखते हैं कि सिन्धी में आला तालीम हासिल करें, या सिन्धी के विद्वान बनें, या गुजराती के विद्वान बनें उनको इससे सहूलियत पैदा होगी। एक तरफ वह लोग जो इस तरह की तालीम में रुचि रखते हैं, वह वहां जा सकेंगे, पढ़ सकेंगे। जैसे अजमेर में सिन्धी तालीम होती है, लेकिन यदि डॉक्टरेट करना चाहते हैं, या हायर एजूकेशन हासिल करना चाहते हैं तो उनको वहां सिन्धी तालीम हासिल नहीं हो सकती है। मैं यह सुझाव रखूंगा कि जोधपुर युनिवर्सिटी के अन्दर इस किस्म के विषय पढ़ाये जाने चाहिए ताकि वहां पर लोग जावें और थोड़ा सा इम्बैलेन्स कम हो और वहां का कुछ विकास भी हो।

इसके अलावा जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में एक गुजारिश और करूंगा, कुछ दिनों में बहुत से वाइस चान्सलर वहां पर तब्दील हो गये। और होता यह है कि हम जिन लोगों को तलाश करते हैं, वह कुछ दिन वहां पर रहते हैं और फिर वे चले जाते हैं जहां उनको अच्छी आफर मिलती है, या अनकन्जीनियल वातावरण हो, अपने खिलाफ आबो हवा पाते हैं तो वे चले जाते हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि आपको वाइस चान्सलर का सलेक्शन करना है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को वाइस चान्सलर को चुनें, जो बीच टर्म के अन्दर कम से कम छोड़ कर न जायं। हमेशा यह होता है, जितनी स्कीम किसी एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में होती हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। यह सुझाव मैंने इसलिए रखा कि अभी हाल में जो वाइस चान्सलर थे, वह बीच टर्म में तशरीफ ले गये। इसलिए जो आप सलेक्शन करें, उसमें यह सही है कि वह विद्वान होने चाहिए, काफी अच्छी शख्सियत के होने चाहिए, लेकिन साथ साथ यह पता लगाना चाहिए, बुजुर्गवर, ऐसा तो नहीं है, बीच टर्म में छोड़ कर चलें जायं, क्योंकि उससे हालत खराब हो जाती है, और जो स्कीम वाइस चान्सलर लागू करना चाहते हैं वह समाप्त हो जाती हैं।

लड़कों के असंतोष के बारे में मुझे दो शब्द यह कहने हैं कि असल में लेक ऑफ

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
कार्डिनेशन और इंडिविजुअल कान्टेक्ट है। यूनिवर्सिटी एजूकेशन में यह चीज समाप्त हो चुकी है। हमको अपनी जिन्दगी का तजुर्बा है, हमारे उस्ताद इस तरह प्यार-मोहब्बत से पेश आते थे, जितना वालिद का भी अफेक्शन नहीं होता था। उससे ज्यादा उनका होता था। आज इतनी बड़ी बड़ी तादाद होती है इन कालेज और यूनिवर्सिटी में (समय समाप्ति-सूचक घंटी) जो इंडिविजुअल कान्टेक्ट है, वह लगभग करीब 2 समाप्त हो गया है।

मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा, लेकिन दूसरे अध्यादेश पर घण्टी नहीं बजनी चाहिए ....

श्री उपाध्यक्ष : Subject is very wide.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हुक्म।

श्री उपाध्यक्ष : इतना वाइड स्कोप नहीं है। स्कोप बहुत सीमित है। उसके बाद भी मैं अलाऊ कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : डिबेट में असीमित होता ही है। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं।

मेरा अर्ज करना है, मेरा सुझाव है, इनको ध्यान में रखा जाय और जो इंडिविजुअल कान्टेक्ट है, उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेक्शन कायम किये जायं, और ज्यादा उस्ताद रखे जायं, ज्यादा टीचर रखे जायं, ज्यादा लेक्चरार, ज्यादा रीडर रखे जायं।

इसके साथ साथ मैं यह सुझाव रखूंगा कि आपकी युनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, या रीडर रखें जायं।

इसके साथ साथ मैं यह सुझाव रखूंगा कि आपको युनिवर्सिटी में लेक्चरार है या रीडर हैं वह अधिकतर राजस्थान के बाहर से आते हैं। जोधपुर का लोकल टैलेन्ट है, उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं इस हद तक नहीं जाना चाहता, अगर काम्पीटेंट आदमी नहीं मिलें तो भी जोधपुर के इनकाम्पीटेन्ट आदमी टिका दिये जायं। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वहां का लोकल टैलेन्ट है, या वहां कोई अच्छा, पढ़ा-लिखा जोधपुर का रहने वाला है, पिछड़े इलाके का रहने वाला उपलब्ध होता है तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उसे एब्जोर्ब किया जाय। दूसरे क्षेत्रों से लिये जाते हैं उनको प्रोत्साहन दें और जो हमारे लोग हैं वह भटकते फिरें। यह नीति समझ में नहीं आती है। मैं यह देखता हूं कि हर यूनिवर्सिटी में बाहर से लोगों को लाकर टिका दिया जाता है। मैं एक सुझाव यह भी रखूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में इस बात की कोशिश करें, लोकल टैलेन्ट, सही लोग, पढ़े-लिखे लोग उपलब्ध हों, उसी क्वालिफिकेशन के, जिस क्वालिफिकेशन के बाहर से लाते हैं या थोड़ा बहुत फर्क हो, तो उन्हें प्रिफर करेंगे और उन लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो और उनको जोब मिले।

इन सुझावों के साथ मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए सरक्यूलेट किया जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से यह बिल है और संशोधन भी है लेकिन यथास्थिति यदि देखी जाए तो मैं समझता हूं सही माइने में इसका नाम

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय होना चाहिए जोधपुर विश्वविद्यालय इसका नाम बहुत भ्रामक है, इससे बड़ी 'भ्रांति' होती है राजस्थान में और बाहर कि जोधपुर को अपना विश्वविद्यालय है, जोधपुर में शिक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से राजस्थान के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। लेकिन मैंने निवेदन किया कि इसका नाम क्यों उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय हो ? इसका यदि कारण बताऊं तो मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप ही नहीं बल्कि सदन के सारे माननीय सदस्य और हमारे शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि वास्तव में जोधपुर के लोकल टेलन्ट के साथ में, सन्स ऑफ दी सोइल के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात विश्वविद्यालयों के अन्दर किया जा रहा है। इसमें पहला वाइस चांसलर था श्री झा और वह लखनऊ विश्वविद्यालय बन गया, लखनऊ से चपरासी आया, लखनऊ से झाड़ू निकालने वाला आया, चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हुई और लखनऊ से जितने व्यक्ति थे, बेरोजगार थे उनको आश्रय देने में सहयोग विश्व-विद्यालय को मिला।

उसके बाद में दूसरा वाइस चांसलर आया, अपेक्षाकृत शायद जोधपुर विश्व-विद्यालय नाम सार्थक हो जाए लेकिन उसके बाद में फिर वह दिल्ली विश्व-विद्यालय बन गया। चौकीदार, कनिष्ठ लिपिक, झाड़ू निकालने वाला, सफाई करने वाला, सब दिल्ली से आने लगे, उस दिल्ली के वाइस चांसलर का नाम था राम बिहारी। यह लावारिस महकमा जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स का भी संरक्षण नहीं, तो सब दिल्ली से आने लगे। जब मसालदान आए तो फिर उत्तर प्रदेश से भर्ती करना प्रारंभ कर दी। क्लास 3 व 4 की तो साधारण बात है। यह तो बताता है कि कितना क्लाइमेक्स है इस समस्या का कि राजस्थान की लोकल टेलेंट जो नौकरी के लिए सड़कों पर चक्कर मार रहे हैं, उनको इग्नोर करके वहां से लाया जाता है। यदि टीचिंग स्टाफ बताऊं तो सबसे बड़ा रेंक प्रोफेसर का होता है। वाइस चांसलर के पश्चात् और हैड ऑफ डिपार्टमेंट के पश्चात्। प्रोफेसर के हाथ में सारे डिपार्टमेंट की कुंजी होती है।

श्री गोयल डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, श्री उपाध्यक्ष, सहायक डाइरेक्टर, ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट, श्री ए० के० नारंग, सोश्योलोजी के हेड ऑफ डिपार्ट-मेंट, एम० एम० वतरा, युनिवर्सिटी इंजी-नीयर, श्री एच० सी० आर्य, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोटानी, श्री एस० डी० मित्रा डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, श्री आर० सी० कपूर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, श्री आर० एस० कश्वा, हेड ऑफ डिपार्ट-मेंट मेथेमैटिक्स, श्री डी० एन० एलहंस, डीन ऑफ कामर्स फैकल्टी, श्री नामवर सिंह, हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, श्री एस० के० मूर्ति, वार्डन और श्री एस० चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार हैं।

यहां पर कोई नाम नहीं मिलेगा आचार्य, राठोड़ या जोशी या मेहता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : न कोई लोढ़ा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो 26 प्रोफेसर्स की पोस्ट्स हैं, इनमें से एक व्यक्ति केवल जोधपुर का है श्री भार्गवी, वह भी बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं। रीडर्स का भी यही हाल है उनका रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन, उनका सेलेक्शन सारे का सारा वे लोग करते हैं, ननिहाल में जीमन और मां परोसने वाली। कोई मेरठ से, कोई इलाहाबाद से, कोई लखनऊ से आ रहा है, एक्सपर्ट्स वहां से आते हैं, वही, कमेटी में बैठते हैं और वही भरती करते हैं। सबसे बड़ा कार्य यदि शिक्षा मंत्री को करना है और शिक्षा मंत्री जोधपुर से आए हैं वे जानते हैं कि वहां जन, आक्रोश है-अध्यापकों में, टीचिंग स्टाफ में, विद्यार्थियों में और कल आपने आंध्र प्रदेश बिल के बारे में विचार किया मुल्की रूल्स के संदर्भ में और लोकल टैलेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए कितना प्रावधान किया गया है कि केन्द्र ने संविधान में संशोधन किया है। हमारा दुर्भाग्य कि राजस्थान में किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं। मैं इस बात का हामी हूं कि सारा देश एक है और देश अखंड है लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि राजस्थान के लोग यदि कहीं पर जायें तो उनको वापस कर दें। एक व्यक्ति गया बिहार फर्टीलाइजर निगम के इन्टरव्यू में, वहां होटल में आकर लोगों ने घेरा डाला और उससे कहा आप इन्टरव्यू में नहीं जा सकते, बिहार की धरती पर जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वह भूखा मर रहा है और आप राजस्थान से आये है तो उसको बोरी बिस्तर सहित स्टेशन पर आना पड़ा और बिना टिकट लिए रेल में बैठना पड़ा, टिकट बाद में लिया। हम ऐसी स्थिति यहां पैदा नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से आक्रोस बढ़े लेकिन वहां तो आकर मूर्ति चक्रवर्ती बैठ गए, और सन्स ऑफ दी सोइल जालोरी गेट पैर, सोजती गेट पर पढ़े लिखे घूमते रहें तो फिर आक्रोस व रोष पैदा होता है और वे अन्ततः विस्फोट लाते हैं, तो रीजनल फीलिंग्स बहुत बढ़ जाती है। यदि इस विश्वविद्यालय का उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय नाम मिटाना है तो शिक्षा मंत्री जी पहले इसको इन्श्योर किया जावे। अब यह संशोधन पीसमील में लाते हैं। एक संशोधन छोटा सा आ गया वाइस चांसलर के बारे में कि जब वह उपस्थित न रहे तो चांसलर को सारे अधिकार दे दिए जाएं वह जो हुक्म दे वही हो जाय। आवश्यकता इस बात की थी कि ऐसा संशोधन लाते कि विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सरकार के सामने यह विचाराधीन भी है। राजस्थान पी०एस०सी० के द्वारा रिक्रूटमेंट करने का विचार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह विचार इतना लम्बा द्रोपदी के चीर की तरह क्यों बढ़ता जाता है। राजस्थान का टैलेंट समाप्त न हो उसे वंचित न रहना पड़े इसका एन्शुयर करना हमारा कर्त्तव्य है। अब स्थिति यह है कि एक लेक्चरार प्रोफेसर बनने का तो स्वप्न भी नहीं देख सकता। आज 20 साल से लेक्चरार और रीडर उसी पद पर हैं, फारेन डिग्रीज हैं, डाक्टोरेट कर लिया लेकिन वह सूरज उदय नहीं हुआ कि वह प्रोफेसर बनाया जाए और बाहर से जो लेक्चरार बनकर आया मैथेमेटिक्स, वह रीडर भी बन गया और उसके बाद प्रोफेसर भी बन गया। इस प्रकार की घटनायें प्रतिदिन घटती हैं स्कालरशिप्स के मामले में, रिसर्च के मामले में, जोधपुर के टैलेन्ट, राजस्थान के टैलेंट को इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए सबसे पहले यह मुद्दा है जिस पर शिक्षा मंत्री विचार करें। शिक्षा मंत्री ने

(श्री **गुमानमल लोढ़ा**)
एक ऐसा भी रिक्रुटमेंट नियमों में प्रावधान रखने का विचार किया है जिस पर निर्णय नहीं हुआ कि 33 प्रतिशत सीनियर पद प्रोमोशन्स से भरे जायेंगे। लेकिन कमेटी के अन्दर फिर वही एक्सपर्टस आकर बैठे इलाहाबाद से, गोरखपुर और मुरादाबाद से तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है, इसमें स्ट्रिक्टली सीनियोरिटी-कम-मेरिट के बेसिस पर इनको लिया जाय। और सीनियरोटी-कम-मेरिट-फार्मूले से 33 परसेन्ट लोगों को प्रमोशन मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय आज जो लोग बीस बीस साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं उन्हें आज बीस साल हो गये हैं सरस्वती के मन्दिर में एक ही जगह काम करते हुए उसकी आराधना करते हुए, कोई प्रमोशन उन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। अब शायद ऐसा सुनने में आया है कि शिक्षा मन्त्री जी इस बारे में विचार कर रहे हैं। अब वही निश्चित रूप से बतायेंगे कि क्या मोड आफ प्रमोशन्स वह रखते हैं। अब सवाल आता है वाइस चान्सलर के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय हमारे जोधपुर यूनिवर्सिटी में कई वाइस चान्सलर आये जैसे राम बिहारी, झा साहब, मसालदान साहब आये। लेकिन मसालदान साहब की धर्म पत्नी को जोधपुर की जलवायु माफिक नहीं आयी इस कारण से वह इलाहाबाद छोड़कर नहीं आयी उन्होंने अपनी पत्नी को लाने का काफी प्रयास किया लेकिन वह नहीं आयी और उनके नहीं आने मे मसालदानजी वाइस-चान्सलर की पोस्ट को छोड़ कर यहां से चले गये। और जब वह चले गये तो यह आर्डिनेन्स लाने की जरूरत पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : आप पति पत्नी की बातों में कहां आ रहे हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : इनको उनकी पत्नी के प्रति इतना प्रेम होने से रश्क होरहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई रश्क नहीं हो रहा है। क्योंकि आज अगर खेतसिंह जी की पत्नी को जयपुर की जलवायु अच्छी नहीं लगे तो हमारी विधान सभा का सत्र कोई शेरगढ़ जाकर थोड़े ही किया जायेगा। खैर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मसालदान जी चले गये तभी यह आर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता पड़ी। इसमें आपने वाइस-चान्सलर की नियुक्ति की पावर्स एडहोक बेसिस पर करने की चान्सलर को दी है। अब वह चान्सलर चाहे जिसको वाइस चान्सलर बना सकता है, चाहे वह व्यक्ति सीनियर हो, नहीं हो इस प्रकार आप उसे बहुत ही वास्ट पावर्स दे रहे हैं। इतनी बड़ी डिस्क्रिमनेट्री पावर्स आप एक बहुत हाई पोस्ट के लिये दे रहे हैं। वह उस पावर्स का मिसयूज कर सकता है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जैसा कि हमारे विधान सभा सदस्य श्री केदारजी ने कहा कि ऐसे नियम बनाये जाने चाहिये कि विश्वविद्यालय में वाइस चान्सलर की एडहोक नियुक्ति सीनियरमोस्ट प्रोफेसरकी की जानी चाहिये, ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं रहे। अब चान्सलर किसी जुनियर को चान्स दे तो लोगों में काफी आक्रोश फैलने का भय रहता है सरस्वती के मन्दिर में दूषित वातावरण बन जायेगा। इसलिये अगर सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ही, एडहोक, विश्वविद्यालय का वाइस-चान्सलर बनता है तो किसी को शिकायत नहीं होगी। अब इसमें यह कि अगर कोई प्रोफेसर, रीडर लेक्चरार छुट्टी जाये तो चान्सलर उसको

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सेंक्शन करें चाहे प्रिवीलेज लीव हो चाहे केजुअल लीव हो यह सभी पावर्स आपने चान्सलर को दे दीं यह गलत है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि जोधपुर विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। ताकि इस पर युनिर्वासिटी के प्रोफेसर्स, रीडर्स, स्टुडेन्ट्स व राजस्थान की जनता, इस पर पूरी तरह से मनन कर सके और अपनी राय दे सकें। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करने जा रहे हैं तो आपको उन लोगों को भी बीच में लेना चाहिये जो लोग इसमें डाईरेक्ट प्रभाव में आते है। इसके लिये मेरा निवेदन यह भी है कि हमारे यहां पर जो जोधपुर यूनिर्वासिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय है और उदयपुर यूनिर्वासिटी हैं इन सभी के लिये एक कन्सो-लिडेटेड ला बनना चाहिये। इससे ऐसा होगा कि यूनिर्वासिटीज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की गुन्जाइश नहीं रहेगी। अब आपके यहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय ओर्डिनेन्स में जो धारा 278 थी उसमें यह दिया हुआ था कि एग्जामिनेशन के लिये दो एक्सटरनल और एक इन्टरनल होगा आपने उसमें ऐसा प्रावधान कर दिया कि दो इन्टर-नल होंगे और एक एक्सटरनल होगा और यह संशोधन करके आपने सिण्डीकेट में भेज दिया जबकि सिन्डीकेट की पावर्स में ही वह बात नहीं है वह तो एकेडेमिक कोन्सिल के पास जाना चाहिये। इसी प्रकार विश्वविद्यालय एक्ट की धारा 30 का पार्ट ए और बी है वह भी आप किसी आर्डिनेन्स के मातहत ससपेन्ड कर रहे हैं तो इस प्रकार आप तरह तरह के आर्डिनेन्स लाकर के कन्ट्रोवरसीज पैदा कर रहे हैं जो विश्वविद्यालयों के लिये घातक है। और इससे कई प्रकार के घोटाले हो जाते हैं उसके लिये आप कमीशन बैठा देते हैं जैसे कि आपने जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये गट्टानी कमीशन की नियुक्ति करदी उसने इन्क्वायरी में काफी घोटाले पाये उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी आपने उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार छंगानी कमीशन बैठा यहां सरकार के लाखों रुपये खर्च हुए और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसको भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया या उसे आप कोल्ड स्टोरेज में पटक देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय ऐसे कमीशन्स बैठाना और उनकी रिपोर्ट्स को रद्दी की टोकरी में डालना या कोल्ड स्टोरेज में पटकना यह राजस्थान गर्वनमेंट की हमेशा से ही परम्परा रही है यह हमेशा से चली आ रही है। इसमें न तो जोशीजी का दोष है न खेतसिंह की गलती है वह तो परम्परा है जो चली आ रही है। यह कोई जोशीजी की या खेतसिंह जी की नयी उपलब्धि नहीं है। यह तो परम्परा है।

श्री रामकिशन : खेतसिंहजी भी गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट को कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे या उसे रद्दी करके बाजार में बेच देंगे।

श्री गुमानमल लोढा : यह आप नहीं कहें क्योंकि श्री खेतसिंह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। हां तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने गट्टानी कमीशन बैठाया और उसके ऊपर लाखों रुपये खर्च हुए ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महो-दय, उसमें काफी बड़े बड़े घोटाले थे उसमें वाइस चान्सलर तक इनवोल्वड था। मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा कि आपने इस रिपोर्ट को कौनसी अलमारी में बन्द कर रखा है कौन-से सेल में रखी हुई है इस रिपोर्ट पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर उसमें काफी

Page No 74

(74)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गड़बड़ नहीं हो तो आप उसे बाहर लाओ उसे सदन की टेबल पर रखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाये। इसके एक हमारे वी० सी० जोन साहब थे उनके और स्टुडेन्ट के बीच घटनायें घटीं उसके लिये आपने हूजा कमीशन बैठाया वह शायद रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर थे नाम शायद मैं भूल रहा हूं शायद गलत हो सकता है लेकिन उस कमीशन की कोई रिपोर्ट नहीं आयी उसको भी शायद आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। जब मंत्री महोदय से इनके बारे में पूछते हैं तो कहते है कि शीघ्रातिशीघ्र जवाब दिया जायेगा जल्दी ही उसकी रिकमन्डेशन पर विचार किया जायेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को जब डिग्री दी जा रही थी उन लड़कों ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि हमें आपके सर्टीफिकेट नहीं चाहिये इसको हम क्या करें इससे तो हमें कोई नौकरी थोड़ी ही मिल जाती है हमें एम्प्लोयमेंट दो। तो मेरा निवेदन है कि आप जोधपुर यूनिवर्सिटी को जोब ओरियेण्टेड एजूकेशन वाली यूनिवर्सिटी बनाये। उसे डिफेन्स एजूकेटेड यूनिवर्सिटी बनायें क्योंकि यह जोधपुर का इलाका ऐसा है कि जब कभी भारत पाक का युद्ध होता है तो यहां के लोग अपने देश की रक्षा के लिए खून देते हैं वलिदान देते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय इसे डीफेन्स ओरियेन्टेड एजूकेशन देने वाली यूनिवर्सिटी बनाइये ताकि वहां के लोग देश की रक्षा अच्छी तरह कर सकें। आज आपने जोबनेर और उदयपुर विश्वविद्यालय रखा है एग्रीकल्चर के लिये उसी तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी को आप डिफेन्स एजूकेशन यूनिवर्सिटी बनाइये। यह आप जो पीसमील में संशोधन लाते हैं वह बिलकुल गलत है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी बिल में आप अगर कोई भी प्रकार का संशोधन लाना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के स्टाफ को प्रोफेसर्स को, स्टुडेन्ट्स को कोन्फीडेन्स में लेना चाहिये नहीं तो मुझे भय है कि कहीं राजस्थान के अन्दर गुजरात की स्थिति नहीं पैदा हो जाये। आप स्टूडेन्ट्स को इग्नोर करके नहीं चल सकेंगे। इसके लिये जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिये मैं विशेषतौर से निवेदन करना चाहूंगा। आपने यह पहले कहा था कि हमने यूनिवर्सिटीज में यह संशोधन कर दिया है कि सिन्डीकेट में विद्यार्थियों का पार्टीशिपेशन होना चाहिये लेकिन वह पार्टीशिपेशन अभी तक उन्हें नहीं मिला है। वह मिलना चाहिये। आज आप आर्डिनेन्स निकाल देते हैं पर यह तो राज्य सरकार को मालूम होना चाहिये कि आर्डिनेन्स किन किन परिस्थितियों में निकाला जाता है। उसकी आवश्यकता बहुत भारी इमरजेन्सी में होती है लेकिन आप तो उस ओर्डीनेन्स को सिर्फ एक सरक्यूलर समझ कर निकाल देते हैं। यह तो आपको फोरसी न करना चाहिये। यह क्या बात हुई कि वी० सी० अगर बीमार हो गया तो चान्सलर किसी को भी एपोइन्ट करदें चाहे वह बात तीन दिन के लिये हो चाहे चार दिन के लिये। इसके अलावा यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी में वहां के लोकल टेलेन्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पुनरावृति कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं मृतात्माओं के लिये गरुड़ पुराण नहीं पढ़ता। मैं तो जिवितात्माओं के लिये ही कुछ निवेदन करना चाहूंगा। विश्वविद्यालय को सही रूप में लाया जावे। इस पर राजस्थान को भावी पीढ़ी निर्भर करती है। मैं व्यक्तियों के नाम लेना पसन्द

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं करता । मुख्यमंत्रीजी सब स्थिति से परिचित हैं । आज जोधपुर विश्वविद्यालय एक गहरे षड़यन्त्र का शिकार है । वहां के प्राध्यापक भी इस झगड़े में मिले हुए हैं । उनके हित इसमें हैं । और इसी कारण ये झगड़े कराये भी जाते हैं ताकि उस पर उत्तर-प्रदेश के लोग हावी हो जावें, बाहर के लोग वहां बरकरार रहें । डिवाइड और रूल की पॉलिसी वहां काम कर रही है । वह मैकाले का अंग्रेजों का फार्मूला वहां अजमाया जा रहा है । इस पर गम्भीरता से सोचना होगा । वहां पूरी तरह से जांच करानी होगी सारे हालात की । यह सही है कि शिक्षक लोग एक्टिवली इन झगड़ों में पार्टीसिपेट करते हैं । उन्होंने ही सारे वातावरण को विषाक्त बना रखा है । तीन तारीख के बारे में गलतफहमी फैली । एक अखबार ललकार वहां से निकलता है, जिसके सम्पादक गोवर्द्धन हेड़ाऊ हैं, वे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं । उन्होंने अपने पत्र में बहुत बड़े हैंडिंग से सामाचार प्रकाशित किये हैं इसके । हाई कोर्ट टूटेगा तो राजस्थान टूटेगा । मेरे पास वह अखबर है । अब ऐसी तो कोई बात हुई नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष: तीन तारीख के बारे में माननीय सदस्य ने अपने भाव व्यक्त किये हैं तो इस पेचीदा सवाल को वे अधिक यहां डिसकस न करें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं तो उस दिन भी चेम्बर में बैठा था । कैसा क्या नाटक हुआ ? सब कैसे एक हो गये । आचार्य साहब ज्यादा जानते हैं । मेरे से तो बातचीत नहीं हुई किसी की । जोधपुर के बारे में कोई सवाल तय करें और जोधपुर से आने वाले सदस्यों से पूछा न जाय यह हो नहीं सकता । गहलोत साहब भी विराजे हैं यहां, जहां तक मुझे मालूम है हमसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई । अच्छी बात है तो हो जावे, बुरी बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जोधपुर का डिफेन्स दे रहे हैं वह भी नहीं होना चाहिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यहां पर इलजाम लगाया गया था कि मिर्धा साहब के चुनाव के समय ही तै हो गया था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक मत से नहीं हुआ । वाइस वोट से हुआ है । मेरा प्रश्न इसमें नहीं आता ।

आन ए पोइन्ट ऑफ परसनल एक्सप्लेनेशन सर । मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता था कि मुझे इसमें फोकस क्यों किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय ने सहमति चाही और माननीय सदस्यों ने सहमति दी कि मुख्यमंत्री पर बात छोड़ते हैं । इसलिये मैं तो इसमें कहीं नहीं आता । आप मुझे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं । ध्वनिमत से यह पास हुआ । एकमत से नहीं । इस हिसाब से मैं कहीं नहीं आता इसमें । आप मुझे शिक्षित जगत में इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप शिक्षित जगत में प्रोजेक्टेड हैं । ध्वनिमत यहां हुआ नहीं । न किसी ने इस तरह का प्रस्ताव किया । न प्रस्ताव पारित हुआ ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से विराज रहा हूं । आज के नाजुक समय में इस तरह की बात न की जावे जिससे कि जन आक्रोश बढ़े गुजरात ; महाराष्ट्र, बिहार की

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रतिक्रियाएं हम देख चुके हैं। आज भी विधान सभा बिहार की भंग करनी पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : भंग नहीं की।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो इसे भंग ही मानता हूं। जिस तरह के हालात में यह सब हुआ है, उससे अब उसके जीवित होने की आशा क्षीण ही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिहार को तो क्षमा करें आप।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षामंत्री इन बातों पर विचार करें और इस बारे में एक विस्तृत संशोधन लाकर जिसमें राजस्थान का हित हो जोधपुर विश्वविद्यालय का जिसमें हित हो वैसा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री विजयसिंह।

श्री यशवन्तसिंह नाहर।

जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव पेश हुए हैं। एक विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरा जनमत जानने हेतु है, तीसरा प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने बाबत है इन तीनों प्रस्तावों पर एक साथ बहस हो जाय और इसके बाद उत्तर दे दिया जावे जिससे सदन का समय बच सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय की नींव 1962 में पड़ी। हमें आशाएं थीं कि इससे हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में चमकेंगे। आगे बढ़ेंगे। पर दुर्भाग्यवश वे हमारी सारी आशाएं छिन्न भिन्न हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य की पुनरावृत्ति आप नहीं करेंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। सन् 62 में उप-कुलपति बनकर एक सज्जन गोरखपुर से आये भैरवनाथ। साथ में अपना भरा पूरा लवाजमा भी वे वहीं से लेकर आये। वहां उन्होंने कई तरह की बीमारी पैदा कर दी जो आज कैंसर का रूप धर कर सारे ही शरीर को विषाक्त कर रही है। इन्होंने दो साल तक प्रशासन किया।

इनके पश्चात् दूसरे वाइस चान्सलर आये राम बिहारी। परन्तु वे भी वहां के वातावरण को शुद्ध नहीं कर पाये और बीच में ही हथियार डालकर डेढ़ साल में ही चले गये।

इसके पश्चात् 64 में डाक्टर रुणवाल आये। वे तीन साल रहे। इसके पश्चात् डाक्टर वी० वी० जान आये। उन्होंने पूरे काल तक काम किया।

सन् 72 में श्री मसालदान आये। 1½ साल के पश्चात् ही वे भी हथियार बीच में ही डालकर इस्तीफा देकर चलते बने।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को बताऊं कि जोधपुर विश्वविद्यालय में हमारी दुर्लभ धनराशि का कितना व्यय होता है। 11 करोड़ का बजट है। 16 प्रोफेसर हैं, 60 रीडर हैं, 450 लेक्चरार हैं। मि०स्टाफ 400 हैं और फोर्थ क्लास स्टाफ है 450 एक

(श्री अमृतलाल गहलोत)
अध्यापक के नीचे एक क्लर्क और एक क्लर्क के नीचे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

ग्रेड्स भी रिवाइज होने जा रहे हैं। लेक्चरार का जो ग्रेड 450 से वह 800 से 1600 होने जा रही है। रीडर की ग्रेड जो 700 से 1200 है वह होने जारही है 1900 तक और प्रोफेसर की जो ग्रेड 1100 से 1600 है वह होने जा रही है 1500 से 2500 तक। इनके पश्चात् जोधपुर यूनिवर्सिटी का खर्चा दो करोड़ का सालाना हो जावेगा। दो हजार रुपया एक विद्यार्थी की पढ़ाई के लिये खर्च करना पड़ेगा। दो हजार रुपया तो वह विद्यार्थी व्यर्थ का एक्स्चेकर का खर्च करेगा और अपने घर का खर्च करेगा सो अलग और उसके बावजूद वह बेकार फिरता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे स्टेट को कितनी क्षति होती है। दो विद्यार्थी के खर्चे में एक प्राइमरी स्कूल चलाई जा सकती हैं।

इसके साथ साथ यदि आप वर्क लोड का भी मूल्यांकन करेंगे तो आप ताज्जुब में रह जावेंगे। एक प्रोफेसर एक सप्ताह में 12 पीरियड लेता है 45 मिनिट का एक पीरियड होता है। एक सप्ताह में वह 9 घंटे पढ़ाता है और साल भर में 180 घंटे पढ़ाता है। 2।। हजार रुपया महीना लेगा तो वह साल भर में 30 हजार रुपया लेगा। एक घंटे का 166) रुपया होता है। रीडर 1900 रुपया लेता है वह पढ़ाता है 15 पीरियड एक सप्ताह में और 120 घंटे पढ़ाता है। उसका मूल्यांकन किया जाय तो सालाना 101 रुपया प्रति घंटा लेता है। एक लेक्चरार 1600) तक पहुंच जावेगा वह 75 रुपया घंटा लेगा। कितनी मंहगी शिक्षा हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं। कितना शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं। इन अध्यापकों से हम आशा करते हैं कि इतना खर्चा उन पर करने के पश्चात् वे समाज को नया मस्तिष्क और नया मार्गदर्शन दें।

दुर्भाग्य से आज युनिवर्सिटीज के अन्दर आपसी झगड़े हैं। अपने स्वार्थों को मूर्तरूप देने के लिये विद्यार्थियों को आगे कर देते हैं यूनिवर्सिटी केम्पस में आये दिन जो झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं उनमें अध्यापकों का हाथ होता है।

जोनल ग्रुप और वहां के विद्यार्थियों के बीच में झगड़े थे और मैंने उनका समझौता कराया था 1 तारीख को जोधपुर में। मेरे मकान पर इकट्ठे हुए थे। आपस में गले मिले थे। समझौता कराके आये इसके लिये मिनिस्टर साहब ने बधाई दी। लेकिन तीन दिन पहले ही जो घटना हुई है उसका विवरण आपके सामने है।

जोधपुर युनिवर्सिटी का मर्ज बहुत गहरा है। यदि हम चाहते हैं कि जोधपुर युनिवर्सिटी पर जो दो करोड़ की धन राशि व्यय होने वाली है उसका सदुपयोग हो और दुरुपयोग न हो तो आपको चाहिये कि जिस किसी को भी वाइस चान्सलर बनाया जाय बहुत सोच समझ कर बनाया जाय ताकि सही ढंग से यूनिवर्सिटी के मामलों का वह संचालन कर सके। इसमें किसी प्रकार की जल्द बाजी न की जाय। जो भी वाइस चान्सलर वहां आये वे समाज के प्रति और शिक्षा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाये।

इससे पूर्व मेरे नगर से आने वाले माननीय विधायक ने बताया कि यह जोधपुर युनिवर्सिटी नहीं यह तो यू०पी० की यूनिवर्सिटी है। हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स, डीन्स वगैरा सब यू०पी० के हैं। लोकल टेलेन्ट्स को यदि अवसर दिया जाय तो युनिवर्सिटी के

(श्री अमृतलाल गहलोत)

अफेयर्स में सुधार हो सकता है। मेरा यह सुझाव है कि तीनों युनिवर्सिटीज के लिये एक ही रिक्रूटमेंट के लिये सेन्टर हो, तीनों युनिवर्सिटीज के लिये रिक्रूटमेंट एक जगह से हो, एक ही जगह से ट्रान्सफर हो और एक युनिवर्सिटी के अध्यापकों को दूसरी युनिवर्सिटी में और तीसरी युनिवर्सिटी में ट्रान्सफर की व्यवस्था हो। रिसर्च कर रहे हों, डाक्टरेट कर रहे हों उनका कोग्रोडिनेशन भी किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों युनिवर्सिटीज में स्टाफ के बदलते रहने से युनिवर्सिटीज में आज जो स्थिति देखने को मिलती है उसमें काफी सुधार हो जावेगा।

यदि हम यह सोचें कि हमारे यहां इन्जीनियरिंग फेकल्टी है और दूसरी फेकल्टीज भी हैं और यह देखना पड़ेगा तो उसके लिये आपस में सामन्जस्य होना चाहिये। इस बिना पर विचार किया जाय कि एक हैड, एक रिक्रुटमेन्ट पोलिसी और एक ट्रान्सफर पोलिसी हो तीनों युनिवर्सिटीज के लिये। तो जो बीमारियां आज फैल रही हैं इस शिक्षा के क्षेत्र में वह दूर होंगी और पांच छः करोड़ रुपया राजस्थान सरकार का भारत सरकार का और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का खर्च किया जा रहा है उसका सदुपयोग हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं उदयपुर विश्वविद्यालय पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: और कोई नहीं बोलना चाहता है।

माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। पहला यह कहा कि जोधपुर विश्व विद्यालय नहीं यह यू०पी० विश्वविद्यालय है। अधिकांश हैड आफ डिपार्टमेंट, डीन्स बाहर के हैं। यह बात सही है। जोधपुर विश्व विद्यालय में एक को छोड़ कर हैड ओफ डिपार्टमेंट्स और डीन्स बाहर के हैं लेकिन जिस वक्त में यह विश्व विद्यालय कायम हुआ उस वक्त में सलेक्शन किये गये तो यहां पर इतने प्रोफेसर और एक्सपीरियेन्स्ड लोग अवेलेबल नही हो सके जिसके फलस्वरूप बाहर से लेना पड़ा। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं। उसके बाद भी सलेक्शन हुए हैं। लोकल टेलेन्ट्स को अवश्य मौका मिलना चाहिये परन्तु सलेक्शन कमेटीज बनती हैं और आमतौर पर फर्स्ट क्लास और गोल्ड मेडेलिस्ट्स लोग सलेक्शन में नहीं आ पाते हैं उन्होंने यह बात बतायी कि सलेक्शन कमेटी होती है उनमें बाहर के एक्स्पर्ट्स आते हैं, और उनके खुद के यहां के युनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वे भी बाहर के हैं इसलिये ज्यादा ध्यान बाहर के लोगों पर रहता है और इस विषय पर कोर्डीनेट कमेटी में विचार किया जिसमें जो एज्यूकेशन मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनी हुई है। तीनों वाइस चान्सलर्स उसके मेम्बर हैं। हम गंभीरता से सोच रहे हैं। कोई नई पद्धति अपनाई जानी चाहिये, इस ओर भी हमारा ध्यान है जिससे लोकल लोगों को फायदा मिल सके। हम जल्दी ही इस विषय पर कार्य करने वाले हैं।

दूसरे गट्टानी कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट नहीं आई और इसमें फन्ड्स का दुरुपयोग हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह कमीशन इसी आधार पर बना था। इस कमीशन के सामने जो

(शिक्षा मंत्री)

पहलू थे फेवरेटिज्म ग्रौरआगे भी दूसरे चार्जेज थे, इस कमीश ने जांच की ग्रौर माननीय गट्टानी सहाव न्याय मूर्ति थे, स्तीफा दे दिया है। ग्रव हमारे सामने यह भी सुझाव ग्राया कि नया कमीशन बनाया जाय, हमने इस पर विचार किया ग्रौर विचार करने के बाद में यह निर्णय लिया है कि माननीय गट्टानी साहब ने काफी एन्क्वायरी कन्डक्ट कर ली है इसलिये वही ग्रागे जांच करें ग्रौर जल्दी ही रिपोर्ट दे दें। जोधपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य को यह ग्राशंका थी कि यह रिपोर्ट वेस्ट पेपर वास्केट में चली जायगी ग्रौर भरतपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य तो उससे भी ग्रागे बढ़ गये जो मुझे स्वयं को ग्राशा नहीं थी। मैं समझता हूं उन्होंने मजाक के रूप में कही होगी। ज्यों ही गट्टानी साहब की रिपोर्ट फाइनल हो जायेगी निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जायगी ग्रौर उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जायगा।

तीसरी बात यह है कि वाइस चान्सलर के पद पर एक दिन की छुट्टी पर जायेंगे तो चान्सलर दूसरे की नियुक्ति करेंगे। मैं समझता हूं जोधपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य जो बहुत बड़े वकील है, वे इस बात को ग्रच्छी तरह समझें नहीं है वरना शायद वे भी/इस तरह की बात नहीं करते। जो छुट्टी पर जायेंगे तो वही काम करेंगे कोई नई नियुक्ति नहीं होगी जब वेकेन्सी क्रियेट हो जायगी ग्रौर चान्सलर को यह ग्रधिकार दिया गया है। गंगानगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य को भी यह ग्राशंका थी कि चान्सलर जो नियुक्ति करेगा यह परमानेन्ट नियुक्ति नहीं है, टेम्परेरी नियुक्ति है। तीन ग्रादमियों की एक कमेटी बनेगी एक चान्सलर के नोमीनी होंगे, एक युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के नोमीनी होंगे ग्रौर एक सिन्डीकेट के नोमीनी होंगे ग्रौर तीनों मिलकर वाइस चान्सलर का सलेक्शन करेंगे। मैं समझता हूं उससे परेशान होने की ग्रावश्यकता नहीं है, यह टेम्परेरी ग्ररेन्जमेंट है। उसके बाद माननीय सदस्यों ने यह कहा विद्यार्थियों के रिप्रेजेनटेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं मैंने शिक्षा की डिमान्ड पर यह कहा था ग्रौर हमारा कमिटमेंट है ग्रौर हम चाहते हे जल्दी से जल्दी रिप्रेजेनटेशन विद्यार्थियों का सिन्डीकेट होना चाहिये। हमने राजस्थान युनिवर्सिटी, जोधपुर युनिवर्सिटी ग्रौर उदयपुर युनिवर्सिटी को पत्र लिखे है, क्योंकि वे ग्राटोनोमस बोडीज हैं ग्रौर वहां से प्रस्ताव ग्राने पर ही कार्यवाही हो सकती है ग्रौर राजस्थान युनिवर्सिटी से प्रस्ताव ग्रा गया है। ग्राज ही कमिश्नर साहब से से बात हुई है जोधपुर युनिवर्सिटी से भी प्रस्ताव ग्रा गया है लेकिन उदयपुर युनिवर्सिटी से ग्रभी प्रस्ताव नहीं ग्राया है। हम उनको रिमाइन्डर भेज रहे हैं ग्रौर यह सिन्डीकेट में प्रस्ताव पास हो जायगा। इनकी ग्रपनी ग्राटोनोमस बाडी है तो उसके लिये भी परेशानी है - इन्टरफियरेन्स हो जायगा ग्रौर जब प्रस्ताव ग्रा जायगा तो हम बिल की शेप देंगे ग्रौर माननीय सदस्यों के सामने लाकर पारित करवा लेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, लेक्चरार्स के सलेक्शन के बारे में जैसा मैंने निवेदन कर ही दिया। सरदार शहर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा 450 फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स है। यह बहुत ज्यादा

(शिक्षा मंत्री)

हैं। यह आटोनोमस बाडी है लेकिन मैं निश्चित रूप से वाइस चान्सलर से पत्र-व्यवहार करूंगा। कोई आटोनोमस बाडी होने से इतने ज्यादा फोर्थ क्लास रखे जायं और मिनिस्ट्रियल क्लास रखे जायं यह उचित नहीं है। इसके लिये अगली मीटिंग में कुछ नार्म्स तय करके निर्णय लेंगे ताकि तीनों युनिवर्सिटीज में क्या पेटर्न हो यह बात तब हो जायगी और दूसरी युनिवर्सिटियों से भी मालूम कर लेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जो यह झगड़ा करवाया युनिवर्सिटी के लड़कों ने तो मैं यह बताना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी के लड़कों ने यह घटना नहीं की। इसकी पूर्णतया छानबीन हो गई है, जो आपने कम्प्रोमाइज करवाया है। यह जो घटना है वह चौपासनी के लड़कों ने की है। मैं यहां इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां इसकी आवश्यकता नहीं है और फिर भी उपाध्यक्ष महोदय आदेश देंगे तो मैं यह भी कह दूंगा।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जोब ओरियन्टेड शिक्षा होनी चाहिये। हम इस बात के लिये भी गंभीर रूप से सोच रहे हैं और निश्चित रूप से सोच रहे हैं जोब ओरियन्टेड शिक्षा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिये ताकि जो छात्र बेरोजगार होते है, वह न हों। जोधपुर युनिवर्सिटी में इलक्ट्रोनिक भी शुरू करवाया है और साथ में कम्प्यूटर का भी शुरू किया है ताकि जोब ओरियन्टेड ज्यादा विकसित हो जाय। कामर्स के अलावा मैनेजमेंट कोर्स शुरू करें ताकि विद्यार्थियों को पास होने के बाद जोब मिल सके। यह हमारा प्रयास है लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। आप चाहें एक साथ शुरू हो जाय-यह हमारे लिये मुश्किल सा लगता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा, बाकी सब विषय तो आ ही गये हैं, आप इस बिल को विचारार्थ लेने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री केदारनाथ : अब पारित के लिये मूव करें आप।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय····

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं··

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रॉन ए पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर । प्रश्न यह है कि जब ग्रासन पैरों पर हो तो कोई प्रश्न नहीं उठाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ग्रापका (माननीय गुमान मल लोढ़ा की ग्रोर मुखापेक्ष करके) इसी तरह का दूसरा ग्रा रहा है उस पर··

श्री गुमान मल लोढ़ा : मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा का प्रश्न है । ग्राप बैठिये । मैं मावली से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर रखा है, उसको उचित समझता हूं । विराजिये (श्री लोढ़ा से) प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ।

श्री खेत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं उदयपुर विश्वविद्यालय, (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री रामकिशन : उदयपुर में ग्रा गये ?

श्री केदार नाथ : पहले रिज्योलूशन था ना ?

श्री उपाध्यक्ष : वह शामिल कर लिया । मैं यह मानकर चलूंगा रिजोलूशन मूव नहीं करना चाहते हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ के पाइन्ट पर बोलने की ग्रनुमति दे दूंगा । ग्राप ग्रभी बैठिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी एक प्रार्थना है – मैं तो केवल यह निवेदन कर रहा हूं हमारे दो राइट हैं बोलने के । एक ग्रध्यादेश को ग्रस्वीकार करने पर ग्रौर दूसरे बिल पर । ग्रध्यादेश ग्रलग है, बिल ग्रलग है ।

ग्रध्यादेश पर बोल लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं कह रहा हूं ग्रध्यादेश के सम्बन्ध में । बोलना चाहें तो बोलिये, यदि नहीं बोलना चाहते हैं तो ग्रापकी इच्छा पर है····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा फरमाना तो समझ लीजिये । जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है इसमें हमारा नाम नहीं है ग्रौर हम बोलना भी चाहें तो ग्राप बोलने नहीं देंगे क्योंकि हमारा प्रस्ताव नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में, मैं निवेदन कर चुका हूं कि मैं तीन प्रस्तावों को एक साथ ले लेता हूं । एक तो जनमत जानने हेतु, दूसरा प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु ग्रौर तीसरा विचारार्थ लिये

Page No 82

(८२)

(श्री उपाध्यक्ष)
जाने हेतु। यदि आपका कोई अमेन्डमेन्ट जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु नहीं भी है तो भी जो प्रस्ताव विचारार्थ के लिए रखा है उस पर आपको मौका दे रहा हूं।

श्री केदार नाथ : हम अपना संकल्प वापिस लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प मूव ही नहीं हुआ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के संबंध में...

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह मानकर चलूंगा कि भरतपुर से आने वाले और हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य संकल्प को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं हां, आप (श्री रामकिशन) आरम्भ करें।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय विधेयक के संबंध में जो संशोधन आया है वह जोधपुर विश्वविद्यालय की तरह का ही है इसलिए यहां कोई नया तर्क उस दृष्टि से रखना आवश्यक नहीं है जिसके लिए पिछले विधेयक पर बहस हो चुकी है। मुझे केवल उदयपुर विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों में कुछ मुद्दे मंत्री महोदय के सामने रखने हैं। मैं आशा करूंगा कि विश्वविद्यालय की जो आंतरिक हालत है उसको सुधारने में अगर हमारे सुझाव कुछ सहायक हो सकें तो ज्यादा बढ़िया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय की एक विशेषता है और वहां एक तरह से कृषि के मामलों में हमारे लिए जो ज्ञान मिलना चाहिए क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि ही एक मुख्य आधार है और वैसे भी कृषि कालेज को ही विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय वैसे तो सारे देश में और राजस्थान में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं वही प्रवृत्तियां उदयपुर विश्वविद्यालय में भी हैं। झगड़े हैं, प्रोफेसर्स में पार्टीबाजी है, काम अच्छा हो नहीं पाता है और रिसर्च के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय को जो योगदान देना चाहिए था वह योगदान नहीं दिया जा रहा है। आखिर उपाध्यक्ष महोदय इस सबका क्या कारण है? जोधपुर का अभी जिक्र किया गया वही स्थिति उदयपुर की भी है। उदयपुर विश्वविद्यालय में तो खास तौर से उपाध्यक्ष महोदय अब इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गयी है कि जो लोग रिसर्च के काम पर लगे हुए थे उनको भी हटाया गया है, जिनको किसी विशेष काम के लिए नियुक्त किया गया उनको भी वाइस चान्सलर ने किसी न किसी प्रकार से सस्पेण्ड कर दिया है। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की अव्यवस्थायें क्यों पैदा हो रही हैं। एक यही तो ऐसा क्षेत्र था जहां हम सब लोग अपने देश के कल्याण के लिए विचार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, खोज कर सकते हैं और खोज का जो नतीजा हो उसको सारे देश के लिए दे सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है।

इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, असल में जो वाइस चान्सलर हैं आखिर इनकी एक प्रतिभा है, इनकी समाज और

(श्री रामकिशन)

शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठा है और पिछले वाइस चान्सलर जब कभी रहे उनके लिए कितना सम्मान शिक्षा जगत में था उतना सम्मान मौजूदा वाइस चान्सलर के लिए नहीं है और उसका कारण यह है कि जो अखबारों में आता है, जो कुछ हमने सुना है, देखते हैं और रिपोर्ट पढ़ते हैं जो मौजूदा वाइस चान्सलर हैं यह मध्य प्रदेश में डाइरेक्टर एग्रीकल्चर थे और डाइरेक्टर एग्रीकल्चर की हैसियत से उन्होंने जो वहां कीट नाशक दवाइयां खरीदीं और विजिलेन्स कमिशन ने जो कुछ कहा है वह हटाने तक की सलाह दी है और वही व्यक्ति यदि हमारे यहां पर वाइस चान्सलर हो तो समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय में आंतरिक व्यवस्था में कितना सम्मान उनका रह सकता है ? क्या स्थिति हो सकती है, इसके लिए तो खुद सदन को विचार करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आरोप भी मामूली गम्भीर नहीं हैं । यह हो सकता है कि कोई हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हो और उससे कोई निगलीजेन्स हो जाये लेकिन उनके संबंध में एक रिपोर्ट मैंने देखी विजिलेन्स कमिशन की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की उसमें जो आरोप लगाये गये हैं वह इस प्रकार के आरोप हैं कि उनको किसी भी सूरत में शिक्षा जगत में नहीं रखा जाना चाहिए । टेन्डर्स गलत दिये हैं टेन्डरर्स की गलत सूचना दी गयी सरकार को, उनकी क्षमता के बारे में गलत लिखा गया, जिनका टेन्डर कम रेट का था उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया गया और जब कि इन्क्वायरी हुई तो सारे तथ्य गलत निकले । जब ऐसे वाइस चान्सलर हों तो मैं नहीं समझ सकता कि वह अपने स्टाफ पर कैसा प्रभाव डाल सकेंगे ।

आज शिक्षा क्षेत्र में जगह जगह अनुशासन हीनता है, जगह जगह जो असन्तोष है उसके कारण सबसे बड़े उपाध्यक्ष महोदय यह हैं कि चाहे वह वाइस चान्सलर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे लेक्चरार हों या चाहे रीडर हों उनके चरित्र का, उनके व्यवहार का विद्यार्थियों पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता । जब विद्यार्थियों को जानकारी मिलेगी कि हमारे वाइस चान्सलर ऐसे हैं, जब प्रोफेसर्स और रीडर्स को ऐसी जानकारी होगी तो मैं नहीं समझ पाता कि उस विश्वविद्यालय में कैसे अनुशासन रह सकता है और कैसे उसको सुधारा जा सकता है । मैं मंत्री जी आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो संशोधन आप लाए हैं वह ऐसा नहीं है कि जिसका विरोध करने की जरूरत हो । एक कोई व्यवस्था चली आ रही थी उसको बदलने के लिए यह संशोधन आया है । अब उचित व्यवस्था कर रहे हैं । इसलिए संशोधन विधेयक के लिए कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमें यह आपत्ति है कि आज हमारे शिक्षा क्षेत्र में जो खराबियां हैं उनको दूर करने के लिए अब यह कह कर नहीं चल सकते कि आटोनामस बॉडी है और इसलिए उसमें दखल नहीं दे सकते । आटोनामस का अर्थ अपने आपका विस्तार करना है, अपनी व्यवस्था को स्वयं सुधारना है लेकिन जनता का पैसा जिसमें लगता है उसमें जनता को भी अधिकार है और सरकार को भी अधिकार है कि वहां की व्यवस्था के बारे में विचार करें और अगर व्यवस्था सुधर सकती है तो सुधारने के लिए कोशिश करें । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप उस मामले में इतना बढ़ जाये या ऐसा हस्तक्षेप हो जाये जिससे आटोनामी ही समाप्त हो जाये ।

(श्री रामकिशन)

लेकिन कम से कम जब हालात आज इतने खराब हो चुके हैं, चाहे विश्वविद्यालय का कोई क्षेत्र हो उसको सुधारने के लिए हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर नियुक्तियों को लेकर, प्रमोशन्स को लेकर और हर मामलों को लेकर इर्रेगुलेरिटीज हो रही हैं और उन इर्रेगुलेरिटीज की जानकारी मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी को भी है लेकिन इस संबंध में जब तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये जायेंगे मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की हालत नहीं सुधर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो हमारी शिक्षा है आज वह दिन नहीं है कि हम किसी मुद्दे पर विचार करें क्योंकि यह सीमित उद्देश्य का मुद्दा है और उस पर ही चर्चा करना चाहूंगा लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब किसी प्रकार से भी कोई प्रसंग आये तो हमें कई तरह से देखना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका मुख्य कारण यह है कि जो आज की शिक्षा है उसमें कोई भी शिक्षित आदमी किसी प्रकार से भी शारीरिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके परिवार में कोई धंधा है या दूसरे प्रकार के कारोबार हैं वह भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से उस कारोबार में नहीं जायें और राजकीय सेवा हो या ऐसा ही कोई कारोबार हो जिसके अन्दर शरीर से काम नहीं करना पड़े। हमारे सामने केवल किसी विशेष प्रकार के कार्य की शिक्षा देना जरूरी नहीं है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विद्यार्थी हों, चाहे लेक्चरार हों या दूसरा हो उनकी मेन्टेलिटी में भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई आखिर वह क्या थी? उसमें कोई चीन की व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। जब बुराई सीमा से बढ़ गयी चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरा हो वहां का प्रशासन दूसरी तरह का है लेकिन उसके बावजूद भी बुराइयां बढ़ीं तो उन्होंने एक प्रकार से सांस्कृतिक क्रांति की ओर वह क्रांति पढ़ने से, लिखने से लेकर कपड़े आदि तक उन्होंने की। कपड़ा किस प्रकार का पहना जाएगा, खाना भी इस प्रकार का खायेंगे, सोयेंगे भी इस प्रकार से, बैठेंगे भी इस प्रकार से। इस प्रकार से चीन ने समाज को अनुशासित कर दिया और इस अनुशासन का ही यह नतीजा है उपाध्यक्ष महोदय, कि चीन अपनी सांस्कृतिक क्रांति के बाद रूस, अमेरिका और हिन्दुस्तान, सबसे लड़ने के बाद भी उसकी आर्थिक हालत मजबूत होती चली जा रही है, उसका उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है और सैनिक शक्ति भी सारी दुनिया के मुकाबले मजबूत हो रही है। हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी हमारी शिक्षा जिस तरह से दी जा रही है हमारे देश में, उसके लिए हम चिंता जरूर करते हैं, जब विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाते हैं तो इस पर चर्चा जरूर करते हैं कि उनको अनुशासित करें, उनमें अनुशासन कायम रखा जावे, लेकिन अनुशासन है क्या? यह अनुशासन किस उद्देश्य से किया जाता है यह हमारे दिमाग में नहीं है। विद्यार्थियों की, नौजवानों की क्या आकांक्षाएं हैं, किस तरह के समाज के निर्माण की तस्वीर उनके दिमाग में है। यहां चीन जैसी सांस्कृतिक क्रांति का सवाल नहीं है लेकिन एक ओर तो औद्योगिक समाज वाले विद्यार्थियों का स्वरूप विद्यार्थियों के सामने आता रहे और फिर हम पुरानी परम्पराओं का जिक्र करते रहें तो यह दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। हमारे शिक्षा शास्त्रियों को इस देश की सांस्कृतिक क्रांति की कल्पना

(श्री रामकिशन)
करनी चाहिए, उनको अपना दिमाग बनाना चाहिए। केवल बातों की दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आज बहुत जरूरी हो गया है कि हम हिन्दुस्तान के हर क्षेत्र में सम्भव नहीं हो तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से कोई क्रांति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी पहनावे या कपड़े के खिलाफ नहीं हूं, न मेरा मतलब यह है कि सारे देश के लोग एक सा कपड़ा पहनें लेकिन पश्चिम की नकल इतनी ज्यादा हमारे दिमाग पर सवार हो गई है कि एक विद्यार्थी किसी न किसी वेश की वजह से दूसरे ही रूप में दिखाई देता है। अभी आठ दस दिन पहले की बात आपको बताता हूं। 6-7 दिन पहले की बात होगी शायद। मैं भरतपुर गया था। उपाध्यक्ष महोदय, एक अलीगढ विश्वविद्यालय के कुछ लोग चुनाव के दिनों में, मैं जब अलीगढ गया था, तो वहां का एक लड़का किसी उद्देश्य से कार चलता हुआ मेरे यहां पर आया। और उसने कार को मेरे घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरी पत्नी ने कहा कि कोई एक लड़की आई है। दूर से देखा था इसलिए अच्छी तरह से देख नहीं सके। मैंने कहा कि मेरे यहां लड़की किस लिए। दोपहर का टाइम था। मैं निकलकर आया, उसकी शक्ल सूरत देखी। वह पुराने राज परिवार का लड़का था, अच्छी एक बेसवा नाम की स्टेट थी, उससे सम्बन्धित था। मैंने उसका स्वागत तो बाद में किया, पांच सात मिनिट तक उसके पहनावे को देखता रहा। वो समाजवाद, लोकतन्त्र, हिंसा, और अहिंसा पर छात्रों को गोष्ठी आर्गेनाइज कर रहे थे उसके सम्बन्ध में निमंत्रण देने को आया था••

श्री उपाध्यक्ष : आपका मतलब है कि इसका उत्तरदायित्व भी शिक्षा मंत्री पर है?

श्री रामकिशन : निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री पर है। ईरान की मिसाल मैं शिक्षा मंत्री जी को देना चाहता हूं। ईरान का शिक्षा मंत्रालय काफी वेस्टर्नाइज्ड है लेकिन वहां पर भी स्कर्ट पहनने पर पाबन्दी लगा दी गई है। आप कश्मीर में चले जायें, वहां पर भी इस प्रकार की पाबन्दी लगाई गई है। लेकिन हमारे देश में हम पश्चिम की नकल करने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि कोई पागलपन में भी कोई काम करता है तो उसको प्रतीक मान लेते हैं, उसको आदर्श मान लेते हैं। उनके कपड़े ढीले हैं, बाल पीछे की तरफ क्यों बढा लिए हैं, अमेरिका की क्या सभ्यता है और उनकी क्या समस्यायें हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया है। इस ओर हम विचार नहीं करते। आज हमारे छात्र जगत और हम अपने बच्चों को देखते हैं तो उनके तौर तरीके पर सब प्रकार से नजर रखनी पड़ेगी। यह ठीक है कि लोकतंत्र के अन्दर उनका मौलिक अधिकार है कि अपनी इच्छानुसार जैसा चाहें वैसा कपड़ा पहनें और कोई भी शिक्षा मंत्री किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं कर सकता है। हमारे कांस्टीट्यूशन के हिसाब से कुछ दिक्कतें हैं लेकिन हम कांस्टीट्यूशन में छोटी मोटी बातों को लेकर तब्दली करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं तो जिस देश में हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए, कोई चीन जैसी जोर जबरदस्ती करने वाली बात नहीं या चीन की प्रणाली अपनाने की बात नहीं, लेकिन कोई न कोई प्रकार का कण्ट्रोल निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आज हमारा समाज जिस जगह पहुंचा है उसको रोका नहीं गया तो उसके जो परिणाम आगे होने वाले हैं उसमें हमें सोचना पड़ेगा। आज जिनकी हमारे नौजवान नकल करते हैं उनकी आमदनी की जरूरतें पूरी हो गई हैं लेकिन

(श्री रामकिशन)

हमारे यहां रोटी का सवाल खड़ा हुआ है। माननीय गहलोत साहब ने बहुत ही व्यवहारिक बात कही। आज अपने शिक्षा जगत पर जितना खर्चा कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या है। हम घण्टों के हिसाब से नहीं देखें, पैसे के हिसाब से नहीं देखें लेकिन समाज को क्या कण्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके बारे में विचार करना होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चूंकि यह बिल्कुल सीमित उद्देश्य के लिए अमेंडमेंट आया है इसलिए अधिक नहीं कहना चाहिए लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी बुराई के सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहूंगा कि उदयपुर विश्वविद्यालय की तरफ विशेषतौर पर ध्यान देने की जरूरत है और इस दृष्टि से ध्यान देने की जरूरत है कि जिससे लोगों के लिए वह लाभदायक सिद्ध हो सके। मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर विश्वविद्यालय ने कुछ नहीं किया। उदयपुर विश्वविद्यालय ने काफी काम भी किया है और उसकी हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए। आज हमारे प्रोडक्शन में हम कई जगह डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। चाहे भरतपुर में हों, चाहे अलवर में हों, विश्वविद्यालय ने अच्छा कार्य भी किया है और इसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में जो अन्दरूनी खराबियां हैं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा जो गड़बड़ी हो जाती है, उस सम्बन्ध में इस सदन में विचार करना चाहिए और सदन को निर्णय करना चाहिए कि जिस वाइस चांसलर के सम्बन्ध में विजिलेंस कमीशन ने एक अजीब ढंग की रिपोर्ट दी, उनको यहां पर वाइस चांसलर रखा भी जाय या नहीं रखा जाय और उनको रखने से सारे विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों और शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव होने वाला है, इसको भी हमें ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने प्रस्ताव वापस लेने की बात तो कर दी है लेकिन मैंने जो अपनी राय रखी है इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मो० गफ्फार अली।

श्री मो० गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है और उसका आधार करीब 2 वही है जो अभी एक विधायक ने बोला है...

श्री रामकिशन : एक विधायक नहीं, माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कहिए।

श्री मो० गफ्फार अली : भरतपुर से आने वाले जो कुछ कह चुके हैं, उस पर अपनी ओर से मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। ऐसा है, मेरी मान्यता यह है कि आज जो विश्वविद्यालयों में और तालीमी संस्थाओं में जो गड़बड़ चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण आपस में मन मुटाव; कोआर्डीनेशन की कमी और डिसिप्लीन का अभाव है। ये सब चीजें हैं जो हमारे लिए दर्दे-सर बन गई हैं। बदकिस्मती यह है कि जिस वक्त वाइस चांसलर का चयन किया जाता है उस वक्त यह पता नहीं चलाया जाता है कि आखिर वह आदमी किस कोंपीटेंस का है, वह इस लायक भी है या नहीं। उसकी पहले की क्या हिस्ट्री है, क्या उसकी एजूकेशन है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यह डाक्टर पी०

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सी०लाम्बा, वाइस चांसलर इनके बारे में यह पहले डायरेक्टर ग्रॉफ एग्रीकल्चर थे ग्रौर मध्यप्रदेश में बहुत ग्रर्से तक उन्होंने खिदमत ग्रंजाम की। यह 68 से 71 का वाक्या है जिसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। उन्होंने इस हैसियत से, एग्रीकल्चर डायरेक्टर की हैसियत से दो सौ मैट्रिक टन कारबन-डायग्राक्साइड का टेंडर इन्वाइट किया ग्रौर टेंडरर्स को यह लिखा कि हम दो सौ मैट्रिक टन चाहते हैं। चुनाचे टेंडर पेश हुए। पेश होने के बाद अब ग्राप, उपाध्यक्ष महोदय, मुलाहिजा फरमायें, जो टेंडर ग्राए वह मिनिमम दो हजार मैट्रिक टन के हिसाब पर ग्राए, लेकिन उन्होंने जो चार टेंडर थे उनको रिजेक्ट करके 2300 मैट्रिक पर टन के टेंडर को···

श्री निरंजन नाथ आचार्य : पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं उसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई वाइस चांसलर को डिफेंड करने जा रहा हूं। लेकिन इस सदन की बारबार यह व्यवस्था हुई है कि कोई भी सदस्य जो किसी व्यक्ति विशेष पर, जो सदन में ग्रपने ग्रापको डिफेंड नहीं कर सकता हो, उसके बारे में किसी भी प्रकार के ग्रारोप, करप्शन वगैरा के किसी तरह के चार्जेज हों तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ग्रौर मंत्री महोदय को उसकी पूर्व सूचना दी जावे ग्रौर ग्रापने ऐसी व्यवस्था बारबार दी है। मेरे निवेदन करने का ग्रर्थ यह है कि चूंकि वाइस चांसलर को डिफेंड करने का यहां कोई ग्रवसर नहीं है ग्रौर इसके साथ ही सूचना न दिए जाने के ग्राधार पर शिक्षा मंत्री भी इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए ग्रापकी व्यवस्था के ग्राधार पर मैं यह जानना चाहूंगा कि ग्राटोनोमस बोडी के वाइस चांसलर के करेक्टर की ग्रालोचना करना हमारी मान्यताग्रों के, हमारे नियमों के विरुद्ध कार्य है, मेरा विश्वास है कि सदन की पूर्व व्यवस्था के ग्रनुकल यह नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : नाथद्वारा से ग्राने वाले माननीय सदस्य को भी सुन लिया जाय।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : There cannot be another point of order when there is already one point of order pending before the House. That point of order is mine. He may only explain the position.

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कहें।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मावली से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो पांइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर रेज किया है, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि इस सम्बन्धी जानकारी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये माननीय सदस्यों ने ग्रध्यक्ष महोदय को इसकी सूचना दे दी है ग्रौर राज्य सरकार को भी सूचना प्रेषित की जा चुकी है ग्रौर राज्य सरकार ने युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से इसके ऊपर कमेंट भी ले लिए हैं। इसलिए यह कह कर कि वाइस चांसलर इस सदन में

(श्री मनोहर कोठारी)
डिफेंड नहीं कर सकेगा इसलिए उनके बारे में जो सही बात है, जो तथ्यात्मक बातें हैं उनको न कहा जाय, मैं समझता हूं कि यह गलत बात होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग में निवेदन है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा, एडजोर्नमेंट मोशन होगा। यह उस प्रसंग में नहीं आता है। चूंकि आज उदयपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न चल रहा है इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं एक्स्प्लेन कर देना चाहता हूं। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जो आपत्ति उठाई है, मैं समझता हूं कि वह इल्लीगल है। सुबह से शाम तक वे खुद और हम लोग अलवर के कलेक्टर के ऊपर और बड़े बड़े आई० जी०, डी० आई० जी०, सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस पर टिप्पणी करते रहे हैं। क्या उन्होंने आज तक इस बात की तकलीफ गवारा की है? मैं समझता हूं कि इस रूल का जो इन्टरप्रिटेशन किया है वह सही नहीं है। हां, किसी मिनिस्टर के ऊपर, विधायक के ऊपर आरोप लगाये जायें तो इन रूल्स के तहत सूचना देनी चाहिये। परन्तु जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, जो लोग वहां पर बैठ कर गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ बोलने की लिबर्टी खत्म करें, उनके लिए लिख कर दें, मैं समझता हूं यह गलत परम्परा होगी। फिर भी मैं लिखकर देने को तैयार हूं। यह एक फॉर्मल चीज है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : रूल्स हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप अगर नयी परम्परा कायम करना चाहते हैं तो यह हमारे लिये भी कठिनाई होगी और उसके लिये भी होगी। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज तक ऐसी ही परम्परा चली आ रही है। बड़े से बड़े अधिकारी जो खुद डिफेन्ड नहीं कर सकते हैं उन पर यह प्रश्न उठाया गया है। मुख्य सचिव, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और कलेक्टर को हम यहां पर गालियां देते हैं। यह हमारा प्रिविलेज है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रोंग, अगेंस्ट दी रूल्स।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह नयी व्यवस्था, यह नयी परम्परा आप कायम करना चाहते हैं। तो इसका पालन आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा। यह तो फार्मल चीज है। मैं लिख कर दे देता हूं। मुझे इसमें कोई आब्जेक्शन नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं ऑन दी होल इसके क्या परिणाम होंगे....

श्री दीपंकर : क्या परिणाम होंगे वह आप आचार्य जी से पूछिये?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आई आब्जेक्ट-टू-इट। माननीय सदस्य अपनी सीमा में रहें।

श्री दीपंकर : मैं जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। आप अपनी हैसियत ज्यादा जाहिर न करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शीशराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो फर्माया है वह एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। यह सरकार के आधीन है। आटो-

Page No 89

(89)

(श्री शीशराम)

ऑटोनोमस बोडी है । उस पर माननीय सदस्य कह सकते हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आई वान्टेड रूलिंग सर ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कार्य संचालन संबंधी नियम 273 के अन्तर्गत है :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of 'a reply."

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैंने तो केवल यह नियम 273 को आपके सामने पढ़ कर प्रस्तुत किया है। इसमें बहुत ही स्पष्ट है। कोई भी इस तरह का डिफेमेटरी करेक्टर का ऐलीगेशन हो, वह ऐलीगेशन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आप लगायेंगे, तो उसकी सूचना आसन को देंगे, कन्सर्न्ड मिनिस्टर को देंगे। इसलिये मैं इस नियम के अन्तर्गत आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस नियम की पालना के अन्तर्गत पहले इजाजत लें। आसन को सूचना दें मिनिस्टर को सूचना दें तो मैं अवश्य ही आपको बोलने की इजाजत दे सकूंगा।

इस सम्बन्ध में, "यह विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक मामलों पर बहस नहीं की जानी चाहिए..." "राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1962 को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने विश्वविद्यालय में कुछ लेक्चरार्स के सिलेक्शन पर, वाइस चान्सलर और सिन्डीकेट में विरोध का उल्लेख किया था श्री निरंजन नाथ आचार्य उप-शिक्षा मंत्री ने विरोध किया कि विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा, यह तो निश्चित है, डे-टु-डे एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक प्रश्न है उसे सदन के सामने लाना जरूरी नहीं है। प्रश्न यह है कि जहां तक उदाहरण स्वरूप कोई बात कहनी हो तो कहें लेकिन डे-टु-डे एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस न करें।" तो इस सम्बन्ध में चूंकि यह आन्तरिक मामला भी है और दूसरे जो आरोप आप लगा रहे हैं, उसमें नियम 273 की पालना माननीय सदस्य ने नहीं की है। इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया मैंने अभी बतायी है उस प्रक्रिया के अन्तर्गत अगर आपने आसन से स्वीकृति ले ली है तो उसकी सूचना दे दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट, इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट विजिलेन्स, कमीशन की रिपोर्ट, उसको पढ़ कर सुना देता हूं मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि डाक्यूमेन्ट पढ़ने का मेरा अधिकार है। यह मध्य प्रदेश विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है। मैं किसी के करेक्टर पर हमला नहीं करना चाहता हूं। भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक इस रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, उस वक्त हमारे मावली से आने वाले माननीय विधायक खामोश बैठे रहे। मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस वक्त इस रिपोर्ट का हवाला देते वक्त उनको क्यों परेशानी हो रही है।

(90)

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियमों का उल्लघंन हो रहा है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अर्ज करना था कि अगर किसी हुकूमत के सामने किसी वाइस चान्सलर का नक्शा सामने आ जाये कि वह किस किस्म का है, उसके बारे में किसी विजिलेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में यह लिखा हो कि इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, 8 लाख का किसी वाइस चान्सलर ने गबन किया है और उसके बारे में यह नतीजा निकाला गया हो कि उसके ऊपर 420 का मुकदमा चलाया जाये तो फिर उसके आचरण का, उसके करेक्टर का क्या असर पड़ने वाला है, यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। अब अगर आप सीमा निर्धारित करना चाहते हैं तो कोई चीज तय नहीं हो सकती है। खैर, मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। एक डाक्टर कोठारी थे। डा० कोठारी एक्सपर्ट थे उनका ट्रान्सफर कर दिया गया····

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ सदस्यों के आपस चर्चा करने पर) आर्डर प्लीज । आप कन्टीन्यू करें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष जी, सचेतक जी का आर्डर भी चलता है साथ साथ । तो पेथोलाजिस्ट की हैसियत से वे बहुत अच्छा काम का अंजाम दे रहे थे। सक्सेसफुली जाब कर रहे थे, किन्हीं कारणों से उनका एक दूसरी जगह पर ट्रान्सफर कर दिया गया जहां कि उनकी कोई यूटिलिटी, नहीं है । इसी प्रकार से डी० पी० चक्रवर्ती सुधीर कुमार वहां पर अच्छा काम कर रहे थे । उनके बारे में यह था कि उनको क्रेडिट मिली है, उसके बावजूद उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है । यह जो प्रथा है, इस तरह से विक्टीमाइजेशन हो रहा है। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस चान्सलर इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है कि जो लोग काबिल हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है । इन्ट्रीग्स खेली जा रही हैं और जो टीचर्स की एक इन्स्टीट्यूशन थी उसमें दो इन्स्टीट्यूशन कर दी हैं । साम्प्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और फासिस्ट आर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जा रहा है । यह वाइस चान्सलर की ठीक नाक के नीचे हो रहा है जिनको डिफेन्ड करने के लिए मावली से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं ···

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने डिफेन्ड नहीं किया है । आई ओनली रेज्ड दी पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

माननीय सदस्य खवामख्वाह रिफ्लेक्शन करते हैं और आप जैसा बुजुर्ग और संजीदा आदमी यह काम करे····

श्री शोभाराम ओला : साम्प्रदायिकता का क्या मतलब है इसका क्या अर्थ है मेहरबानी करके इसका स्पष्टीकरण कीजिये ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वहां पर आर० एस० एस० की गतिविधियां बहुत बढ़ रही हैं और वहां पर आर० एस० एस० के एक बहुत पुराने लीडर जो हैं वह इन्स्टीट्यूशन के हैड बनकर आये हैं वह सब चीजें कर रहे हैं और उनके इशारे पर कर रहे हैं जो कि वहां पर वाइस चान्सलर हैं ।

श्री शोभाराम ओला : वाइस चान्सलर आर०एस० एस० का मेम्बर है क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो करप्शन के हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट हैं अब बतलाइये आपको क्या कहना है ।

श्री शीशराम ओला : करप्शन का मैं नहीं कहना चाहता हूं । ग्रार० एस० एस के मेम्बर हैं क्या ? मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि ग्राप करप्शन के बारे में बोलिये लेकिन क्या वाइस चान्सलर साहब ग्रार० एस० एस० के मेम्बर हैं क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह सीक्रेट ग्रार्गेनाइजेशन है । यह गिरधारी लाल जी से पूछ लें । लेकिन वह इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं इसलिए इन्डाइरेक्टली हम समझते हैं कि मेम्बर जरूर होंगे । ग्रापको फर्स्ट हैण्ड इन्फर्मेशन हो कि वह नहीं है तो बतला दें । मैं यह ग्रर्ज कर रहा था कि वहां पर एक श्रीवास्तव साहब थे जिनके बारे में श्री कक्कड़ साहब, ग्राई० ए० एस० ने यह फाईंडिंग दी कि इनके खिलाफ जो चार्जेज लगाये गये हैं वह गलत हैं ग्रौर किसी ग्राधार पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन ग्राज भी वह सस्पेन्ड पड़े हुए हैं । कोठारी साहब के बारे में हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोठारी साहब के खिलाफ जो एक्शन लिया है वह गलत है । इनका ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता था, ग्रौर हाई कोर्ट ने....

श्री भानुकुमार शास्त्री : सस्पेंड वाइस चान्सलर ने किया है या एक्जीक्यूटिव कमेटी ने ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह ग्रर्ज करूंगा कि जो जानकारी ग्रापको है वह ग्राप दे दें । मुझे क्यों...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मुझ क्यों घबराते हो ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं घबराने वाला नहीं हूं । मुझे दुःख है कि खुद काहिल हैं ऐसे दस्तेयारी के । इन्टरफियरेन्स से कुछ नहीं होता है ।

तो मुझे ग्रर्ज यह करना था, उपाध्यक्ष महोदय, कि ग्राप मसला यह मुलाहिजा फर्मावें ग्रौर माननीय मंत्रीजी को यह तय करना है कि ग्राखिर यह मसला किस तरह से हल हो कि जब हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट से जो लोग तसल्ल कर रहे हैं, उनको रिसर्च नहीं करने दिया जाता है, उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गैर कानूनी तरीके से बदल दिया जाता है ग्रौर यह फाइंडिंग ग्रान के बाद कि कोई कसूर नहीं है एक प्रोफेसर को, एक लेक्चरर को, एक रीडर को सस्पेंड रखते हैं । तो उसमें मैं समझता हूं कि बदगुमानी फैलने का ग्रन्देशा है । ग्रापका एज्यूकेशन डिपार्टमेंट यह कहकर ग्रपने ग्रापको फरायज हद बराह नहीं कर सकता है कि यह ग्राटोनामस बोडीज हैं ग्रौर हम इनमें दखल नहीं दे सकते हैं । ग्रसल में यह जो ग्राटोनामस बोडीज चलाई जा रही हैं उसमें हुकूमत के कुछ फैरायज होते हैं, ग्रौर यह कहकर फरायज ग्रहद वराह नहीं हो सकती कि हमें बहुत कम हकूक हैं ।

मैं चाहता हूं कि जिस वक्त में वाइस चान्सलर का एपांइटमेंट हो उस वक्त कुछ न कुछ ग्राधार बनने चाहियें । जब से ग्रापका सिलेक्शन हो गया है ग्रौर जब से ग्राप तशरीफ लाये हैं तो वाइस चान्सलर ने 40 मर्तबा सिलेक्शन बोर्ड बैठाया है ग्रौर 30 दफा जो एक्सपर्ट ग्राये हैं वह उनके ही प्रदेश के हैं या एक नागपुर से लिया गया है । तो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ऐसी सीरियस जो स्थिति है वह आपके सामने है कि उदयपुर युनिवर्सिटी में जो एक्सपर्ट आते हैं वह उनकी जेब में होते हैं। जो सिन्डीकेट के मेम्बर्स होते हैं वह उनके मातहत होते हैं। उदयपुर युनिवर्सिटी का जो कान्स्टीट्यूशन है तो वहां पर 5 हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं और दो और सिन्डीकेट के मेम्बर लिये जाते हैं जब कि राजस्थान युनिवर्सिटी में उससे मुखतलिफ है। उसका कारण यह है कि वहां के जो हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं वह यह चाहते हैं, वहां के वाइस चान्सलर यह चाहते हैं कि उनके आदमी रहें और जो नियुक्तियां हों वह उनके इशारे पर हों। इसलिए मैं यह चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं यह प्रोग्राम पहुंचाना चाहूंगा कि सिलेक्शन के बारे में, नियुक्तियों के बारे में, कोई उसूल निर्माण करने चाहिये, कोई सिद्धान्त बनने चाहिएं। माननीय सदस्य गुमान मल जी कह रहे थे कि 30 में से 29 प्रोफेसर यू०पी० से लाकर बैठा दिये तो फिर राजस्थान का टेलेन्ट कहां चक्कर खाता फिरेगा, हमारे यहां के पढ़े लिखे लोग कहां जाकर दरवाजा खटखटायेंगे और किस से सिर फोड़ेंगे? आपको कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिएं कि जिनके जरिये वाइस चान्सलर की कम्पीटेन्सी, वाइस चान्सलर के पुराने एन्टिसिडेन्ट्स, वाइस चान्सलर की पुरानी शोहरत सामने आनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक वाइस चान्सलर के खिलाफ में नहीं बोल सकता, कल दूसरा आदमी जरायम पेशा किसी युनिवर्सिटी में आकर बैठ जाय। तो इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किस तरह से एपाइंट करें और क्या रूल्स इस सिलसिले में निर्माण करें। आज वहां पर यह स्थिति पैदा हो गई है कि टीचर्स के दो ग्रुप बने हैं और स्टुडेन्ट्स के दो ग्रुप बनें हैं जो एक दूसरे को आज परेशान करें, एक दूसरे के खिलाफ प्रौपेगेण्डा करें, एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, यह वहां का वातावरण हो गया है। तो अगर किसी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में अमन कायम नहीं रह सकता है, अगर किसी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में सही रूप से तालीम नहीं हो सकती है, अगर किसी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन में एक्सपर्ट्स की सर्विसेज को युटिलाइज नहीं किया जा सकता है, तो उस एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन का कोई मकसद नहीं रह जाता है। मेरी गुजारिश, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत यह है कि आप इस चीज पर गौर करें। आप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से बात करें और इन वाइस चान्सलर साहब के बारे में मालूमात करें। मेरी जानकारी का कोई खास जरिया नहीं है यह एक ओपन सीक्रेट है और अखबारों में आया हुआ। मैं और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी देखा होगा कि लाखों रुपयों का गबन हुआ है। उसके लिए अभी होमी दाजी ने वहां पर मध्य प्रदेश की असेम्बली में सवाल उठाया था कि उनका लियन क्यों कायम रखा जा रहा है। तो मेरी मन्शा यह है कि आज ऐसी परिस्थितियों में हैड आफ दी डिपार्टमेंट और वाइस चान्सलर की वजह से गलतियां हो रही हैं और वहां पर सुचारु रूप से रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है, सुचारु रूप से कोआर्डिनेशन तालिबेइल्म और प्रोफेसर्स में नहीं रह सकता, तो फिर राज्य सरकार को सोचना होगा कि किस तरह से इसको चलाया जाय, और किस तरह से उस काम को आगे बढ़ाया जाय। तो मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मैं इस पर आंकड़ें देना चाहता था, लेकिन चूंकि,

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और जबां-बन्दी कर लूं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहना चाहूंगा कि यह जो है इसको प्रसारित किया जाय और पता चलाया जाय कि वहां पर किस किस्म की बुराइयां हैं।

उसके साथ-साथ, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा मसला जो हैं वह तालिबेइल्म जो तालीम पा रहे हैं उनके डिसकन्टेन्टमेंट का है। इसके बारे में जोधपुर युनिवर्सिटी के सिलसिले में गुजारिश की थी। इसके सम्बन्ध में भी आप से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर स्टूडेन्ट्स को मैनेजमेंट में ज्यादा से ज्यादा मवरिक (हिस्सा) मिलता है और ज्यादा से ज्यादा उनको शरीक किया जाता है तो उससे एक नई परम्परा कायम होगी और उनमें जो एक बेएतमादी पैदा हो गई है, उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं रहा है, वह भरोसा पैदा होगा, और सुचारुरूप से युनिवर्सिटी में तालीम के चलाने में आपको सहयोग होगा, और उनको इस किस्म के मुआयदे मिलने चाहिये कि युनिवर्सिटी में जितनी बोडीज हैं उनमें सब के अन्दर उनको काफी रिप्रेजेन्टेशन दिया जायगा ताकि वह मसाहिब हल कर सकें और प्रोफेसर और बच्चे पास में बैठकर अपनी दिक्कतों और कठिनाइयों को दूर कर सकें।

आखिर में, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में यह गुजारिश करूंगा कि यह जो नई चीजें आई हैं इनके बारे में हमको फिर से सोचना होगा और हमको दरियादिली बरतना पड़ेगी। इसके बारे में हमको सोचना होगा, और हम को ऐतिहात बरतना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : केशरीमल।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हमको भी मौका बोलने का दिया जाये।

श्री केदार नाथ : अन्तिम भाषण आप का ही होगा।

श्री केशरी मल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री गफ्फार अली साहब ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। वैसे इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस स्थिति में युनिवर्सिटी में दलबन्दी और इस तरह की अव्यवस्था फैली है, वह लोगों के लिए सोचने की बात है। ऐसे आदमी को लाकर बैठाया जाये, जिसके बारे में अखबारों में कहा गया हो। कमेटी ने जिसके बारे में जांच की हो। जिस पर इलजाम साबित हो गये हों। ऐसे आदमियों को ऐसे संस्थानों में बैठाना। जो इस प्रकार का पद है। जैसे जो काम उन्होंने किये हैं, वैसे काम जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, वह भी वैसे ही काम करें। वह विद्यार्थी जो उनके पास से निकला है। जो काम बड़ी बड़ी शिक्षा देने वाले करते हैं। ऐसा अगर हो गया है तो उनको याद करना पड़ेगा। जिनको देखकर चरित्र पेश करना चाहते थे जो उन्हीं से शिक्षा लेते थे। आपने उन्हीं को मापदण्ड बना दिया। लेकिन जिस संस्था में सबसे बड़े पद पर रहने वाला आदमी ऐसा हो तो उसके नीचे से निकलने वाले विद्यार्थियों का क्या हाल होगा। यह सवाल न सिर्फ उदयपुर युनिवर्सिटी का ही सवाल है। अगर ऐसे लोग ऐसे पदों पर होंगे तो यह देश के भविष्य के बारे में सोचना होगा।

(श्री केसरीमल)

मुझे समझ में नहीं आता है कि सी०आई०डी० और दूसरे विभाग क्या करते हैं। वह राज्य के अधिकारियों को जानकारी नहीं देते होंगे। सदन में ऐसी बातें कही गई हैं। राज्य सरकार खुद ऐसे आदमियों को पनाह देती है। जो किसी तरह से भी उचित नहीं है। उसको समझना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार उठाये गये मसलों के बारे में जो पदाधिकारी बैठे हैं, उनके चरित्र के बारे में, तौर तरीकों के बारे में बड़ा शक किया जा रहा है। शक ही नहीं किया जा रहा है शक साबित हो गया है। ऐसे आदमियों को तुरन्त हटा देना चाहिये। अगर नहीं हटाते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप उन सारी चीजों को प्रश्रय देते हैं। उनको वहां से निकाला जाये। वहां की दलबन्दी को तोड़ा जाये। वहां की जो यह स्थिति हो रही है, उसको ठीक किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह विश्वविद्यालय का आज के युग में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई है तो सब की यह आकांक्षा रहती है और आज के युग के अन्दर यह उदयपुर का विश्वविद्यालय जिसको पहले कृषि विश्वविद्यालय बना लिया था, आज यह विश्वविद्यालय मल्टी फैकल्टीज में बदला हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं, यदि राज्य सरकार चाहती है कि समस्या को समाधान ढूंढ लिया जाये। वास्तव में अन्न की समस्या है। उसको ढूंढ लिया जाये तो कृषि विश्वविद्यालय है, उसको पूरा विश्वविद्यालय बना दिया जाये। कृषि के जितने अनुसंधान केन्द्र हैं, उनको विश्वविद्यालय को सौंप दें। इसके साथ साथ मल्टी फैकल्टी अग्रणी रूप से काम करे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा को जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ दिया जायेगा तो विश्वविद्यालय का भरपूर उपयोग हो सकेगा। दूसरे इन विश्वविद्यालयों में राजनैतिक हस्तक्षेप कम रहे। आर्थिक वितरण की समानता रहे। इसलिए ऐसा हो तो मेरा निवेदन है कि एक शिक्षा आयोग हो। वह आयोग ही तय करें कि विश्वविद्यालय को जितना अनुदान दिया जाता है, वह अपने संरक्षण में उसके बारे में तय करे। वह आयोग शिक्षा के बारे में तय करेगा तो मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से पूरा पूरा उपयोग हो सकता है। (अल्प विराम) अभी विश्वविद्यालयों की अव्यवस्थाओं के बारे में कहा गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार यह विश्वविद्यालय का ऑडिट पैरा टेबिल पर आया है। मैंने कई बार सरकार का ध्यान इन अव्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया है। सरकार ने यह कहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कहकर टालमटोल की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 71-72 का यह ऑडिट पैरा सदन में उपस्थित हो चुका है। मैं इसके अन्दर डिटेल में न जाकर, उन्होंने यह स्वयं लिखा है, इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पायलेट स्कीम चलती हैं। इसके अन्दर मिल्क पायलेट स्कीम चलती है। इस स्कीम में पूरी अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं और एम्बेजलमेंट हैं। यह सब होते हुये भी मुझे आश्चर्य है कि सरकार ओवरलुक करके, उपेक्षावृत्ति करके देख रही है। मैं ऑडिट पैरा से सुनाना चाहूंगा।

(श्री भानु कुमार शास्त्री)

यहां जो लाया गया है। यह ऑडिट पैरा 71-72 का लाया गया है। इसके पेज 45 में लिखा है। पायलेट मिल्क सप्लाई स्कीम में 62.5% पर लीटर है। इसमें 63 में 12.75 लाख रुपये की वित्तीय हानि हुई है। संयंत्र के उपकरणों पर 10% एवरेज रख दो और 6% भी छोड़ दो तो 24.06 लाख हो जायेंगे। इतनी हानि वित्तीय हुई है। तो विश्वविद्यालय का जो कार्य चल रहा है। जिसमें इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सेलसमैन था, वह कई महीनों तक अपने पास पैसा रखता था। वह पकड़ा गया। जब अखबारों में छपा तो सस्पेण्ड कर दिया। फिर एक महीने में रीइन्सेटेट कर दिया गया। जो क्रिमिनल ओफेन्स हैं तो उसके पकड़े जाने पर एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट को देना चाहिए। वहां की डेयरी के जो डिप्टी मैनेजर हैं, उनको 800 रुपये सरकार देती है। श्री एल०पी० भट्ट, उनको सरकार ने अब दूसरे स्थान पर लाकर बिठा दिया है। आप को तनख्वाह मिलती रहेगी। आप तो टेबिल कुर्सी लगाकर बैठे रहो। उनके पास कोई काम नहीं। 800 रु० सरकार उनको देती है। उस समय यह वाइस चांसलर नहीं थे। वह बोले इसको तनख्वाह से मतलब है। वह सज्जन थे जम नहीं पाये। लेकिन यह परिस्थितियां जब विश्व विद्यालय की बनें तो क्या कर सकते हैं। उदयपुर विश्व विद्यालय की पायलेट स्कीम के आप जाकर कागज सीज करें, तो वहां अकाउन्ट नहीं मिलेगा, लाग वुक्स नहीं मिलेगी। लाग बुक अभी रख दी है, जब मैंने यह प्रश्न असेम्बली में रखा उसके बाद रखना शुरू किया है। लेकिन लाग बुक से कितना पेट्रोल खर्च होता है, यह डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है। पेट्रोल का डीलर है वह लॉग बुक में पेट्रोल और माइलेज लिख कर चला जाता है और लाखों रुपया लेकर चला जाता है। इस पायलट स्कीम के केन हैं, वह बाजारों में बिक जाते हैं। मैंने कहा कि पायलट स्कीम के केन बाजार में बिक रहे हैं, मैंने लैटर लिखा है कि यह बाजार में जाकर बेचे जा रहे हैं। और मामला इतना ही नहीं है, इस पायलट स्कीम की आज तक यह स्थिति है कि आज पायलट स्कीम के नाम पर, दुग्ध वितरण के नाम पर जो संयंत्र लगा हुआ है, वह बेकार पड़ा हुआ है, मशीन आइडल पड़ी हुई है। आज उदयपुर के मार्केट के अन्दर, जब कि उदयपुर की पापूलेशन 1 लाख 71 हजार की है, वहां चार सौ, पांच सौ लिटर दूध आता है। चार सौ, पांच सौ लिटर दूध का वितरण होता है, और इस पायलट स्कीम में 24 लाख का घाटा है। फिर भी वह चले तो क्या फायदा है। इससे तो अच्छा है कि वह बन्द हो। और सरकार अपनी ओर से जयपुर में जिस प्रकार दुग्ध वितरण स्कीम चला रही है, वैसी ही उदयपुर के अन्दर चालू कर दे। आज मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि वहां आज इतनी अव्यवस्थायें हैं कि जो चरम सीमा पर पहुंच गई हैं, इधर भी है, उधर भी है, दोनों तरफ है। फिर हम जायें वल्लभनगर फार्म की ओर। वल्लभ नगर फार्म में जो डाइरेक्टर हैं, वह आज सस्पेन्डेड हैं। अब वल्लभ नगर फार्म के काम में अव्यवस्थायें हैं, अनियमिततायें हैं, इनके बारे में काफी कहा गया है। मेरा निवेदन है कि रिसर्च करने वाले कहां रहें, कक्कड़ कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें लास्ट पैरा है, जिसमें वह कहते हैं, रिसर्च करने वाले कहां रहें, कहां रिसर्च करें। वह उदयपुर के वल्लभ नगर फार्म पर नहीं रहते हैं, वह उदयपुर शहर में रहते हैं, तो क्या रिसर्च करेंगे। उन्हें फार्म पर रहना चाहिए। लेकिन वाइस चांसलर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हैं और दूसरे लोग हैं वह घर आना चाहते हैं, इसलिए वह इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। सारे के सारे वापिस घर चले आते हैं। इसलिए रिसर्च होती नहीं है। अनुसंधान हो रहा है वह राजनीति का अनुसंधान हो रहा है, राजनीति में अखाड़ेबाजियां हो रही हैं और अव्यवस्था फैल रही है।

मेरा यह कहना है कि विश्वविद्यालय का रेटिफिकेशन हो, जो अपराधी हैं उन अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहां एक्शन लेने वाला आदमी चाहिए। इस वाइस चांसलर ने आते ही कुछ एक्शन लिये हैं, किस दिशा में हैं, क्या हैं, लेकिन एक्शन लिये हैं और एक्शन लेकर सुधार करने का प्रयास किया है। अगर गलत दिशा में चले जायेंगे तो उल्टा असर हो जायगा। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार यह कह कर टाल देती है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह बात गलत है। अन्य विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था होगी लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय का जो एक्ट बना हुआ है, उसके अन्दर यह व्यवस्था है। उसके एक्ट के सेक्शन 8 में यह व्यवस्था है कि सरकार उसमें इन्टरफियरेंस कर सकती है। उसमें यह लिखा है :

"The State Government shall in every case......"

यह किसी विश्वविद्यालय में हो, लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय और वहां के वाइस चांसलर को पावर नहीं है :

"....give to the University a notice of its intention to inspect or make an enquiry, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or enquiry."

ऐसे सारे तीन चार कालेजेज हैं, जिनमें गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वहां जाकर युनिवर्सिटी अफेयर्स में हस्तक्षेप करे, उनकी जांच करे।

विश्वविद्यालय के तीन पहलू होते हैं एक शैक्षणिक, एक आर्थिक और एक प्रशासनिक। इसमें से थर्ड को देखा जाय, यद्यपि यह लांबा के समय का नहीं है, लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय की यह जो घटना है ऐसी घटना संसार में नहीं सुनी होगी, लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय में सुनी है, वह यह है कि एक लड़का जो बी०एससी० में बड़ौदा विश्वविद्यालय में फेल हो गया, उसका उदयपुर एग्रीकल्चर कालेज में थर्ड ईअर में एडमिशन हो गया। कैसे हो गया उसका जो फेल है ? हो सकता है वह किसी बड़े प्राध्यापक का, डाइरेक्टर का, डीन का लड़का हो, लेकिन उसको एडमिशन कैसे दिया गया ? यद्यपि आज के वाइस चांसलर उस समय उपस्थित नहीं थे, मैं वाइस चांसलर पर आरोप भी नहीं लगाता हूं, लेकिन यह उदयपुर की भारी घटना है कि एक लड़का बी०एससी० में सैकिण्ड ईअर में फेल हो और उसका थर्ड ईअर में एडमिशन हो जाय। शैक्षणिक दृष्टि से स्थिति वहां यह है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पायलट स्कीम और वल्लभ नगर फार्म दोनों विपरित दिशा में जा रहे हैं। शैक्षणिक अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था, इसके साथ साथ ऐसे भी मामले उदयपुर कॉलेज के अन्दर होते हैं, मैंने एक बार अपने भाई की फीस जमा कराई, परन्तु साल भर बाद में नोटिस

आया कि फीस जमा नहीं कराई है, फीस जमा कराइये। मैंने रसीद फाइल में से निकाली, मैं फाइल में रसीद रखता हूं। कहा कि फीस जमा करादी है। मैं वहां गया, जो सम्बन्धित क्लर्क था, वह फीस ले लेता था लेकिन जमा नहीं करता था और फीस की रसीद दे देता था, रसीद के नीचे कार्बन पेपर नहीं रखता था। इस तरह कॉलेज का पैसा गायब। ऐसे छोटे मोटे अनेक मामले हैं, एक नहीं है, उदयपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर उदय पारीक हैं, उन्होंने अमेरिकन इन्स्टीट्यूशन से ढाई हजार रुपये लिये और आबू गये, लड़कों को एक्सकर्शन कराने के लिए और वहां से आकर ढाई हजार का बिल पेश कर दिया। किस होटल में ठहरे, किस टैक्सी में गये यह कुछ नहीं। जो मि० गिल्ड इन्चार्ज थे, उन्होंने इन्क्वायरी की तो पता लगा कि उसमें अव्यवस्था है। उदय पारीक, जो उदयपुर कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर गये थे, उस समय के जो मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, उनकी कुर्सी के कारण, उनकी व्यवस्था के कारण माउण्ट आबू में ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क हो गई, कॉलेज के लड़कों को ठहराने की व्यवस्था निःशुल्क हो गई और ढाई हजार के बिल, फर्जी बिल पेश कर दिये। एक पत्र जो उदय पारीक ने महाजनी को लिखा, उसमें यह लिखा है। उसमें यह लिख दिया है, इस प्रकार की अव्यवस्थायें चलती हैं। वहां आर्थिक दृष्टि से अव्यवस्था है, शैक्षणिक दृष्टि से अव्यवस्था है, और प्रशासनिक अव्यवस्थायें हैं। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वह अपना एक रिप्रेजेन्टेटिव या कोई आयोग विठा दें, जो जांच कर ले। मैं समझता हूं कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग के साथ उदयपुर विश्वविद्यालय का प्योरिफीकेशन हो जायगा। यह बात पूरी हो जायगी, और जिस बात को लेकर विश्वविद्यालय की आज उन्नति करना चाहते हैं, उस ओर उन्नति करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं।

मैं इन शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर कई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, और सभी माननीय सदस्यों के स्वर में एक बात अवश्य सुनाई पड़ती है कि उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है, और बड़ी ही गम्भीर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता के धन को हम किसी ओटोनोमस बाडी को आवंटन करें और यदि उस धन का दुरुपयोग हो तो उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए जन प्रतिनिधियों को जागरूक होकर आगे आना चाहिए। विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह एक ही जगह हो तो सामान्यतः यह परंपरा है कि जहां विश्वविद्यालय हो उसी के कैम्पस में वह दीक्षान्त समारोह मनाया जाय; लेकिन इसी माह, बल्कि कहना चाहिए कि मार्च माह में उदयपुर विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह किया गया और जोबनेर में यह दीक्षान्त समारोह आयोजित हुआ दर्शक भी चाहे बांसवाड़ा से हों, चाहे डूंगरपुर से हों, उदयपुर से हों, चित्तौड़गढ़ से हों, भीलवाड़ा से हों, दर्शकों को भी किराया देकर जोबनेर एकत्रित किया गया....

श्री लक्ष्मण सिंह : यह तो ऐसे हो गया आम झबूके बिजली गधो मरोड़े कान।

श्री राम किशन : इसका अनुवाद क्या है ?

श्री मनोहर कोठारी : दर्शकों को किराया देकर जोबनेर एकत्रित किया जाए, जो लोग वहां पर उपाधि लेने के लिए जाने वाले हैं उनको दिया जाए, वहां के बोर्ड के एक्जीक्यूटिव के सदस्यों और सिनेट के सदस्यों को वहां पर खजाने से खर्चा दिया जाए और आपके स्टॉफ का खर्चा सारा मिलाकर दो लाख रुपये का बड़ी बेरहमी के साथ दुरुपयोग किया गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी जबकि वहां पर उपाधि लेने के लिए जो लोग गए उनकी संख्या नगण्य थी, उनका कोई फोटो दीक्षांत समारोह का किसी अखबार में नहीं आया । रिपोर्ट किसी अखबार में नहीं आई । यदि इस तरह से दीक्षांत समारोह किए गए तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो पब्लिक एक्सचेकर से जनता देती है, उसका यदि कहीं पर दुरुपयोग होता है तो जन प्रतिनिधियों का खून खौलना स्वाभाविक है और उसके लिए उनसे हर चौराहे पर जवाब तलब करना चाहिए–वह सरकार से, विश्वविद्यालय से और प्रशासनिक अधिकारियों से हो सकता है ।

(म० प० 3.42)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि विश्वविद्यालयों में एक तरफ दलबंदी पैदा की है, एक तरफ लोगों को विक्टीमाइज किया जा रहा है और संपूर्ण विश्वविद्यालय के वातावरण को आतंकित किया जा रहा है । मैं दृढ़ता से इस बात को कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डाक्टर पी० एस० लाम्बा ने इस मामले में सबसे बड़ी पहल की है कि अध्यापकों में किस प्रकार गुटबंदी हो, किस प्रकार उनके दो दल स्थापित किए जायें, विद्यार्थियों में किस प्रकार दलबंदी कायम की जाए, इसके लिए उन्होंने जीतोड़ प्रयत्न किया है और इसके लिए उन्होंने धन का दुरुपयोग भी किया है । डॉ० बी० के० श्रीवास्तव का निलंबन और कहते हैं कि नाग कमेटी की रिपोर्ट के बाद, जब राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष श्री एस०एन०कक्कड़ का जो इसके लिए कमीशन नियुक्त किया गया, उनकी रिपोर्ट आने के बाद जब उन्होंने कह दिया कि डॉ० श्रीवास्तव के खिलाफ ऐसा कोई चार्ज नहीं बनता है, केवल इस बात के लिए उनको आगाह किया जाए कि भविष्य में सतर्क रहें। उसके बाद उस रिपोर्ट को सदस्यों में प्रसारित न करके केवल कुछ अंशों को लेकर, जैसे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीच में पूछ लिया कि उनका निलम्बन वाइस चांसलर ने किया या एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी से वाइस चांसलर ने स्वीकृति प्राप्त की जानबूझकर और मैं कहता हूं यदि स्वीकृति प्राप्त करली, उन्हें निलंबित कर दिया गया तो फिर उन्हें चार्जशीट क्यों नहीं दिया जा रहा है ? इस बारे में विलंब क्यों हो रहा है? लेकिन चार्जशीट देने का उसमें कोई आधार नहीं है ।

डॉक्टर के० एल० कोठारी के बारे में विस्तार से बताया गया है । डॉ० कोठारी को इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्पेशल एडवरटाइजमेंट के जरिए प्लांट पैथोलोजिस्ट मेज नियुक्त किया गया और उसी साक्षात्कार में डॉ०बाबूलाल सरघाना को भी बुलवाया गया लेकिन उसको उसमें योग्य नहीं

(श्री मनोहर कोठारी)

पाया गया, उनका चयन नहीं हुआ। उनके चयन के बाद में पी० एल० 480 के अंतर्गत एक दूसरे पद प्लॉट पैथोलोजिस्ट कुकरबिट पर चयन किया है। डॉ०कोठारी का अनावश्यक रूप से जलील और परेशान करने के लिए मेज स्कीम से हटाकर कुकरबिट में लगाया और ज्योंही वाइस चांसलर ने ट्रांसफर के आदेश दिए डॉ० के० एल० कोठारी कोर्ट में गए लेकिन सभापतिजी उदयपुर में जितनी कोर्ट्स हैं उनमें खास तौर से मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स करीब सभी विश्वविद्यालयों में पार्ट टाइम लैक्चरर्स का काम करते हैं। स्वाभाविक था उनका परपीचुएल इंजक्शन का दावा पेश होने पर टेम्परेरी इंजेक्शन का नोटिस वाइस चांसलर का भेजा गया। वाइस चांसलर जैसे रुतबे के आदमी के लिए स्वाभाविक था कि यदि उन्होंने ट्रांसफर के आदेश दे दिए हैं और जबकि मामला सबजुडिस हो गया है, नोटिस आता है उस नोटिस के बाद कम से कम कोर्ट के सामने अपनी समस्या रखने के बाद में दरख्वास्त का फैसला होने देते लेकिन किया यह गया कि डॉ० बाबूलाल सरधाना को डॉ० कोठारी की अनुपस्थिति में चार्ज दिलवाया गया, केवल नाम से, कागजों में चार्ज दिलवाया गया। टेम्परेरी इंजक्शन की दरख्वास्त इस बिना पर खारिज हुई और जब वह मामला अपेलेट कोर्ट के सामने गया तो एपेलेट कोर्ट में खास तौर से इस मामले में अपने आब्जरवेशन्स दिए हैं, उन्होंने एक जगह कहा है :

"This being the position, the posts of Dr. Kothari and Sirdhana are not interchangeable, nor they were transferable, and the Vice Chancellor was therefore, not competent to transfer Dr. Kothari.

उसके बाद दूसरा आब्जरवेशन दिया है :

"In view of what I have stated above, the order passed by the Vice Chancellor does not appear to be correct in the eye of law."

"The appellant, therefore, has been able to establish that he was appointed on a special job and he cannot be transferred from this post to another."

लेकिन अंत में कहा जा सकता है कि कोर्ट में टेम्परेरी इंजक्शन के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी वह खारिज कर दी लेकिन उसकी लीगल पोजीशन सभापति जी, इस सदन में कई माननीय सदस्य लीडिंग वकील हैं वे जानते हैं कि टेम्परेरी इंजेक्शन में जब तक उसका एक्शन न हो जाय तब तक उसको रोका जाता है लेकिन क्योंकि वहां जानबूझकर कागजों में उनको टेकोवर करवाया गया, इस आधार पर डॉ० कोठारी को कोई रिलीफ कोर्ट नहीं दे सकी। अंत में उन्होंने कहा है :

"In the result the appeal is without substance as the relief prayed for cannot be granted at this stage and is hereby dismissed with no order as to costs."

"The next question is whether the appellant can be granted the relief prayed for. The appellant has prayed that the order may be kept in abeyance and in case the respondent No. 5 has already taken over the charge, the mandatory injunction be issued to the respondent No. 1 to restore him to the original position. The record of the case shows that on

Page No 100

(100)

(श्री मनोहर काठारी)
May 31, 1973, before the order of the Court Dr. Sirdhana has taken over the charge of the post on May 31, 1973."

कोर्ट का आॅर्डर 1973 का है । नोटिस 31 मई 1973 में उनको मिलता है और उसमें कहा गया है कि बिफोर दी आॅर्डर वाज हैंडेड ओवर उन्होंने मई 31, 1973 को उससे पहले ही उन्होंने चार्ज ले लिया । तो जब नोटिस पहुंचता है, उससे 10 मिनट, आधा घंटा पहले का टाइम डालकर कागजों में इस बात की पूर्ति दिखाई है तो मैं कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के स्टेटस के व्यक्ति के लिए और शिक्षा जगत में जो इतने जिम्मेदार पद पर हों, उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो ऐसे महत्वपूर्ण काम में खास तौर से रिसर्च में लगे हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके साथ अन्याय करके उन्हें विक्टीमाइज नहीं करना चाहिए लेकिन यह किया गया है । यही नहीं सभापति महोदय यहां तक कि उदयपुर युनिवर्सिटी के छोटे से छोटे स्टाॅफ के लोगों को भी आंतकित किया गया है और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिये इन वाइस चान्सलर महोदय ने तारीख 5-3-74 को एक स्पेशियल आॅर्डर निकाल कर वहां के कमचारियों को एड हाॅक प्रोमोशन्स दिये गये हैं । उनकी सीनियोरिटी को मार कर उन्हें टेम्परेरीली आगे बढ़ाया है । एल० डी० सीज० को यू० डी० सीज० बनाया गया है । करीब 17 एल० डी० सीज० को यू०डी०सीज०बनाया गया है इसके लिये सभापति महोदय तीन व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में रिटें भी इन आदेशों के खिलाफ की हैं । जिसमें पहला तो है एस० आर० कोठारी, दूसरा है पी० सी० जैन और तीसरा है गुलाम मोहम्मद खान इन लोगों को स्टे भी मिल गया है और इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने कि रिटें दायर की हैं या करने वाले हैं जिन्हें कि अभी तक स्टे मिला नहीं है । सभापति महोदय यह जो प्रोमोशन्स रेग्यूलर वे में होने चाहिये थे । वह नहीं हो सके । और टेम्परेरीली एडहाॅक प्रोमोशन्स किये गये हैं । वहां के लोगों को विक्टेमाइज किया जा रहा है । सभापति महोदय, एक वाइस चान्सलर की केटेगरी का व्यक्ति अगर इस तरह के कार्य करता है तो वह उसके लिये शोभनीय नहीं है ।

सभापति महोदय, इन वाइस चान्सलर महोदय के बारे में सदन में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने उन पर आरोप लगाये कि इनके खिलाफ में मध्य प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । सभापति महोदय, इन्होंने कई गड़बडियां वहां पर की हैं और उन पर राज्य सरकार द्वारा गम्भीर आरोप होने के कारण उनके खिलाफ में पुलिस इन्क्वायरी भी कराई गई । सभापति महोदय, हमारे यहां पर अगर हम एक छोटे से कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तो उसकी कोनफीडेंशियल इन्क्वायरी पुलिस के मारफत कराते हैं उससे कहा जाता है कि आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति का सर्टिफिकेट लाइये उससे आचरण का सर्टिफिकेट मांगा जाता है लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट के लिये नियुक्ति करने के लिये पहले राज्य सरकार ने इनके चरित्र के बारे में इनकी पोस्ट लाइफ के बारे में कोई जांच नहीं की । क्या राज्य सरकार ने यह भी पता नहीं लगाया कि इस व्यक्ति का आचरण कैसा है और

(श्री मनोहर कोठारी)
जिस व्यक्ति के खिलाफ में इतने भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हों और आप उन्हें लाकर विश्वविद्यालय का वाइस चान्सलर बनादें इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थित एक युनिवर्सिटी की क्या हो सकती है। सभापति महोदय इन वाइस चान्सलर महोदय के बारे में मैंने और कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी माननीय अध्यक्ष के समक्ष रखा तो उन्होंने यह फरमाया कि आप जब यह विल्स आवें तो आप इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट कर दें। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन महाशय पर जिस तरह के गम्भीर आरोप लगाये उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने इनके खिलाफ में काफी दोष पाये और मध्य प्रदेश सरकार की विजीलेन्स कमीशन ने तो यह सिफारिश खास तौर से की कि इनको इन्डियन पीनल कोड की धारा 409, 420, 120 बी तथा 477 ए जैसे केसेज के अन्तर्गत उनका प्रोसीक्यूशन करने की रिकमन्डेशन्स की। और इसके अलावा मध्य प्रदेश विधान सभा में इस प्रश्न को लेकर काफी वहां की विधान सभा को गुन्जाया गया।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : आॅन ए पाइन्ट आॅफ आॅर्डर सर।

श्री सभापति : आपका पोईन्ट आफ आर्डर क्या है? फरमाईये।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : सभापति महोदय, मेरा पोईन्ट आफ आर्डर यह है कि इन्हीं वाइस चान्सलर साहब के बारे में एक प्रश्न के दौरान जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाये थे तथा वाइस चान्सलर के करेक्टर पर कुछ रिफलेक्शन डालने का प्रयत्न किया मैंने उस वक्त पोईन्ट आफ आर्डर उठाया था तो उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चेयर पर आसीन थे उन्होंने यहां पर व्यवस्था दी थी कि किसी भी स्ट्रेन्जर को ए मेन इन आथोरिटी के खिलाफ में तब तक नहीं बोलना चाहिये जब तक कि उसकी लिखित में पूर्व सूचना माननीय अध्यक्ष को या शिक्षा मंत्रीजी को नहीं दी गई हो। आप उसके आचरण के संबंध में कुछ भी विवेचन नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दी कि माननीय सदस्य किसी भी ऐसे हाई अथोरिटी के व्यक्ति के बारे में विवेचन न करें, उसके संबंध में गम्भीर आरोप न लगायें, उसके आचरण से संबंधित कोई बात नहीं कही जानी चाहिये। यह तो मेरी पहली बात हुई दूसरी बात जो यह है कि आॅन ए पोईन्ट आफ आर्डर की अभी माननीय सदस्य ने उन्हीं वाइस चान्सलर के बारे में वापिस मुद्दे उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ भी हुआ हो उसको आपको पहले नोटिस देना चाहिये था। इसके अलावा रूल्स आफ प्रोसीजर 272 को रैफर करता हूं

"272. Rules to be observed while speaking.—A member while speaking shall not—

(i) refer to any matter of fact on which judicial decision is pending;

(ii) make a personal charge against a member;

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of the

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

Assembly, Parliament or any State Legislature;

(iv) reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it;

(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;

Explanation:—The words 'persons in high authority' mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn in trems to be approved by him;"

तो मेरी आपत्ति यह है कि रूल आफ प्रोसीजर में जो 272 और 273 रूल हैं उसके अन्तर्गत उपाध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी थी वह तो 273 रूल के तहत दे दी अब रहा रूल 272 उसमें यह है कि एक माननीय सदस्य को किस तरह बोलना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह आपत्ति तो माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को उठानी चाहिये थी कि यह जो डिबेट चल रही थी वह रिलेवेन्सी आफ डिबेट है या नहीं। यह जो बहस चल रही है वह सिर्फ उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर ही चल रही है। माननीय सदस्य इर्रेलेवेन्ट बोल रहे थे और इर्रेलेवेन्ट बोलने के लिये, सभापति महोदय, आसन को अनुमति नहीं देनी चाहिये। दूसरे रूल्स मैंने साइट किये हैं उसके आधार पर इजाजत नहीं देनी चाहिये।

तीसरा, उपाध्यक्ष महोदय ने मेरी आपत्ति को स्वीकार करते हुए माननीय सदस्य को डिबार किया है। इन तीनों प्रश्नों पर डिबेट रिलेवेन्ट नहीं है। दोनों रूल्स मैंने साइट किये हैं किसी परसन इन हायर अथोरिटी के खिलाफ कोई उनके आचरण से सम्बन्धित प्रश्न यहां इस सदन के प्रांगण पर नहीं उठाया जा सकता यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह : मैंने तो प्रारम्भ में ही जब जोधपुर युनिवर्सिटी का बिल रखा था उस वक्त मैं निवेदन कर दिया था कि डिबेट इस प्रारूप में होना चाहिये और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन किया था उस सीमित दायरे में ही बोलने का प्रयास करें।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है वह रिलेवेन्ट है और उस परिधि में ही सीमित रहें तो उपयुक्त होगा।

श्री लूणाराम : इस बिल पर न बोल कर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री मनोहर कोठारी: सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये पेश किया है और उसकी आवश्यकता क्यों जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये, इस बात को साबित करने के लिये ही मैं अपनी बहस में, वे सारे मुद्दे उठा रहा था। मुझे उसका अधिकार है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने मैंने इस आशय की लिखित में सूचना दे दी और उनसे आप जानकारी कर लीजिये। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं अपनी सारी बात कह सकूं। इस बात के निर्णय के लिये अध्यक्ष महोदय से स्वयम् से उनके चेम्बर में जानकारी प्राप्त कर लीजिये या वे यहां पधार जायें तो वे अपना रूलिंग दे देंगे।

श्री खेत सिंह : अध्यक्ष महोदय ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया था कि मैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है उस पर तैयार होकर आऊं। अमेन्डमेन्ट बिल ला रहा हूं तो उन सारे मुद्दों पर मैं जवाब दूंगा ऐसा आदेश उनका है।

श्री सभापति : उदयपुर विश्वविद्यालय बिल पर जो डिस्कशन हो रहा है उसके स्कोप के अन्दर ही डिबेट इनिशियेट करें। करेक्टर असेसिनेशन किसी व्यक्ति का तब ही किया जा सकता है जब कि कोई स्पेशल मोशन हो या कोई कट मोशन हो। यह इस डिबेट के स्कोप में नहीं आता है इसलिये माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे अपनी बहस को जारी रखें और इसकी रिलेवेन्सी में ही बोलें।

श्री मनोहर कोठारी : सभापति महोदय, मैंने रेफरेन्स के तौर पर एक रिलेवेन्ट बात कही है। अखबारों में प्रचार हुआ और मध्य प्रदेश की विधान सभा में चर्चा हुई है और वह व्यक्ति यहां वाइस चान्सलर के पद पर बैठा हो तो उसकी जानकारी राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय से करना अनिवार्य हो जाता है। एक प्रस्ताव भी आपके पास भेजा गया और उसकी जानकारी आपको है। कम से कम उस दृष्टि से भी विचार करने की आवश्यकता अवश्य है। क्योंकि यह संशोधन बिल भी खास तौर से वाइस चान्सलर से सम्बन्धित है कि उनकी अनुपस्थिति में कौन वाइस चान्सलर बने। उसी प्रश्न को लेकर यह संशोधन प्रस्तुत किया है। वाइस चान्सलर के बारे में जो बात कहने की है उस पर कहने का हमारा अधिकार सुरक्षित है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खास तौर से इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है और खास कर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने। राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालय में केवल उदयपुर विश्वविद्यालय ही ऐसा विश्वविद्यालय है जो कृषि शिक्षा से सम्बन्धित एक मात्र विश्वविद्यालय है और उसकी व्यवस्था और विकास के लिये काफी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका यह विश्वविद्यालय अदा कर सकता है और राज्य सरकार उस दृष्टि से उस सन्दर्भ में सोचना भी चाहती है कि उन मामलों में कोई गड़बड़ी न हो।

वहां पर रिसर्च करने वाले अधिकारी हैं उनको विक्टीमाइज किया जा रहा है। उनका स्थानान्तरण किया जा रहा है। उनको गलत जगहों पर लगाया जा रहा है।

(श्री मनोहर कोठारी)

और तो और, माननीय सभापति महोदय, वल्लभ नगर का फार्म है । काफी पैसा खर्च करने के बाद उदयपुर विश्वविद्यालय ने उसको डवलप किया । अमेरिका की एक्सपर्ट टीम ने आकर उस फार्म को देखा । उसके बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी की और राय दी पान जैसे अमेरिकी अखबार ने सचित्र इसका विवरण प्रकाशित किया । इस कृषि फार्म के ताला लगा कर बन्द कर दिया गया है और वाइस चान्सलर यह कहते हैं कि इस फार्म की जरूरत नहीं है । यहां घास पैदा किया जायगा ।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में किसी आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा कृषि का फार्म खास तौर से बनाया गया, मेवाड़ की जैसी भूमि में कृषि की उन्नति कैसे हो सके उस बारे में यह फार्म बनाया गया । उस फार्म को बन्द कर दिया जाय और ताला लगा दिया जाय यह कोई सुनियोजित षडयन्त्रमयी कोई योजना है और जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनकी बातों से यह भ्रम सा लगता है कि शायद उदयपुर विश्वविद्यालय को वहां से हटाने की दूरगामी कोई योजना भी हो सकती है ।

यह तो ठीक है कि आप इसको रेजिडेन्शियल विश्वविद्यालय रखिये । विश्वविद्यालय के स्वरूप को आप बदल दीजिये । उदयपुर विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय इनमें जितने ज्यादा भयंकर उत्पात होते हैं यह इनके रेजिडेन्शियल करेक्टर के कारण ही हैं, इनसे न तो लोकल लोगों को कोई लाभ होता है और यदि भीलवाड़ा, चित्तौड़ के विद्यार्थी उदयपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जायं तो उनको एडमिशन नहीं मिल सकता है । 5 मार्क्स उनको कम दिये जाते हैं क्योंकि वे दूसरे विश्वविद्यालय से आते हैं । राजस्थान के रहने वाले विद्यार्थी को उदयपुर विश्वविद्यालय 5 मार्क्स कम देता है और द्वितीय श्रेणी के मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्र को, ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद भी उसको वहां पर प्रवेश न मिले इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती है ।

मैं कहना चाहता हूं और खास तौर से मंत्री महोदय का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । सन् 1947 में मेवाड़ का कोन्टिट्यूशन बना कर तत्कालीन महाराणा ने इस बात की घोषणा की थी कि मेवाड़ रियासत में विश्वविद्यालय बनाया जावेगा और उसका नाम प्रताप विश्वविद्यालय होगा । मैं चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय से कोई रीजनल संकट पैदा होता है तो उसका नाम बदल कर प्रताप विश्वविद्यालय कर दिया जाय । प्रताप मेवाड़ के ही नहीं वे हमारे देश और विश्व में एक महान् पुरूष हुए हैं । उनके नाम पर आप विश्वविद्यालय को स्थापित कर दीजिये । उस समय 1।। लाख रुपया देने की भी घोषणा की गई थी । उनके उत्तराधिकारी से उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, इन्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टट्यूट से दो करोड़ का अनुदान उदयपुर विश्वविद्यालय को मिला है ।

उस दो करोड़ के अनुदान में से विश्वविद्यालय ने केवल 1 करोड़ 20 लाख

(श्री मनोहर कोठारी)
रुपया लैप्स करवा दिया। जहां इस तरह की स्थिति हो वहां क्या किया जाय।

मुझे तो कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इन लाम्बा साहब के आने से पहले एस० पी० सिंह भंडारी साहब वाइस चान्सलर थे और सौभाग्य से वे आज हमारे एजूकेशन कमिश्नर हैं। उनके समय ये सब झगड़े कभी पैदा नहीं हुए। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जैसा व्यक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय के कैम्पस में रहकर जिसने उसको संवारा। आज उसका नाम सारे भारत के माने जाने वाले चार विश्वविद्यालयों में आता है। उस श्रेणी के व्यक्ति को लाकर यहां भी रखना चाहिये था।

माननीय सभापति जी, आज उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है लोगों के चयन के लिये उसमें आधे से अधिक व्यक्ति केवल एक छोटे से प्रदेश के लिये गये। चालीस में से तीस एक्सपर्ट केवल एक हरियाणा-जालन्धर के ले लिये गये। और तो और जोग्राफी के लिये इन्टरव्यू हुए। इसमें चयन के लिये जिस व्यक्ति को एक्सपर्ट के बतौर वाइस चान्सलर बिठाता है वह व्यक्ति ऐसा कि जिसने कभी जिन्दगी में जोग्राफी के या किसी भी विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन छात्रों की क्लास तक नहीं ली। जब एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने यह प्रश्न आया तो हमारे बुजुर्ग सदस्य डॉ० शंकर सहाय सक्सेना ने जो उसे अच्छी तरह से जानते थे कहा कि यह कैसा एक्सपर्ट। यह इसमें कैसे बैठ सकता है। और इस तरह से उसे रोका गया। यह स्थिति है वहां की।

तो माननीय सभापति जी, मैं चाहता हूं कि इसकी स्थिति खराब है, व्यवस्था में भीषण अनियमितताएं और गड़बड़ियां हैं, एक स्वर से सभी माननीय सदस्य इस बारे में कह रहे हैं। तो इन सभी माननीय सदस्यों के उद्गारों को सुनने के बाद भी शिक्षा मन्त्री यह सोचें कि सैक्शन 8 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करके बचा जाय क्योंकि यह ओटोनोमस बाडी है तो यह अत्यन्त खेदजनक बात होगी। सैक्शन आठ में स्पष्ट उल्लेख है:–

"Visitation.—The State Government may cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment of any institutions maintained by the University and to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any other matter connected with the administration and finances of the University."

तो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेन्स के सम्बन्धित जो भी मसले हों उनके हित में राज्य सरकार जांच करवा सकती है, जानकारी हासिल कर सकती है, एक्शन भी ले सकती है। अब इतने बड़े एलीगेशन के बाद भी अगर सरकार अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती तो मैं यही कहूंगा कि राज्य सरकार की यह उदासीनता खतरनाक है। सरकार की नेकनीयती में अविश्वास पैदा होगा और यही समझा जावेगा कि सरकार जान बूझकर इस तरह की अव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है।

शिक्षा मन्त्री जी साहसी व्यक्ति हैं। उनके स्वतन्त्र विचार हैं। मैं उनकी उस साहसिकता की वृत्ति को एक बार फिर

(श्री मनोहर कोठारी)
इंकृत करना चाहता हूं कि वे अपने स्वतन्त्र विचारों के आधार पर ही इस विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की सैक्शन 8 के अन्तर्गत जांच करवाकर जानकारी प्राप्त करें। सदन की जानकारी पर भी निर्भर न रहें। इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी स्वतः ही उनके सामने।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, यह मेरी शक्ति से बाहर का विषय अवश्य है फिर भी चूंकि मेरा नाम बोलने वालों की श्रेणी में रख दिया गया इसलिये मैं संक्षेप में इस बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा।

मेरी मान्यता है कि शिक्षा को राजनीति से बिलकुल अलग रखा जाय। आज आप जिस तरह से इसको राजनीति के अखाड़े में घसीटना चाहते हैं उस पर से मैं नहीं जानता आप किसका कल्याण करेंगे, अपना करेंगे या देश का या देश के विद्यार्थियों का।

हमने एक संविधान दिया ओटोनामी का। इसका अपना क्षेत्र है, स्फीयर है। इस पर भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो सदन में डिसकस हुए हैं हालांकि वहां सीनेट है, सिंडीकेट है, वाइस चान्सलर सबसे ऊपर है। हम पैसा देते हैं इसलिये असेम्बली भी आती है। आपने दफा आठ पढ़ी वह वाइस चान्सलर की है।

श्री मनोहर कोठारी : गवर्नमेन्ट की है। आप देख लीजिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : होगी। वैसे भी जनता का सबसे बड़ा कोर्ट यह है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अब इस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, मेरी जानकारी नहीं है, पर जिनको जानकारी है उनसे सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय अपनी जगह; राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी जगह है, जोधपुर का अलग है, उदयपुर का अलग है, और मसूदा राव साहब अजमेर विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे थे आज के शिक्षा मन्त्रीजी शायद बिलाड़ा का विश्वविद्यालय . .

एक माननीय सदस्य : बिलाड़ा नहीं, शेरगढ़

श्री यशवन्त सिंह नाहर : तो वे शेरगढ़ का विश्वविद्यालय बनाना चाहें तो इस तरह से ये अनेकानेक विश्वविद्यालय खुलते जावेंगे और उनकी कीमत हम यहां बैठे बैठे चुकाते जावेंगे। एम० ए० पास किया तो कह देते हैं नौकरी तब मिलेगी जब बी० एड० कर लोगे, तो एम० ए० की कोई वकत नहीं। मैडिकल में जाओ तो इन विश्वविद्यालयों की सनदों की वकत नहीं, वहां फिर से इम्तिहान होंगे, इन्जीनियरिंग में जाना चाहो तो वे इन सर्टीफिकेटों को मानने से इन्कार कर देते हैं। वहां नया इम्तिहान दो और भर्ती होओ। अब ये युनिवर्सिटियां हैं या बला हैं? क्या हैं ये? क्या कीमत है इनके सर्टीफिकेटों की, डिग्रियों की। न डिग्री की कीमत है, न इनकी कीमत है। जनता की गाढी कमाई का पैसा खाने की कीमत है इनकी। अब

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

फतवा दे दिया गया कि इनके प्रबन्ध में टीचरों का और विद्यार्थियों का हिस्सा होगा। आज इनको भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। यह स्थिति दुखदायी है।

उदयपुर विश्वविद्यालय में पचासों खामियां होंगी। उनको निकालने की जिम्मेदारी वाइस चांसलर की है। सीनेट है, सिण्डीकेट भी है वहां। उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद सीमित मात्रा में धारा 8 में राजस्थान सरकार को अधिकार है। इसको भी हम आप जानते हैं।

पर आज जो देश में शिक्षा की हालत हो रही है बहुत बुरी है। आमूलचूल परिवर्तन आप करना चाहते हैं। इससे कम के लिये राजी नहीं होता कोई। शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं छोटा मोटा नहीं, आमूलचूल। वह आमूलचूल क्या और कैसा? इसको मूल से तो उखाड़ देना और चूलों से ढीली कर देना। वह आपने आज कर दिया है। अब मेरे जैसा आदमी शिक्षा के बारे में यही निवेदन कर सकता है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का, मानव का सभी तरह का विकास सम्भव हो। वह शिक्षा होनी चाहिये। राजनीति का अखाड़ा नहीं बने शिक्षा का क्षेत्र। अब विश्वविद्यालयों में अध्यापक, प्राध्यापक और न जाने क्या क्या नाम हैं उनके वे तै करें यह सब। या फिर हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। वह देश के लिये हितकर होगा या नहीं, नहीं कहा जा सकता। संसदीय लोकतन्त्र देश में जिन्दा रहेगा या नहीं, यह भी संशयात्मक है।

गुजरात में हमने इनके दर्शन किये हैं। इन विश्वविद्यालयों से निकले हुए बालकों ने एक एक विधायक से स्तीफा दिलवाया। विषयान्तर मैं नहीं हो रहा हूं। आज अराजकता इस शिक्षा में से जन्म ले रही है। आज हम असेम्बली में बैठकर नीति और नियम निर्धारित करते हैं और उनके आधार पर राजतन्त्र चला रहे हैं। लेकिन जिस दिन यह राजनीति इन विधान सभाओं से निकल कर सड़कों और गली-कूचों में चली जावेगी तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा इस जनतान्त्रिक प्रणाली को बचाने का। देश का विद्यार्थी विद्रोह कर उठेगा। तारों और हिंसा का नाच होगा। उस समय संसदीय लोकतन्त्र यहां से कूच कर जावेगा और उसकी जगह या तो शिवाजी महाराजा की राजनीति का नम्बर आजावेगा या नाथद्वारा वालों ने जैसा कहा महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया जावे तो उस रूप में सामन्ती राजनीति आ जावेगी। मैं व्यक्तिगत शौर्य के प्रतीक को इससे नहीं जोड़ा जावे, पर जब देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो सामंत वाद इस रूप में भी आ सकता है। या फिर साम्यवाद आवेगा या एक पार्टी सरकार आवेगी।

इसलिये मैं इन सब बातों को तो दोहराना नहीं चाहता। खलीते कई जोधपुर, उदयपुर विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं के बारे में मेरे पास भी बहुत से आये। किसी टीचर को कहां अपोइन्ट करना है, कहां नहीं करना था। इनमें सच्चाई भी हो सकती है। अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के आधार पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब इनके आधार पर हम उखाड़ पछाड़ कर दें फिर तो और बात हो जावेगी। इस असेम्बली को म्यूनिसिपल बोर्ड मत बनाइये। उस स्थिति में तो मैं यह चाहूंगा कि हम सर्वसत्ता सम्पन्न हैं अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी सीमाओं में। संविधान

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

में दी हुई इसकी सीमाएं हैं। इस बारे में एलीवेशन का एक फिका याद आ जाता है हम सर्वसत्ता सम्पन्न हैं अगर आमूलचूल परिवर्तन ही करना है तो आप ऐसा करिये।

हमारे यहां नालन्दा, विश्वविद्यालय था। उस विश्व विद्यालय में राजा और रंक दोनों समान रूप से शिक्षा पाते थे। उस में एक कुलपति होता था। वह सर्वेसर्वा होता था। सब राजा रंक कुलपति के आसपास बैठते थे, उनसे जीवित सम्पर्क होता था। उसमें न राजनीति थी और न कोई दूसरी भेदनीति आदि ही वहां थी। निश्छल व्यवहार होता था। अपने कर्तव्य और शिक्षा के प्रति वे डीवोटेड होते थे डेडीकेटेड होते थे। कुलपति का आदेश ही वहां सर्वेसर्वा था। और उस कुलपति का आदेश शिक्षा के हित से ओतप्रोत होता था।

अब मैं अधिक नहीं कहना चाहता। पैसा हमने दिया है इसलिये इसका सदुपयोग हो इसकी देखभाल हमें अवश्य करनी चाहिये। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि असेम्बली के दो प्रतिनिधि सीनेट और सिंडीकेट में हों। यहीं तक हम सीमित रहें। बाकी शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा न बनावें। तभी देश का भला हो सकेगा। बालक शिक्षा के प्रति डेडीकेटेड रहें तभी देश का नवनिर्माण हो सकेगा। इसलिये मेरी मान्यता है कि हमें अनावश्यक दखलन्दाजी से बचना चाहिये। और मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक क्या 14 यूनिवर्सिटीज बनाई जाय। मैंने एक बात और सुनी अजमेर का जो माध्यमिक बोर्ड है उसके अन्तर्गत कुछ आटोनोमस स्कूल बन गये हैं। अब पता नहीं वे क्या हैं? आटोनोमस स्कूल हैं, आटोनोमस कालेज हो जायेंगे और फिर आटोनोमस यूनिवर्सिटीज हो जायेगी। जोधपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास, सेकिन्ड क्लास, थर्ड क्लास कोई आता ही नहीं फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई विद्यार्थी भरती ही नहीं होगा। फेकल्टी वाइज यूनिवर्सिटी रखे - राजस्थान में, नहीं तो होच-पोच की कोई कीमत नहीं होगी। एम०ए० का पास करने वाला विद्यार्थी लेक्चरार की बात करता है। वह क्या शिक्षा दे पायेगा। यह शिक्षा का विषय एम०ए० पास होते ही आपकी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हो जाय। कोई उसको रोकने वाला नहीं है अगर फर्स्ट क्लास है। स्कूलों के लिये बी०-एड० और बच्चों के लिये एस०टी०सी० होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो भूले भटके मुझे भी सिफारिश करने का मौका मिला तो एक अधिकारी महोदय ने देखा यह टीचर बनने के काबिल है तो इस तरह देश का विद्यार्थी अपना सब कुछ खो देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है फैक्ल्टी वाइज यूनिवर्सिटी बनाइये। उसकी आटोनोमी को कायम रखिये। यह गलत बात है, हमें दखल नहीं देना चाहिये। दखल देते हैं तो राजनीति को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, यूनिवर्सिटी राजनीति का अखाड़ा बनती है उससे बचकर भावी कल्याणकारी कार्य में लग जांय, यही मेरा निवेदन है।

कार्य सलाहकार समिति के सतरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन और उस पर सहमति

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सतरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं - प्रतिवेदन इस प्रकार है –– कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9 अप्रेल, 1974 को मध्याह्नोत्तर 3.00 बजे हुई। समिति सोल-

(श्री खेतसिंह)
हवें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुये सिफारिश करती है कि दिनांक 10 एवं 11 अप्रेल, 1974 को लिये जाने वाले कार्य का बटवारा इस प्रकार किया जाय :—

बुधवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1974	मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार एवं पारण।
गुरुवार दिनांक 11 अप्रेल, 1974	(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1974।
	(2) वर्ष 1969-70 के लिये अतिरेक मांगों तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक।
	(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107, 108, 109 एवं 478 से सम्बन्धित शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण।

श्री सभापति : प्रतिवेदन पेश हुआ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यसलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं, मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1974 पर जो माननीय सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहते हैं वे कल प्रात: 9.00 बजे तक पेश कर सकते हैं।

श्री निरंजन नाथजी आचार्य।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 पर अग्रेतर विचार एवं पारण

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : माननीय सभापति महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ प्रकाश युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में डाला है और उन्होंने हमारी इस डिवेट को भी रेगुलेट किया है कि हमारी डिवेट किस स्कोप में होनी चाहिये और किस स्कोप में नहीं होनी चाहिये। माननीय सभापति जी, अमेन्डमेंट हमारा इस प्रकार है :—

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice Chancellor occurs by reason of leave, illness, or otherwise, the Vice Chancellor or the Registrar shall forthwith report the same to the Chancellor or who shall make such arrangement for carrying on the office of the Vice Chancellor as he may deems fit."

हमारा स्कोप आफ दी डिबेट सिर्फ इस क्लाज इलेविन पर है। क्लाज 11 पर डबल रूप से चलाया जाय—जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, या सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय और माननीय सभापतिजी-the debate should be within the secope of the amendment.

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह हमारे रूल्स के अन्तर्गत है लेकिन उसके विपरीत ऐसा लगा जैसे यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गई है और सारी रिपोर्ट पर यह सदन विचार कर रहा हो और विचार-विनिमय भी एक एक अलग अलग स्थितियों पर और उन स्थितियों पर प्राध्यापक का अपाइन्टमेंट आ जाय, फेवरटिज्म आ जाय और जितनी विकृतियां हैं। विश्वविद्यालय में तथाकथित विकृति जो कही गई हों उन पर विवेचन हो तो मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या क्लाज 11 के अन्तर्गत जो विवाद हुआ है उसका उत्तर देंगे या जितने विश्वविद्यालय सम्बन्धी जो अन-एक्सपेक्टेड हैं, अनावश्यक रूप से आई हैं, उनका। मेरा विश्वास है आप उत्तर देने की स्थिति में नहीं है इसलिये जैसा बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न पर विचार करने की, इस प्रागंण पर विश्वविद्यालय की आटोनोमी, जिस विश्वविद्यालय के प्रति हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान होना चाहिये उसका शीशा लेकर इस प्रागंण पर किया। आटोनोमी की मान्यताओं के विपरीत, रूल्स के विपरीत, ऐसी मान्यताओं की डिबेट को मैं एक बार यह मानता हूं जितनी स्थितियां यहां उत्पन्न की गई हैं, जितने जजमेंट रखे गये हैं, अलग अलग स्थितियां रखी गई हैं, वह इस स्कोप के अन्तर्गत नहीं आती और न इसका उत्तर दिया जा सकता है।

मैं, माननीय सभापतिजी, यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे सदन की ओर से दो माननीय सदस्य यूनिवर्सिटीज में रिप्रजेन्ट करते हैं और इस उदयपुर युनिवर्सिटी में भी मेरा विश्वास है दो माननीय सदस्य यहां से एक्जीक्युटिव कमेटी में हैं......

श्री खेतसिंह : जी हैं। श्री पूनम चन्दजी बिश्नोई और श्रीमती प्रभा मिश्रा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ......और युनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव बोडी हाइएस्ट बोडी होती है और फिर दोनों प्रतिभा सम्पन्न, शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत ऊंचे समझने वाले वहां रिप्रैजेन्ट करें और इस सम्बन्ध में उदयपुर के युनिवर्सिटी के विषय पर यहां चर्चा हो। मेरा जहां तक विश्वास है उदयपुर युनिवर्सिटी की विकृतियां, आकृतियां, स्थितियां और स्तुतियों पर इस सदन में प्रकाश देने वाले, इस सदन को अवगत कराने वाले दो माननीय सदस्य और मुझे माननीय पूनमचन्दजी से यह आशा थी कि वे बराबर लगन से और निष्ठा से एक्जीक्युटिव कमेटी के मेम्बर होने के नाते जो युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यहां पैदा किये गये हैं, वे निराकरण कर दें।

मैं, सभापति महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम यहां यूनिवर्सिटी की आलोचना कर दें और आलोचना का प्रचार और प्रसार हो और उनका कोई निराकरण न हो और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस स्थिति में नहीं हैं कि निराकरण कर सकें। इस पहलू पर, इस विषय पर माननीय बिश्नोई जी इसके योग्य भी हैं, विशिष्ट भी हैं, डे टू डे कार्यवाही को समझते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा। मैं चूंकि इस द्वन्द में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी की पैरवी नहीं करना चाहता। न वाइस चान्सलर की पैरवी करना चाहता हूं और न प्राध्यापकों की पैरवी करना चाहता हूं। प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स जो इस नगर में आये हुए हैं उनकी भी पैरवी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
मैं इस प्रांगण को इसके लिए उचित नहीं समझता हूं। मेरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटीज के सम्मान और प्रतिष्ठा को रखने के लिए नैतिक कर्त्तव्य है उन माननीय सदस्य का जो हमारे इस सदन के द्वारा वहां पर भेजे गये हैं और उनसे जो कुछ भी इस विषय पर प्रकाश मिलेगा मेरा विश्वास है वह सदन को ग्राह्य होगा। इस पर तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं लेकिन मेरा यह विश्वास है, सभापति महोदय, कि इसके पहले डॉक्टर महाजनी इस उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर थे। बड़ा ऊंचा एकेडेमिक कैरियर था, सम्मान था शिक्षा जगत में, लेकिन यदि हम देखें प्रशासन की दृष्टि से इस विश्वविद्यालय को उन्होंने नियंत्रण में लिया हो यह मैं नहीं मानता। मेरा भी उस नगर से सानिध्य है, मैं रहने वाला हूं, गतिविधियों को देखता हूं और जो विकृतियां उस समय थी सम्भवतः वह विकृतियां अब भी हैं। इसी तरह से मैं इन वाइस चान्सलर महोदय के संबंध में कोई पैरवी करने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि यदि हम इस सदन के प्रांगण को किसी भी विश्वविद्यालय की विकृतियों का विवेचन करने में इस्तेमाल नहीं करें तो हम शायद राष्ट्र का ज्यादा लाभ कर सकेंगे, ज्यादा हितकर होगा।

मैं जो सारे प्रश्न यहां पर उदयपुर विश्वविद्यालय के संबंध में उठाये गये हैं मेरा विश्वास है कि कोई भी वाइस चान्सलर, संविधान विश्वविद्यालय का होते हुए, ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। यहां प्राध्यापकों की नियुक्ति का, उनका डाउन ग्रेड करने का प्रश्न आया, और भी कई प्रश्न आये और यहां प्रश्न यह उपकुलपति के संबंध में आया है लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि अगर इन प्रश्नों पर ठीक तरह से विवेचन किया जाये, देखा जाये तो यह प्रश्न सभी के सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा लिये जाने होने चाहिए और मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य जिनके नाम का मैंने अभी जिक्र किया और जो पहले शिक्षा के मंत्री भी रहे हैं उनकी जानकारी में यह प्रश्न होना चाहिए और शिक्षा मंत्री जी यदि आप उसका उत्तर न दे सकें तो आप उनसे सहायता लीजिये। अगर विश्वविद्यालय के विपरीत भी जायें तब भी उनसे सहायता लीजिये, अनुकूल जायें तब भी उनसे सहायता लीजिये। इन शब्दों के साथ इस सारे सवाल को यहां समाप्त करता हूं और मैंने जो निवेदन किया है कि इसके निराकरण करने के दो ही साधन हैं वह दो माननीय सदस्य जो कि वहां के सदस्य हैं।

दूसरे मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह संशोधन आप ले आयें। आपने 14 मार्च को आखिर एक वक्तव्य दिया गंगानगर में आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा पद्धति में करने का। उस समय आप नये नये थे.....

श्री खेतसिंह : मैंने यह कहा था कि मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं कि आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में कर दिया जाये और न हमारी वित्तीय स्थिति है और न हम कर पायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, नहीं, बदलिये नहीं।

(112)

श्री खेतसिंह : हमने यही कहा था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने अखबारों में पढ़ा और परम्परा के आधार पर बचाव का सबसे बड़ा पहलू होता है वह यही होता है कि कहीं विद्यार्थियों में फंस जायें, प्रोफेसर्स में फंस जायें तो कोई तरीका नहीं होता । यही होता है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

(4.32 म० प०)

(सभापति, श्री फूलचन्द जैन पदासीन)

उस परम्परा के आधार पर आपने कहा लेकिन आपने नहीं कहा यह मान लें लेकिन कहना तो पड़ेगा न अब आपको । आप यह नहीं कह सकते कि हम इस पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं ।

श्री खेतसिंह : करना चाहते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और जब करना चाहते हैं तो शिक्षा मंत्री जी यह क्लाज 11 का संशोधन लाकर करना चाहते हैं आप ? यूनिवर्सिटी के यह दोनों एक्ट 12 साल पुराने हैं और राजस्थान यूनीवर्सिटी का एक्ट तो मेरा ख्याल है कि 25 साल पुराना हो गया है और 25 साल और 12 साल में तो गंगा का पानी बहुत बह गया है, समाज बदल गया है और समाज के साथ साथ विद्यार्थी और छात्र बदल गया, इनका तालमेल और समन्वय बदल गया और आपसे हम अपेक्षा करते थे··

श्री यशवन्तसिंह नाहर : और संविधान में 32 अमेन्डमेंटस आ गये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपसे अपेक्षा करते थे कि यह क्लाज साधारण सा जिसको नहीं लेने से भी काम चल सकता है, कोई महत्व नहीं इस क्लाज का- अपेक्षा यह थी कि आमूलचूल परिवर्तन के सन्दर्भ में आप सभी विश्वविद्यालय के कानून को देखते और कानून को देखने के बाद एक साथ आप संशोधन लाते । बदलते कानून को और उसके बाद आप यहां कहते कि मैं शिक्षा मंत्री जो शारीरिक दृष्टि से बड़ा सशक्त है, सुदृढ हूं और शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य दृष्टि से जो ज्यादा मजबूत होता है वह बुद्धि में भी मजबूत होता है, ऐसा कहा जाता है·····

श्री खेतसिंह : मेहरबानी आपकी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति में संशोधन लाकर विश्वविद्यालय के मसले को इस सदन के प्रांगण पर लाकर अच्छा प्रयास नहीं किया । इसलिये मैं तो यह चाहता हूं कि आप इस संशोधन को ले लें । इससे कोई अर्थ और कोई प्रयोजन नहीं है और पुनर्विचार करें, शिक्षा शास्त्रियों में बैठे, उनसे पूछें कि समाज बदल गया है या नहीं, उनसे पूछें कि छात्र बदला है या नहीं । अगर समाज बदल गया है तो शिक्षा पद्धति को बदलना आवश्यक है और आज का छात्र इस समाज के साथ चल नहीं सकता । आज का छात्र शिक्षा शास्त्रियों के साथ नहीं चल सकता । पद्धति को तोड़ना चाहता है, समाज को तोड़ना चाहता है और शिक्षा पद्धति को स्वयं बनाना चाहता है । अगर आप उसके लगाव और अभिरुचि को देखें तो आपको ऐसा लगेगा ।

मैं समझता था कि शिक्षा मंत्री जी अब आप सारे विश्वविद्यालय के संविधान को बदलना चाहते हैं और उसी में से कोई संशोधन ऐसा महत्वपूर्ण है, की-नोट है उससे सारे संविधान

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

पर एकदम प्रभाव पड़ेगा लेकिन यह तो वाइस-चान्सलर चला जाये तो चान्सलर किसी दूसरे को रख सकता है लेकिन यह तो ऐसा है हाथी की दुम का सुनते थे बहुत शोर और जब जाकर देखा तो हाथ भर की रस्सी लगी। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा गुजरात की चुनौती को आपने देखा और अब और आगे सुनते हैं आप ही कह दें अपनी जुबाने-मुबारक से तो आगे चलें, बिहार के प्रश्न पर और चारों तरफ छात्र शक्ति और अध्यापक शक्ति आगे बढ़ रही है और उठ रही है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह कोआर्डीनेशन कमेटी वगैरह से काम नहीं चलेगा। आप अगर इस सारे एक्ट्स जो हैं उनका एक एक्ट बना करके शिक्षा पद्धति को बदल सकें और जिस पद्धति में ओवर क्राउडिंग का निराकरण हो, जिस पद्धति में एडमिनिस्ट्रेशन में छात्रों का समावेश हो, जिस पद्धति में शिक्षकों का समावेश हो और जिस पद्धति में अनएम्पलायमेंट का निराकरण का समावेश हो, ये स्थितियां इस पद्धति के आधार पर सोसायटी बनाने का कोई आधार बनाती हैं, जिस पद्धति में नागरिक बनते हों, जिस पद्धति से व्यक्तित्व बन सकता हो, ऐसी स्थिति शिक्षा पद्धति में कुछ ला सकें तब तो आप और हम बच सकेंगे। बाकी यह बाढ़ आ रही है, यह आपको, हमको, सबको एक साथ ले जायगी और ये छात्र और अध्यापक यूनिर्वासिटियों को अधिकार में करेंगे ही लेकिन मैं इसको प्रश्नवाचक छोड़ देता हूं, जैसा माननीय सदस्य बनेडा से आने वाले ने कहा है, उसी सन्दर्भ में उसको रख देता हूं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां की युनिर्वसिटी के प्रश्न पर, जयपुर यूनिर्वासिटी के प्रश्न पर यह बात ठीक है कि डा० मेहता का समय स्वर्णिम समय कहा जाता है उनको ट्रिब्यूट देता हूं। उन्होंने इस युनिर्वसिटी को व्यापक रूप दिया और सबसे बड़ा प्रश्न आज युनिर्वसिटी के सुधार का है, अकोमोडेशन का है। अब आप ओवर क्राउडिंग के लिये कहें, जहां कोंट्रेक्ट टीचर्स का नहीं है प्रोफेसर से और जहां एक अर्से तक मुलाकात नहीं हों, छात्र और अध्यापक प्रोफेसर को पहचानते नहीं हों, ऐसी स्थिति में आप यह कह कर टाल जाते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर है। यह नेशनल इन्वेस्टमेंट है। यहां आर्थिक स्थिति कमजोर है या मजबूत है यह प्रश्न नहीं है। यहां प्रश्न तो यह है कि राष्ट्र को कैसे बचाते हैं और राष्ट्र को बचाने के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति सामने नहीं आया करती है। यह मैं जानता हूं कि आपको वित्त मंत्रीजी से पैसा लेने में और वित्त मंत्रीजी को पैसा देने में कुछ उदासीनता होती है। आज यहां पर प्रश्न युनिर्वसिटीज के कोआर्डीनेशन का नहीं है लेकिन मंत्री मन्डल के कोआर्डीनेशन का है। वित्त मंत्री किस तरह से आपसे सहयोग करते हैं, इसलिये सारी तरक्की, आपके प्रान्त की सारी प्रगति, आपकी प्रगति शिक्षा पर आधारित है और यह शिक्षा जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट है और शिक्षा चूंकि आदमी बनाती है, इसलिये इस आधार पर आप समाज को बदलना चाहते हैं और आज जो अराजकता चल रही है, छात्र असंतोष को आप मिटाना चाहते हैं, मेरी यह मान्यता है कि आपको स्वयं को यह करना चाहिये और वित्त के प्रश्न को आगे भविष्य में कभी बहाना बना कर न चलिये यही मेरा निवेदन है।

हां तो कह दीजिये कम से कम। इसलिये यहां पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह छात्रों का प्रश्न, युनिर्वसिटीज का प्रश्न, यह प्रश्न

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

अलग 2 नहीं हैं और इस संशोधन के माध्यम से कोई सोलूशन नहीं मिल सकता । आगे अगर एक दो अमेंडमेंट और ले आयें इस प्रांगण पर और सारी युनिवर्सिटियों में जो स्थितियां हैं, जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, उन स्थितियों के अन्दर जो रोष और आक्रोष यहां पर चलेगा और राष्ट्र और प्रान्त में असंतोष चलेगा तो वह छात्रों को उद्विग्नं करेगा। इसलिये यदि सोसायटी को आप बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रीडम देना चाहते हैं, छात्रों को असमानता से दूर रखना चाहते हैं तो शिक्षा वह रखिये जिसमें छात्रों का विश्वास पैदा हो । विश्वास यह पैदा हो कि युनिवर्सिटी की शिक्षा समाप्त करने के बाद वह नागरिक जिसका खाने पीने का इन्तजाम हो, बन सकेगा । मैं इस प्रश्न पर अधिक नहीं कहना चाहता । सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं ।

मैं यह संदर्भ में वेतन श्रृंखला के संबंध में आपके यहां के संस्कृत कालेजेज चलते हैं । संस्कृत कालेजेज का इन कालेजों का संबंध बहुत कम शिक्षा शास्त्रियों से हुआ करता है । यह समझते हैं कि यह अनिवार्यत: हम पर लदे हुए है, इसलिये राज्य सरकार भी उदासीन हैं उनके प्रति और इसलिये शिक्षा मंत्री भी उदासीन और जब वे उदासीन हैं तो उनके अधिकारी भी इसके प्रश्न पर उदासीन रहते हैं । मैं चाहता हूं कि अगर संस्कृत के प्रश्न पर आपका····

श्री मनोहर कोठारी : पोइन्ट आफ आर्डर प्लीज । मावली से आने वाले माननीय सदस्य संस्कृत के अध्यापकों के बारे में बोल रहे हैं । जब दूसरे सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो आपने कहा था कि इस संशोधन की सीमा के इर्दगिर्द ही रहना चाहिये । अब जो माननीय सदस्य संस्कृत कालेज की बात करते हैं तो वह संशोधन किस की सीमा में आता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी आपने पूरी लिबर्टी ली है । मैं तो इसको भी छोड़ सकता हूं अगर आप पश्चाताप करलें । वाइस चांसलर, शिक्षकों और छात्रों के प्रश्न पर जो कुछ कहा है उस पर पश्चाताप कर लें। तो मैं इसको छोड़ दूंगा ।

श्री मनोहर कोठारी : जो कुछ कहा है वह न्याय के लिये कहा है और हजार बार कहेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए स्वयं को पहले देखो फिर बात दूसरों की करो । अगर माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको विड्रो कर दीजिए, अगर वे इसके लिए तैयार हों तो मैं भी इसको छोड़ दूंगा । इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा पद्धति में संस्कृत पद्धति संस्कृत शिक्षा आपकी लास्ट प्रायरिटि में है। लास्ट प्रायरिटि में है इसलिए आपका ध्यान नहीं जाता । इसके वेतन मानों की असमानता आप देखें । आर्ट्स कालेज की और संस्कृत कालेज की वेतन मानों की असमानता का एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं । सहायक निर्देशक आर्ट्स कालेज का 600 से 1100 और सहायक निदेशक संस्कृत का है 375-850 । प्रिंसिपल आर्ट कालेज का है 1100-1500 और आचार्य संस्कृत कालेज का है 800-1300 । यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया है ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : ओल्ड मदर लेंग्वेज हो गई है । दादी मां बन गई है ।

श्री निरंजन-नाथ आचार्य : दादी भी अंतिम स्वांस ले रही है ऐसा समझिये । इसलिए मैंने कहा कि असमानता के प्रश्न पर आप इसका निराकरण कर सकें और यह देवपुरा कमेटी भी बैठी हुई है कम से कम इसके सामने तो इस प्रश्न को रख दीजिए । तो इसके साथ ही जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे को अधिक नहीं बोलना चाहिए और अधिक बोल करके दूसरों को नियंत्रण कर सकें तो मैं उनकी मान्यता को इसलिए मानता हूं, सभापति महोदय, कि यह परम्परा यहां पर बन जाय और इस परम्परा में जिन्होंने योग दिया है, विदिन दी स्कोप आफ दी अमेंडमेंट, बोला जाय, वह योग मेरा ख़याल है अपने सदन की परम्परा को और सुदृढ़ बनाएगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी आपकी सतर्कता, शिक्षा के सम्बन्ध में आपकी उद्विग्नता, आपकी सक्रियता और आपका परिश्रम इसके प्रति लोग उदासीन नहीं है ···· (विराम) अभी मैंने कहा ही नहीं और आपने हाथ जोड दिए ···· इसके प्रति सजग हैं । ऐसी स्थिति में मेरा विश्वास है कि आप अगर इस शिक्षा पद्धति को बदल न सकें तब भी, इसको ठीक कर सकें तो भी, राजस्थान को गति मिलेगी ।

श्री सभापति : श्री विजय सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी प्रस्ताव था, मैंने पहले भी निवेदन किया था फिर भी ··

श्री सभापति : आपको भी समय दिया जाएगा ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : मुझ को समय नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सभापति : समय जरूर दिया जाएगा लेकिन आपका समय आने पर ही दिया जाएगा ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन ए पोइन्ट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन । माननीय विश्नोईजी नहीं बोलेंगे ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जौहरी बाजार) : माननीय सभापतिजी, यह उदयपुर का जो विश्वविद्यालय है यह कृषि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय है और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है । अन्य तो विश्वविद्यालय हैं और उदयपुर का कृषि विश्वविद्यालय है । दोनों में अन्तर है । और जगहों पर डिग्रियां लेना है और यहां पर जो डिग्री छात्रों को प्रदान की गई है उनका उपयोग करके भारत को कृषि प्रधान देश बनाना और देश की उपज को बढ़ाना, जिसका कि आज संकट है, यह उनका कर्त्तव्य है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के बारे में कि शिक्षा को जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए ।····

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह (जमीन पर पड़े हुए घास की ओर इंगित) सुबह से परेशान कर रहा है । हम जाते हैं तो इससे टकरा जाते हैं । आप व्यवस्था करा दें कि इसको यहां से हटा दें या हाउस की टेबल पर रखें । यह

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
पन्न बड़ा मंहगा है। हमारे पैरों से कुचला जा रहा है........

श्री सभापति : अभी हटवा देते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर घास भी है तो बड़ा मंहगा है जो पैरों से कुचला जा रहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा को जीवन की आवश्यकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए और इसका व्यक्तिकरण भी किया जाना चाहिए और यदि कोई नई बात नहीं कर सकते हों तो जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि विश्वविद्यालय कोई बेकारी बढ़ाने की जगह नहीं है। जो जनशक्ति है उसको उपयोग में लाने वाली एक संस्था है और विशेष कर के कृषि विश्वविद्यालय इस जनशक्ति के सदुपयोग करने में साधन बनने चाहिये और इस शिक्षा का व्यवसायिकरण के साथ साथ भारतीयकरण भी होना जरूरी है। भारतीयकरण इस विश्वविद्यालय में होना इसलिये जरूरी है कि यदि यहां पर भी प्राध्यापक और छात्रों में मनमुटाव पैदा हो तो उचित नहीं होगा। छात्रों में गुरुजनों के प्रति अच्छी भावना रहे, यह भारतीयकरण के आधार पर, पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर ही हो सकता है। अगर यह पद्धति नहीं अपनायी गयी तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में और विशेष कर के कृषि विश्व विद्यालय काम नहीं कर सकेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार का लक्ष्य लोगों के सामने रहे, इन विश्वविद्यालयों के सामने रहे कि हमारा लक्ष्य डिग्री प्राप्त करके भारत को कृषि प्रधान देश बनाना है। भारत में कृषि की उन्नति करना है। यह लक्ष्य विद्यार्थियों के सामने है तो मेरा यह निवेदन है कि छात्र कभी उद्दंड नहीं होगा और अपनी शक्ति को निश्चित रूप से रचनात्मक कार्यों में लगा पायेगा। व्यवसायिकरण और भारतीयकरण से मेरा यह अर्थ है कि जिस समय कृषि विश्वविद्यालय से छात्रों को डिग्री दी जाये, उसके पहले, उसको एक वर्ष के लिये समाज सेवा हेतु कम से कम एक वर्ष खेतों में, कारखानों में, चिकित्सालय में या अन्य किसी स्थान पर उसके द्वारा काम कराया जाना चाहिये। यदि वह एक वर्ष डिग्री लेने से पहले काम कर लेगा तो मैं समझता हूं कि उसको टैक्नीकल नालेज भी हो जायेगा। टैक्नीकल अनुभव हो जाने से और एक वर्ष तक काम कर लेने से उसको शौक चढ़ेगा और डिग्री लेने के बाद उस डिग्री को वह अपने मकान में सुशोभित करने के लिये नहीं लगायेगा बल्कि वह प्रेक्टिकली फील्ड में आ जायेगा जिससे इस देश की जो कृषि की समस्या है, उत्पादन की जो समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज छात्रों का गुरुजनों के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि आज छात्रों की संख्या अधिक है और इस कारण अध्यापक छात्रों से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसलिये निवेदन है कि ऐसे विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या कम रखी जावे जिससे छात्र अपने गुरु के सम्पर्क में आ सकें। और फिर इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन करना है कि कई अन्य स्थानों पर भी कृषि विश्वविद्यालय होने चाहिये जैसे बीकानेर में हो, कोटा में हो, अजमेर में हो।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी खोले जा सकते हैं और इन विश्वविद्यालयों को रेजीडेन्शल विश्वविद्यालयों के रूप में परिणित कर सकते हैं जिससे छात्रों को कृषि के बारे में पढ़ने के लिये केवल उदयपुर ही नहीं जाना पड़े। कोटा के लोग कोटा में पढ़ सकें, अजमेर के लोग अजमेर पढ़ सकें। बीकानेर के लोग बीकानेर में पढ़ सकें और इस प्रकार वहां पर छात्रों की संख्या भी कम होगी और छात्र अपने गुरुजनों के सम्पर्क में भी आ सकेंगे। रेजीडेन्शल यूनिवर्सिटीज हो जाने के कारण छात्रों को लाभ होगा और उससे इस देश को भी लाभ होगा।

फिर यहां पर यह कहा गया कि इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाये? मेरा यह निवेदन करना है कि यह जो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है, इसके स्थान पर इसका नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कर दिया जाये। यह भी निवेदन करना है कि अनुसंधान करने का काम, रिसर्च करने का काम, राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। यह काम इस विश्वविद्यालय को नहीं दे रखा है। यह क्या है? फिर रिसर्च करने के लिये कहां भेजेंगे। विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे और रिसर्च करने के लिये दूसरे स्थानों पर जायेंगे। मेरी मांग है कि राज्य सरकार ने रिसर्च करने की जो अनुसंधान शालाएं खोल रखी हैं वे सारी की सारी उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को दे देनी चाहिये। अनुसंधान भी, रिसर्च भी यह विश्वविद्यालय करे। अगर यह बात आपने नहीं मानी तो इसका परिणाम यह होगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने इस कृषि विश्वविद्यालय को कम पैसा दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर पढ़ाई का ही काम होता है। अनुसंधान करने का काम, रिसर्च करने का काम अलग से होता है इसलिये मेरा जो यह सुझाव है कि उसको सरकार को मान लेना चाहिये। अगर यह सुझाव नहीं माना तो इस कृषि विश्वविद्यालय को इस बार भी कम एड मिलेगी रिसर्च की व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को जो पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिये वह छात्र प्राप्त नहीं कर सकता है।

इसी प्रकार से मैंने यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजनीति भी इन कृषि विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं में मौजूद है। [×××] तो यह राजनीति खेती में भी पैदा हो जायेगी और जो बंटाढार इस राजनीति ने इस देश का और क्षेत्रों में किया है, पेट की भूख मिटाने वाले कृषि जैसे क्षेत्र में सत्तारूढ दल के लोगों ने राजनीति पनपा दी तो लोगों का क्या होगा? इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि....

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर।

यह जो नामीनेशन है, यह माननीय स्पीकर द्वारा किया जाता है। मैं समझता हूं कि नामीनेशन को चेलेन्ज करना हाउस में, यह एसपरसन आन दी चेयर है। यह नामीनेशन कोई कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, कोई मिनिस्टर नहीं करता है। स्पीकर ऑफ दी हाउस यह करता है।

श्री खेतसिंह : यह उनको मालूम नह है। जानकारी नहीं है।

×××यह शब्द अध्यक्षपीठ के आदेश से निकाले गये।

(118)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जानकारी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। यह जो नामीनेशन किया जाता है वह माननीय स्पीकर करते हैं। माननीय सदस्य का भी कहना है कि इसकी उनको जानकारी है। जानकारी है और स्पीकर द्वारा यह नामीनेशन किया जाता है तो जिस प्रकार से आपने इस प्रसंग में जो कुछ कहा है वह नहीं कहना चाहिये था। यह मेरा कहना है।

श्री खेतसिंह : इसके लिये क्षमा मांगनी चाहिये। खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री केशरीमल : यह जो शब्द कहे गये हैं इनको एक्सपंज किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को क्या आपत्ति होगी। वे सारी स्थिति को समझ कर कहें। नामीनेशन स्पीकर महोदय द्वारा किया जाता है। इस बारे में कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहें तो वे सुझाव दे सकते हैं। परन्तु राजनीति के प्रसंग को लेकर जो एसपरसन किया गया है वह उचित नहीं है। इसलिये इस प्रसंग को लेकर जो शब्द या एसपरसन किया गया है, उन शब्दों को एक्सपंज किया जाये।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय जब तक कि तेन्दू पत्ते का जो आर्डिनेन्स, बिल है और जो एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी का बिल है, पास न हो जाये तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापती : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय जो आज का बिजनेस है वह समाप्त न होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृति)

सदन का समय बिजनेस पूरा होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो इस संदर्भ में कहा है वह मेरी फीलिंग है। अध्यक्ष महोदय पर किसी प्रकार का राजनीति का दबाब या एसपरसन नहीं है। इस प्रकार की बात कही गई है उसके बावजूद मैं समझता हूं कि मेरी भावना व्यक्त करने का मुझे अधिकार है, उसके बावजूद आप इन शब्दों को हटाना चाहते हैं तो मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जो वस्तुस्थिति है, जो सही चित्रण है, वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।

मैं इसलिए निवेदन करने जा रहा हूं कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति क्या है। यह विश्वविद्यालय राजनीति से बिल्कुल दूर रहें। इनका एपाइंटमेंट किस प्रकार से किया जाता है प्रधान अध्यापकों का उन सारी बातों से बिल्कुल दूर रहें। आपको जानकारी होगी कि सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि यहां पर जो लेक्चरर्स होंगे उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जानी चाहिए। चेयरमैन कपूर साहब जिन्दगी भर तो प्रिन्सीपल नहीं बन सके, जिन्दगी भर प्रोफेसर नहीं बन सके। वह लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। वह लेक्चरार्स की नियुक्तियां करेंगे तो मैं समझता हूं कि कौन आदमी आयेगा? राजस्थान के बड़े आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन की मीटिंग के सामने नहीं बैठ सकते····

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूं। वह महाराज कालेज के प्रिन्सीपल रह चुके हैं और डाइरेक्टर ऑफ कालेज एज्यूकेशन रह चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इतनी योग्यता वाले चाहे अध्यक्ष हों या डाइरेक्टर हों इस प्रकार से लोक सेवा आयोग के सामने प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में नहीं जाना चाहिए। वाइस चांसलर हो रजिस्ट्रार हो या हैड आफ दी डिपार्टमेंट हों या जिस विभाग में लेना है उस सम्बन्ध के अधिकारी बैठ जायं, आप बुला लें और राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता दें। उनका चयन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है लोक सेवा आयोग के सामने जाकर। इसी प्रकार से वहां पर माननीय सभापति महोदय, लोक सेवा आयोग में निष्पक्ष रूप से कोई एपाइंटमेंट करेगा यह बात आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। वहां पर राजनीति व्याप्त है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मेम्बर्स किसको बनाया जाता है। इसलिए बिल्कुल राजनैतिक प्रेरित मामले हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार से विश्वविद्यालय में आर्थिक सुदृढ़ता आये और चूंकि वहां पर राजनीति व्याप्त है इसलिए मेरी मांग है कि शिक्षा आयोग बनाया जाय जिसके कारण उनकी सफलता बनी रह सके और उनमें जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उनका भी भली प्रकार से समाधान हो सके।

मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि विद्यार्थियों में बराबर असन्तोष बढ़ता चला जा रहा है। प्रातःकाल ही आज जोधपुर के बारे में कहा है और मैंने नाथूरामजी के फार्म पर जो काण्ड हुआ है उसकी पूरी भर्त्सना की है। मेरा यह निवेदन है कि छात्रों में असन्तोष क्यों है। यहां जयपुर में विमलचौधरी पर आक्रमण हुआ तो वह सरकार की राजनीति का असर है। किसी भी छात्र पर किसी भी विचारधारा से सम्बन्ध रखता हो तो यदि छात्रों की वाजिब मांग हैं, उन पर अन्याय हो रहा है तो सरकार को सारा राजनैतिक भेदभाव छोड़कर उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसको राहत दी जानी चाहिए, मदद की जानी चाहिए, सहायता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने कहा था और इस सम्बन्ध में यहां पर निवेदन कर रहा था...

श्री सभापति : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कि छात्रों को यदि विश्वविद्यालय में भली प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो छात्रों में असन्तोष होगा। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि छात्रों को विश्वविद्यालय में भली प्रकार से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। युनिवर्सिटी में एक प्रकार के और नये अधिकारी होने चाहिएं जो कि छात्रों के कल्याण के बारे में विचार करें। फेक्ट्रियों में वेल्फेयर आफिसर होते हैं और कई अन्य छोटे स्थानों पर वेलफेयर आफिसर होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि छात्रों के कल्याण के लिए, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए युनिवर्सिटी में छात्र कल्याणकारी अधिकारी होने चाहिएं जो कि छात्रों को अपने विश्वास में ले सकें, छात्रों की मांगों पर विचार कर सकें, छात्रों की क्या कठिनाइयां हैं उन पर विचार कर सकें, छात्रों को क्या दिक्कतें आने वाली हैं उन पर विचार कर सकें। इसलिए प्रत्येक युनिवर्सिटी में और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
विशेषकर ऐसे विश्वविद्यालयों में जहां पर व्यक्तिगत लोग काम करने जाते हों वहां पर छात्र कल्याणकारी अधिकारी छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान दें। उनकी नियुक्ति होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न पैदा होता है कि कृषि युनिवर्सिटी खोल दी जायगी तो क्या होगा? धन कहां से आयेगा और वित्त मंत्री धन देंगे या नहीं। तो कृषि क्षेत्र में कई संस्थाएं काम करती हैं, कई संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्र में काम करती हैं, कई संस्थाएं अन्य संस्थाओं में काम कर रही हैं। यदि राज्य सरकार उनको यह बाध्य करे कि तुम्हारी इतनी केपिटल है तो कृषि विश्वविद्यालय में इतना लगाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सरकार के ऊपर भार भी कम होगा और भली प्रकार से सारा काम चल सकेगा।

अन्त में मैं आपसे एक दो जो वहां पर इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं उनके बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनिट के समय में निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी रिपोर्टें आई हैं तो उन रिपोर्टों को क्यों दबा दिया जाता है? किसी के खिलाफ एन्क्वायरी हो तो उसकी जांच रिपोर्ट तुरन्त सीनेट में आना चाहिए, तुरन्त विश्वविद्यालय में उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन विचार नहीं किया जाता है। इसी विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई और विश्वविद्यालय ने नाग कमेटी बनाई। यह सारा होने के बावजूद भी रिपोर्ट पर विचार नहीं हुआ और वहां पर वाइस चांसलर जिनका जिक्र यहां पर पूर्ण रूप से किया गया है उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी को अन्धकार में रखा। 21 दिसम्बर 1973 को युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव आफिस में मीटिंग हुई एक्जीक्यूटिव कमेटी की, तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन रखा :—

"With reference to the Executive Committee resolution No. 134 dated 28th December, 1972, appointing Shri S. L. Kakar as an enquiry officer to conduct preliminary enquiry regarding Vallabhnagar Farm's affairs based on the Nag Committee report. Considered the comments of the Vice Chancellor on the report of the enquiry held by Shri S. L. Kakar."

मेरा निवेदन करना यह है कि कक्कड़ समिति की रिपोर्ट आ जाती है; और उसके आने के बाद रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार किसी भी अधिकारी पर कोई चार्ज नहीं बनता है तो उसके बाद लाम्बा साहब ने क्या काम किया? उन्होंने एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर षडयन्त्रकारी तरीके से विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी से यह स्वीकृति ले ली कि कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिर से इसकी जांच कराई जाय और जांच की सुविधा के लिए कृषि अनुसंधान निदेशक और अन्य अधिकारियों को निलम्बित कर दिया जाय। ऐसा निर्णय लेने के पूर्व कक्कड़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन उस कक्कड़ कमेटी की रिपोर्ट को वाइस चान्सलर साहब ने कार्यकारिणी के सम्मुख नहीं रखा, और न सम्बन्धित अधिकारियों को इस प्रकार की सूचना दी और न रिपोर्ट दी। यह कितनी भयंकरता की बात है? कार्यकारिणी को अन्धकार में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रखकर और वगैर रिपोर्ट की सूचना दिये ही कार्यकारिणी समिति से एक प्रस्ताव पास करा लिया। इसी बैठक में जो निर्णय लिया गया उसके पूर्व जो एजेण्डा प्रसारित किया जाता है उस एजेण्डे में यह विषय सम्मिलित नहीं था। माननीय सभापतिजी, वह एजेण्डा में आना चाहिए था। उसके वगैर ही यह निश्चय ले लिया गया और जल्दी में ले लिया गया और तय कर दिया गया। आश्चर्य तो इस बात का है कि न तो उन लोगों को बुलाया गया जिनका इससे सम्बन्ध था। कृषि अनुसन्धान निदेशक को बदनाम करने के लिए नाग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया। इस संबंध में मेरा निवेदन करना यह है कि सारी बात हो गई और सारी बात हो चुकने के बाद एक्जीक्यूटिव कमेटी को अन्धकार में रखकर, बिना ऐजेण्डे में शामिल किये हुए अन्त में गलत निर्णय लेकर वाइस चान्सलर ने उक्त निर्णय के हवाले से डाक्टर श्रीवास्तव को 22 दिसम्बर से निलम्बित कर दिया। डाक्टर श्री वास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना था, यदि उनको निलम्बित करने का यदि कार्यकारिणी का फैसला था, कक्कड़ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, नाग कमेटी ने उनको दोषी नहीं ठहराया, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इसी पक्ष का मामला लेकर और अनुशासन की बात लेकर कमेटी को डार्क में रखकर, उनको जो इस प्रकार से सस्पेण्ड कर दिया गया, उनको जो चार्ज दिया गया तब उस कक्कड़ समिति ने कहा कि सभी रेकर्ड को देखा गया है और कागजात की जांच की तो नहीं मिले। तो मेरा निवेदन करना यह है कि वाइस चान्सलर महोदय को डा० श्रीवास्तव पर किसी प्रकार का चार्ज लगाना था उनको निलम्बित करना था तो निलम्बित कर दिया और निलम्बित करने का कारण क्या था। केवल उनको बदनाम करना। तो मेरा निवेदन करना यह है कि वाइस चान्सलर महोदय ने निलम्बित तो उन्हें कर दिया और आज दो महीने हो गये डा० श्रीवास्तव साहब को सूचना दी गई कि तुमको क्यों न निलम्बित कर दिया जाय। 2 महीने के अरसे में वाइस चान्सलर ने अपने पद का दुरुपयोग करके नकली कागजात बनवा रहे हैं और लोगों को टेरोराइज करके डा० श्रीवास्तव को बदनाम करने को लिए कागज इकट्ठे कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई क्या दुर्भाग्य वाली स्थिति इस देश में हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में कृषि मंत्रीजी ने श्री भानु कुमार शास्त्री को उनके प्रश्न का उत्तर दिया 22-3-74 को इस सदन में तो उन्होंने कहा कि वल्लभ नगर फार्म पर बिना किसी स्वीकृति के कुछ भवन निर्माण कराये गये तो अनियमितताओं के कारण कृषि अनुसन्धान निदेशक डा० श्रीवास्तव को निलम्बित कर दिया गया है मैं पूछता हूं क्यों नहीं कृषि मन्त्री के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लाया जाये। क्यों नहीं सदन को सूचना दी। एक्जीक्यूटिव कमेटी ने किस प्रकार प्रस्ताव पास किया। किस प्रकार से लाम्बा साहब, श्रीवास्तव को बदनाम करने की कार्यवाही करते हैं। जब सदन में प्रश्न किया जाता है तो मन्त्री महोदय गलत तथ्य रखकर सदन को गुमराह करते हैं। गलत तथ्य रखते हैं। कृषि विश्वविद्यालय की दशा सुधारने के बारे में, विद्यार्थियों में को-आर्डिनेशन किस प्रकार से बैठे, केवल कृषि के अन्दर डिग्री लेकर ही नहीं रह जायें। इन सभी सुझावों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
को माननीय शिक्षा मन्त्री जी स्वीकार करेंगे। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जो समस्या है, उसका निश्चित रूप से समाधान होगा।

श्री सभापति : प्रो० केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, वैसे तो इस अमेण्डिग बिल में कुछ बातें हैं। कहने की कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। इस बिल के तहत काफी बातें कही गई हैं। जब से यह बिल पेश हुआ है, तब से स्टूडेण्ट्स और टीचर्स के डेपुटेशन्स आये हैं। मैं सभापति महोदय, यह मानकर चलता हूं कि ग्रोटोनामी के नाम पर सरकार कोई दखल नहीं दे सकती है, यह गलत है। जो हमने संविधान में आब्जेक्टिव तय किये हैं, अगर मौजूदा एजूकेशन उनके खिलाफ पड़ती है तो सरकार दखल दे सकती है। हर मामले में दखल दे सकती है। उसको कैसे बदला जाये। एक्ट हम बनाते हैं। अमेण्डमेन्ट हम पेश करते हैं। हमारे यहां के वहां नॉमीनी होते हैं। अब सवाल यह है कि जब से वी० सी० डा० लाम्बा आये हैं। जो मुझ को जानकारी मिली है, मेजोरिटी स्टूडेण्ट्स खुश है। मेजोरिटी टीचर्स खुश हैं। जैसी कि मुझे जानकारी मिली है। ऐसी कई चीजें उभरकर वहां से मेरे सामने आई हैं। उन्होंने एक डिपार्टमेन्टल कमेटी बनादी है। कुछ आदमियों के हाथ में जो पावर्स थे, उनको एक कमेटी के हाथ में कर दिया। और, सभापति महोदय, हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स के पास वास्तविक पावर रहती है। सेलेक्शन वह करते हैं। सारी की सारी पावर उनके हाथ में है। इसलिए वहीं पर यह प्रिवेल करते हैं। इसीलिए यह सारा मामला आकर मूव हुआ है। डेमोक्रेटाइजेशन किया जाये। रोटेशन हैडशिप की जाये। डेमोक्रेटिक आर्डर पैदा हो। फेज पैदा हो। मेन्युपोलाइजेशन बुनियादी तौर पर यह है। तो सभापति महोदय, जब तक बोर्ड आफ सिलेक्शन नहीं बदलेंगे। तो शिक्षा मन्त्री जी, एक तो वी० सी०, हैड आफ डिपार्टमेन्ट और एक एक्सपर्ट बाहर से आता है। एक्सपर्ट को वाइस चान्सलर बनाता है। अगर इस प्रकार का पैनल डिपार्टमेन्ट की कमेटी बनायेगी तो बाहर से एक्सपर्ट नहीं आयेगा। बाहर से एक्सपर्ट नहीं आयेगा तो ठीक रहेगा। 10 साल से जिसने युनिवर्सिटी में काम किया हो। क्लास का काम ठीक हो। जिसकी परफारमेंस, एप्रोचमेंट और सोशल कण्टेक्ट्स ठीक हों। उसके इन्सेंटिव पर प्रमोशन नहीं देते हैं। किसी का सेलेक्शन हो जावे तो यह हो नहीं सकता है। सब पावर्स हैड आफ डिपार्टमेन्ट की हैं। हैड आफ डिपार्टमेन्ट अगर वी० सी० की ट्यून्स पर डांस नहीं करता है तो हटा दिया जाता है। यह आम दिनों की बात है। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि आटोमेटिक प्रमोशन का मौका उन को मिल जाये। माननीय सभापति महोदय, बुनियादी तौर पर यह नहीं है कि इसका क्लास परफारमेंस कैसा है। कितना काम किया है। कितने पेपर तैयार किये हैं। जनरल एप्रोच और बिहेवियर क्या है। क्लास और बाहर में किस प्रकार का है। अगर डा० लाम्बा का व्यवहार देखा जाये तो जो वहां के कुछ लोग थे। वहां पर थोड़ी सी गलती जो वाइस चान्सलर ने की, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, वह यह कि डाक्टर कोठारी जो वहां पर काम करते थे और, जो प्लांट पैथालाजिस्ट (मेज) थे, मवका

(श्री केदार नाथ)

के स्पेशलिस्ट थे, और दूसरे हैं जो बाबू लाल सरधाना, कंबुरेट के स्पेशलिस्ट, यह कंबुरेट .....

एक माननीय सदस्य : कद्दू किस्म की चीज होती है ।

श्री केदार नाथ : उसका स्पेशलिस्ट है । दोनों रीडर्स की पोस्ट्स हैं और दोनों ही क्वालीफाइड हैं । वाइस चान्सलर ने उनको इन्टर चेन्ज कर दिया, बुनियादी झगड़ा वहां से ही चालू हुआ । एक स्कीम आई० सी० ए० आर० के अन्तर्गत सैंक्शन हुई थी और कोठारी को वहां पर काम करने का तीन चार साल का अनुभव हो गया था । अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हों उनके खिलाफ तो वाइस चान्सलर उसको ट्रान्सफर कर सकता है, उनको सस्पेन्ड करने के अधिकार भी हैं और रिमूव करने के अधिकार भी हैं । लेकिन अगर बिना सोच विचार के, किसी के कहने पर ऐसा कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह गलत है । हमें दोनों ही पक्ष सुनने होंग । यदि हमने एक ही पक्ष सुनकर/कुछ कह दिया तो वह अनुचित होगा ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा । यहां के पांच छः एम० एल० एज० यूनिवर्सिटीज पर नामीनेटेड हैं । उनको मिलकर अपनी ओ०जर्वेशन्स और एक्सपीरियन्सेज जो उनको युनिवर्सिटीज के वर्किंग में हुए हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी चाहिये ताकि गवर्नमेंट को गाइडेन्स मिले ।

एक बात का जिक्र आया कि 102 टीचर्स ने दस्तखत करके डाक्टर कोठारी के खिलाफ दिया, दूसरी बात यह कही गई कि 102 आदमी उस मीटिंग में थे ही नहीं, केवल 36 टीचर्स मौजूद थे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टीचर्स का क्या फर्ज था ? उनका यह फर्ज नहीं था कि आपस में डिवीज पैदा करें । टीचर्स को मिल कर आपस के फर्क मिटा देने चाहिये । आज एक तो ऐसोसिएशन बनी हुई है और दूसरी फेडरेशन बनी हुई है, और दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है । अब अगर इस झगड़े को पैदा करने में वी०सी० ने अगर कोई रोल अदा किया है । मैं समझता हूं, अगर ऐसा किया है तो वी० सी० के पार्ट पर बिकमिंग नहीं है, उनके पार्ट पर अच्छा नहीं है ।

तीसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता था कि केवल इस बात को लेकर यहां पर काफी डेपुटेशन आये । तो मैं यह आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वी० सी० का आफिस, वी० सी० का रोल बहुत ऊंचा हुआ करता है । अब, सभापति महोदय, होता क्या, जो सलेक्शन हम करते हैं । राजस्थान में तीनों युनिवर्सिटी हैं, उनमें राजस्थान के जीनिअस को काम करने का मौका नहीं मिलता है । हमारा ऐसा स्टेण्ड रहा है, हमारे यहां बाहर के वी० सी० ही आये और उन्होंने अपनी पूरी टर्म को निभाया नहीं । मुझे राजस्थान युनिवर्सिटी का अनुभव है, यहां के किसी वी० सी० ने पूरा टर्म निभाया नहीं है । वी० सी० का मेन क्लेस पैदा होता है, वह हैड आफ डिपार्टमेंट्स से क्लेस पैदा होता है, स्टूडेंट बाद में आते हैं, पालिटिकल प्रैसर बाद में आते हैं । मेन कन्फ्रन्टेशन होत है वह हैड आफ डिपार्टमेंट्स का वी० सी० से होता है । और हमारा सलेक्शन बोर्ड कैसा है एक उसमें चान्सलर का आता है,

(श्री केदार नाथ)

एक इंडियन कौंसिल ग्रॉफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ग्राता है, एक युनिर्वासिटी ग्रान्ट कमीशन का ग्राता है, एक एक्जीक्यूटिव बाडी का ग्राता है। विश्नोई जी मुझे करेक्ट कर दें, ग्रगर मैं गलत हूं। यह चार ग्रादमी पैनल बनाते हैं ग्रौर वी० सी० का सलेक्शन करते हैं। हमारी मान्यता यह है कि जब सलेक्शन वी० सी० का हो तो यह देख लिया जाय कि वह कैसा ग्रादमी है, उसके एन्टीसिडेंट क्या हैं, जहां काम किया है, मध्य प्रदेश में काम किया है, हरियाणा में काम किया है, यू० पी० में काम किया है, जहां काम किया है ग्राखिर उसका वहां पर्फोमेंस क्या रहा। पैनल बनाते वक्त यह सारी चीजें देख ली जायें उसके बाद भी देख सकते हैं, इसमें झगड़ा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है, चान्सलर देख सकते हैं, इसके काफी मौके हैं।

मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इन मुद्दों का जवाब दें, ग्रौर टीचर्स को भी ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, टीचर्स ग्रापसी पार्टीबाजी से दूर ग्रायें, दोनों यूनियन, फेडरेशन ग्रौर एसोसियेशन एक हो जायं। डा० कोठारी हैं, उनके साथ इनजस्टिस हुई है, उनके मामले की जांच करने के लिए ग्रार्बीट्रेटर या कमेटी बन जाय। इसके ग्रलावा वी० सी० का पैनल तय हो जाय ताकि युनिवर्सिटी की हालत को सुधारा जा सके, ग्रौर जो ग्राज वहां रंजिश है, जो वहां पर ग्रपरोर हुग्रा है, वह समाप्त किया जा सके। यह मैंने हमेशा कहा है और ग्राज भी कहना चाहता हूं कि उदयपुर युनिर्वासिटी एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिर्वासिटी है। एग्रीकल्चर बेस्ड इस यूनिर्वासिटी को 1962 में बनाया, फिर मल्टी फेकल्टी यूनिर्वासिटी बना दी। बेस का जो फेक्टर है, वह यह है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिर्वासिटी बनाई थी, वह लेकर एक्सटेंसन की, रिसर्च की इन्टीग्रेट पॉलिसी बनती है, ग्रौर इन्टीग्रेशन होता है तो राजस्थान में एग्रीकल्चर के फील्ड में ग्रच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन रिसर्च की उस चीज को भूल गये हैं। सभापति महोदय, ग्रापके मार्फत केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, इसका ग्राप डिमार्केटाइजेशन कीजिये, हैड ग्राफ डिपार्टमेंट की पावर समाप्त कीजिये, मोड ग्राफ सलेक्शन बदलिये यह, तरीका लाइये कि ग्रपाइन्टमेंट प्रमोशन में, प्रमोशन लेक्चरार का रीडर की पोस्ट पर हो जाय, रीडर का प्रमोशन हैड ग्राफ डिपार्टमेंट की पोस्ट पर हो जाय। यह कर देंगे तो क्लास में टीचर्स का पर्फोमेंस सुधरेगा ग्रौर टीचर्स में जो रंजिश है वह कम होगी। यह कह कर मैं ग्रपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला कुमारी !

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, परन्तु मेरा भी उस विश्वविद्यालय से एक विद्यार्थी के नाते ग्रौर एक शिक्षक के नाते काफी सम्बन्ध रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में दो शब्द कहना चाहती हूं। विश्वविद्यालय वास्तव में वह स्थल है जहां पर हम हमारी भावी निधि ग्रर्थात् युवक युवतियों को विशेष रूप में ढालते हैं, युवक युवतियों में वह एक ग्रद्वितीय शक्ति होती है जो समाज का चाहे तो उसका स्वरूप बदल सकती है। उनमें उमंग होती है,

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उत्साह होता है, प्रेरणा होती है, कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। परन्तु उस शक्ति का दुरुपयोग किया जाय तो ऐसी स्थिति में समाज किस अवस्था में पहुंच जायगा इसकी कल्पना की जा सकती है। वह आग जो कि रोटी बनाती है, वही आग एक झोंपड़ी को सुलगा भी सकती है। इसी संदर्भ में, सभापति महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय की बात संक्षेप में कह देना चाहती हूं। वास्तव में इस विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत अच्छे उद्देश्य से की गई थी। जब 12 जुलाई 1962 को इसे आटोनोमस बाडी के रूप में बनाया गया तो यह सोचा गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से विकास का कार्य होगा, परन्तु आटोनोमी के आधार पर हम किसी के कार्यों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। मान्यवर, किसी प्रकार किसी अधिकार के द्वारा मोनार्क के रूप में वी० सी० को नहीं देख सकते हैं। यह कहें कि जिस प्रकार मोनार्क कह रहा हो, उसकी बात का खण्डन करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से वी० सी० जो कुछ कर रहे हैं वह रूलस–रेगुलेशन के अनुसार ही हो रहा है–यह नहीं मानेंगे। हमारे वी० सी०, यद्यपि मैं नहीं कहती कि उनका व्यक्तित्व दोषपूर्ण है परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि उनके व्यक्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो काले छींटे उछाले गये हैं, जो धब्बे उनके व्यक्तित्व पर बने हुए हैं उनके बारे में आवश्यक रूप से जांच होनी चाहिये। यदि इस प्रकार जांच नहीं की जाय, मान्यवर, तो हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, उस भावी निधि के ऊपर, युवक–युवतियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि हमारा जो हैड आफ इन्स्टीट्यूशन है, उसके व्यक्तित्व पर इस प्रकार छींटे उछाले गये। प्रो० दामले और सुधीर कुमार ने रिपोर्ट चान्सलर के सामने दी थी, उसमें बताया था, वी० सी०, जो डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, एम० पी० में थे, उन्होंने इस प्रकार की अनियमिततायें उस समय की थीं। यदि वास्तव में अनियमिततायें सत्य नहीं हैं तो प्रो० दामले और सुधीर कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई है? मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं। यदि किसी वी० सी० के व्यक्तित्व के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की झूठी बात कही है। परन्तु अभी तक, इतना लम्बा समय हो गया, एक डेढ़ महीने से ऊपर हो गया, कई शिक्षक हमसे मिलने के लिए आते हैं, कुछ पक्ष वाले और कुछ विपक्ष वाले, मेरा निवेदन है कि क्या बात सही है — उसकी जांच होनी चाहिए। यह नहीं कि आटोनोमस बाडी है, इसलिए उसको पर्दे में रहने दें, पर्दे में सब कुछ होता रहे, उसे नहीं देखा जाय। क्योंकि प्रजातंत्र का जमाना है, प्रजातंत्र में ऐसी संस्था, शिक्षण संस्था में युवक युवतियां जो हैं उनको विशेष प्रारूप में ढाल रहे हैं, उनके कार्यों को पर्दे में रख कर उनकी बातों के बारे में जांच नहीं करेंगे तो एक प्रकार से बहुत अधिक हमारे लिए, कहना चाहिए, प्रजातंत्र के युग में बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, उप-कुलपति, वाइस चान्सलर मि० लांबा जब से उदयपुर विश्वविद्यालय में आये हैं, बहुत अधिक लम्बा समय उनको नहीं हुआ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कुछ ऐसे वाइस चान्सलर बहुत लम्बे समय तक रहे थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में इस प्रकार प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आकर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन इनके बारे में एक वर्ष के अन्दर कई प्रकार की बातें पैदा हुई हैं। वह आखिर क्यों पैदा हुई। उनकी जांच करना जरूरी होगा। मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने शक्ति का जो दुरुपयोग किया है, अपने मनमाने कार्य करने की चेष्टा की है जिससे समूहवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिला है। इसके दो चार उदाहरण कई माननीय सदस्यों ने बता दिये हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं, जिस प्रकार के० एल० कोठारी के लिए कहा, जो युवा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मेज, मक्का पर अन्वेषणात्मक कार्य करने की कोशिश की है, वह इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे, जो एरिया खास तौर पर मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर डिवीजन में, उस क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, तो उन्हें क्यों हटाया गया। उसके पीछे मात्र उद्देश्य यह था वाइस चान्सलर का कि डाक्टर कोठारी उनकी हां में हां नहीं मिला रहे थे, इसलिए डाक्टर कोठारी को हटा दिया गया जिनके बारे में ए० सी० आर० की टीम के अन्तर्गत यह बात पूछी गई, उन्हें क्यों हटाया गया।

इसी प्रकार, मान्यवर, एक और उदाहरण पी० के० श्रीवास्तव का है, जो डाइरेक्टर रिसर्च थे। हो सकता है, उन्होंने अनियमिततायें की हों, परन्तु यदि उन्हें निलम्बित किया गया तो निलम्बित करने के साथ उन्हें चार्जशीट दी जानी चाहिए थी। परन्तु दो महीने हो गये, चार्जशीट नहीं दी। नियमों के अनुसार दो वीक के अन्दर चार्जशीट दे दी जानी चाहिए। परन्तु दो महीने हो गये, पी० के० श्रीवास्तव को चार्ज शीट नहीं दी गई। आखिर क्यों? कोई भी निलम्बन का कार्य किया जाय तो उसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य होता है–न्याय की मांग की पूर्ति, दूसरा टैरर पैदा करना, भयावह दृष्टिकोण पैदा करना। अगर चार्जशीट दे दी जाती तो मान लेते न्याय की मांग की पूर्ति का उन्होंने कार्य किया है क्योंकि चार्जशीट दी है। यदि चार्जशीट नहीं दी गई है तो इसका स्पष्ट अभिप्राय है कि टैरर पैदा किया गया है, उन प्राध्यापकों में, उन रीडर में, उन प्रोफेसर में, जो मेरे पक्ष में नहीं है, जो मेरी हां में हां नहीं मिलायेंगे, उन व्यक्तियों को किसी समय निकाला जा सकता है अगर इस प्रकार का भयावह दृष्टिकोण अध्यापकों में है तो वे किस तरह से अध्ययन व अध्यापन का कार्य करेंगे? अध्यापक एक तरह से दीप है जो दूसरी शाखाओं को प्रकाश देता है। वह दीप ही डगमगा रहा है तो किस तरह से हम भावी पीढ़ी का उत्थान कर सकेंगे तथा अध्यापकों में यदि फ्रस्ट्रेशन बना रहा चाहे उदयपुर हो चाहे राजस्थान चाहे जोधपुर तो हम एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

डा० वी० के० श्रीवास्तव को जब हटाया गया उस समय कमेटी बिठाई थी नाग कमेटी, कक्कड़ कमेटी, कक्कड़ कमेटी सिंगल मेम्बर कमेटी थी उसने भी यही कहा कि कोई चार्ज उसके अगेन्स्ट एस्टैब्लिश नहीं होता, फिर इस समय जो कन्ट्रोलर श्री ए० सी० शर्मा, उनसे कहा जा रहा है कि डा० श्रीवास्तव के लिए चार्जशीट तैयार किया जाए। जब चार्ज है ही नहीं तो शर्मा साहब क्या चार्जशीट तैयार करें। ऐसा सुना गया है वास्तव में सही है या नहीं कि अब श्री शर्मा को वहां से हटाया

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

जाएगा । तो इस प्रकार जो क्षेत्रवाद की प्रवृति, समूहवाद की प्रवृति, टैरर पैदा करने की प्रवृति है, इसको हम कभी बरदाश्त नहीं कर सकते । क्षेत्रीयवाद का इतना बोलवाला है कि अगर उदाहरण पेश किए जायें तो सदन का समय नष्ट होगा । कृषि संकाय में अब तक '75' प्रतिशत एक्सपर्ट्‌स जबलपुर या विदीशा से बुलाए गए हैं केवल इसलिए 'कि वाइस-चांसलर या विभागाध्यक्ष जिस व्यक्ति को चाहे उसका चयन करा दे क्योंकि एक बार वाइस चांसलर इस बारे में ेखा खा चुका है । उदाहरण के लिए एक साइकोलाजी के लेक्चरार के चयन की बात थी उसमें एक्स-टर्नल व इन्टरनल दोनों एक्सपर्ट्‌स ने मिलकर किसी एक व्यक्ति के लिए जो वाइस चांसलर का चहेता नहीं था, सिफारिश की । वाइस चांसलर ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उस चयन को निरस्त कर दिया तो ऐसे उदाहरणों की पुनरावृति न हो इसलिए वाइस चांसलर अपनी मर्जी के एक्सपर्ट्‌स बुलाते हैं, 75 प्रतिशत एक्सपर्ट्‌स जहां पर वह रह चुके हैं, उन्हीं स्थानों से बुलाए जाते हैं । इस प्रकार यदि एक्सपर्ट्‌स अपनी इच्छा से बुलाए जायं तो हमारे राजस्थान की प्रतिभाओं को विकास का अवसर कब मिलेगा ? सभी राज्यों में लोकल प्रतिभाओं को विकास का अवसर दिया जाता है, परन्तु हमारी लोकल प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है, उनको कष्ट सहने के लिए दफना दिया जाता है। एडहाक नियुक्तियां जो उदयपुर विश्वविद्यालय में की जाती हैं, ढोल बजाकर की जाती हैं इस शर्त पर कि वह वाइस चांसलर के ग्रुप में रहेगा, उनके समूह के बाहर नहीं जाएगा । इस प्रकार यदि आक्रोश का दावानल युवा अध्यापकों में बढ़ता रहेगा, तो इससे हमारा समाज जलकर राख हो जाएगा। राजस्थान ही नहीं सारा देश जलकर भस्म हो जाएगा क्योंकि युवा आक्रोश का निरंतर प्रसार होता रहता है ।

इसी प्रकार हायर इन्क्रीमेंट्स और हैडशिप के बारे में बहुत अधिक मनमानी होती है उसके लिए कोई नियम नहीं है जबकि यू०पी० एक्ट में व्यवस्था है कि हैड-शिप रोटेशन के अनुसार होनी चाहिए । राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस बात को मान लिया है, उदयपुर विश्वविद्यालय को भी नियम बनाना चाहिए, हैडशिप रोटेशन से हो और उसी आधार पर हैड्स नियुक्त किए जायं । मेरा सुझाव है कि सलेक्शन व हैडशिप के बारे में बहुत अधिक निष्पक्षता की आवश्यकता है । इसके लिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान पी०एस०सी० से ही उनका चयन होना चाहिए क्योंकि नहीं तो विश्व-विद्यालय में जिस व्यक्ति को सलेक्ट किया जाता है, उसकी प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है, तो यह पुनरावृति पी०एस०सी० के द्वारा चयन में नहीं होगी । हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि पी०एस०सी० के द्वारा चयन ठीक नहीं होता लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं, वहां एक्सपर्ट्‌स होते हैं जो बाहर से बुलाए जाते हैं जिसमें एक चहेते व्यक्ति के चयन का प्रश्न नहीं उठता ।

उदयपुर के विद्यार्थियों में भी एक प्रकार से वी०सी० के द्वारा डिवीजन पैदा कर दिया गया है, युवा नेतृत्व का दुरुपयोग किया है और युवा पीढ़ी को गुमराह करने की कोशिश की है, उन्हें कई प्रकार के फायदे पहुंचाए गए हैं जिससे वाइस चांसलर के विपक्ष में वे अपना मुंह नहीं खोल सकें ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)
इस प्रकार आटोनोमी के नाम पर हम मनमाने अधिकार किसी विश्वविद्यालय को नहीं दे सकते और उनके कार्यों पर पर्दा डालते रहें। युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाना है और इसके लिए हमें विश्वविद्यालय की गतिविधियों को भी देखना है, उस बारे में भी हमें डिस्कशन करनी है, सुझाव पेश करने हैं, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकेंगे। मेरा एक और सुझाव है कि सिंडीकेट के विद्यार्थियों के नामीनेशन के बारे में यद्यपि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, लेकिन इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि आज जो युवा शिक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें भान होना चाहिए कि यह हमारी है, इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी तो वे अपना दिमाग रचनात्मक कार्यों में लगायेंगे।

आज जोब ओरियन्टेड शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने अभी कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जोब ओरियेंटेड एजूकेशन दे सकें। तो हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। आज 26 वर्ष हो गए हैं, हम पुरानी शिक्षा पद्धति जो कि अंग्रेजों के जमाने में मैकाले द्वारा आरंभ की गई थी, लकीर के फकीर बने हुए हैं। कई प्रकार के सेमीनार आरगेनाइज किए जाते हैं, प्रिन्सीपलों का कान्फरेंस होता है, शिक्षा शास्त्रियों की कान्फरेंस होती है परन्तु जो कान्फरेंस में पार्टीसिपेट करने वाले हैं वे रूढ़ीवादी हैं वे नहीं चाहते कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो,...

श्री सभापति : आपने तो इसको जनरल डिस्कशन कर दिया।

श्रीमती निर्मला कुमारी : मेरे कहने का अभिप्राय था कि इस प्रकार के विचार उन्हें अपने दिमाग में रखने होंगे। इसके अतिरिक्त हमें देखना है कि विश्वविद्यालय मार्ग दर्शन संस्थायें होने की आवश्यकता है जैसे मुदालियर शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था कि हर विश्वविद्यालय में मार्ग दर्शक केन्द्र होने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जब टीन एजेड होता है वह नहीं जान पाता है कि उनकी रुचि किस व्यवसाय में है, कौनसा विषय वह चुनें, उनका पथ भ्रामक हो जाता है इसलिए सही पथ को चुनने के लिए मार्ग दर्शक केन्द्र हों। बनारस, दिल्ली, आगरा में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं, मैं भी इस क्षेत्र में सुझाव देना चाहती हूं कि तीनों विश्वविद्यालयों में ऐसे केन्द्र होने चाहिए जहां पर ऐसे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक नियुक्त करने चाहिए जो युवकों की मनोवृत्ति को जान सकें, आंक सकें। शिक्षा समाज की रीढ़ है, उससे ही समाज का ढांचा खड़ा करना है। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में बीमारियां लगी हुई हैं, तो हमारा समाज का ढांचा सारा का सारा तहस नहस हो जायेगा। इसलिये हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है तो इस ओटोनोमस बोडी में परिवर्तन लाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सभापति महोदय, मैं थोड़ा दो मिनट पहले निवेदन कर दूं अगर आपकी आज्ञा हो तो।

श्री सभापति : अच्छा पहले आप बोल लें. फिर पूनमचन्दजी साहब बोल लेंगे।

श्री शीशराम ओला : सभापतिजी, आज सदन में काफी देर से उदयपुर एग्रीकल्चर

(श्री ी राम े उ)

यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा के दौरान मुख्य विषय जो रहा वह रहा उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाईस चान्सलर मिस्टर पी०एस०लाम्बा। दूसरी बात जो सदन में चली वह है डॉक्टर कोठारी के ट्रान्सफर को लेकर। यहां पर सदन में इस स्थिति के बारे में काफी गम्भीर आरोप उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के खिलाफ में लगाये गये। सभापति महोदय, मुझे आज यह जानकारी मिली कि यहां पर उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जयपुर के हवामहल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाये और श्री कोठारी का ट्रान्सफर कर दिया उसके बारे में काफी रोष व्यक्त किया। सदन में उन पर काफी आरोप लगाये तथा उनके खिलाफ अनुशासन हीनता व मानहानि के चार्जेज लगाये। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह चार्जेज उन पर बिल्कुल निराधार लगाये गये हैं। किसी प्रकार का हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं आया है न ही उनके खिलाफ में कोर्ट द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है। सभापति महोदय, वहां के प्रोफेसर, श्री कोठारी का ट्रान्सफर करना उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पावर में है। उन्होंने उनका तबादला एग्रीकल्चर रिसर्च कौन्सिल से दूसरी जगह कर दिया जहां कि होना चाहिये था। यह, सभापति महोदय, एक वाइस चांसलर की कांपीटेन्स में आता है। उन्होंने अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से वाजिब समझ कर ट्रान्सफर किया है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध यह ट्रान्सफर किया है। एक व्यक्ति विशेष के ट्रान्सफर की बात को लेकर यहां पर क्षेत्रीय भावना की बातें करना या अनुशासनहीनता की बातें करना कहां तक उचित है? सभापति महोदय, यहां अनुशासनहीनता की बात तो स्वयं डाक्टर कोठारी ने की है। उनका ट्रान्सफर 29-5-73 को कर दिया और डाक्टर श्री के०एल० कोठारी ने आज तक अपनी ड्यूटी जोइन नहीं की है। सभापति महोदय, आज करीब एक साल होने को आया है लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी जोइन नहीं की है। फिर यह अनुशासनहीनता की बात किसने की है? श्री कोठारी ने की है या वाइस चांसलर ने की है। सभापति महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी के कितने ही भवन बनाये हुए हैं और वहां पर रिसर्च सेन्टर बनाया हुआ है। सभापति महोदय, उन पर उदयपुर यूनिवर्सिटी का काफी खर्चा हुआ है। उन भवनों का तथा रिसर्च सेन्टर का कोई उपयोग नहीं हो रहा था इसलिये वल्लभनगर जो कि उदयपुर से थोड़ा दस बीस मील दूर जहां कि पैथोलोन स्कीम के लिये रिसर्च सेन्टर है वहां पर भेजा ताकि उस जगह का उपयोग हो सके। सभापति महोदय, वहां पर यह काम मिस्टर लाम्बा ने ही नहीं शुरू किया था, पहले से ही चल रहा था। उन्होंने सोचा कि चूंकि राज्य सरकार के काफी पैसे उस स्कीम के लिये खर्च हो चुके हैं अतः जो भी उस रिसर्च सेन्टर की स्कीम के लिये प्रोफेसर्स थे या लेक्चरार तथा रीडर्स थे उन सभी का ट्रान्सफर वहां पर कर दिया गया। तो जिन लोगों का ट्रान्सफर हुआ था उनमें से कुछ लोगों ने एक पक्ष तैयार किया और वाइस चांसलर के खिलाफ वातावरण तैयार किया। सभापति महोदय, जो स्कीम पहले से ही शुरू होनी चाहिये थी जिनका पहले से क्रियान्वयन हो जाना चाहिये था उनका इस वाइस चान्सलर ने आकर काम शुरू कराया। उन्होंने उन लोगों को उदयपुर से वल्लभनगर भेज दिया। असन्तुष्ट ग्रुप के

(श्री शीशराम ओला)

लोगों ने उनके खिलाफ एक दूषित वातावरण बनाया इसी प्रकार और जितने भी रिसर्च सेन्टर्स थे उन्होंने उनको शुरू करवा दिया। मैं इतनी सी बात को लेकर सदन का इतना अमूल्य समय यहां पर माननीय सदस्य बदले की भावना से खराब कर रहे हैं। यह उसी दूसरे ग्रुप की कार्यवाही है कि उनके खिलाफ में बोला जा रहा है। क्योंकि दूसरे ग्रुप को उदयपुर से दूर जाकर रहना पड़ता है तथा इससे उन लोगों के एशोआराम में फर्क आता है, उनकी सहूलियतें खत्म होती हैं और जो बिना काम किये पैसे मिलते थे वह मिलना बन्द हो गया और उन लोगों को वहां जाकर काम करना पड़ेगा इसलिये यह सभी बातें चल रही हैं। वह लोग काम करना नहीं चाहते हैं। सभापति महोदय, इनके पहले हमारे अभी जो शिक्षा कमिश्नर हैं वह भी वहां पर वाइस चान्सलर थोड़े दिनों के लिये रहे थे उनके खिलाफ भी ऐसा ही वातावरण तैयार किया गया जिससे कि उन्हें वहां से भागना पड़ा या यों कहिये कि उन्हें वहां से भगा दिया गया। इसके लिये वहां पर कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि यही काम करते रहते हैं। इन लोगों ने चूंकि पहले वाले वाइस चांसलर को वहां से भगा दिया इसलिये यह लोग एक गुट विशेष के लोग हैं जिन्हें इन बातों से बल मिल गया, और वह गुट पनप गया है। सभापति महोदय, आज सदन में काफी विचार विमर्श तथा वाद-विवाद हुआ। ऐसा करना मैं उपयुक्त नहीं समझता क्योंकि इससे उन लोगों को नाजायज बल मिलता है। एक वाइस चांसलर जैसे उच्च अधिकारी, जो कि हमारी सरकार ने एक आटोनोमस बोर्ड के हेड हैं, और जिस अधिकारी के पास वास्ट पावर्स हों, के हाथ में क्या प्रशासन के हित में किसी लेक्चरार या किसी प्रोफेसर का ट्रान्सफर करना भी नहीं। एक ट्रान्सफर की बात को लेकर इतना बड़ा सदन में हंगामा खड़ा कर दियां। यहां यह तक कहा गया कि उदयपुर को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, उदयपुर यूनिवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, वहां से यूनिवर्सिटी को हटाया जा रहा है। राजस्थान के टुकड़े करने तक की बात यहां पर आ गयी। जब कि उदयपुर विश्वविद्यालय को वहां से दूसरी जगह नहीं हटाया जा रहा है। हमारी कोई इच्छा उदयपुर युनिवर्सिटी को वहां से हटाने की नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आपकी इच्छा वहां पर चलती है। आपकी इच्छा से ही यूनिवर्सिटी को वहां रखा जाय या नहीं रखा जाय यह तय होता है क्या ?

श्री शीशराम ओला : It is not only for you. यह तो मैं सभी के लिये कह रहा हूं। यहां पर यह कहा गया कि उनमें क्षेत्रीय भावना बहुत है, वह वाइस चांसलर साहब हरियाणा के हैं और उन्होंने इन डेढ दो साल के पीरियड में काफी लोग वहां के भर दिये हैं। सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध किसी का एपोइन्टमेंट कर दे। जहां तक मेरी जानकारी है उस यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव की 72 मीटिंगें हुई हैं और उन 72 मीटिंगों में उस एग्जीक्यूटिव द्वारा 72 व्यक्तियों को एपोइन्टमेन्ट दिया गया है चाहे वह लेक्चरार हैं, रीडर या प्रोफेसर है या कोई क्लर्क वगैरह हैं। तो सभापति महोदय, यह तो सभी सदस्य जानते होंगे कि यूनिवर्सिटीज में इसके लिये एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है जिसके कि हमारी विधान सभा के भी दो सदस्य हैं एक तो है श्री पूनम

(श्री शीशराम ओला)
चन्द विश्नोई जो कि हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं तथा दूसरी हैं श्रीमती प्रभा मिश्रा। मैं नहीं समझता कि हमारे राजस्थान के जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे वह कोई गलत काम कर बैठे। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री पूनमचन्द बिश्नोईजी बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। यह अन्तर्राष्टीय ख्याति प्राप्त हैं। बड़े शिक्षा शास्त्री हैं।

श्री रामकिशन : यह पूनमचन्द बिश्नोई अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा शास्त्री कब से हो गये ?

श्री शीशराम ओला : इसमें हंसने की कौनसी बात है। You please don't try to disturb me. यह तो अपना अपना ख्याल है आप मुझे बोलने दें, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें।

(शोर गुलःअश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रूस की एक मेगजीन में मेरा फोटो छपा है।

श्री शीशराम ओला : मेरी जानकारी में जो भी तथ्य हैं, सभापति महोदय, वह मैं रख रहा हूं।

श्री रामकिशन : हमें प्रसन्नता हुई कि आपने विश्नोईजी को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति बना दिया।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य, मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करें और मुझे मेरी बात कहने दें। तो, सभापति महोदय, ऐसे व्यक्ति भी उस एग्जीक्यूटिव के मेम्बर हैं जिनको हमारे इस सदन ने भेजा है। उस कमेटी में वह भी तो शामिल होंगे जिसने कि ट्रान्सफर किया है। इसके अलावा ट्रान्सफर के लिये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डीन आफ दी फैकल्टी हैं और जिनके नीचे की उन्होंने यानी श्री के०एल०कोठारी ने पीएच०डी० की है उन्होंने उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर वल्लभनगर रखना उचित समझा। इसके अलावा और भी लोगों के तबादले किये गये हैं। बस उसी बात को लेकर इस गुट विशेष ने इन वाइस चान्सलर साहब, जो कि एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ में यह वातावरण बनाया है। सभापति महोदय इतने उच्च पद वाले व्यक्ति के खिलाफ में यहां पर उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी कहना शोभनीय नहीं होगा, और खास तौर से वहां पर जहां कि वह व्यक्ति आकर कुछ भी अपनी सफाई में नहीं कह सकता। उनके खिलाफ, आज तक यहां इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मध्य प्रदेश के विजिलेन्स कमीशन ने कोई केस बनाया हो। हिसार में रहे हों। यहां पर उनको नियुक्त किया गया। यहां पर आये और मैं पुर जोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता करने वाले व्यक्ति हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर कहा जायगा तो सारे राष्ट्र में अनुशासनहीनता हो रही है उसमें यह मसला आग में घी का काम करेगा। कोई भी व्यक्ति हों चाहे कोठारी साहब हों या श्रीवास्तव हों कमेटी बनी है। उसने अपनी रिपोर्ट दी है। यदि वे दोषी नहीं होंगे तो बहाल हो जावेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों ने अनुशासनहीनता की है उनके खिलाफ सबसे पहले कार्यवाही हो। ड्यूटी पर न जांय इससे बढ़ कर और क्या अनुशासनहीनता

Page No 132

(132)

(श्री शीशराम ओला)
हो सकती है। और कोई हो नहीं सकती। इसलिये इस मामले में सख्ती से पेश आना चाहिये।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : सभापति महोदय, आज उदयपुर विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन करने के लिये बहस चल रही है। मुख्य मुद्दों से तो माननीय सदस्य हट गये हैं और वाइस चान्सलर के बारे में ज्यादा कहा गया है।

वैसे विश्वविद्यालय स्वायत्त शासन संस्थायें हैं और उनके बारे में सीधी चर्चा नहीं की जाती है। परन्तु उनको इस तरह की स्वायत्तता नहीं है कि वे मनमानी करते रहें और हम कुछ भी न कह सकें। यह भी नहीं है। उनको बजट और पैसा अपने यहां से मिलता है इसलिये अपने को अधिकार है। स्वायत्तता इसलिये दे रखी है कि विश्वविद्यालय के मामले यदि सरकार के दायरे में रहें तो उनमें ज्यादा दखल होगा, राजनैतिक खींचातानी भी उनमें चलेगी और इन्टरफियरेन्स होने का डर रहता है इसलिये कुछ देशों में यह मान्यता है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति के दखल से और प्रशासनिक मशीनरी के दखल से दूर रखना चाहिये। वाइस चान्सलर की कोई गलती हो, यूनिवर्सिटी के वर्किंग में कोई गलती हो तो कह सकते हैं। लेकिन अपन जो कुछ भी कहें वह जिम्मेदारी से कहें। प्रोफेसर केदार ने एक बात कही। चीजों की पूरी तरह से जांच करके यदि हम तथ्यों से संतुष्ट हों तो हमको अवश्य ही कहना चाहिये।

तीन चार बातें कहीं। एक तो श्री लाम्बा साहब के बारे में कही। उनके ऊपर मध्य प्रदेश में गम्भीर आरोप लगे जहां पर वे डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे। विजिलेन्स कमीशन ने शिकायत भेजी राज्य सरकार को और मामला वहां भी चला।

दूसरी बात कही कि डाक्टर श्रीवास्तव साहब, जो डाइरेटर ऑफ रिसर्च हैं, को सस्पेन्ड कर दिया और चार्जशीट नहीं दी। तीसरा मामला कोठारी साहब का है। और चौथा मामला है, यूनिवर्सिटी वाहन का दुरुपयोग किया।

कई माननीय सदस्य : किसी ने नहीं कहा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कहा जाता है।

श्री मनोहर कोठारी : किसी ने नहीं कहा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं कह देता हूं। इस तरह की बातें चलायीं। पहली बात है श्री वी० के० श्रीवास्तव साहब की। श्रीवास्तव साहब डाइरेक्टर आफ रिसर्च थे उदयपुर यूनिवर्सिटी के। काफी लम्बे समय से और उनके लिये अनुसंधान केन्द्र वल्लभनगर में बनाया गया। 40-50 लाख रुपया उसमें खर्च किया गया। कुए हैं, मशीनरी है। काफी बड़ा संगठन है और खुद भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और उनकी प्रसिद्धि है हमारे देश में और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति भी है। मेरे से ज्यादा, यह भी कह दूं। उनको सस्पेन्ड किया वह प्रश्न भी मेरे सामने है। उनके प्रति सहानुभूति है। इसमें हुआ क्या है कि एक तरफ यदि कई गुण होते हैं तो दूसरी तरफ कई अवगुण भी हो सकते हैं। ये महानुभाव बहुत जिद्दी

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई)

किस्म के हैं। इस कारण इनके नीचे अनुसंधान के जो विशेषज्ञ थे उनमें दो टुकड़े हुए और आपस में हद दर्जे की लड़ाई हुई और साल डेढ़ साल पहले आधे विशेषज्ञ तो अपना सामान और अपने परिवार लेकर उदयपुर सिटी में आ गये।

नये वाइस चान्सलर साहब आये तो उनके सामने यह मसला आया। हमने यह कहा कि चाहे डाइरेटर की गलती हो; डाइरेक्टर को यह आदेश था कि उनको यहां ठहरना चाहिये तो उनको वहां ठहरना चाहिये था और आज्ञा का पालन करना चाहिये था। उनकी तनख्वाह बन्द कर दी थी वह फोर्स करके भिजवायी। उनके डीन हैं। उनके आपसी झगड़े थे, हद दर्जे के झगड़े। बहुत सी मिटिंग्स में बोलचाल हुई और हद दर्जे की लड़ाई तक की नोबत आ गई। ये जितने जिद्दी हैं उतना विद्वान व्यक्ति को नहीं होना चाहिये। यह कहा गया कि ये निर्दोष हैं। निर्दोष हो सकते हैं। सस्पेन्ड करने से दोषी नहीं हो जाता है। दो व्यक्तियों ने जांच की। एक कक्कड़ साहब ने और दूसरा श्री नाहर साहब ने।

श्रीमती निर्मला कुमारी : ये भी सदस्य थे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हो सकता है। कक्कड़ साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि गलतियां हैं। लेकिन सजा तजवीज और की। नाहर कमेटी बिठायी गयी। इन दोनों से रिपोर्ट आयी। वाइस चान्सलर साहब ने यह मामला एग्जीक्युटिव कमेटी के सामने रखा और एक्जीक्युटिव ने वाइस चान्सलर को अख्तियार दिया कि वे चाहे जो एक्शन ले सकते हैं। इसमें क्या चीज है ? श्रीवास्तव साहब को बुलाया और कहा कि इन्क्वायरी करना चाहते हैं या तो आप छुट्टी ले लें या प्रिविलेज पोस्ट पर ट्रान्सफर कर देते हैं ताकि इन्कवायरी करने में बाधा उपस्थित न हो। क्योंकि वहां रहने से प्रशासनिक दृष्टि से इन्क्वायरी नहीं हो सकती थी। उन्होंने छुट्टी जाने से इनकार किया और दूसरी जगह ट्रान्सफर होने से भी इन्कार किया। इस पर उनको सस्पेन्ड कर दिया। उस मिटिंग में वाइस चान्सलर थे। मैं उपस्थित नहीं था। सीनियर व्यक्ति को एकदम क्यों ट्रान्सफर किया जाय यह भी था। बहुत से एग्जीक्यूटिव के सदस्य यहां भी हैं। मैंने खुद ने प्रश्न उठाया किसी नियर को इस तरह से सस्पेण्ड करना एक ड्रास्टिक एक्शन है। इस पर वाइस चान्सलर ने सभी परिस्थितियां एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रक्खीं। उसने वाइस चान्सलर की कार्यवाही की पुष्टि की।

अब यह एग्जीक्यूटिव कमेटी विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ही हो ऐसी बात नहीं है। इसमें डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी सदस्य होता है, वित्त सचिव, राज्य सरकार का सदस्य होता है, डाइरेक्टर एनीमल हस्बेण्डरी भी सदस्य होता है, डाइरेक्टर एग्रीकल्चर सदस्य है। दो एमीनेन्ट शिक्षा शास्त्री सदस्य होते हैं, विधान सभा के दो सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इस तरह पन्द्रह बीस लोगों की यह कमेटी होती है। इसमें अब एक ही पक्ष वाले लोग हों ऐसी बात नहीं है। इस बात पर फिर पूरी गहराई से विचार किया गया और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसने भी वाइस चान्सलर के एक्शन को कनफर्म किया। जांच हो रही है, सस्पेण्ड करने का अधिकार इनको है,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हालांकि अफसोस इस बात का हम सभी को है कि एक योग्य व्यक्ति को सस्पेण्ड कर दिया गया। पर मैं समझता हूं कि इसमें दोष उनका भी काफी है। जांच हो रही है, इसके बाद सारे तथ्य हमारे सामने भी आ जावेंगे।

दूसरा प्रश्न है के० एल० कोठारी का। कोठारी को प्रशासनिक कारणों से बदलना पड़ा। इसमें एक ही बात कही जा रही है कि उनका चयन केवल मेज स्कीम में हुआ था फिर कुकर आट स्कीम में ट्रान्सफर क्यों कर दिया गया? यह प्लान्ट पैथोलोजी है जो एक विस्तृत विषय है। इसमें चाहे पेड़-पौधे और फसल की बीमारी हो, चाहे और हो सभी इसमें आ जाते हैं। अब यह कहना इसलिए पड़ा था कि आपस में स्टाफ में मतभेद था। श्री सरफिना करके एक रीडर हैं। वे एक स्कीम में काम करते थे और ये पी० एल० 480 की स्कीम थी। अमेरिकी मदद से यह स्कीम चलती है। कुछ ने यह लिखकर बिना युनिवर्सिटी को सूचना दिये भेज दिया कि इस स्कीम में किसी रीडर को रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिये इस पद को समाप्त कर दिया जावे। अब उन्होंने तो यह समझा कि यह युनिवर्सिटी की तरफ से ही लिखा गया है और वे प्रोपर अथोरिटी हैं। जैसे सरकार के सेक्रेटेरियेट में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी लिख देता है तो दूसरी सरकार तो यही समझेगी कि यह राजस्थान सरकार की इत्तिला है। राज्यपाल महोदय को कन्ट्राक्ट करने का अधिकार है पर उनकी तरफ से तहसीलदार से लेकर सेक्रेटरी तक को अधिकार दिया हुआ है तो सामने वाला तो यही मानेगा कि उनको अधिकार है। इसलिये इसे पी० एल० 480 वालों ने खत्म कर दिया और चूंकि उनके आपस में बनती नहीं थी उनकी नौकरी खत्म करा दी। इस तरह हटाया, तो उनको एकोमोडेट करना जरूरी था नहीं तो नौकरी से उनको जाना पड़ता। कोठारी को कुकर आट स्कीम में किया और उनको मेज स्कीम में कर दिया।

अब माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन कोठारी साहब के पढ़ाये हुए प्रोफेसर हैं वे नेशनल प्रोफेसर हैं जोबनेर कालेज में। उनकी राय ली गई। आई० सी० आर० को भी कोठारी के रिप्रेजेन्टेशन भेजे, दूसरों ने भेजे, और उन सबकी यह राय रही कि यह बदले जा सकते हैं। फिर ये जितनी स्कीमें होती हैं मियादी होती हैं, दो साल तीन साल, एक साल के लिये। तो यदि मेज की स्कीम की अगली अप्रेल में खत्म होने वाली है मियाद तो क्या वे नौकरी छोड़ कर चले जावेंगे? मेज से उनकी इतनी मोहब्बत है। वे एक्सपर्ट हैं पूरी लाइन के। जिस किसी भी स्कीम में लगा दें उनको लग जाना चाहिये।

कोठारी साहब दूसरों के पास जाने से पहले मेरे पास आये। अब मैं एक पक्ष से सोचने लगूं ऐसी मेरी मनोवृत्ति नहीं है। व्यक्ति के साथ न्याय हो केवल इस मनोवृत्ति से मैं काम करता हूं। बताया सब। मैंने कहा देखिये एक आदमी की पोस्ट खत्म हो गई है। प्रशासनिक दृष्टि से एडजस्ट करना है इसलिये ऐसा करना है। पर यह बहुत ही जिद्द पर आ गये और अदालत में दावा कर दिया। अब जैसी कहावत है जाट कहे सुन जाटनी इसी गांव में रहना ऊंट बिलाई ले गई हांजी हांजी कहना। तो अब अगर एम्पलोयर दूसरे धन्धे पर आपको लगाना चाहे तो आपको इतना तो मानना ही चाहिये।

श्री मनोहर कोठारी : वाइस चान्सलर साहब जाट हैं क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां जाट है, इससे क्या ? कोठारी जी कोठारी हैं क्या ? मैं अगर यह पूछूं तो ?

श्री मनोहर कोठारी : इन कोठारीजी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं जाट नहीं हूं । यह मैं भी बता दूं । तो दोनों बराबर के पक्ष के हैं । हाई कोर्ट तक यह केस गया है । हाई कोर्ट और नीचे के कोर्ट में अगर ये कामयाब हुए होते तो लाम्बा के साथ कन्टेम्पट आफ कोर्ट में कार्यवाही होती और एक दिन में नहीं शाम तक मैं तामील करा देता उसकी कोर्टों में असफल हुए हैं वे । आई० सी० ए० आर० में असफल हुए हैं वे । आपको एक कागज लाकर बताते हैं । दूसरा छिपा लेते हैं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप भी वाकिफ होंगे । यह फैसला तो जाहिर है । यह ट्रान्सफर पोस्ट नहीं है यह माना है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अदालत का यह हुक्म होता और वे नहीं मानते तो कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट में लाम्बा साहब फंस गये होते । आप तो जो पक्ष की चीज हैं वह बता देते हैं । आई० सी० आर० का भी हवाला देते हैं । बाद में जो लिखकर भेजा वह नहीं बताते । मैं कह रहा हूं, इस भरोसे रहे तो बता देता हूं कि यह साल छः महीने में स्कीम ही समाप्त होने वाली है । फिर युनिवर्सिटी कह देगी कि नहीं रक्खेंगे । पर मैं कहता हूं कि उनको रख लिया जावेगा । पर जिद्द इनकी इतनी कि वाइस चान्सलर ने ट्रान्सफर कर दिया इसलिये मैं वहां पर जाना नहीं चाहता । यह मेरी जिद्द का सवाल है । मैंने भी समझाया कि वाइस चान्सलर ने कहा, एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती है तो एक बार आप उसकी तामील कर दो । वापिस वहीं बाद में रख दिये जाओगे । पर अनुशासन के नाते आप इतना मान जाओ। वे नहीं माने । अब कोई सर्वेन्ट अपने अधिकारी को कह दे कि मैं आपकी आज्ञा ठीक नहीं समझता, यह कह कर आई० सी० आर० और अदालत में चला जावे तो यह उचित नहीं है । अनुशासन फिर रखा जाना सम्भव नहीं होगा । इतने समझदार पढ़े लिखे आदमी अगर अनुशासन नहीं मानेंगे तो फिर उनका क्या असर पड़ेगा उनके छात्रों पर तो जब कि यह स्कीम खत्म तो होनी ही है, छोटी छोटी मियाद की स्कीमें होती हैं तो फिर कायदे से तो आपको घर जाना होगा ।

प्रशासन चलाना है तो हुक्म की तामील करनी पड़ती है । इसके लिये वी० के० श्रीवास्तव से पूछ लीजिये कि उनकी आज्ञा की जिन लोगों ने तामील नहीं की उनकी तनख्वाह बन्द कर दी गई । इसमें तो चाहते थे कि उनकी तनख्वाह भले ही बन्द कर दी जावे और हमारा आर्डर माना जावे, वाइस चान्सलर और एग्जीक्यटिव का आर्डर नहीं माना जावे। तो इस तरह प्रशासन चल नहीं सकता ।

मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया। अगर वहां उनका प्रोसीक्यूशन हो गया है और यह साबित हो जावे तो वाइस चान्सलर को रिजाइन कर देना चाहिये । यह मेरा स्पष्ट मत है । डिसमिसल हो गया हो कहीं, पैनल्टी इम्पोज हो गई हो, पद का दुरुपयोग साबित हो गया हो तो उनको हट जाना चाहिये । बिलकुल स्पष्ट बात है । पर यह

(136)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कहना कि किसी ने लिखकर दे दिया है इसलिये हट जाना चाहिये । तो फिर यहां असेम्बली में किसी आदमी के बारे में अगर डिसकशन होता है तो उसके आधार पर उसको भी हट जाना चाहिये या हटा दिया जाना चाहिये । यह क्या बात हुई ? मैं समझता हूं कि वाइस चान्सलर सरीखे व्यक्ति की इस तरह की बेबुनियादे बात कह कर इमेज बिगाड़ना चाहते हैं । हम अपने हाथ से अगर ऐसा करते हैं तो फिर कल किसी दूसरे आदमी की भी क्या प्रतिष्ठा रहेगी ? कागजों में होगा कोई मामला । उस पर मन्त्रीजी भी कोई जवाब नहीं दे सकते । जो आदमी प्रशासन में बैठकर काम करता है उसके बारे में कई तरह की बातें कही जा सकती हैं । उसका कई लोगों से वास्ता पड़ता रहता है । तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना बेजा है । एक तरफा बात से कुछ असर नहीं होना चाहिये ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह विजिलेन्स कमीशन की राय है । आपको जानकारी होगी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह लोक आयुक्त का फैसला नहीं है । वाइस चान्सलर अपनी राय भेजता है.....

(व्यवधान अश्रव्य)

कोई क्रिमिनल संस्था नहीं है जो किसी को निर्दोष और दोषी बता कर सजा कर दे..

श्री रामकिशन : उस कमेटी के अनुसार सरकार ने भी एकशन सजेस्ट किया है

(व्यवधान, अश्रव्य)

उस दिन लाम्बा साहब को इस्तीफा दे देना चाहिये ।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है जिनसे काम कराना है उनका काला मुंह मत करो । जो अध्यापक हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाता है वह चोर है और सब लोग उसे चोर कहते हैं तो विद्यार्थी क्या सोचेगा और सब जगह प्रचार कर रहे हैं वाहन का दुरुपयोग किया है....

श्री मनोहर लाल कोठारी : वाहन के लिये नहीं कहा है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने नहीं कहा ठीक है, नहीं भी कहना चाहिये लेकिन कई दफा आता है । वाहन वाले में स्थिति यह है कि 27-28 को यहां मीटिंग थी । यहां आये हुये थे । यहां आने पर उनको पता चला कि उनके भाई की हरियाणा में डेथ हो गई । 30 तारीख को दुबारा मीटिंग थी । कई लोग उस मीटिंग में कोई दिल्ली से आता है कोई कहां से आता है । वे उस वाहन को लेकर हरियाणा चले गये तो कौनसी ऐसी बात हो गई है । डेथ के समाचार सुने तो चले गये वापिस आकर उन्होंने कहा है मैंने इस गाड़ी का उपयोग किया है और इसलिये किया है कि मेरे भाई की डेथ हो गई थी और मैं वापिस इस तारीख पर नहीं आ सकता था । कमेटी के सामने यह कहा है । उन्होंने बताया कि मैंने इस वाहन का निजी उपयोग किया है इसका जो कुछ चार्ज हो कर लिया जाय लेकिन कमेटी ने कह इसका चार्ज नहीं होना चाहिये, नहीं तो आप वापिस नहीं आ सकते थे ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
उनकी लाश वहां पड़ी हुई हो और ऐसे समय में अगर उन्होंने गाड़ी का उपयोग कर लिया तो कौनसी खास बात हो गई है। यह छोटा सा मसला है, चर्चा में आ गया। जो इस चीज की पैरवी कर रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं तो कितना इनह्यूमन अप्रोच है ....

श्री मनोहर कोठारी : किसी ने नहीं कहा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने नहीं कहा तो बहुत अच्छा किया लेकिन यह यहां चर्चा में विषय आ गया है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यहां कितने साधू बैठे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपके अलावा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विश्वविद्यालय को यदि हमें चलाना है तो वाइस चान्सलर के हाथ हमें थोड़े से मजबूत करने होंगे और उदयपुर विश्वविद्यालय का काम ठीक चल रहा है। बाई एण्ड लार्ज 90 पर्सेन्ट टीचर्स हैं वे खुश है, विद्यार्थी खुश हैं और ऐसी शिकायतें नहीं मिलेंगी। हो सकता है 2–4 लोग असन्तुष्ट हों और उनके प्रति केसेज बनादें ...

श्री मनोहर कोठारी : आप केवल मीटिंग में पधारते हैं। हम लोग वहां रहते हैं, हमको ज्यादा मालूम है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अपना दरवाजा खुला रहता है। यह बात नहीं होनी चाहिये, यह अप्रोच नहीं होना चाहिये नहीं तो ये संस्था सब टूट जायगी। सब लोग तो बरसात होने से भी खुश नहीं होते हैं। जो कुम्हार होता है वह बरसात से खुश नहीं होता है। वह कहता है मेरी हण्डिया गल गई और बरसात से मैं मारा गया। इसलिये सब लोग खुश नहीं हो सकते हैं। ये छोटे छोटे मामले हैं। अकेले वाइस चान्सलर के करने से कुछ नहीं होता है। एक्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है। सब मामले उसके सामने आते हैं और मैंने तो अच्छी सलाह दी है.....

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! बार बार इन्ट्रप्शन न करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ये तो अपना जस्टीफाई कर रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास 2–3 लोग आ गये और आपने कह दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं काम ठीक चल रहा है..

श्रीमती नगेन्द्र बाला : सभापति महोदय, मैं वहां के जो प्रोफेसर्स हैं उनको अच्छी तरह जानती हूं।

श्री सभापति, आर्डर प्लीज, माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशन : जवाब तो विश्नोई जी ने दे दिया। अब मंत्री जी क्या देंगे ?

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, जो संशोधन उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 में लाना चाहते हैं वह महज इतना सा है सेक्शन 11 के तहत उप-धारा 5 में यह जोड़ दें जब उप-

(श्री खेतसिंह)

कुलपति की छुट्टी या अन्य कारण से स्थान रिक्त हो तो रजिस्ट्रार महोदय इसकी रिपोर्ट करेंगे और ऐसा कोई इन्तजाम करेंगे जो उचित समझेंगे। इतना सा अमेन्डमेंट है। इस अमेन्डमेंट पर तो किसी ने कुछ कहा नहीं और जो सारी की सारी वहस चली है वह सब लाम्बा साहब पर चली है। इस अमेन्डमेंट का जो प्रश्न है उसको तो सारा सदन स्वीकार करता है। अब केवल उप-कुलपति का सवाल रह जाता है। मैं केवल 2-3 पाइन्ट्स को ही निवेदन करना चाहता हूं। यह इन्टरनल मामला है। माननीय विश्नोई जी एक्जीक्यूटिव के मेम्बर हैं और सारी बात विस्तार से रख दी है। अब मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नाथद्वारा से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनका कहना है कि उनका सलेक्शन किस प्रकार किया है। उनका सलेक्शन करने वाली एक कमेटी है जिसमें बहुत ही राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। एक तो मिस्टर एम० एस० रन्धावा हैं, वाइस चान्सलर, लुधियाना युनिवर्सिटी, एक हैं श्री स्वरूप सिंह, वाइस चान्सलर, देहली युनिवर्सिटी एक है एम० एस० स्वामीनाथन, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं और चौथे हैं श्री नाथूराम जी मिर्धा जो चैयरमेन हैं नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन के। मेरा कहने का मतलब यह है कि चार जिनके नाम दिये हैं ये राष्ट्रीय ही नहीं इनमें से कई तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के सदस्य है, जिन्होंने इनका चयन किया है। इसलिये यह कहना भी नहीं चाहिये था कि चयन करने वाली कमेटी उचित नहीं है अब रहा सवाल इनका चयन हुआ, यह सब आप जानते हैं मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के डाइरेक्टर थे और उसमें कनफर्म थे, उसके बाद रिटायर हुये....

श्री राम किशन : रिटायर नहीं हुये..

श्री मनोहर कोठारी : आज भी उनका वहां लियन है। इनके प्रति सीरियस चार्जेज हैं।

श्री खेतसिंह : मान लीजिये रिटायर नहीं हुये हैं तो भी क्या हुआ। वहां से हिसार युनिवर्सिटी में चले गये और वहां से यहां आ गये। रिटायर नहीं भी हुये तो भी मैंने स्वयं ने रेकार्ड देखा है 30 साल की सर्विस में कहीं कोई वार्निंग नहीं मिली, सर्विस में कहीं डिस-प्लेजर नहीं मिला। अब इतने साल के बाद यह रिपोर्ट आई विजिलेन्स कमीशन की, खाद या कीटनाशक दवाइयां खरीदीं उसके सम्बन्ध में उनके खिलाफ कुछ चार्जेज हैं उनकी जांच हुई, विजिलेन्स कमीशन ने जांच की। इन्होंने उसका स्पष्टीकरण कर दिया उसके बाद क्या कार्यवाही हुई है यह जानकारी नहीं हो सकी है। हमने गवर्नमेंट आफ मध्य प्रदेश को लिखा है कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, हमें जानकारी दें। लेकिन अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और आपने तो उससे भी आगे की कार्यवाही बता दी कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके केस को रजिस्टर कर लिया है।

(माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर)

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई सेक्शन भी कोट किया है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उनका चार्ज है इनका प्रोसीक्यूशन होना चाहिए..

श्री खेत सिंह : जब तक सरकार के सामने यह साबित नहीं हो जाता है, इस खरीद के अन्दर कोई वैसी बात नहीं हो, और कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो

(श्री खेतसिंह)

जाता तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। मैं यही कह सकता हूं मध्य प्रदेश सरकार को जो लैटर लिखा है उसके जवाव का हम इन्तजार कर रहे हैं। और जो मुद्दे उठाये हैं, क्योंकि हमारे विभाग के पास भी सारी कारेस्पोन्डेन्स हैं।

श्री मोम्मद गफ्फार अली : बेरी कमीशन को ही आपने मान्यता नहीं दी है तो और किसी को क्या देंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपके विभाग से सम्बधित नहीं है।

श्री खेतसिंह : यह बिलकुल ठीक है। मेरे विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता है।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा ही माकूल जवाब दिया है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं जैसा भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य में कहा और उन्होंने जो विचार रखे हैं जब तक किसी भी वाइस चान्सलर के खिलाफ पूर्णतया आपके पास न हो तब तक किसी के प्रति इस प्रकार का कीचड़ उछालना ठीक नहीं है। वाइस चान्सलर बहुत बड़े व्यक्ति हैं। पूरे तथ्य न हों और इस तरह की बात कह दें तो शोभा की बात नहीं है। मध्य प्रदेश विधान सभा में भी जो डिसकशन हुआ है वह केवल डिसकशन ही है, कोई निर्णय हो गया हो, यह बात नहीं है। इसलिये मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार सारी बातों की जांच करेगी और अपना निर्णय लेगी मैं इस मौके पर इससे ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मनोहर कोठारी : आप जांच तो करवा लीजिए। जो आपके पास अधिकार है उनका उपयोग तो कर लो उसमें क्या बाधा है ?

श्री खेतसिंह : हमारे पास अधिकार हैं उनका उपयोग ऐसे छोटे मामलों में नहीं करते और बड़े गम्भीर एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज या गबन हो और कोई ऐसा सीरियस मामला हो तभी जाकर अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। यह जो आपने दो तीन बातें बताईं इसमें हम नहीं कर सकते। और सेक्शन 8 के उपयोग की बात कही तो हर जगह सेक्शन 8 के तहत कार्यवाही करेंगे तो फिर ऑटोनामी क्या हुई। फिर मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा पूर्वक जो संशोधन रखे हैं कि पब्लिक ओपीनियन के लिए भेज दिया जाये या सलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये वह मेहरबानी करके विथड्रा कर लीजिए और इस बिल को कृपया पास करें।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा, जैसा कि विश्नोईजी ने कहा कि अभी तक कोठारीजी ने ड्युटी ज्वाइन नहीं की है तो क्या उसको ड्युटी ज्वाइन करायेंगे ? इस मामले में माननीय शिक्षा मंत्रीजी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सभापति : यह मंत्री महोदय से जानकारी कर लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि इसको पारित कर दिया जाये तो अभी तो इस पर विचार हो रहा है।

श्री खेतसिंह : मैंने कहा है कि प्रस्ताव वापिस लें और पारित करें।

श्री सभापति : आप सब लोगों की सहमति से किया था और उसके अनुसार संशोधन के साथ ही विचारार्थ लिया है। तीनों को एक साथ लिया गया है और उस समय यही तय किया गया था कि सब माननीय सदस्य एक साथ बोलकर समाप्त कर लें।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। आपने कह दिया कि जांच हम करवायेंगे और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि सेक्शन 8 के तहत जांच नहीं करवायेंगे तो फिर कैसे जांच करवायेंगे? दूसरा सवाल यह है कि माननीय सदस्या श्रीमती निर्मला कुमारी जी ने एक सवाल खड़ा किया था किजिन प्रोफेसं के खिलाफ आरोप लगाये हैं अगर उनके खिलाफ आरोप गलत हों तो क्या आप उनके खिलाफ जांच करवाने के लिए तैयार हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के पावर्स रिजर्व करने के लिए तैयार हैं?

श्री खेतसिंह : मैं तीनों प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे करेक्ट किया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। पहले वाले को जांच नहीं समझा जाये, जानकारी समझा जाये।···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जांच और जानकारी में फर्क नहीं करते हैं माननीय मंत्री महोदय?

श्री रामकिशन : जानकारी का क्या आश्वासन देना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह: ·और सेक्शन 8 के तहत जांच कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता। दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका इन्टरनल मामला है और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है वही इसको कर सकती है, हम दखल नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी सन्तुष्ट हो गए होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पूर्ण संतुष्ट हूं।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने अपने शोधन प्रस्तुत किये हैं वह वापिस लेना चाहते हैं?

क्या सदन की अनुमति है कि जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वपिस लेते हैं।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आज उदयपुर विश्वविद्यालय के इस अमेन्डमेंट बिल के बारे में जो विवाद चला उससे ऐसा लगा जैसे वहां के उपकुलपति और प्रोफेसर्स के बीच का विवाद सदन के प्रांगण के माध्यम से दो लाबीज में क्रियेट करके यहां पर उठाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि जो अमेण्डमेंट था। उस अमेन्डमेंट के अन्दर केवल वाइस चान्सलर के छुट्टी जाने पर या स्थान रिक्त होने पर क्या व्यवस्था की जाये इसके बारे में संशोधन लाया गया था परन्तु खुल कर आरोप और प्रत्यारोप हुए और ऐसा लगा कि इसके बारे में काफी ब्रीफिंग किया गया है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा सारे सन्दर्भ में कि माननीय लाम्बा साहब और कोठारी साहब कौन हैं कौन नहीं मैं तो नहीं जानता, कैसा इसके आपस का संघर्ष है यह भी नहीं जानता लेकिन एक बात अवश्य है, सभापति महोदय, हमारे यहां कहावत है कि सीता की अग्नि परीक्षा इस कारण से हुई कि धोबी के घर पर आपस में बात करते हुए किसी ने कह दिया कि इतने समय तक जो रावण के पास रही तो भला उसका चरित्र किस प्रकार से ठीक हो सकता है। सरस्वती मन्दिर के अन्दर जहां विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण होने वाला है और भविष्य की पीढ़ी बनने वाली है उसके वाइस चांसलर के बारे में यदि विजिलेन्स कमिशन ने यह फाइन्डिग दी है कि इनके ऊपर 406 और 408 के आरोप हैं, यदि यह सही नहीं है तो इसको ड्राप कर देना चाहिए और यदि सही है तो शिक्षा मंत्रीजी को स्वयं विजिलेन्स कमिशन की रिपोर्ट और जो विजिलेन्स कमिशन के पास कम्पलेन्ट आई और स्पष्टीकरण और तथ्य और डाकुमेंटरी एवीडेन्स जो आई हैं · · · ·

श्री खेतसिंह : मंगवाई है। आई नहीं हैं अभी तक।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसको मंगाकर निष्पक्ष बुद्धि से देख लेना चाहिए कि वास्तव में इसमें तथ्य हैं या नहीं हैं। यह नहीं हो कि श्री गफ्फारअली जी ने अटेक कर दिया और विश्नोईजी ने उसका डिफेन्स प्रस्तुत कर दिया। प्रश्न यह है कि 'Caesar should be above all suspicions' मैं समझता हूं, माननीय शिक्षामंत्री जी एग्जामिन करके देखेंगे। वहां गबन या घोटाले का आरोप प्राइमाफेसी सिद्ध हो तो यह बात कोई माने नहीं रखती कि वह गबन या घोटाला कितने का है कितने का नहीं है। यहां तो कांग्रेस नेताओं को जूते की चोरी में हथकड़ी डालकर घुमाया और कई ऐसे उदाहरण आये हैं। अगर कोई गबन हो चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो उससे कुछ नहीं बनता बल्कि आदमी के चरित्र का मापदण्ड होता है। इसलिए यह जितना भी काण्ड आया है इस दृष्टिकोण से शिक्षा मंत्री जी को जांच करके निर्णय लेना चाहिए।

अब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, शिक्षा मंत्री जी ने जोधपुर यूनिवर्सिटी के बिल के समय यह कहा कि अमेन्डमेंट दोनों में एक सा ही लाया गया · · · ·

श्री खेतसिंह : वह तो पास हो गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जोधपुर का पास हो गया और यह भी पास हो जायेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आप फोर्थ रीडिंग कर रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : आप जोधपुर के ऊपर या उदयपुर के ऊपर बोल रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं उदयपुर के ऊपर बोल रहा हूं और जोधपुर का रेफरेन्स कर रहा हूं।

श्री सभापति : इसके बाद एक और विधेयक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं इस अमेन्डमेंट के बारे में बोल रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय मैं यह कह रहा था कि इस में छुट्टी के बारे में प्रावधान नहीं हैं और यह गलतफहमी हो गयी है। मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : लम्बी छुट्टी हो तो ही हैं। एक दिन की छुट्टी जाएगा तो वह प्रावधान नहीं होगा जो आप कह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जरा सुन लीजिए, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो। आपके समझ में गलती हो, मेरे समझने में गलती हो।

"When a temporary vacancy in the office of the Vice Chancellor occurs by reason of leave...."

अब लीव कैसी हो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। केजुअल हो या लम्बी, दो महीने की हो, चार महीने की हो, दस दिन की, पांच दिन की हो, बाई रीजन आफ लीव, अगर छुट्टी ले ले तीन दिन की तो भी टेक्नीकली टेम्प्रेरी वेकेंसी ऑकर हो गई। अब उसको किस तरह से फिलअप करे यह चांसलर पर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो छुट्टी का उल्लेख नहीं है कि किस तरह की लीव होगी, इसको आप जरा फिर से देख लें और जो गलती रह गई है इसको आप स्पेसिफिक अमेंडमेंट के द्वारा सुधार लें, अन्यथा स्थिति यह होगी, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब कभी वाइस चांसलर छुट्टी पर जायेंगे तो स्टेटुअरी इण्टरप्रिटेशन के अनुसार टेम्प्रेरी वेकेंसी ऑकर हो जाएगी और उसके लिए भरने का कार्यक्रम चांसलर को करना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि पहले यह प्रोविजन था कि जब कभी छुट्टी पर जायेंगे वाइस चांसलर तो रजिस्ट्रार काम करेगा। उसको आपने रिपील कर दिया है। वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जरा इसको भी आप सुन लें। आपने पहले जो आपका प्रोविजन था उसमें साफ कहा था।

"Until the vacancy is filled under sub-section(4), the Registrar shall carry on the current duties of the office of the Vice Chancellor but such temporary arrangement shall not extent beyond the maximum period of six months without specific authorisation of the Chancellor."

तो पहले यह अरेंजमेंट था कि छः महीने तक रजिस्ट्रार काम कर सकता है उसके बाद चांसलर की आथोरिटी आती थी जिसमें वाइस चांसलर के छुट्टी पर जाने पर टेम्प्रेरी वेकेंसी ऑकर हो और वह एक्शन लें। हमने यहां पर डिबेट तो बहुत कर ली, श्रीवास्तव साहब कौन हैं, कोठारी साहब कौन हैं, लाम्बा साहब कौन हैं, जाट हैं, विश्नोई है, कौन है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। जो खास टैक्स्ट हैं अमेंडमेंट का, हमने उसपर विचार नहीं किया। यह क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं और इसके क्या कांसीक्यूएंसेज होंगे, आपने यहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
पर केजुअल, प्रिविलेज, दो महीने, चार महीने कुछ भी नहीं रखा। हर समय चांसलर के पास में जायेंगे कि अपोइन्टमेंट कीजिए। यह डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग है और डिफेक्टिव ड्राफ्टिंग की वजह से ऐसी कंटिन्जेंसी पैदा होंगी कि जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज पैदा होंगी आगे जाकर।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले कम से कम छः महीने, चार महीने का समय था, अब टेम्प्रेरी वैकेन्सी के नाम पर दो साल तक एक व्यक्ति को चला सकेंगे चांसलर साहब, कोई रूकावट नहीं है। कोई समय का प्रोहिबिशन नहीं है। इसमें यह लिखा हुआ है:

"The Vice Chancellor or the Registrar who shall make such arrangements to carry out duties of the Vice Chancellor as he may deem fit·····".

जितने सर्विस रूल्स बनते हैं, आर.एस.आर. के अलावा जितने सर्विस रूल्स हैं, सबोर्डीनेट सर्विस रूल्स हों, आर.ए.एस. के रूल्स हों उनमें अवश्य यह प्रावधान रहता है टेम्प्रेरी वैकेंसी तीन महीने, छः महीने से अधिक नहीं चलेगी। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफ़रेंस करना होगा, इस बीच नया आदमी आ गया तो खत्म हो जाएगा। यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैंक चैक दे दिया गया है चांसलर साहब को, कोई रूकावट नहीं है। इसमें भी प्रावधान होना चाहिए कि अधिक से अधिक स्टोप गैप अरेंजमेंट को, एडहाक अरेंजमेंट को, टेम्प्रेरी अरेंजमेंट को तीन चार महीने से अधिक नहीं चला सकेंगे। यह भी लेकूना है। यह पीरियड डिफाइन नहीं है। इस पर मंत्री महोदय विचार करें और यह डिफेक्ट है, एक लेकूना है उसका उल्लेख मैंने यहां पर किया है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चांसलर साहब को डिस्क्रिशन दिया गया है कि जहां वाइसचांसलर का अपोइन्टमेंट एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें चांसलर साहब हैं, दो तीन सिंडीकेट के लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं लेकिन यहां पर चांसलर साहब की स्वेच्छा के ऊपर, उनकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया है कि किस व्यक्ति को वह अपोइन्ट करते हैं, किस कैडर में से करते हैं, किस व्यक्ति को करते हैं यह डिस्क्रिशन पर रख दिया है चांसलर साहब को मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर डिस्क्रिशन को रखकर मिसयूज का स्कोप रख दिया गया है, यह नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि साधारण तौर पर यहां पर उदयपुर विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट आपके सामने है और जोधपुर का बिल आपके सामने पारित हो गया है लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी एक्सपेरीमेंट हो रहा है उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर किस प्रकार का प्रावधान किया गया है यह मैं आपको बताऊं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्डीनेंस 278 के तहत मैडिकल कालेजों की पोस्ट ग्रेज्यूएट परीक्षाओं के लिए दो बाहर के और एक अन्दर का परीक्षक नियुक्त किया जाने का प्रावधान है। इस आर्डीनेंस के अन्दर एकेडेमिक कौंसिल ने संशोधन करके कि दो अन्दर के परीक्षक रखे जाने का प्रावधान होना चाहिए, इस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रकार का प्रस्ताव सिण्डीकेट के पास विचार के लिए भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, सिण्डीकेट ने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, वह कर सकती थी, ऐसा प्रावधान है। इसके बाद सिण्डीकेट ने एकेडेमिक कौंसिल को एक ही अन्दर का परीक्षक नियुक्त करने पर विचार करने को कहा। उपाध्यक्ष महोदय, सिंडीकेट ने विश्वविद्यालय के आर्डीनेंस नं० 278 को सस्पेंड कर दिया। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिण्डीकेट के पावर्स के बाहर है। मैं इस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह कोई एकेडेमिक कौन्सिल और सिण्डीकेट के बीच का झगड़ा नहीं है, यह तथ्यात्मक बात है। इसके द्वारा जो एग्जामिनर पहले नियुक्त होने वाले थे, एक ही जगह दो जहां अन्दर के नियुक्त होने वाले थे, एक तो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हो जाए और दूसरा पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिशन्स का रोटेटरी प्रॉफेसर हो जाएगा। अब आर्डीनेंस 278 को सस्पेंड कर किया और धारा 30 के अनुसार विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस को सस्पेंड करने की पावर्स उनके पास है नहीं। तो माननीय मंत्री महोदय का ध्यान में इस ओर आकर्षित करूंगा, जरा टेक्निकल विषय है, इसको एक मिनिट के लिए वे समझ लें, विश्वविद्यालय के अन्दर धारा 30 (1) व (2) के अन्दर सिण्डीकेट में अधिकार है कि एकेडेमिक कौंसिल के अधिकारों को सस्पेंड कर दें। रिजल्ट यह हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक भी एग्जामिनर जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेज्यूएट क्लासेज ऑफ मेडिशन्स में होता है, वह इण्टरनल एग्जामिनर होगा नहीं, बाहर से आने वाले के साथ चांसलर साहब जिसको लगायेंगे, ए०बी०सी० किस को लगायें यह उनको डिस्क्रिशन दे दिया गया है जो धारा 30 के विरुद्ध है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्डीनेंस नं० 278, जिसको सिण्डीकेट ने इल्लीगली सस्पेंड किया है, उसकी भी जानकारी करके जांच करवा लें और अगर इल्लीगल हो तो उसके बारे में व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कुछ शंकाएं हुई हैं। एक तो यह कि वाइस चांसलर छुट्टी पर जायेंगे तो फिर कौन काम करेगा और किस प्रकार की व्यवस्था होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वाइस चांसलर को छुट्टी हमारे चांसलर द्वारा ही दी जाती है और उनके पास ही एप्लीकेशन जाती है और चांसलर गवर्नर है तो वाइस चांसलर साहब जब भी कोई छुट्टी पर जायेंगे, एक दिन की छुट्टी पर जाते हैं तो यह तो कामनसेंस कहता है कि दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लम्बी छुट्टी जाते हैं तो जिसको चांसलर ठीक समझें उसको काम सौंपें। यह इसलिए भी जरूरी है कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से चाहे एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही काबिल हों लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली काबिल न हों, इसलिए यह चांसलर साहब पर छोड़ दिया गया है कि जिसको उपयोगी समझें उसको वह फोर दी टाइम बिईंग....

श्री केदारनाथ : Chancellor means Government.

श्री खेतसिंह : जी हां, Chancellor means Government.

श्री राम किशन : Chancellor means Governor, not Government.

श्री खेतसिंह : इसलिए मेरा खयाल है कि यह प्रश्न काफी हल हो जायगा। मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपने जो एतराज उठाया वह है कि . .

श्री गुमानमल लोढ़ा : आर्डीनेंस 278 के बारे में।

श्री खेतसिंह : रोटेशनल हेडशिप मेडिकल कालेजेज की इसका ताल्लुक इससे नहीं है और इसकी जांच हम कर रहे हैं और जो किया गया है दूसरी यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल कालेजेज में सब जगह से मालूम करके रोटेशनशिप ऑफ एग्जामिनर्स किया गया है।

श्री केदारनाथ : वह तो कर दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने आर्डीनेंस नं० 278 को संस्पेंड करने की बात कही है।

श्री खेतसिंह : आपने जो सिण्डीकेट के द्वारा धारा 30 के तहत में सस्पेंड करने की बात कही है इन्टरनल एग्जामिनर के द्वारा एग्जामिन करने के बारे में। तीसरी बात आपने लाम्बा के बारे में कही है। मैंने मेरे पहले उत्तर में निवेदन कर दिया था कि जांच जारी है और केस यदि साबित हो जाएगा तो निश्चित रूप से वे अपने आप स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा देकर चले जायेंगे और अगर केस साबित नहीं होता है तो ऐसे योग्य व्यक्ति को हटाने की बात करना कहां तक उचित है। अब मैं समझता हूं कि इस जवाब के बाद इस विधेयक को पारित करने के लिए आप सहमत होंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री रामकिशन !

राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974.

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, पहली बार जब तेन्दू पत्ते के राष्ट्रीयकरण पर विचार हुआ था, उस समय मैंने कुछ बातें कही थीं। अब मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जो मूल बातें थीं वे इस सदन के सामने रख चुका हूं और मंत्री महोदय को भी इसकी जानकारी है। तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण इस दृष्टि से किया गया है कि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो। गैर राजस्व आय बढ़े। आपने जो ओबजेक्स ऑफ रीजन्स दिये हैं उसमें भी यही बात कही है कि चोरी होती थी। कई एजेन्सी होने से ग्राम पंचायत से ठेकेदार ठेका ले लेता था और वन विभाग की चोरी करता था। जहां

(श्री रामकिशन)

तक उद्देश्य का सवाल है मैंने इसका समर्थन किया है। हम राष्ट्रीयकरण के हमेशा समर्थक रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार पर भी

(6.40 बजे सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

जिम्मेदारी आती है। उनको भी सरकार को पूरा करना चाहिये। केवल सिद्धान्त का समर्थन करना और सिद्धान्त के विपरीत आचरण करना, इससे स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्य सरकार और दूसरी सरकारें देश में जगह 2 उद्योग धन्धों का, कारखानों का राष्ट्रीयकरण करती हैं। यह जनता के आन्दोलन की विजय है परन्तु इस उद्देश्य को असफल बनाने की भी चेष्ट यह सरकार करती है। और सरकार इस दिशा में जो काम करती है उससे वह बदनाम होती है और बदतर हालत उस उद्योग की होती जाती है मैं वन मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जो काम वे हाथ में लेने जा रहे हैं कम से कम इस काम को पूरी तैयारी के साथ हाथ में लें। यह आमदनी का अच्छा जरिया बन सकता है। वैसे एक बात और ध्यान में रखें। इस तेन्दू पत्ते की राजनीति ने कई मुख्य मंत्रियों को साफ कर दिया है। आप चाहे राजस्व मंत्री हैं। उड़ीसा के हरेकृष्ण मेहताव है। उसके बाद के मंत्री हैं। एक के बाद एक कमीशन इसकी जांच के लिये बिठाये गये हैं। इस तेन्दू पत्ते की राजनीति ने यह काम किया है।

मैं एक सवाल करना चाहता हूं। राजस्व का अनुमान लगाया गया है। सरकार इस काम को हाथ में लेगी तो कम से कम 33/34 लाख साल की आमदनी होगी पहले 18/12 लाख का ही अनुमान था। तो उसके मुकाबले में सरकार को 35/34 लाख की आमदनी होगी। मेरा आपसे यह कहना है कि यह आपका अनुमान है। यह जो आपने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट दिया है, यह आपने जान बूझ कर कम आंका है तेन्दू पत्ते की स्थिति बदल गई है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश के सम्बन्धों में जैसे जैसे सुधार होगा, यह आपकी आमदनी का जरिया बढ़ता जायेगा। बीड़ियों के पत्ते बंगला देश और दूसरे देशों में नहीं होते हैं और इन देशों में इसकी खपत ज्यादा है और उनका उत्पादन नहीं है। इसलिये जो अन्दाज लगाया है वह जान बूझकर कम लगाया है जिससे कभी आगे आप इस स्थिति का विश्लेषण करें कि हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसलिये आपने इस लक्ष्य को, इस अनुमान को कम रखा है मध्य प्रदेश में तेन्दू पत्ते से आमदनी आपके आबकारी विभाग को आमदनी के बराबर पहुंच चुकी है। इसलिये आपने जानबूझ कर इसको कम रखा है। यह आपका अनुमान है। इसके अन्दर कोई वजन नहीं है। यह मेरी शंका है कि जानबूझ कर आमदनी को कम आंका गया है। इसलिये कि कोई गड़बड़ी की संभावना हो तो भी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाये। इसलिये राजस्व मंत्रीजी को इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी स्थिति यह है कि इसमें आपने मैन्युफैक्चर और बीड़ी मजदूर को अलग अलग रखा है। इसका जिक्र किया है। इसका ध्यान रखें कि राष्ट्रीयकरण का जो

(श्री राम किशन)

पक्ष है वह बीड़ी मजदूर है। जिनका आज तक शोषण होता रहा है उनकी सुरक्षा की आपने क्या व्यवस्था की है ? राजस्व बढ़े यही इसका लक्ष्य नहीं है। इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, जिनकी आज संगठित आवाज नहीं है, जिनकी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। इनको किस प्रकार की सुरक्षा दी जाये, इसके संबंध में मंत्री महोदय अगर कोई व्यवस्था कर सकें तो अच्छा होगा। इससे तो मालूम नहीं होता है कि ऐसी कोई व्यवस्था होगी। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीकरण के हम लोग समर्थक हैं। इसका आम तौर पर समर्थन है। परन्तु इसमें एक आशंका रहती है। जहां कहीं भी राष्ट्रीयकरण होता है उनमें सबसे पहले भ्रष्टाचार, सुस्ती, प्रोडक्शन में गिरावट होती है लेकिन साथ ही साथ सरकारी दल नाजायज फायदा भी उठाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं। नागरवाला का मामला है। जैसे बैंकों का मामला है वहां भी सरकारी पार्टी नाजायज फायदा उठाती है। भ्रष्टाचार को आप नहीं रोक पायेंगे परन्तु सरकारी पार्टी को इस तरह से इन्वाल्व नहीं होने दें इसका भी खयाल रखें। इस पर मैं पहले ही बोल चुका हूं इसलिये और समय नहीं लेना चाहता हूं। जो विधेयक रखा है उसका मैं समर्थक हूं लेकिन यह जो अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है इसलिये दिया है कि जो आर्डिनेन्स होता है उसका दुरुपयोग होता है। वैसे यह लोकहित का प्रश्न है। यह एक अच्छा काम है। इसमें राजस्थान का कल्याण है। नीति का जहां तक सवाल है, मैं समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूं कि इस अधिकार का निरन्तर दुरुपयोग करने की सरकार की आदत हो गई है। सरकार इसके प्रति सतर्क रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है सदन उसको स्वीकार करे, यह निवेदन है।

उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अब तेन्दू पत्तों का राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण करना चाहते हैं। आपको मुबारकबाद देता हूं। गेहूं के सरकारीकरण की पहले आपने घोषणा की थी। जो दशा आज उसकी देखने को मिल रही है, उससे घबरा कर आपने उस सरकारीकरण को वापिस ले लिया है। मुझे पता नहीं तेन्दू पत्ते के सरकारीकरण की क्या दशा होगी। 10 दिसम्बर को आपने यह अध्यादेश निकाला। काफी समय हो गया। नियम भी बनाये होंगे। चार महीने हो गये हैं इस अध्यादेश को निकाले हुए तो क्या नियम बना दिये हैं। अगर नियम बना दिये हैं तो आपको इन नियमों की एक प्रतिलिपि भी इसके साथ पेश कर देनी चाहिये थी। यह अच्छा होता और नहीं बने हैं तो कब तक बन जायेंगे। यह आपको यहां पर बताना चाहिये और नियम 21 (3) के अनुसार जो पेज नम्बर 43 पर लिखा है:

"Every rule made under this Act, shall be laid as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rules should not be made, and notifies such decision in the official Gazette, the rules shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be.........."

मेरा निवेदन करना यह है कि इसके अनुसार आपको इन नियमों को भी इस सदन की मेज पर रख देना चाहिये था। चार महीने का समय हो गया है। आप कहां किस किस ऐजेन्ट को रखेंगे, यह बात भी नहीं बतायी है। किस किस विधायक को कमेटी में रखना चाहते हैं, यह भी आपने नहीं कहा है। ऐजेन्ट और रिटेलर कौन कौन हो सकते हैं यह भी नहीं बताया है। मेरा निवेदन करना यह है कि चार महीनें हो गये इसका व्यापार आप कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं तो अब तक कितना व्यापार कर लिया है। कितना आज तक इससे मुनाफा कमाया है। कितना अब तक इस पर खर्चा किया है। इस बात का लेखा जोखा आपको बताना चाहिये था। इसके बाद बिल बनाते। चार महीने में जो आपने कमाई की है, वह आपको यहां पर बताना चाहिये। इसके लिये आप थोड़ा और इन्तजार कर लेते क्योंकि सितम्बर में अधिवेशन होना निश्चित है। उस समय आप बिल को लाते तो अच्छा होता। यह परम्परा रही है कि बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे ताकि वहां पर ठीक ढंग से विचार हो सके और सदन का समय अधिक खराब न हो। परन्तु प्रवर समिति को भी आप यह बिल नहीं देना चाहते हैं। फिर जनमत के लिए परिचालित करने का तो प्रश्न नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रकार का कानून बनाने के औचित्य का प्रश्न है, तेन्दू पत्त का सरकारीकरण आप करना चाहते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ इसलिये नहीं होगा कि गेहूं का सरकारीकरण आपने किया और इस देश में तबाही आ गई। अनाज का सरकारीकरण फैल हो गया। लोगों को तीन किलो अनाज भी नहीं मिल रहा है। सड़ी गली माइलो, बाजरा मिल रहा है और वह भी समय पर नहीं मिलता है। कब मिलेगा, इसका इन्तजार होता है। सरकार ने पहले यह घोषणा की थी आधा किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से वह चना देगी। अब सरकार ने यह कर दिया है कि प्रति राशन एक किलो चना मिलेगा। यह सरकार लोगों को बेईमानी सिखा रही है। एक परिवार में सात सदस्य हैं तो सात के लिये वे राशन कार्ड बनायेंगे ताकि उनको सात किलो चना मिल सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीकरण बिल्कुल ही फैल हो गया है परन्त सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। लोग भूखों मर गये हैं और इसीलिए सरकार ने इस राष्ट्रीयकरण को वापिस लिया है। फिर इस प्रकार से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राष्ट्रीयकरण करने की कौन सी आवश्यकता है ? और जो आपने राष्ट्रीयकरण किया है, नाज में गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया है तो उसमें एक नहीं 25 संशोधन किये हैं समय समय पर धीरे धीरे और वह जो आपने सरकारीकरण की घोषणा की थी उस बिल की बिल्कुल रेढ़ हो गयी उन संशोधनों के आधार पर और वह संशोधन कई स्थानों पर रद्दी की टोकरी में चले गये। भगवान जाने कहां चले गये। नाज गायब हो गया बाजार से और लोगों के पेट की भूख आप सरकारीकरण के आधार पर नहीं मिटा सके। आपने कोयले का राष्ट्रीयकरण किया तो कोयला गायब हो गया। आपने पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया आठवीं कक्षा तक तो वह पुस्तकें आठवीं कक्षा के बच्चों को आज तक उपलब्ध नहीं हुई। और जो उपलब्ध हुई उनमें यह लिखा जाता है कि राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री भीखा भाई हैं तो किताब में छपता है भीखा नाई। यह आपकी किताबों का नमूना है। इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैकेण्डरी परीक्षा में सामाजिक ज्ञान की परीक्षा होती है उसक लिए जो पुस्तक लिखी गई है उसके दो संस्करण छप चुके हैं और जो सैकन्डरी में पढ़ाई जाती है तो उसमें लिखा है कि कोलम्बस ने 1942 में अमेरिका को खोजा सैकण्डरी का छात्र क्या इम्तिहान देगा। मैं समझता हूं कि दो संस्करण किताब के छप गये लेकिन आपने संशोधन नहीं किये।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सूचना केन्द्र में एक पुस्तक है फ्रेण्ड्स फोर इफेक्शन तो इसमें यह लिखा है कि राजस्थान में तीन ब्राह्मण मुख्य मंत्री हुए पहला लिखा है श्रीमान् हजारीलाल शर्मा, वह राजस्थान के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए जो राष्ट्रदूत वाले हैं उनके लिए यह लिखा है। दूसरा लिखा है जयनारायण व्यास और तीसरा लिखा है टीकाराम पालीवाल सूचना केन्द्र में यह किताब है जिसके पेज नं 51 पर यह बात लिखी है। उसकी न तो शुद्धि हुई है और न उस पुस्तक को वहां से हटाया गया है, यह मैं कहना चाहता हूं कि यह आपने किताबों का राष्ट्रीयकरण किया है। यह जो आपके छापेखाने हैं उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नाज में आप फेल हो गये, किताबों में आप फेल गये और बसों में फेल गये। आपने बसों का राष्ट्रीयकरण किया तो उसमें भी आप फेल गये। आज हालत यह है कि 20 मार्च से पहले जयपुर से सांगानेर तक 16 प्राइवेट बसें चलती थीं और आज कुल 6 बसें चल रही हैं। बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, बच्चे सांगानेर से आते हैं लेकिन रोडवेज की हालत आज सरकार की तरह से हटीली हो रही है कि धक्के खाने पर भी नहीं चलती है। इस प्रकार की हालत बसों की है कि कहीं पर पन्चर हो जाय या टायर फट जाय तो बसें टस से मस नहीं होती हैं। यह सारी बातें आपकी फेल हो गईं। चाहे स्टेट मोनोपोली हो या प्राइवेट मोनोपोली हो किसी प्रकार का जो एकाधिकार है मैं इसके खिलाफ हूं और मेरी पार्टी भी इसके खिलाफ है। मैंने प्रारम्भ से ही कहा है कि न तो मैं प्राइवेट मोनोपोली चाहता हूं और न स्टेट मोनोपोली। मैं चाहता हूं कि स्पर्धा के आधार पर लोग धन्धा करें। आप कम्पीटिशन के आधार पर आ जायं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया होगा। मैं आपका ध्यान आपकी भलाई की ओर दिलाना चाहता हूं। तेंदू पत्तों का राष्ट्रीयकरण उड़ीसा में फैल गया और वहां मुख्य मंत्री गायब हो गये। मध्यप्रदेश में तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वहां पर भी बात फेल हो गई। राजस्थान में अब आप प्रयोग करना चाहते हैं तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जोशीजी शायद आपको अच्छे नहीं लगते हों।

लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे अच्छे लगते हैं। आपको पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते हैं। यह मेरी बात समझ में नहीं आती है। मेहरबानी करके राजस्थान में तेंदू के पत्तों का सरकारीकरण करने का प्रयोग करें। आपने गेहूं में इसका प्रयोग किया और गेहूं गायब हो गया, गुड़ में प्रयोग किया तो गुड़ गायब हो गया, खाण्ड में प्रयोग किया तो खाण्ड गायब हो गई, कोयले में प्रयोग किया तो कोयला गायब हो गया, तेल में प्रयोग किया तो लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता है और अब पत्तों को ले रहे हैं तो लोग पत्तों से पेट पालते हैं उनको गायब कर देना चाहते हैं।

सेक्शन (4) में अपने एजेन्ट मुकर्रर करने की घोषणा की···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य को बोलने से रोकूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका संकल्प है क्या ?

कई माननीय सदस्य (विपक्ष) : संकल्प है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपका संकल्प नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका है। इसके ऊपर रामकिशन जी का था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आपका संकल्प इसमें तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे कह रहा हूं कि है।

श्री परसराम मदेरणा : वह भूल हो गई है इसमें रह गया है। वह कल वाली में था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आज में नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आज में नहीं है वह कल वाली में था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सेक्शन (4) में आपने एजेन्ट मुकर्रर करने की बात कही है। आप क्यों यह तलाश करते हैं ? आपकी कांग्रेस की डी० सी० सी० जो है उसको आप एजेन्ट मुकर्रर कर दें। और सेक्शन (सी) में मैं समझता हूं कि आपने एडवाइजरी कमेटी जो बनाने वाली बात कही है तो मैं आपका काम हल्का कर रहा हूं, आप पी० सी० सी० के लोगों को मुकर्रर कर दें। चार जो डिपो आप बनायेंगे इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है उसको मुकर्रर कर दें। इसलिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब यह है कि आप इस प्रकार से

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
व्यापार करना चाहते हैं, तेंदू के पत्तों का व्यापार करना चाहेंगे ....

श्री रामकिशन : आपके सुझाव के अनुसार तो यह मानले कि अगले चुनाव में बीड़ी भी नहीं देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पत्तों का उद्योग अपने हाथ में ले लिया तो उसमें यही हालत होगी जो औरों में हुई है, वही करप्शन, वही भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, गबन और उसी प्रकार से सरकारी खर्चा बढ़ेगा और उसके कारण से बीड़ी जो अब तक गरीब लोगों को पीने के लिए सस्ती मिल जाती थी वह मैं समझता हूं कि बीड़ी लोगों को अब इस राज्य में महंगी मिलेगी।

इसी प्रकार से वेयर हाउसिंग के बारे में मैं कहना चाहूंगा। व्यापारी चाहते हैं कि हम रखें और सरकार चाहती है कि वेयर हाउस वह रखें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने हाथ में वेयर हाउसिंग रखने के बजाय सरकार का उन पर चैकिंग हो जाय तो इसमें क्या आपत्ति है।

इसी प्रकार से जो गड्डियां हैं वह अब तक 100-100 पत्तों की होती हैं। वह 100 की बजाय 60 की कर दीं और उसकी 47 रुपया कीमत रख दी। कच्चे पत्तों के तोड़ने का टेन्डर पता नहीं किस किस्म का होगा। इसके बारे में नहीं कहा है। पत्तों की क्वालिटी कौन देखेगा, इस किस्म के बारे में भी आपने नहीं कहा है। अच्छा तो यह हो कि सरकार तुड़वा ले। फिर सरकारीकरण और नीलाम? टोंक की मिसाल सामने रखिये। टोंक में मयूर बीड़ी का उद्योग लघु उद्योग निगम के मन्नालाल जी साहब गोयल चला रहे हैं। वहां पर पत्तों का ढेर पड़ा हुआ है। वह पत्ते बिलकुल नाकाम हो गये हैं, सड़ गये है। उसको कम से कम देखकर तो शिक्षा ले लें। गरीब जो पत्ते तोड़ने का धन्धा करते थे उनका धन्धा आप छीनना चाहते हैं। आपने फिर यह कहा है कि जो यह काम करेगा वह टैक्स देगा और बैंक की गारन्टी देगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मालदार आदमी देगा बैंक गारन्टी तो और टैक्स का पेमेन्ट भी वही करेगा। गरीब आदमी न तो बैंक गारन्टी देगा और न कैश गारन्टी देगा। इसलिए आप गरीबों के हाथ से धन्धा छीनना चाहते हैं। यदि इसका विकेन्द्रीकरण करेंगे तो 10 हजार छोटे गरीब लोगों को लाभ होगा और बीड़ी भी मंहगी नहीं होगी।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यादेश को निरस्त करने के बारे में। आपने इसमें जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा है। जुर्माने और सजा का प्रावधान रखा है तो मुझे बताइये कि हर बात में सजा और हर बात में जुर्माने से आखिरकार क्या होगा? आप अपने वनों को भली प्रकार से सम्हाल नहीं सकते। सवाई माधोपुर और आबू के जंगल नेस्तनाबूद हो गये। उन वनों की तरक्की नहीं हो पाई है (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) उसके कारण से बरसात नहीं होती है और वर्षा नहीं होने के कारण से खेती की हालत खराब है। आप गेहूं के सरकारीकरण को सम्हाल नहीं सकते, कोयले के काम को नहीं सम्हाल सके। हर काम में हो गया राष्ट्रीयकरण और आपने ऐसा समाजवाद ला दिया कि आदमी मोटरों से स्कूटर पर आ गये और स्कूटर से साइकल पर आ गये और साइकल का टायर मिलता नहीं है तो पैदल चलो। तो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सबको बाबाजी बना दिया है। आपका समाजवाद का तरीका तो यह है कि गरीब और अमीर सब को शमशान में भेज दो। यदि सारी बातों का सरकारीकरण करना चाहते हैं तो कीजिये। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने नाज को ठप्प कर दिया सरकारीकरण करके और उन्हीं के राज्य में यह सारा हुआ है, वह आज कम से कम ऐसी भूल नहीं करेंगे। यह उनके हित में होगा और सारी राजस्थान की जनता के हित में भी होगा। माननीय मंत्री जी, मेरे इन शब्दों पर ध्यान देकर इन प्रावधानों के अन्दर एमेंडमेंट करेंगे तो मैं मानूंगा इस प्रकार की सद्बुद्धि आपकी मार्फत देने का मैंने प्रयास किया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने संविधान की आर्टिकल 213 के अन्तर्गत तेन्दू पत्ते के व्यापार पर लोकहित में एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रख्यापित किया है। उसको इस सदन के द्वारा अस्वीकार करने के बारे में यह संकल्प है। भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि आर्टिकल, कौन सा है वह ...

श्री रामकिशन : इसी किताब में देख लो।

श्री परसराम मदेरणा : संविधान की धारा 213 (2) के सब-क्लाज (ए) के अन्तर्गत जो संकल्प रखा है, मेरा प्रस्ताव है कि उसे अस्वीकार किया जाये। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को अधिकार है और गवर्नर सेटिस्फाइड हैं। राज्य सरकार राज्यपाल महोदय को सलाह देती है। यह भी मन्त्रिमण्डल ने सलाह दी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसी क्या आफत आ गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : जब यह निश्चय किया गया कि नीति के आधार पर और राज्य के हित में कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किये जाने के लिए संविधान के आर्टिकल 19 (6) के अन्तर्गत हम इस प्रकार की मोनोपोली का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। यह लोकहित में रीजनेबल है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप पावर डेलीगेट क्यों नहीं करना चाहते हैं। रीजन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य बहुत बातें कह चुके हैं। लेकिन हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य को यह भी जानकारी नहीं होगी कि तेंदू पत्ता कब आता है बाजार में तेंदू पत्ता मई-जून में आता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मई, जून में आता है। मुझे पता है। अब टूटेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपने दलील दी है लेकिन आप की दलील में कोहसन नहीं था। इस तेंदू पत्ते के बारे में, इसकी मोनोपोली के बारे में कहा है। इसमें आपकी एप्रोच क्या है ? भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि जस्टिस गजेन्द्रगड़कर ने इसका एक रिव्यू किया है। वह हाईकोर्ट के माने हुये जस्टिस हैं। राष्ट्रीयकरण की एप्रोच क्या हैं ? डाक्ट्रेनेअर एप्रोच और प्रगमेटिक एप्रोच? डाक्ट्रेनेअर एप्रोच सोशलिस्टिक होता है। और, प्रेगमेटिक एप्रोच रेशनलिस्ट्स का होता है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दोनों का

(श्री परसराम मदेरणा)

मिश्रण किया है। दूसरे यह है कि जो ठेकेदार हैं, उन पर कन्ट्रोल भी रह सकता है। इसलिये ये दोनों ही एप्रोच हैं। आप यह कह रहे हैं कि आमदनी आपने ज्यादा नहीं बताई है। 12 लाख की आमदनी है पिछले 10 साल से आप देख लें। नफा 12 लाख होता है। जिस आर्डिनेंस को रीप्लेस करने जा रहे हैं, उसमें 34 लाख रुपये की शुद्ध आय बताई है। इसका मतलब यह है कि एक ही साल में 22 लाख की आय और हो। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, बहुत ज्यादा तादाद में होता है। अपने राजस्थान में उतनी तादाद में नहीं होता है। जहां तक आपने उड़ीसा की बात कही है, उड़ीसा में हो सकता है तेन्दू पत्ते की राजनीति हो। और इस तेंदू की राजनीति में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने तेन्दू की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए जो कुछ खामियां रखी थीं, उससे प्रिकाशन लेकर हमने यह कानून बनाया है। एक बात। दूसरी बात कितने राज्यों के मुख्य मंत्री इस तेन्दू के पत्ते की राजनीति से साफ हो गये? आप यह मानकर चलें, मुख्य मंत्री तो हो गये या नहीं, वन मंत्री साफ होने वाले नहीं हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दिल्ली से बात नहीं कह रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : Ceasar's wife should not only be chaste but she should be above suspicion also. हमने अपना कण्डक्ट पब्लिक लाइफ में साफ रखा है। इसलिए मैं तेन्दू की राजनीति में फंसने वाला नहीं हूं।

श्री रामकिशन : आज तो आप की घोषणा जार्ज वाशिंगटन की तरह हो रही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप कहते तो मैं आपको जजमेण्ट सुनाता। इसलिए आप बोले नहीं।

यहां पर गड़बड़ियों के सम्बन्ध में भी बात कही गई है।

श्री रामकिशन : देश को सफल बनाने के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसको मैं स्वयं देख रहा हूं और निजी तौर पर देख रहा हूं।

हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि आर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर दिया है। और रूल्स बनाये नहीं हैं। फिर एक्शन क्या लिया है? एक्शन नहीं लिया है। तो गवर्नर के पावर्स से ऐसा कैसे किया है? यह बात सही है कि रूल्स को सदन में रखने में देरी हो गई है। यह कल गजट में पब्लिश हुआ है। यह मैंने इसलिए रखा है कि सदन के अन्दर एक्सेप्ट करने के लिए 14 दिन की स्वीकृति चाहिए। अगर यह हाउस समाप्त हो गया तो यह फिर भटक जायगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कॉपी दे दें।

श्री परसराम मदेरणा : हम दे देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब तो आप दे देंगे। पहले दे देते।

Page No 154

(154)

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक बम्पर एरिया मार्क करने की बात है। स्पेसीफाइड एरिया मार्क करने की बात है। एजेण्ट अपाइन्ट करने की बात है। जहां तक इन सबके बनाने की बात है। इसके बारे में हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। इस एकाधिकार के बारे में उन्होंने साफ कह दिया है वह इस नीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप ऐसी इकानामी में विश्वास करते हैं। मैं रैग्युलेटेड ट्रेड में विश्वास रखता हूं। वह तो आप की एप्रोच है। लेकिन डी० सी० सी० को एजेन्ट कर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान न तो अध्यादेश में है न बिल में है।

श्री रामकिशन : जिस चीज को छिपाना चाहते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप कहते हैं कि आप दलाल रख रहे हैं। मैं दलाली नहीं करता। मेरा एप्रोच डाक्ट्रेनेअर एप्रोच है, जिस सोशलिज्म की बात गजेन्द्र ने कही है और सोशलिस्ट पार्टी का जो एप्रोच है, मेरा डाक्ट्रेनेअर एप्रोच है और प्रगॅमेटिक एप्रोच है और इसलिए एजेंट के एपाइंटमेंट के अन्दर एक प्रोसीजर निर्धारित कर दिया गया जिसको गजट में प्रकाशित किया गया है, उसके अनुसार एजेंट्स नियुक्त होंगे, किसी की दलाली करने से नहीं होंगे...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही लोग होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अब लोगों के संबंध में मैं नहीं कहना चाहता, कोई भी आदमी आ सकता है लेकिन डी०सी० सी० खुद आ जाए और डी० सी० सी० एजेंट मुकर्रर हो जाए, यह संभावना नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कहता हूं आपकी नीति फेल होगी।

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य नीचे देख रहे हैं। यह मोनोपाली क्रीएट करने से केवल आमदनी में वृद्धि करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा तेन्दू पत्तों की पैदावार बढ़े और उसके साथ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो, पेड़ों के अन्दर पल्वराइजेशन का काम हो, नई अच्छी क्वालिटी के पत्ते उगायें ताकि जो बीड़ी पीते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के पत्ते उपलब्ध हो सकें। यह भी हमारा उद्देश्य है कि इसमें जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, जो तस्करी करते हैं उनको रोका जाए, केवल आमदनी बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आमदनी तो निश्चित तौर से एक साल में बढ़ी है। अगर राज्य का एप्रोच केवल आमदनी बढ़ाना ही है तो भी मोनोपोली क्रीएट कर सकते हैं। यह बात भी गजेन्द्रगडकर ने कही है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स पर भी मानोपोली क्रीएट कर सकते हैं, प्राइसेज को रेग्यूलेट करने के लिए मोनोपोली क्रीएट कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मोनोपोली क्रीएट हो सकती है, और

"State may enter trade as monopolist even for purposes of making profits in order to enrich the State exchequer."

और स्टेट एक्सचेकर को एक साल में 22 लाख की आमदनी में वृद्धि हो गई, वह राज्य सरकार के सामने कुछ कारण

(श्री परसराम मदेरणा)
थे लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, इन मुद्दों पर मोनोपोली क्रीएट हो सकती है। मोनोपोली जनहित में की गई है इसलिए जो अध्यादेश का प्रामुलगेशन किया गया है, इसमें मैंने सभी स्टेप्स लिए हैं। यदि नहीं लेता और एक साल के लिए डेफर हो जाता तो स्टेट को हानि होती और उसके साथ में जो स्टेप्स हम लेना चाहते थे ताकि पेड़ों का कतरण ठीक हो, उससे वंचित रह जाते। तो मैं फर्स्ट आपूर्चुनिटी लेकर विधान सभा में आया हूं। इसलिए राज्यपाल महोदय को राज्य सरकार ने परामर्श दिया कि वह लेजिस्लेटिव पावर्स इन्वोक करे, हम अध्यादेश प्रामुलगेट करना चाहते हैं। अब इसको रिजेक्ट करने का माननीय सदस्यों ने जो संकल्प रखा है, मेरी दलील के बाद में मुझे आशा है कि सदन इस संकल्प को स्वीकार नहीं करेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बैंक गारंटी वाली बात ?

श्री रामकिशन : वह तो बिल में आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामकिशन : मंत्रीजी ने आज जो कुछ कहा है उनको देखते हुए वापिस ले लूं ?

श्री उपाध्यक्ष : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मंत्री महोदय के कहने पर वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या संकल्प को वापिस लेने की अनुमति माननीय सदस्यों को दी जाए।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री रामकिशन : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा से मैं संकल्प वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प वापिस लिये गये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तेंदू पत्ते (व्यापार का विनियमन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मेरा नाम इनसे ऊपर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पिछले साल का लाए हो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए ! I am more sure about the business.

श्री यशवंतसिंह नाहर : सचिवालय से सक्यूंलर आना चाहिए था, मुझे कोई एतराज करने का शौक नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान तेन्दू लीव्ज (रेग्यूलेशन ऑफ ट्रेड) बिल, 1974 लाया गया है, मैं इसको एक सराहनीय कदम

(श्री मोहम्मदगफ्फार अली)

मानता हूं। मेरी मान्यता यह है कि जितने भी ऐसे उद्योग हों या ऐसे जंगल हों या ऐसा कारोबार हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके तो उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और यह भी एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण है जिसको रेग्यूलेशन आफ ट्रेड के नाम से आपने संबोधित किया है। मैं इसके जो फवायद हैं, उनके बारे में गुजारिश करना चाहता हूं। इस कारोबार में बहुत से लोग लगे हुए हैं और आपने सेक्शन 3 में कुछ इकाइयों में बांटने की बात कही है, उसके लिए मैं एक आधार पेश करूंगा और चाहूंगा कि मंत्री महोदय बजाय इसके कि आपस में बातचीत करें, हमारा कुछ निवेदन सुनें ताकि आपकी समझ में आए तो उसको एक्सेप्ट करें। सेक्शन 3 में इकाइयों में बांटने के बारे में मेरा सुझाव यह है कि ये इकाइयां छोटी छोटी होनी चाहिएं। यह हो सकता है कि कुछ इकाइयां छोटी रखें, कुछ बड़ी रखें। अगर आप बड़ी इकाइयां रखेंगे तो जो दो लाख, पांच लाख से कारोबार करते हैं सिर्फ वे ही फायदा उठा सकेंगे और वे ही टेंडर दे सकेंगे। आज छोटा छोटा धंधा करने वाले हैं जो इस काम को कर रहे हैं वे पत्ता तुड़वाते हैं, बेचते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए आप जब इकाइयों की बात करें तो उसमें आप उन छोटे छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका ध्यान रखें क्योंकि वे भी अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं। अगर बड़ी इकाइयां कायम की गईं तो उनसे जो उनका कारोबार है, समाप्त हो जाएगा।

दूसरी बात आपने सेक्शन 6 का जो हिंदी अनुवाद किया है उसमें आपने ट्रेडर्स और मैन्यूफैक्चरर्स लिखा है अंग्रेजी में और हिंदी में आपने लिखा है बीड़ी बनाने वाले। यह सही नहीं है। ये बीड़ी बनाने वाले नहीं हैं। बल्कि बनवाने वाले हैं। आपको दरअसल एक प्रतिनिधि उन बीड़ी बनाने वालों या मजदूरों का रखना चाहिए। 'या' जो शब्द है उसको गंभीरता से सोचना चाहिए था, उसको डिलीट करें। याने मैन्यूफैक्चरर्स को आप बेनीफिशरीज बनाना चाहते हैं लेकिन वास्तव में जिनको बेनीफिट होना चाहिए उनको इस बिल से कोई राहत नहीं दी। आज हजारों आदमी टोंक व जयपुर में बीड़ी बनाते हैं और मेरी मान्यता है कि उनको 8 घंटे मेहनत करने के दो रुपये या तीन रुपये भी नहीं मिलते। आप एक कानून बनाते हैं तो जहां एक तरफ आप अपने फाइनेन्सेज की बात सोचते हैं वहां आपको उन मजदूरों, जो मजदूर इस उद्योग में काम कर रहे हैं, के फायदे को भी सोचना चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस सिलसिले में मेरी राय है, पांच के बजाय सात भी कर दें, लेकिन जो आपके बेनिफिशियरी है, असल में जो बनाते हैं बीड़ियां, उनका रिप्रेजेंटेशन रखना चाहिए, और उसके साथ उनकी कोपरेटिव के बारे में भी आपको इस बिल के अन्दर कुछ न कुछ इनकोर्पोरेट करना चाहिए, इसलिए कि आज उनका जितना शोषण हो रहा है इस कारोबार में, आपका जो लघु उद्योग है, इसके अन्दर, उतना किसी मजदूर का नहीं हो रहा है। तीन तीन हजार मजदूर टोंक में काम कर रहे हैं, उन बेचारों को दो रुपये, ढाई रुपये रोजाना मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। मैं चाहूं, माननीय मंत्रीजी, आप उनकी दयनीय हालत पर तवज्जह करें और कोई इस तरह का प्रावधान इस कानून में करें कि जो

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कोपरेटिव होंगी मजदूरों की, उन्हें तेंदू पत्ता प्रिफरेंशियल राइट से दिया जायगा, किस्तों में दिया जायगा, कम कीमत में दिया जायगा। मुझे अफसोस है, आपने उनकी हालत को नजर अन्दाज कर दिया है। इसलिए मेरा सुझाव है, दफा 6 में 'ग' का प्राविजन है, मैंने अमेंडमेंट नहीं दिया है, मैं जबानी दे रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस लाईन पर थोड़ा अमल कर सकें और मेरा सुझाव है इस पर गौर करें।

इसके अलावा इसमें कुछ कान्ट्रेडिक्शन नजर आ रहे हैं। सेक्शन 9 में प्रावधान किया है कि सब-सेक्शन (2) में जो पत्ता खराब होगा, गवर्नमेंट या उसका आथोराइज्ड ऑफिसर या उसका एजेंट है वह उन पत्तों को लेने से इन्कार कर सकता है। मेरा कहना यह है कि इस खराबी को तय करने वाला कौन होगा, और वह जो ग्रोअर है छोटा, उसको क्या रिलीफ आप देना चाहते हैं। आपका डिपार्टमेंट है, उसमें पैदा होता है, उसमें खराबी है, उसमें क्या इस तरह से फर्क पड़ने वाला नहीं है। छोटा ग्रोअर है, वह पत्ता लाता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद पेनल्टी देते हैं। अगर गलत रिजेक्शन हो गया है, तो आपने आगे प्रावधान किया है, आप पैसा देंगे और जुर्माने की रकम भी और देंगे। मेरा सुझाव है, आप एक कमेटी कान्स्टीटयूट करें, यह तय करने के लिए कांस्टीट्यूट करें कि क्या कीमत तय करें। उसी कमेटी को यह अधिकार भी दे दें, उसमें एक्सपर्ट इस बात का रखें, जो देखे वह पत्ता सही है या गलत। उस कमेटी में आप एक्सपर्ट को कोप्ट कर लें। इससे आपकी यह कठिनाई है, मैं समझता हूं, समाप्त हो जायगी। इसलिए आपको इस प्रावधान के ऊपर भी गौर करना चाहिए।

उसके बाद एक जो निवेदन किया चाहता हूं, वह यह है, मेरी नजर में कान्ट्रेडिक्शन मालूम होता है, वैसे माननीय मंत्री फर्मायेंगे। ऐसा है कि सेक्शन 9 में आपने रिजेक्ट करने की पॉवर गवर्नमेंट को दी है, यह नहीं दी है कि गवर्नमेंट का आथोराइज्ड एजेंट कोई भी हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है; लेकिन गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है, उसकी अपील, रिवीजन जो भी समझें, वह डी०एफ०ओ० करेगा। यह अटपटी बात है। गवर्नमेंट जिसको रिजेक्ट करे, उसका डी०एफ०ओ० रिवीजन करे। फिर मान लिया जाय, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, डेलीगेट कर देती है पॉवर, आपने डेलीगेट की है पॉवर सेक्शन 14 के अन्दर, आपने लिखा है, गवर्नमेंट को पॉवर है वह असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट को मुन्तकिल की जाय। मैं आपसे पूछता हूं, आपको पूरी जानकारी है इसलिए कि असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट हायर पद है, वह रिजेक्ट कर दे, तो डी०एफ०ओ० उसका रिवीजन करेगा। यह अटपटा मालूम होता है, यह कान्ट्रेडिक्शन मालूम होता है। यह हो सकता है कि असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट और डी०एफ०ओ० पद एक ही हैं और इन्टर चेंजेबल हैं, तो मैं समझता हूं कि असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट के बजाय कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट या चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट, जिसको भी आथोरिटी दें, He must be higher than D.F.O. आप कान्करेंट जुरिस्डिक्शन मान कर चलते हैं, इन्टर चेंजेबल पोस्ट

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मान कर चलते हैं तो भी सोचना चाहिए कि यह सही है क्या, गवर्नमेंट रिजेक्ट करे, असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट करे या कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट करे और डी०एफ० ओ० को असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट के फैसले को रिवर्स करने की पॉवर आप रखते हैं। मेरा कहना यह है कि इस कान्ट्रेडिक्शन को आप मानते हैं या नहीं। यह अलग बात है, आप पास कराना चाहें तो पास करा दीजिये, आप पास करा सकते हैं, इसमें मुझे एतराज नहीं है. बाद में कान्ट्रेडिक्शन पैदा होगा तो उसको आप भुगतेंगे, मैं नहीं भुगतूंगा। इसमें अर्ज करना यह है, इसमें कान्ट्रेडिक्शन मालूम होता है, असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट के फैसले को रिवर्स करने की डी०एफ०ओ० को पॉवर दी है, वह आप कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट को दीजिये, ताकि असिस्टेन्ट कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट को वह बदल सकें, या फिर चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट को दीजिये। यह जो कान्ट्रेडिक्शन है, इसमें, यह दूर होना चाहिए।

इसके अलावा, जैसा मैंने आपके सामने सुझाव रखा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग आप एक्स्ट्रा ऐंगेज करना चाहते हैं, और उस पर कैसी रकम खर्च करना चाहते हैं उसकी मैं नैसेसिटी महसूस नहीं करता हूं। आपने अपना जो फाइनेन्स का हिस्सा लगाया है, उसमें फाइनेन्स की रिकमन्डेशन की है, उसमें कोई 11 लाख का सर्फा आपने बताया है, 11 लाख से ऊपर सर्फा आपने बताया है। मैं निवेदन करूं, आप इस सर्फे को फिलहाल मत कीजिये क्योंकि यह पहला एक्सपेरीमेंट है, आप स्टॉफ रखेंगे वह लाइबिलिटी हो जायगी, उसके बाद तजुर्बात होते रहेंगे वह होते रहेंगे। मेरी गुजारिश है, आपके मौजूदा इन्कमबेन्ट हैं, आपकी जरूरियात को खत्म करने के लिए और इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी है। इसलिए आप अपने बजट पर बर्डन मत कीजिये। इसमें ज्यादा सर्फा करने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा सबसे पहले जिसका मैंने सरसरी तौर से हवाला दिया था, वह मजदूरों द्वारा बनाई जाने वाली कोपरेटिव के बारे में है। मैं इस पर कुछ निवेदन किया चाहता हूं। मैं यह चाहता था कि इसमें कुछ ऐसा प्रावधान होता कि जो बीड़ी बनाने वाले तेंदू पत्ता लेना चाहेंगे उनको इसमें प्रिफरेन्स दिया जायगा। आज आप एक अमेंडमेंट ला रहे हो, कल वह पेश होगा, जिसमें आपने कहा है कि राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन जिन गाड़ियों को चलाना चाहेगा, उनको हम प्रिफरेन्स देंगे। मैं यह चाहता था कि इसी किस्म की बात आप उन मजदूरों के लिए कहते। वह मजदूर अगर इंडिविजुअल चाहें तो और वह अपनी कोपरेटिव बना कर आपके समक्ष आवें तो आपको उनको सहूलियत देनी चाहिए और उसके साथ-साथ जो रियायत आप उनको दे सकते हैं वह भी उनको देनी चाहिए। इसमें उन गरीब मजदूरों के बारे में कहीं एक लफ्ज मुझको नहीं मिला है। तो क्या तेंदू पत्ते के बिल को आप इस वजह से बनाना चाहते हैं कि राज्य को फायदा हो जाय, और कुछ मुलाजिमात लोगों को मिल जाय, कुछ फारेस्ट डिपार्टमेंट में इन्कमबेंट बढ़ जाय, या यह उद्देश्य है कि ऐसे लोग, जो लघु उद्योग में लगे हुए हैं, और इससे प्रभावित

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हों उनको भी कुछ राहत मिले। तो अगर आपका पहला उद्देश्य है तो मैं यह चाहूंगा कि यह सोशलिज्म, समाजवाद के सिद्धान्तों के विपरीत है, आप पचासों चीजों से पैसा कमाते हैं, शराब पिला कर बेकस लोगों को, शराब बिकवाना कितना बड़ा कमाई का साधन है, इससे आपको पैसा मिलता है लेकिन ऐसी स्टेट, जो समाजवाद का उद्देश्य रखती है, वेलफेअर स्टेट है, उसका सबसे बड़ा कर्त्तव्य यह है कि वह ऐसे सेक्शन, ऐसे वर्ग को, जिस वर्ग का आज तेंदू पत्ते के इस व्यापार के अन्दर शोषण हो रहा है, कुछ रिलीफ प्रदान करें, उसको कुछ सहायता दें, उसको कुछ राहत दें। तब तो जो आपका उद्देश्य है वह पूरा होता है, वरना आमदनी के पचासों जरिये आप ढूंढ सकते हैं हर साल। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आप अपना दिमाग एप्लाई करें। मैं अभी समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या इस किस्म का कोई प्रावधान करना चाहते हैं या नहीं? अगर आप चाहते हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि अभी आप चाहें इसको पास कर लें, लेकिन आप इस बात की कोशिश करें, जब भी मौका हो, इस किस्म का प्रावधान करें जिससे शोषित वर्ग को कुछ फायदा हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक उचित दिशा में कदम उठाया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल। (अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी (अनुपस्थित)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि अभी जो सदन में राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनिमयन) विधेयक, 1974 पर बहस चल रही है इस विधेयक पर तीन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, पहला तो है इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, दूसरा है इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, तीसरा है इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीनों प्रस्तावों का उत्तर मन्त्री महोदय एक साथ ही दें तो ठीक रहेगा। इससे सदन का समय भी बच जायगा क्योंकि काफी समय हो गया है।

श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनिमयन) विधेयक, 1974 का स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ खामियां हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उन खामियों के दूर होने के बाद हमारी राज्य सरकार को काफी इससे लाभ हो सकता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, शायद कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति-सूचक घन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने तो इस विधेयक का स्वागत ही किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अर्ज करना इतना ही है कि इस तेन्दू पत्ते को अच्छी तरह काटा

(श्री केसरीमल)

जाय क्योंकि अब तक जो कटाई उस पत्ते की होती थी उससे हमारी राज्य सरकार को अच्छी तरह से आमदनी नहीं होती थी। कई जगहों पर ठेकेदारों द्वारा इन पेड़ों की कटाई होती थी कहीं पर और कोई एजेन्सी से कटाई होती थी, इसके अलग अलग तरीके थे। इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इन पेड़ों की कटाई कराकर इससे जो पैसा मिलता था वह कुछ लोगों द्वारा ऊपर से ऊपर ही हड़प लिया जाता था। या यों कहिये कि जितना लाभ हमारी सरकार को होना चाहिये था वह नहीं हो पाता था। अब चूंकि यह पत्ता सिर्फ हमारी राज्य सरकार द्वारा काटा जायगा अतः इससे राज्य को विशेष लाभ होगा तथा साथ साथ में इस पत्ते के पेड़ों का भी विकास होगा। अभी तक तो ठेकेदारों द्वारा ही इसका व्यापार किया जा रहा था। उन ठेकेदारों द्वारा इस पत्ते के पेड़ों को बड़ी बेरहमी से काटा जाता था।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जनरल बोल रहे हैं जब कि आपने अपना जो प्रस्ताव दिया है वह प्रवर समिति को भेजने के लिये दिया है।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पर आ रहा हूं। इसके पहले जरा विस्तार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले तेन्दू पत्ते के बारे में क्या होता था इससे अभी क्या मतलब है?

श्री केसरीमल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उस पत्ते में अब किस प्रकार से सुधार हो इसके लिये राज्य सरकार जरूर कार्यवाही करेगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखेगी कि तेन्दू पत्ते का समय पर काटा जाये तथा ऐसी व्यवस्था हो कि तेन्दू पत्ते की हालत में सुधार हो। उसकी क्वालिटी में सुधार हो ताकि उससे अधिक पैसे मिलें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन बातें खास हैं—इसमें जो पत्ते पतले और छोटे होते हैं उनकी कीमत ज्यादा मिलती है वह बीड़ी बनाने के काम में आता है। जिसके पतले और लम्बे पत्ते होते हैं उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। पहले तो ठेकेदारों तथा और ऐजेन्सियों द्वारा इसका कार्य चला करता था लेकिन अब जब सरकार ने इस काम को हाथ में ले लिया है तो कम से कम इस क्षेत्र में जो मजदूर काम करते थे उनकी हालत में भी सुधार होगा ऐसा मैं मानकर चलता हूं। उन्हें अच्छी मजदूरी दी जायेगी, उनके बाल-बच्चों के लिये, वहां पर रहने के लिये अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसके अलावा अभी तक तो तेन्दू पत्ते के पौधों के विकास के लिये कुछ भी नहीं किया जाता रहा है लेकिन अब मैं समझता हूं कि उस पौधे के विकास के लिये भी राज्य सरकार आवश्यक कदम उठावेगी। इसके अलावा जहां तेन्दू पत्ते की कटाई, छटाई तथा जहां पौधे उगाये जायेंगे वहां पर जो लोग काम करने के लिये रहेंगे उनके लिये तथा उनके बच्चों के लिये भी राज्य सरकार रहने की व्यवस्था करेगी। अभी तक तो ठेकेदारों ने उन्हें किसी प्रकार की सहूलियतें नहीं दी थीं। अब राज्य सरकार उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये

(श्री केसरीमल)

आवश्यक कदम उठायेगी उन्हें सहूलियतें देकर। पहले ठेकेदारों का काम तो सिर्फ पैसा कमाना ही था, उसके कारण तेन्दू पत्ते के लिये काम करने वाले मजदूरों को हर जगह लूटा जाता था और उनको चूसा जाता था, उनका शोषण किया जाता था लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने का ही नहीं होगा। वह तेन्दू पत्ते के काम करने वाले मजदूरों को सहूलियतें विशेष तौर से देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें दो तीन खामियां जो मुझे नजर आ रही हैं, पहली तो यह कि जो लोग तेन्दू पौधे उगायेंगे उनके पत्तों को राज्य सरकार को खरीदने का उचित प्रबन्ध करना चाहिये। इसमें इसके लिये प्रावधान नहीं है। वरना ऐसा हो सकता है उन बेचारों को खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा तो वह क्या करेंगे, उनके पत्ते का क्या होगा? इसलिये राज्य सरकार को उनके पत्ते लेने की व्यवस्था करनी चाहिये। उन्हें अच्छी कीमत मिलनी चाहिये। ऐसा नहीं हो कि उनका माल अच्छा हो और उन्हें पैसे कम मिलें। मेरा निवेदन यह है कि जैसा उनका माल हो वैसा ही उन्हें पैसा मिलना चाहिये, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये। ऐसा नहीं हो कि उनका माल अच्छा हो और उन्हें पैसा कम मिले। राज्य सरकार को चाहिये कि इस बात की ओर विशेष ध्यान दे उनकी क्वालिटी पर पैसा अच्छा दिया जाना चाहिये। अगर इस ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं रखेगी तो लोग इन किसानों को परेशान करेंगे।

इसके अलावा यहां पर राज्य सरकार के अधिकारियों का रवैया कैसा होगा उसके लिये भी ध्यान रखने की बात है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं पहला यह कि जो वहां पर मजदूर काम करने वाले हैं उनके पत्ते खरीदने और बेचने के लिये उनको राज्य सरकार को साझीदार रखना चाहिये। उसकी सहकारी समितियां बनायी जानी चाहियें और उन सहकारी समितियों में इन तेन्दू पत्तों के काम करने वाले लोगों को ही रखा जाय जिससे कि इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को फायदा हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप जो कह रहे हैं वह आपके पार्टी के मेम्बर पहले बोल चुके हैं। उसे आप रिपीट क्यों कर रहे हैं। आप पुनरावृति क्यों कर रहे हैं?

श्री केसरीमल : मैं पुनरावृति नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ और भी बातों का जिक्र करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें भी निवेदन करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ......

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री शोभाराम ओला : हम तो आपकी राष्ट्रीयकरण की नीति को ही अपना रहे हैं?

श्री केसरीमल : उसके लिये तो हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें जो खामियां हैं उनको तो बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि आपके समझ में हर बात ठीक तरह से नहीं आती है। वैसे तो कहने को

Page No 162

(152)

(श्री केसरीमल)....

आपने अनाज का राष्ट्रीयकरण कर दिया लेकिन अब वह आपका नाज का राष्ट्रीयकरण कहां गया। गिरधारीलालजी यह कह रहे थे।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो किसान पत्ता लेकर आये उनको लेने की व्यवस्था होनी चाहिये। अन्त में मेरा यही कहना है कि सरकारी अधिकारियों को खरीदने के निमित्त रखा जावेगा। उसके बजाय मजदूरों की कोआपरेटिव बनवा कर उनको खरीदने और बेंचने का अधिकार दिया जाय। इन्हीं शबदों के साथ मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज !

श्री चतुरभुज (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाभ मिले तब ही पूरा हो सकता है। एक जमाने में 6 पैसे में 25 बीड़ी मिलती थी, आज 25 पैसे में 25 बीड़ी मिलती है। आय इसकी कहां जा रही है यह पता नहीं। टोंक में तीन चार हजार आदमी इसी पर निर्भर हैं। रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है और उनका पेट का पालन नहीं होता है। उनको अधिकार दिये जायं ताकि उनका पेट पालन हो सके। बीड़ी के जो व्यापारी हैं उनके बजाय जो छोटे लोग हैं बनाने वाले वगैरह उनको इसका लाभ पहुंचे—ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नानालाल !

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कामन पोइन्ट पर शंकायें व्यक्त की हैं, जो पत्ते खराब होंगे और पत्ते देने की जो व्यवस्था है उसमें यह गारन्टी नहीं दी गई है कि जो पत्ते लेकर आवेंगे उनको खरीद ही लिये जावेंगे। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कान्ट्रेडिक्शन की बात कही। इसलिये कही कि "State Government or the authorised person shall.....?"

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : "Government or"

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये, सुनिये।

"Provided that it shall be open to the State Government or the authorised officer to refuse to purchase any leaves which in their opinion are not fit for the purchase or manufacture of Bidis."

इसके बाद में एक अमेंडमेंट और मूव किया है क्लाज 9 में,

"Such refusal shall be communicated in writing duly signed, dated and sealed by that authority."

चाहे राज्य सरकार पर्चेज करे, आथोराइज्ड पर्सन करे या एजेन्ट करे कोई भी

(श्री परसराम मदेरणा)
गवर्नमेन्ट की तरफ से कलेक्शन सेन्टर पर पर्चेज करेगा उसको रीजन्स देने पड़ेंगे रिफ्यूजल के। उसके बाद का प्रोसिजर आगे दिया हुआ है। अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह यह है कि आर्बीट्रेरी तरीके से रिफ्यूज नहीं किया जाय।

श्री केसरीमल : 9 में सब-क्लाजेजे रखे हैं उनमें कन्ट्राडिक्शन है।

श्री परसराम मदेरणा : 9 को फिर पढ़ लीजिये।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही। 201 इकाइयां स्थापित की हैं जो गजट में प्रकाशित कर दी गई हैं। एक महीना हो गया है। आपको मिल गयी होंगी। 68 यूनिट्स थीं पहले वहां अब 201 कर दी गयी हैं। चार हजार गांव कवर होंगे। कलेक्शन सेन्टर 1,161 कर दिये गये हैं। इस तरह पहले 68 यूनिट्स थीं उनको 201 बढ़ा कर किया गया है ताकि छोटे से छोटे आदमी पत्ता कलेक्ट करके दे सके। कलेक्शन सेन्टर पर लेबर लायेगा उसको पूरे वेजेज मिलते हैं या नहीं, इसके लिये कमेटी कोन्स्टिट्यूट की है उसमें इस सदन के माननीय सदस्यों को शामिल किया गया है जो शिड्यूल्ड कास्ट् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, उनमें बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं। लेबर की प्राइस फिक्स कर दी है। उसी प्रकार दूसरे रेन्ज में भी है। पिछड़े हुए तबके का उसमें रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के माननीय सदस्यों को इसमें रखा है ताकि उन लोगों का जो शोषण होता है वह न हो। यह हमारा उद्देश्य है। आपने पोलिटिकल और इकोनोमिक फिलोसफी पर भी मेरे ऊपर आस्पर्शन कर दिये। ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में स्पष्ट बात कही है। मजदूरों के शोषण को रोकने के लिये यह किया है। शोषण की जो पद्धति है उसको एलीमिनेट करने के लिये यह किया है। कोओपरेटिव कोई भी हो, गवर्नमेन्ट का एजेन्ट बनना चाहती है तो कहीं पर किसी को डिबार नहीं किया गया है और न ही बन्दिश लगाई गई है। कोओपरेटिव बनावें। जिनको एजेन्ट गवर्नमेन्ट मुकर्रर करे वह भी कोओपरेटिव बनाना चाहें तो हमें एतराज नहीं है। बीड़ी बनाने वालों के लिये टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, जौहरी बाजार से आने वाले और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं कि बीड़ी बनाने वालों के हितों की रक्षा हो सकेगी या नहीं। इसमें प्रावधान नहीं है। बीड़ी के उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं, जो श्रमिक हैं, बीड़ी को बनाने का जो धन्धा करते हैं वे हमारे इस के परव्यू में नहीं है। केवल परव्यू में लिया है बीड़ी प्रोड्यूसर्स को। वह तस्करी से बीड़ी के पत्तों को ले जा सकता था। इस ओर्डिनेन्स के बाद जो विचारार्थ बिल रखा है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं ला सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बनाने वाले और बनवाने वालों में आप फर्क नहीं कर रहे हैं। मेन्यूफेक्चर में आप फर्क कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पर्टीकुलर क्लाज आयेगा तो बात कर सकेंगे। ओब्जेक्ट्स पर नहीं। बीड़ी के मजदूरों के हितों की सुरक्षा के सम्बन्ध में इस

(श्री परसराम मदेरणा)
आर्डिनेन्स को बिल में रिप्लेस किया है जो विचाराधीन है उसमें इसका प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। इसलिये इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं वापिस लेता हूं।

श्री केसरीमल : मैं भी वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री केसरीमल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज : मुझे भी इजाजत दी जाय वापिस लेने की।

श्री उपाध्यक्ष : क्या अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री चतुरभुज : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनिमयन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2 का संशोधन

श्री परसराम मदेरणा : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड दो के उप-खण्ड (ग) (iii) (क) की दूसरी पंक्ति के अन्त में '195' के स्थान पर '1955' प्रतिस्थापित किया जाये यह प्रिन्टिग एरर रह गई है।

"खण्ड 2 के उप-खण्ड (छ) व (ज) के अन्त में शब्द 'और' विलोपित किया जाये।" यह (छ) (ज) में रिडण्डेण्ट है। इसको डिलीट करवाना चाहता हूं।

"खण्ड 2 के उप-खण्ड (झ) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'इस अधिनियम में' के स्थान पर शब्द इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ', तथा 'शब्द' के स्थान पर 'शब्दों' एवं चौथी पंक्ति में शब्द 'इस' के स्थान पर शब्द 'उस' प्रतिस्थापित किया जाये।"

(श्री परसराम मदेरणा)

यह प्रिन्टिंग एरर रही है और प्रयोजनार्थ इसका अर्थ दूसरा निकाला जा सकता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन यह है कि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं जब प्रस्ताव रखा है और मेहनत की है तो कुछ कहूं तो सही। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"उप-खण्ड (ग) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाय :

'ग' तेन्दू पत्ते उपजाने वाले से अभिप्रेत है—

(क) राज्य सरकार—समस्त भूमि में जहां तेन्दू के पत्ते उगते हों।

(ख) भूमिधारी या काश्तकार जिसकी भूमि में तेन्दू के पत्ते उगते हों और उसमें वह प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो समय समय पर उसके माध्यम से तेन्दू के ऐसे पौधों के हक का दावा करता हो,

(ग) राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1954), के अधीन भूदानधारी और राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 12, सन् 1971) के अधीन ग्रामदान किसान भूमि को ऐसी इकाई के सम्बन्ध में जिस पर तेन्दू के पते उगते हों और इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति सम्मिलित है जो समय समय पर उसके माध्यम से तेन्दू के ऐसे पौधों के हक का दावा करता है।"

अब यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश में रखा गया है जहां प्राइवेट लोग भी इनकी खेती करते हैं। राजस्थान में प्राइवेट पार्टी कोई इसका धन्धा नहीं करती न उगाती है। फिर भी भूदान यज्ञ वालों को निकाल दीजिये। उनकी संख्या तो दो लाख में से दो भी यहां नहीं होगी। अब भी मोनोपलोलिस्ट हैं उनको भी लेना आपने उचित समझा है। यह जो आपकी परिभाषा है तेन्दू पत्ता उगाने वालों की, यहां लागू नहीं होती। यहां सारा व्यापार आपका ही है। तेन्दू पत्ते उगाने वाली अकेली राज्य सरकार ही है। दूसरा नहीं है। यही मेरा कथन है। यही मेरा संशोधन है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने इससे सब-क्लॉज (क) (ख) (ग) को सबस्टीट्यूट किया है। अगर यह मान लेते हैं तो फिर पंचायतों में या पंचायतों के पास की भूमि में, वन विभाग की भूमि में या पी० डब्ल्यू० डी० की भूमि में भी उगते हैं, सिवाय चक की भूमि में भी हो सकते हैं, बंजर सासण या गोचर भूमि है, गैर मुमकिन भूमि है, इसके साथ ही प्राइवेट एग्रीकलचरिस्ट भी हो सकते हैं। उनमें जो अलग अलग तौर पर तेन्दू पत्ते की उपज होती है उस सबको मोनोपोली में लेने के लिये यह डिटेल दी गई है। मैं समझता हूं, दूसरी स्टेटों के एक्ट में जो प्रावधान है, उसमें भी ऐसा ही है और हम भी उसे रखना चाहते हैं इसलिए इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं फिर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री नाहर को अपना संशो-

(श्री उपाध्यक्ष)
अन क्लाज 2 को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनिमयन) विधेयक, 1974 के खण्ड दो में माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड दो संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड दो संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड तीन में संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड तीन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

सरकार का कोई संशोधन इसमें नहीं है। श्री यशवन्तसिंह नाहर! आप मूव करना चाहते हैं क्या?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मूव तो करूंगा, नहीं तो यह कहा जावेगा कि मूव ही नहीं किया मैंने। खण्ड 4 में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"उप-खण्ड (2) के पश्चात् निम्नांकित उप-खण्ड (3) अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात्—

'(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अभिकर्ताओं में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी, यथा :

(1) बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों की सहकारी समितियों को,

(2) ट्रक गाड़ी एवं अन्य वाहन के द्वारा स्वयं वजन ढोने वाले चालक को या ऐसे चालकों की समिति को, और

(3) बीड़ी बनाने वाले ऐसे मालिकों को जिनकी कुल वार्षिक आय छः हजार रुपये से अधिक न हो और जो आयकर न देता हो'।"

आपने रेगुलेराइजेशन ऑफ ट्रेड किया है। वन विभाग ठेकेदार को दे देता था अब तक। अब दूसरा एजेन्ट मुकर्रर करने जा रहे हैं एक तरह से आप। वे भी ठेकेदार के ठेकेदार ही हैं। सहकारी समितियों को भी इसमें लिया जाय। ताकि वे श्रमिक इसका लाभ ले सकें।

इसके बाद बीड़ी बनाने वाले जो छोटे श्रमिक हैं उनको भी लाभ हो इस दृष्टि से मैंने यह रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : पहली शर्त माननीय सदस्य ने यह रखी कि जिनकी आमदनी छः हजार से कम हो। बीड़ी मेनुफेक्चरर बड़ा हो या छोटा मगर हमने उनमें से किसी को भी एजेन्ट नियुक्त कर दिया तो हर तरह की तस्करी और

(श्री परसराम मदेरणा)

पिलफेज की सम्भावनाएं रहेंगी । यह बात भी इसलिये ला रहे हैं कि कई भूमियां हैं उनका अलग अलग ठेका दिया जा रहा है। पंचायतों को भूमि पर हुआ, पी० डब्ल्यू० डी० की हुई पचास-पचास हजार, लाख-लाख रुपये में नीलामी हो रही है। अब यहां से कितना पत्ता आवेगा ? वे हमारे यहां से ले जावेंगे। वे ठेकेदार कान्ट्रेक्टर को दे देते हैं। अब मेनुफेक्चरर तो वह हैं ही, उसी को अगर एजेन्ट बना दिया तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की गुंजाइश रहेगी। इसलिये इस आधार पर मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

अब सोसायटियों का सवाल है। कोई रहे। सोसायटी को मंजूर इसलिये करता हूं कि उसके लिये हमने इसमें ना भी नहीं दी है । इसलिये यह इम्पलाइड है। एक्सप्लीसिट मनाई नहीं है । सोसायटी आ सकती है आवे ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है कि अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड चार विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड चार स्वीकृत किया गया ।

खण्ड 5

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं खण्ड 5 पर अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं उसे मूव नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को विधेयक का अंग रूप स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 विधेयक का अंग बना ।

खण्ड 6

मन्त्रीजी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड छ : में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"खण्ड 6 के उप-खण्ड (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'उसे' के स्थान पर शब्द 'उसके' प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा पांचवीं पंक्ति के अन्त में शब्द 'नियत' के पश्चात् शब्द 'करने' जोड़ा जायेगा एवं छट्टी पंक्ति में शब्द 'मामले' के पश्चात् शब्द 'में' जोड़ा जायेगा ।"

यह ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसलिये इसको पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री नाहर) अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : फिर बोलूंगा इसे मूव नहीं कर रहा हूं ।

Page No 168

(168)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को मय संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 जो माननीय मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 8

माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, "खण्ड 8 की दूसरी पंक्ति में शब्द 'एंव' के स्थान पर शब्द 'एवं' प्रतिस्थापित किया जाये ।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड 9

माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : "खण्ड 9 के उप-खण्ड (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'लिये' तथा 'होगा' के बीच में शब्द 'आबद्ध' प्रतिस्थापित किया जाय ।"

खण्ड 9 के उप-खण्ड (1) के परन्तुक के अन्त में निम्न वाक्य जोड़ा जाय "उस प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित, दिनांकित तथा मुद्रांकित ऐसी इन्क्वारी को लिखित में संसूचित किया जाय ।

खण्ड 9 के उप-खण्ड (3) (क) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'की' के स्थान पर शब्द 'को' तथा तीसरी पंक्ति में शब्द 'व्यक्ति व्यथित' के स्थान पर 'व्यथित व्यक्ति' एवम् शब्द 'क्षतिपूर्ति' के स्थान पर शब्द 'प्रतिकर' प्रतिस्थापित किया जाय ।'

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 मय संशोधन विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 9 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 व 11 विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड 10 और 11 स्वीकृत किये गये।

खण्ड 12

माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, "खण्ड 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द 'सरकार' के पश्चात् शब्द 'या उसका अधिकारी' जोड़े जायं।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 मय संशोधन स्वीकार के किया गया।

खण्ड 13

श्री यशवन्तसिंह नाहर: "उप-खण्ड (3)" के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को ही खुदरा बिक्री का लाइसेन्स देगी—

(1) बीड़ी बनाने वाली सहकारी समिति,

(2) बीड़ी बनाने वाले श्रमिक संगठन, और

(3) बीड़ी बनाने वाले मालिक को जिसकी वार्षिक आय समस्त साधनों से 6,000 रु० से अधिक न हो।"

उस समय आपने एजेन्ट कह दिया था लेकिन खुदरा बिक्री में इनका लाइसेन्स रूल्स में डाल दें तो ठीक रहेगा, अन्यथा बड़े ठेकेदार और बड़े ठेकेदार बन जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, ये केवल सहकारी और श्रमिक संगठनों की बात करते हैं। यह पाबन्दी किसी पर नहीं है कोई भी आदमी कर सकता है। संगठनों का गठन होना और उसी को इस प्रकार की इजाजत देना—खरीद बिक्री करना, मैं समझता हूं यह मूल भावना से विपरीत होगा। श्रम संगठन और सहकारी समितियां करना चाहती हैं तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, वे सक्षम हैं। सरकार को कोई एतराज नहीं है। यह पाबन्दी लगा दें कि खरीद-बिक्री और कोई नहीं कर सकेगा, यह असम्भव है।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री नाहर) अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव को वापिस लेने दिया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

खण्ड 13 और 14

प्रश्न यह कि खण्ड 13 और 14 विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड 13 और 14 स्वीकृत किये गये ।

खण्ड 15

माननीय मंत्री जी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय,

(i) खण्ड 15 के उप-खण्ड (1) (iii) की पहली पंक्ति के प्रथम बार शब्द "क" के स्थान पर शब्द "के" प्रतिस्थापित किया जाय;

(ii) खण्ड 15 का उप-खण्ड (2) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाय:—

"(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 100 के तलाशी एवं अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध यथासम्भव इस धारा के अधीन ली गयी तलाशी या किये गये अभिग्रहण पर लागू होंगे ।" यह तो पहले आर्डिनेन्स का जो प्रावधान है वह रिलेवेन्ट भी नहीं है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेण्डमेंट कर दिया गया है इसलिये यह अमेंडमेंट रखा गया है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा अमेंडमेंट है 15 में । यह अधिकारियों की शक्ति के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, "परन्तु ऐसा अधिकारी इस धारा में वर्णित शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा यदि सम्बन्धित व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा या अधिकार-पत्र प्रस्तुत कर दे जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये हैं-परन्तु यह और कि इसके विपरीत भी यदि वह अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो वह कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से दण्डनीय होगा जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।" जो लाइसेन्स है, परमिट है अगर वह बता दें तो उसको भी सजा मिलनी चाहिये । जुर्माना उस अधिकारी पर होगा तब जाकर रिश्वतखोरी कम होगी । माननीय मंत्री महोदय इतनी बड़ी शक्ति को उठा नहीं पायेंगे ।

(विराम)

मैं तो विथ्ड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह फरमायें मूव नहीं करता हूं ।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर की मौन स्वीकृति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 में जो संशोधन प्रस्ताव मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 15 मय संशोधन के स्वीकार किया गया ।

खण्ड 16

माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड 16 का भाग (ख) निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाय:—

"(ख) तेन्दू के वे पत्ते या उनका कोई भाग जिनके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया है, जैसा न्यायालय उचित समझे, सरकार को सम्प्रहृत हो जायेगा ।"

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : यह दूसरा और है।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड 16 के परन्तुक की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में अभिव्यक्ति "लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "लेखबद्ध कारणों से" प्रतिस्थापित की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 16 में जो संशोधन माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 को मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 16 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 17 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 18

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 18 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 18 स्वीकृत किया गया ।

खण्ड 19

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी,

(i) खण्ड 19 के उप-खण्ड (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द "समुचित" के स्थान पर शब्द "युक्तियुक्त", तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "क्षतिपूर्ति", के स्थान पर शब्द "प्रतिकर" प्रतिस्थापित किया जाय ।

(ii) खण्ड 19 के उप-खण्ड (2) के पश्चात् निम्न उप-खण्ड (3) जोड़ा जाये :

"(3) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे वन अधिकारी को सशक्त नहीं किया जायेगा, जो मण्डल वन अधिकारी के रेंक से नीचे का हो और उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धनराशि किसी भी मामले में एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ।"

श्री उपाध्यक्ष : ऊपर वाला नहीं पढ़ा आपने ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 19 के उप-खण्ड (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'समुचित' के स्थान पर शब्द 'युक्तियुक्त, तथा तीसरी' पंक्ति में शब्द 'क्षतिपूर्ति' के स्थान पर शब्द 'प्रतिकर' प्रतिस्थापित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 19 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

खण्ड 20 से 23

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्योंकि खण्ड 20 लगायत 23 में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है इसलिए स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 20 लगायत 23 स्वीकृत किए गये ।

खण्ड 24

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 24 के उप-खण्ड (1) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'कई' के स्थान पर शब्द 'गई' प्रतिस्थापित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 24 में माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 24 मय संशोधन के स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 24 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमक सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमक सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकृत किए गए ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनिमयन) विधेयक, 1974 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनिमयन) विधेयक, 1974 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधनों के पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-15 बजे बुधवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।)

———

परिशिष्ट–1

(ता० प्र० सं० 133 की सूची)

खसरा नं०	क्षेत्रफल		अनाधिकृत कब्जा
खसरा नं० 118, ग्राम खुडाला, तहसील बाली	81 बीघा 2 विस्वा		
		(1) महावीर मेंटल फैक्ट्री	16.17 बीघा
		(2) श्री पृथ्वीसिंह	2.10 ,,
		(3) श्रीमती गजरीबाई	4.04 ,,
		(4) रेलवे गोदाम	0.03 ,,
		(5) श्री उज्ज्वल द्वारा बेची हुई	4.01 ,,
		(6) श्री उज्ज्वल द्वारा क्लेम किया गया बैलेंस	0.05 ,,
		अनएकाउन्टेड	0.03 ,,
			28.03 बीघा
खसरा नं० 118 की 52 बीघा 19 बिस्वा भूमि उद्योग विभाग के सुपुर्द की हुई है।			52.19 बीघा
			81.02 बीघा

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

हलवाइयों से बिक्री कर की वसूली

759. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी)**: क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के हलवाइयों से 1972-73 में कितना कितना बिक्री कर वसूल हुआ और इसकी प्राप्ति का कितना लक्ष्य था ? पूर्ण तालिका सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) अब किस आधार पर इनसे टैक्स लिया जाता है ?

उत्तर

(1) राज्य के हलवाइयों से वर्ष 1972–73 में 5.71 लाख रुपया वसूल हुआ । इसकी प्राप्ति का लक्ष्य 8 लाख रुपया अनुमानित किया गया था ।

(2) देशी मिठाई और नमकीन पर दिनांक 26-4-72 से 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाता है ।

अधिसूचना संख्या एफ० 5(24) एफ डी/सीटी/72-7, दिनांक 26-4-72 के द्वारा हलवाई और होटलों, रेस्तराओं, अल्पहारगृहों तथा अन्य भोजन संस्थानों, चाय के स्टालों और तत्सदृश संस्थान चलाने वालों की टर्नओवर पर कर अदा करने लिए स्केल (एक मुश्त राशि) निर्धारित की गई है ।

भेड़ें खरीदने के लिये ऋण

760. **श्री केशरीमल (ब्यावर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के परियोजना अधिकारी भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र द्वारा श्री पन्नासिह पुत्र श्री रतनसिंह रावत, ग्राम देवल पंचायत वामनहेड़ा को 30 भेड़ें खरीदने के लिये 1,600/– रुपया देना स्वीकार किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि डाक्टर, पशु चिकित्सालय व श्री खेमसिह, मैनेजर आसन सोसायटी ने मिलकर 30 भेड़ें श्री पन्नासिह पुत्र श्री नैनसिह रावत, निवासी बड़ा खेड़ा से दिलाने का तय किया और रुपया उसको दे दिया गया ?

(3) श्री पन्नासिह पुत्र श्री नैनसिह ने कुछ भेड़े श्री पन्नासिह रावत को दी जो बूढ़ी और बीमार थी और उन भेड़ों को लेने से श्री पन्नासिह पुत्र श्री रतनसिह ने इन्कार कर दिया ?

(4) क्या यह सही है कि भेड़ें इस कृषक को पूरी दी ही नहीं गई और कर्जा वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई ? यदि हां, तो क्या खरीददार कृषक ने परियोजना अधिकारी भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र को शिकायत की ?

(5) यदि हां, तो उन्होंने इस मामले की जांच की या नहीं ? यदि जांच की गई तो क्या परिणाम निकले ? क्या कृषक को दूसरी भेड़ें दिलाने की व्यवस्था की जायगी ? और षड्यंत्र करके पैसा हड़पने

(श्री केसरीमल)

की कोशिश करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। श्री पन्नासिह पुत्र श्री नैनसिंह ने पशुपालन प्रसार अधिकारी, जवाजा द्वारा चयनित भेड़ें नहीं देकर 21 भेड़ें बूढ़ी तथा विना नस्ल की श्री पन्नासिह पुत्र श्री रतनसिंह रावत को दीं। किन्तु श्री पन्नासिह ने इस मामले की न कोई शिकायत की और न उन भेड़ों को नहीं लेना जाहिर किया जबकि भेड़ों का चयन एवं कानों में मुर्की लगाने की कार्यवाही श्री पन्नासिह पुत्र श्री रतनसिंह रावत की मौजूदगी में की गई थी।

(4) बैंक द्वारा यह ऋण दिया गया था इसलिये वसूली की कार्यवाही बैंक को चालू करनी थी। बैंक से अभी कोई सूचना नहीं मिली कि उन्होंने वसूली की कार्यवाही शुरू की या नहीं। खरीददार कृषक ने परियोजना अधिकारी, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, जवाजा या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष घटना की तब तक कोई शिकायत नहीं की जब तक इस मामले की जांच जून, 1973 में भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी ने मौके पर जाकर नहीं की।

(5) इस मामले की जांच जून, 1973 में भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी जवाजा और जुलाई, 1973 में परियोजना अधिकारी द्वारा की गई थी। यह पाया गया कि इस मामले में आवेदक कृषक श्री पन्नासिह पुत्र श्री रतनसिंह, व्यवस्थापक श्री खेमसिंह व भेड़ विक्रेता श्री पन्नासिह पुत्र श्री नैनसिंह तीनों ने ही षड़यंत्र करके बैंक से कर्ज की रकम हड़प कर जाने का प्रयत्न किया है। इसलिये षड़यंत्र करने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने के लिये बैंक एवं सहकारी प्रसार अधिकारी पंचायत समिति, जवाजा को लिखा जा चुका है।

कोटा जिले की जंगलात की भूमि

761. श्री **रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला स्तर पर जंगलात की भूमि की किस्म बदल कर अन्य किस्मों में परिवर्तित करने के लिए कमेटियां बनाई हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कमेटी का निर्माण कोटा जिले में भी किया गया था ? अगर किया गया था, तो उस कमेटी ने किस किस पंचायत समिति में कितनी कितनी बैठकें कीं तथा कितनी एकड़ वन भूमि की किस्म बदली ?

(2) क्या यह सही है कि इस कमेटी के अध्यक्ष के पास पंचायत समिति, शाहबाद के किसनों ने ऐसी जंगलात की भूमि के बारे में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए हैं जो राज्य सरकार के नियमानुसार किस्म बदलने योग्य हैं तथा जिस पर वे किसान कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो इन प्रार्थना-पत्रों में से कितनों पर इस कमेटी ने अपनी बैठक करके निर्णय लिया और कितनी वन भूमि को रिलीज किया गया ? पिछले दो वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(176)

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले के लिए भी ऐसी समिति गठित है। कमेटी की पंचायत-समितिवार बैठकों एवं वन भूमि की किस्म परिवर्तन की सूचना संलग्न है।

(2) पंचायत समिति, शाहबाद के लोगों के वन भूमि की किस्म बदलने संबंधी प्रार्थना-पत्रों की जानकारी गठित समिति के संयोजक को होगी।

पंचायत समिति, शाहबाद में पिछले वर्षों में (1956-1971 तक) जो वन भूमि कोटा जिला स्तर समिति की सिफारिश अनुसार राजस्व विभाग को कृषि हेतु स्थानान्तरित की गई उसका वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	स्थानान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1956	9,439.0
1957	645.5
1961	3,285.0
1963	276.5
1964	519.5
1965	1,948.5
1970	799.5
1971	297.5
योग	17,211.0 एकड़

तहसील/जिला स्तर समितियों की बैठक तथा वन भूमि की किस्म परिवर्तन की सूची :

वर्ष	नाम पंचायत समिति	बैठकों की कुल संख्या	राजस्व विभाग को स्थानान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1956 से 1971 तक	अटरू	13	—
	शाहबाद	12	17,211
	छीपाबड़ोद	28	34
	छबड़ा	1	—
1970-71 से 1973-74 तक	लाडपुरा	3	14,53
	इटावा	1	122
	सांगोद	1	430
	चेचट	1	785
		60	20,035

पंचायत समिति, सांचोर की प्राथमिक पाठशालाएं

762. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर में प्राथमिक पाठशालाओं में कोई सामान उपलब्ध नहीं है? अगर हां, तो कब से? तथा आवश्यक सामान कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक पाठशाला भवनों के लिये सीमेन्ट शीट्स पंचायत समिति द्वारा अंशदान के रूप में खरीद कर देने के बारे में निर्णय लिया गया था? अगर हां, तो कब एवं कितनी धन-राशि तक की?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति के निर्णयानुसार अभी तक सीमेन्ट शीट्स नहीं खरीदी गई हैं? अगर हां, तो क्यों? अब कब तक सीमेन्ट शीट्स खरीदी जाकर प्राथमिक पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध करवा दी जावेंगी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति में मंजूरशुदा सब प्राथमिक पाठशालाएं अब तक शुरू नहीं करवाई गई हैं? अगर हां, तो क्यों? अब सारी प्राथमिक पाठशालाएं कब तक शुरू करवा दी जावेंगी?

(स्थगित किया गया)

छबड़ा व छीपाबड़ोद तहसीलों में मिनिमम नीड प्रोग्राम

763. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) छबड़ा व छीपाबड़ोद तहसीलों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मिनिमम नीड प्रोग्राम (Minimum Need Programme) के अन्तर्गत विकास हेतु सिंचाई, बिजली आवागमन, शिक्षा, चिकित्सा की दृष्टि से क्या लक्ष्य रखे गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सुविधाओं की दृष्टि से ये तहसीलें राजस्थान में सबसे पिछड़ी हुई हैं? यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना की दृष्टि से इन तहसीलों में मिनिमम नीड्स को आंका जाकर उनकी पूर्ति किया जाना आवश्यक नहीं है? यदि हां, तो राज्य सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए क्या करने जा रही है?

उत्तर

(1) मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत तहसीलवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, क्योंकि तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित करने के अनुदेश न तो भारत सरकार द्वारा दिये गए थे और नहीं ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से फिलहाल संभव है।

(2) इस प्रकार की कोई सूचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मिनिमम नीड्स योजना हेतु एकीकृत योजनायें तैयार करने हेतु जिला समितियों का गठन किया गया है। जिले की मिनिमम नीड्स की योजनाएं इस समिति से प्राप्त प्रास्तावों के आधार पर तैयार की जावेंगी।

झालावाड़ जिले में लेवी की वसूली

764. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में लेवी वसूली का कितना लक्ष्य निर्धारित था जिसमें कितना अनाज अलग अलग किस्म का वसूल हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में एफ० सी० आई० द्वारा किसानों को ठीक कीमत लेवी की नहीं दी गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में लेवी वसूली का लक्ष्य 30,992 क्विन्टल निर्धारित था। जिसमें ज्वार 957 क्विन्टल एवं मक्का 13 क्विन्टल वसूल हुई।

(2) एफ० सी० आई० द्वारा लेवी की ठीक कीमत नहीं देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वन खण्डों की सुरक्षा व्यवस्था

765 श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विगत अकाल राहत कार्यक्रम में कितने नये वन खंडों का विकास और कितने वन खंडों का विस्तार किया गया ? क्षेत्रफल सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त वन खण्डों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और आवश्यक धनराशि के लिये सरकार ने क्या प्रावधान किया है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त वन खंड के संरक्षण हेतु स्थानीय अमले को पाबन्द किया गया है तथा जहां अधिक फील्ड स्टाफ की आवश्यकता थी वहां अतिरिक्त राशि तथा अतिरिक्त स्टॉफ भी स्वीकृत किया गया है। सभी जिलों के 1974-75 में अपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु 29-93 लाख रुपये तथा पूर्ण कार्यों के संधारण हेतु 20–07 लाख रुपये की, कुल 50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। यह राशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(179)

वन विभाग के माध्यम से गत अकाल (वर्ष 1972-73 एवं 1973-74) में चलाये गये राहत कार्य ।

वन मण्डल	जिला	वन विस्तार कार्य जो राजस्व एवं पंचायत भूमि पर कराये गये		वन खण्डों में विकास कार्य वन भूमि पर कराये गये	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
डूंगरपुर	डूंगरपुर	–	–	91	11,620 हैक्टर
बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	–	–	146	12,000 "
चित्तौड़गढ़	भीलवाड़ा	21	1,800 हैक्टर	64	5,650 "
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	–	–	22	2,230 "
अजमेर	अजमेर	12	5,400	61	15,125 "
अजमेर	उदयपुर	19	4,790	14	14,525 "
उदयपुर	उदयपुर	1	100	39	5,560 "
सिरोही	सिरोही	–	–	15	3,150 "
पाली	पाली	–	–	29	4,070 "
जोधपुर	जोधपुर	–	–	8	1,400 "
नागौर	नागौर	–	–	6	520 "
बाड़मेर	बाड़मेर	4	750	54	12,750 "
जालोर	जालोर	3	150	–	–
टोंक	टोंक	–	–	13	1,400 "
बून्दी	बून्दी	–	–	4	500 "
जयपुर	जयपुर	–	–	11	1,380 "
झालावाड़	झालावाड़	–	–	2	140 "
	योग ...	60	12,990 हैक्टर	579	92,020 हैक्टर

कोटा तालाब के किनारे कब्रिस्तान की बाउण्डरी

766. **श्री हाजी. जान मोहम्मद** (पिड़ावा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(3) क्या यह सही है कि कोटा तालाब के किनारे जो कदीमी कब्रिस्तान है उस पर अभी 3-4 साल हुए पुख्ता बाउण्डरी चारों तरफ करीब 40 हजार रुपयों की लागत से बनाई गई थी ? यदि हां, तो किसने बनाई ?

(2) क्या यह सही है कि उसको कुछ महीने पहिले तुड़वाया गया ? यदि हां, तो क्यों व किसने ?

उत्तर

(1) जी हां कब्रों के साथ चारों ओर की भूमि को घेर कर जं० के० संगठन द्वारा कुछ व्यय कर अहाता बन्दी की गई थी।

(2) उक्त दीवार एवं जाली के कारण आवागमन दृष्टि बाधा अनुभव होती रही। इस निमित्त पुलिस अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेटों की जिला दण्डनायक के निवास स्थान पर हुई बैठक में निर्णय किया गया कि उक्त जाली हटाया जाना व दीवार को नीचा किया जाना ट्रेफिक की दृष्टि से आवश्यक है। तथा नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा यह कार्य करवाया गया।

भीम पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों की जल प्रदाय योजना

767. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले के भीम ग्राम की भोपालसागर वाटर सप्लाई जिसके संबंध में गत बजट सत्र में भी यह आश्वासन दिया गया था कि यह योजना अविलम्ब प्रारम्भ करदी जायेगी अब तक एक साल पूरा हो जाने के पश्चात् भी कार्य शुरु नहीं होने के क्या कारण है ?

(2) उदयपुर जिले की भीम पंचायत समिति के ग्राम दवेर व देवगढ़ पंचायत समिति के लस्सानी ग्रामों ने भी जलप्रदाय योजना चालू करने हेतु अपनी पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन की रकम राज्य सरकार को जमा करादी थी ? इन दोनों ग्रामों की रकमें कब जमा की गई और अब तक जलप्रदाय योजना चालू नहीं करने के क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि भीम पंचायत समिति के बरार ग्राम की जलप्रदाय योजना चालू हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उससे गांव की जनता को पानी मिल रहा है ? यदि हां, तो कौनसी तिथि से पानी देना प्रारम्भ किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न सं० 3 ग्राम बरार की जलप्रदाय योजना के ऊपर कार्य करने वालों की मजदूरी ठेकेदार ने अभी तक नहीं चुकाई है ? गत बजट सत्र में भी मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि उक्त ठेकेदार का बिल रोक दिया जायेगा क्या राज्य सरकार ने मजदूरों को भुगतान करवा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरार के सरपंच का प्रमाण-पत्र कि भुगतान हो चुका है सदन की मेज पर रखेगी ?

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) भोपालसागर क्षेत्र में एक नये कुए का कार्य प्रगति पर है।

(2) ग्राम दवेर की जन सहयोग राशि 2,500 रु० सितम्बर, 72 में वे ग्राम लस्सानी की जनसहयोग राशि 2,500 रु० जनवरी, 73 में जमा की जा चुकी है धन की उपलब्धि के अनुसार इन ग्रामों की योजना की स्वीकृति करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी नहीं। इसी माह में ग्राम वराड़ में जल वितरण चालू कर दिया जायेगा।

(4) इस विषय में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है किन्तु ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है। मजदूरों के चुकारे के बारे में जांच कर कि उनको भुगतान हो गया है या नहीं, के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।

पंचायत समिति, बकानी में लघु सिचाई योजना

768. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बकानी, जिला झालावाड़ में लघु सिचाई योजना की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ किया जावेगा ?

(2) उक्त योजन में कौन कौन से कितने ग्राम लिये जावेंगे ? तथा योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) योजनान्तर्गत कुल 130 ग्राम सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। योजना का प्रस्तावित आकार 61.06 लाख रुपये का है।

------

(182)

APPENDIX—1

Panchayat Samiti, Bakani (District Jhalawar)

List of villages proposed to be included under the M. I. Scheme as per revised, detailed report of ground water survey.

Zone—'A'	Zone—'B'	Zone—'C'
1. Prahladpura	1. Deori	1. Gehunkheria
2. Nasirabad	2. Richwa	2. Bindayka (Benega)
3. Haripura	3. Rajpura	3. Deoli
4. Badbad	4. Rijoda	4. Dahikhera
5. Godagaon	5. Govindpura	5. Goriyakheri
6. Laxmipura	6. Borkheri	6. Semli Khurd
7. Titoriya	7. Pipalya Talab	7. Gopalpura
8. Bhojakheri	8. Kori	8. Semli Kalan
9. Salavad	9. Kishanpura	9. Gulkheri
10. Kotra Kunja	10. Bhanpura	10. Padaliya
11. Ukhli	11. Nayagaon (Ratanpura)	11 Dehlanpur
12. Narsinghpura	12. Napaniya Gajar	12. Uchawda
13. Ummedpura	13. Dinyakheri	13. Uchawdi
14. Ganeshpura	14. Rajpura	14. Dudhiya Kheri
15. Motipura	15. Pandki	15. Kholi
16. Brahmpura	16. Dudhalya	16. Kishorpura
17. Khatkar	17. Suri	17. Ghatoli
18. Jagpura	18. Jhitapura	18. Gordhanpura
19. Jhinjhaniya	19. Lalyakheri	19. Jhikariya
20. Ratya Dungri	20. Rijhon	20. Toda
21. Bhumari	21. Gopalpura	21. Doriyakheri
22. Bhumara	22. Devdungri	22. Dugargaon
23. Napaniya Dalls	23. Ramonivas	23. Guradi
24. Shivpura	24. Ratlai	24. Ganeshpura (Borkheri Gujran)
25. Haripura	25. Badiya Kishanpura	25. Asalpura
26. Khanchrod	26. Sanwalpura	26. Garda
27. Molakya Khurd (Gurukul)	27. Kheriya	27. Napanya
28. Molakya Kalan	28. Koli	28. Nayagaon (Gulkheri)
29. Karalgaon	29. Morukheri	
30. Datya	30. Garvada	
31. Rampura		

Page No 183

(183)

32. Bakani
33. Devar
34. Maheshpura
35. Mori

TOTAL : 35 Villages

31. Sakatpura
32. Motipura
33. Banskheri
34. Shivpura
35. Birkhanga
36. Guradkhera
37. Dharli
38. Gordhanpura
39. Kalyakheri
40. Raghunathpura
41. Tegli
42. Ratanpura
43. Jhikariya
44. Melki
45. Baorikhera
46. Patli Khera
47. Bidakhera
48. Padalya Ladhan
49. Baheri Khurd

TOTAL : 49 Villages

29. Nangalpura
30. Nayagaon (Bairagarh)
31. Anandpura
32. Rojya
33. Umariya
34. Khuri
35. Chhuwaria
36. Rampuriya
37. Ganeshpura (Bairagarh)
38. Prempura
39. Amarpura Khurd
40. Daulatpura
41. Agariya
42. Narsinghpura
43. Lachhmipura
44. Rup-pura
45. Borjhari
46. Tumadya Kheri

TOTAL : 46 Villages

GRAND TOTAL 130 VILLAGES

घोडास पंचायत की गोचर भूमि

769. **श्री मालाराम** (नीम-का-थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना तहसील में घोडास पंचायत की गोचर भूमि पर मोदी मिल ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है और इस मिल ने कितनी गोचर भूमि पर मलबा डाल कर नष्ट कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों को बार बार निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही न हो सकी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस गोचर भूमि को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि पंचायत गोडावास की गोचर भूमि पर मोदी मिल्स ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। सही यह है कि नीम-का-थाना के चरागाह खसरा नम्बर 822 पर मोदी मिल्स ने मलवा डाल रखा है।

(2) जब पंचायत गोडावास की गोचर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मलबा नहीं डाला गया है तो खाली कराने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता है और न ही इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

चूरू जिले में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

770. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में जलदाय विभाग के कितने अधिशासी अभियन्ता हैं और उनका मुख्यालय कहां-कहां है और क्या उनका कार्य क्षेत्र तहसीलवार अलग-अलग बंटा हुआ है या सारे जिले में सभी तहसीलों में उनका कार्य क्षेत्र है ?

(2) जलदाय विभाग के कितने सहायक अभियन्ता हैं तथा उनका मुख्यालय कहां-कहां है व उनका कार्य क्षेत्र किस प्रकार बंटा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ताओं व सहायक अभियन्ताओं का कार्य क्षेत्र तहसीलवार अलग-अलग से बंटा हुआ न होने से राज्य सरकार पर दुगना आर्थिक भार पड़ता है व जनता को भी उतनी सुविधा नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिये ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार अधिशासी अभियन्ताओं के मुख्यालय जिले के दो अलग-अलग स्थानों पर रखवाकर तहसीलवार अलग-अलग बंटवारा करवायेगी ?

(5) यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला चूरू में जलदाय विभाग के दो अधिशासी अभियन्ता हैं, व इनके मुख्यालय चूरू में हैं। दोनों खण्डों का कार्य क्षेत्र पूरा चूरू जिला है।

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, इससे कुछ टी० ए० व डी० ए० का खर्च अधिक हो सकता है। प्रोजेक्ट डिवीजन केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई डी०पी० ए०पी० व ए०पी० की योजनाओं का कार्य करवाने हेतु खोला गया था व वह जिले उन्हीं कार्यों की देख भाल कर रहा है।

(4) इस पर विचार किया जा रहा है।

(5) शीघ्र इस पर निर्णय लिया जावेगा।

प्रश्न 2 की सूची

(1) अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक खण्ड, चूरू

सहायक अभियन्ता कार्यालय	तहसीलवार कार्य क्षेत्र
1. चूरू	चूरू, राजगढ़।
2. सरदार शहर	सरदार शहर, तारानगर एवं डूंगरगढ़।
3. सुजानगढ़	सुजानगढ़

उपरोक्त खण्ड कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ खण्ड कार्यालयों द्वारा योजनांतर्गत एवं स्वीकृत योजनाओं का निर्माण एवं संधारण कार्य किया जा रहा है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक परियोजना खण्ड, चूरू।

सहायक अभियन्ता कार्यालय	तहसीलवार कार्य क्षेत्र
1. चूरू	चूरू, रतनगढ़।
2. डूंगरगढ़	डूंगरगढ़, सरदार शहर।
3. राजगढ़	राजगढ़, चूरू।

उपरोक्त खण्ड कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ उप-खण्ड कार्यालयों द्वारा भारत सरकार द्वारा डी० पी० ए० पी० एवं ए० पी० कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

खाद्य पदार्थों का एगमार्किंग

771. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में कितनी एगमार्किंग लेबोरेट्रीज कार्य कर रही हैं और किन-किन वस्तुओं का एगमार्किंग करती हैं? कृपया उन स्थानों एवं वस्तुओं के नाम मय वार्षिक तादाद के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इन दिनों खाद्य पदार्थों के मिलावट की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है जिसे रोकने के लिये अनिवार्य रूप से इन पदार्थों का एगमार्किंग होना अत्यन्त आवश्यक हो गया है? यदि हां, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) राज्य में 12 एगमार्किंग लेबोरेट्रीज कार्य कर रही हैं जिसमें एक राजकीय है। उन स्थानों एवं वस्तुओं के नाम जिनका एगमार्किंग करती हैं मय वार्षिक तादाद के सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। किन्तु कृषि उपज (वर्गीकरण एवं मार्किंग) एक्ट, 1937 जो कि केन्द्र द्वारा अनेक्टेड हैं, उसके अनुसार एगमार्किंग पेकर्स की स्वेच्छा से ही होता है। और राज्य सरकार अनिवार्य एगमार्किंग के लिए बाध्य नहीं कर सकती। वित्तीय एवं यान्त्रिक उपलब्धि होने पर ही राज्य सरकार निश्चित योजना बना सकती है।

एगमार्क लेबोरेटरीज तथा उनके द्वारा वर्गीकृत वस्तुओं की मात्रा

(मात्रा क्वि० में)

क्रम संख्या	एगमार्क लेबोरेटरी का नाम	खाने के तेल	घी	शहद
1.	राजकीय एगमार्क लेबोरेटरी, अलवर	34,914	—	246
2.	एगमार्क लेबोरेटरी, जोधपुर	1,37	305	—
3.	हरी इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	38,099	—	—
4.	बी० आर० ऑयल मिल्स; भरतपुर	34,413	—	—
5.	जय गनेश इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	11,373	—	—
6.	के० ओ० इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	4,513	—	—
7.	बिहारी इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	9,961	—	—
8.	श्रीराम इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	15,868	—	—
9.	बागपतिया इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	8,100	—	—
10.	अम्बिका ऑयल मिल्स, जयपुर	1,118	—	—
11.	हरी ऑयल मिल्स, जयपुर	6,923	—	—
12.	डालमिया डेयरी इन्डस्ट्रीज, भरतपुर	—	3,580	—

ग्राम पिलणीयासर की बीड़ की भूमि

772. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोखा, जिला बीकानेर में जिन लोगों ने गोचर भूमि व जोड़ बीड़ पर नाजायज कब्जा कर काश्त कर रखी है के सम्बन्ध में मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो काश्त व नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों के नाम, गांव आदि का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पिलणीयासर की बीड़ की भूमि को अधिकारियों से मिल कर किसी व्यक्ति ने नाजायज ढंग से एलॉट करवा कर काश्त कर रखी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे नाजायज कब्जे को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । खसरा नं० 69 तादादी 45 बीघा पर हेमाराम पुत्र तारू राम जाट ने नाजायज काश्त की थी जिस पर दिनांक 13-9-72 को तहसीलदार द्वारा खड़ी फसल जब्त कर व 15 गुना तावान कायम कर कुल 687.11 रु० से दंडित किया जाकर बेदखल किया गया परन्तु अपील होने पर स्टे जारी हुआ तथा वह अब राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है ।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा सहायक निरीक्षकों की नियुक्तियां

773. **श्री सुखलाल सेण्चा** (जैतारण) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

रजिस्ट्रार स.स. राज., जयपुर के आदेश क्रमांक सविरा/वि शा./स./68-73, दिनांक 28-8-73 के अनुसार नियुक्त किये गये सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति के साथ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक फा० 1(22) ए.पी.पी.टी.टी./ए/II/70, दिनांक 28-4-73 के अनुपालन में विभाग, में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ में से कितने प्रोमोशन दिये गये ? यदि नहीं दिये गये तो यह अनियमितता क्यों की गई ?

उत्तर

जी नहीं । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1 (22) एपाइन्टमेन्ट/पी/II/70 दिनांक 28-4-73 के अनुसार मिनिस्ट्रियल स्टाफ में से सीधी भर्ती के समय 12-1/2 प्रतिशत सहायक निरीक्षकों के पद मिनिस्ट्रियल स्टॉफ के लिये सुरक्षित हैं । मिनिस्ट्रयल स्टॉफ में से सहायक निरीक्षकों के पदों पर प्रोमोशन देने हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी

774. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की सन् 1950-51 में प्रति व्यक्ति आमदनी क्या थी ? तत्कालीन चालू मूल्य सूचकांक के आधार पर तथा सन् 1972-73 में प्रति व्यक्ति

Page No 188

(188)

(श्री मीणा)

कितनी ग्रामदानी हुई सन् 1950-51 के मूल्य सूचकांक के आधार पर ?

(2) राज्य की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पंचसाला एवं तीन साला योजनाओं के माध्यम से कितनी प्रति व्यक्ति ग्रामदनी बढ़ाने का लक्ष्य था एवं वास्तव में कितनी बढ़ी सन् 1950-51 के मूल्य सूचकांक के आधार पर ?

उत्तर

(1) वर्ष 1950–51 में प्रति व्यक्ति आमदनी के समंक तथा 1950–51 के मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 1972-73 के प्रति व्यक्ति समंक नहीं आंके गये हैं।

(2) योजनाओं के माध्यम से प्रति-व्यक्ति ग्रामदनी बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था और नहीं 1950-51 के मूल्य सूचकांक के आधार पर वास्तविक प्रति व्यक्ति ग्रामदनी के समंक आंके गये हैं।

खाद्यान्न वस्तुओं का वितरण

775. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनाज की कुल खपत कितनी है ? और इस खपत के अनुसार केन्द्र से राज्य को कब कब और कितना कितना किस किस प्रकार का अनाज उपलब्ध हुआ ? जनवरी, 1973 से फरवरी, 74 तक का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) लेवी के द्वारा राज्य सरकार ने अब तक कुल कितना अनाज किस जिले से वसूल किया ? जिन्सवार प्रत्येक जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में खाद्यान्न वस्तुओं के वितरण की प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा निर्धारित है ? और सरकार अपने नियन्त्रण में किन-किन जीवनोपयोगी वस्तुओं का वितरण करती है जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार ने जनवरी, 1973 से फरवरी, 1974 तक जन साधारण के लिये किन-किन नियंत्रित वस्तुओं का कोटा जिलावार निर्धारित किया और कितना-कितना दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य की 260 लाख जनसंख्या के लिए 6 किलो प्रति व्यक्ति के 1,56,000 टन खाद्यान्न की खपत अनुमानित है। इस खपत की आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्र से प्राप्त आंवटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लेवी में जिलेवार अनाज वसूली की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्तमान में केन्द्र से प्राप्त आंवटन को देखते हुए गेहूं केवल शहरी क्षेत्रों में 3 किलो प्रति व्यक्ति मोटा अनाज देहाती क्षेत्रों में उपलब्धि एवं आवश्यकतानुसार चीनी, 325 ग्राम प्रति यूनिट सभी क्षेत्रों में वनस्पति घी 5 यूनिट तक

(खाद्य मंत्री)

1 किलो व 5 से अधिक पर 2 किलो प्रति राशन कार्ड पर दिया जाना निर्धारित है। किन्तु कभी कभी उपलब्धि एवं आवश्यकतानुसार उक्त मात्रा में भिन्नता हो जाती है। सरकार अपने नियंत्रण में अनाज, चीनी, वनस्पति घी, कपड़ा, कोयला, सीमेंट एवं केरोसिन का वितरण कराती है। जिलेवार निर्धारित मात्रा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। केरोसीन की मात्रा राज्य सरकार को प्राप्त हुई वह सूची संलग्न है। जिलेवार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं हो पाई।

(4) जनवरी, 73 से फरवरी, 74 तक खाद्यान्न, चीनी, वनस्पति घी, कपड़ा, कोयला, सीमेंट की जिलावार आवंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नोखामण्डी में आवासीय भूमियों का बेचान

776. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नोखा मंडी जिला बीकानेर में आवासीय भूमियों का बेचान और रजिस्ट्रेशन कम कीमत पर किया जा रहा है। जिसकी शिकायतें राज्य सरकार को भी प्राप्त हुई? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमियों की खरीद में दो नम्बर की रकमों का उपयोग होता है उसी कारण कम कीमत आंकी जाती है और इसमें सरकार को हानि होती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(2) इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि उक्त भूमि की खरीद में दो नम्बर की रकमों का उपयोग होता है– इस कारण कम कीमत आंकी जाती हो, और जिससे राज्य सरकार को नुकसान होता हो।

शीत लहर से क्षति

777. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में शीत लहर से कितना कितना नुकसान गेहूं, चना, सरसों, तारामीरा जौ, राई, साग–सब्जी आदि को हुआ? जिलावाइज गिरदावरी के आधार पर नुकसान का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या राज्य सरकार गेहूं पर इस वर्ष लेवी लगाना चाहती है? अगर हां, तो जहां पर ज्यादा खराब हुआ है वहां की वसूली किस आधार पर होगी व प्रति बीघा कितनी वसूली करने का विचार तथा प्रति क्विन्टल कितनी राशि किसानों को लेवी के बदले में देने का प्रावधान रख रहे है?

(3) क्या राज्य सरकार फसल के खराबे को देखते हुये इस वर्ष लेवी स्थगित करना जरूरी समझती है?

(स्थगित किया गया)

धौलपुर स्थित तीर्थराज मंचकुण्डजी के सरोवर की सफाई

778. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर स्थित तीर्थराज मंचकुंडजी के सरोवर में आदिकाल से ही हुई इकट्ठी कीचड़ मिट्टी व कमल की जड़ों की वजह से उस सरोवर में तीर्थ यात्रियों को नहाने में बड़ी असुविधा होती है ?

(2) क्या यह सही है कि कमल की जड़ों में फंस जाने से प्रति वर्ष मेले में उस सरोवर में कोई न कोई डूबने की घटना हो जाती है ?

(3) क्या सरकार तीर्थ यात्रियों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उक्त सरोवर की सफाई का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सरोवर देवस्थान विभाग के नियन्त्रण में नहीं है ।

(2) इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

नगरपालिका, लाखेरी की नल योजना

779. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की नगरपालिका, क्षेत्र लाखेरी, केशोरायपाटन तथा शहर बून्दी में ग्राम नागरिकों को प्रयाप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि लाखरी नगरपालिका की नल योजना क विस्तार के लिए सर्वे किया गया गया है ? यदि हां, तो कहां से कब और उस पर कितनी धनराशि के व्यय किये जाने का प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है नगरपालिका, केशोरायपाटन की नल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या टैंक बना दिया गया है ? यदी नहीं, तो क्यों नहीं ? और क्या ग्राम नागरिकों को फिल्टर किया हुआ पानी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? तथा इस सम्बन्ध में विभाग की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जल प्रयाप्त मात्रा में वितरित किया जा रहा है ।

(2) जी हां । लाखेरी की संशोधित जलप्रदाय योजना की अनुमानित लागत 8.07 लाख रु० है ।

(3) जी नहीं। टैंक का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है ठेकेदार द्वारा अभी तक टैंक का अंतिम डिजाईन प्राप्त नहीं हुआ है आवश्यक फिल्टर युनिट प्राप्त न होने के कारण अभी नगर में बगैर फिल्टर किये जल दिया जा रहा है। फिल्टर का कुछ सामान प्राप्त हुआ है, पूरा सामान प्राप्त होने पर व उसके इरेक्ट होने पर फिल्टर्ड पानी दिया जा सकेगा ।

पंचायत समिति, बामनवास के अध्यापक

780. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष पंचायत समिति, बामनवास ने रामपाल, श्री भंवरसिंह एवम् श्री कंवर सिंह को अध्यापक नियुक्त किया था ?

(2) यदि हां, तो क्या ये अध्यापक ट्रेन्ड एवम् राजस्थान के ही रहने वाले थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तीनों अध्यापकों के संरक्षक श्री बाबूलाल गर्ग एकाउन्टेन्ट श्री तुहीराम ए० इ० ओ० एवम् श्री रामपाल मीणा एल० डी० सी० बने थे, तथा इन्होंने अध्यापकों को अपने परिवार से संबंधित बताया था ?

(4) क्या यह सही है कि उस समय जिला सवाई माधोपुर में ट्रेन्ड अध्यापक उपलब्ध नहीं थे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बामनवास द्वारा गत वर्ष केवल श्री भंवरसिंह अध्यापक को ही अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था जो अब सेवा में नहीं है।

(2) श्री भंवरसिंह ट्रेन्ड अध्यापक थे उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर श्री भंवरसिंह के नियोजन का पता बामनवास (सवाईमाधोपुर) अंकित है।

(3) जिला नियोजन कार्यालय, सवाई माधोपुर से प्राप्त सूची में श्री भंवरसिंह का पता मार्फत श्री तुहीराम, कृषि प्रसार अधिकारी, बामनवास अंकित है। राज्य सरकार को यह जानकारी नहीं है कि श्री तुहीराम ने श्री भंवरसिंह को अपने परिवार से संबन्धित बताया था व इसके संरक्षक बने थे। पंचायत समिति द्वारा प्रश्न में अंकित अन्य अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई थी।

(4) जिला कर्मचारी वर्ग समिति, सवाई माधोपुर के पास जितने भी ट्रेन्ड व चयनित अध्यापक उपलब्ध थे, उन सभी को नियुक्ति हेतु आवंटित किया जा चुका है। विभाग को यह जानकारी नहीं है कि उस समय जिला सवाई माधोपुर में ट्रेन्ड अध्यापक और उपलब्ध थे अथवा नहीं।

Page No 192

(192)

परिशिष्ट-3

(अ. ता. प्र. संख्या 463 की सूची)

फहरिस्त आरजी काश्तकार (हरिजन) चक 39, पी० एस० तह०, रायसिंहनगर

क्र० सं०	चक नं०	नाम आरजी काश्तकार	जाति	नं० मु०	रकबा नहरी	रकबा बारानी	योग	नाम काश्तकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39 पी०एस०	प्रतापा वल्द दितु चमार, सा० देह	चमार	62	7॥)	–	7॥)	खुदकाश्त
2.	,,	चउता वल्द दौलता, सा० देह	चमार	45	2)1	–	2)1	,,
3.	,,	सन्तराम वल्द दिवान, सा० देह	चमार	53	7॥)	–	14)2	,,
				54	2॥)	–		
				58	4)2	–		
4.	,,	रामू वल्द घुडा	चमार	54	10)–	–	10)	,,
5.	,,	प्रतापा वल्द बीरू	चमार	61	11)	–	11)	,,
6.	,,	जोधासिंह पुत्र पालसिंह	मजबी	14	3॥।)3	–	2॥।)	,,
				31	3।)3	–		
				46	4)4	–		
				47	10)	–		
7.	,,	मघर वल्द फता	बावरी	55	12)	–	12)	,,
8.	,,	सन्तासिंह वल्द झण्डूसिंह	बावरी	56	25	–	25)	,,
9.	,,	सरवणसिंह श्री गण्डासिंह	मजी	2	8॥।)3	–	8॥।)3	,,
		मीजान कुल		..	112)1	–	112)1	

Page No 193

193

फहरिस्त हरिजन पुख्ता अलाटियान, चक 39 पी० एस०, त० रायसिंहनगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39 पी० एस०	जोरासिंह जर्नल पि० गण्डासिंह	मजवी	मु. नं. 2 का	12॥)	–	12॥)	खुदकाश्त
2.	,,	प्रतापा वल्द बीस	चमार	31 35	1॥) 11)	–	12॥)	,,
3.	,,	बडला वल्द दौलता	चमार	45	12॥)	–	12॥)	,,
4.	,,	फुमण वल्द हजार	बावरी	60	12॥)	–	12॥)	,,
5.	,,	मघर वल्द फता	बावरी	55	12॥)	–	12॥)	,,
6.	,,	दिवान वल्द बीरू	चमार	50	12)	–	12)	,,
7.	,,	प्रतापा वल्द दितु	चमार	62	12॥)	–	12॥)	,,
			योग	..	87)	–	87)	नहरी

परिशिष्ट—4

(प्रता. प्र.सं. 465 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Animal Husbandry Department

Bill Book No. Serial No.

Government Poultry Farm,

To

Date	Particulars of Supplies made	Quantity	Rate	Amount Rs.	p.	Remarks
	Previous Balance if any					
	Total ..					

Recepient

Superintendent/Manager
Government Poultry Farm,

परिशिष्ट—5

(अता० प्र० सं० 472 की सूची)

आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्र० सं०	प्रार्थी का नाम व पता
1.	मोहनी पत्नी रामलाल हरिजन पता: हरिजन, बस्ती, बड़ी गुवाड़, बीकानेर ।
2.	श्रीमती माणी देवी पत्नी कल्याणराम, विनोद बस्ती, गजनेर रोड़, बीकानेर ।
3.	श्री प्रभुलाल मेहतर पुत्र रामदयाल, विनोद बस्ती, गजनेर रोड़, बीकानेर।
4.	श्री भूराराम पुत्र कालूराम हरिजन, बड़ी अस्पताल, बीकानेर ।
5	श्री पन्नाराम पुत्र हजारी राम हरिजन, बड़ी गवाड़ बीकानेर ।
6.	श्री श्यामलाल पुत्र मालाराम हरिजन, मुक्ता प्रसव कालोनी, बीकानेर ।
7.	श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र सुडाराम, पी० बी० एम० मेन्स होस्पीटल, एम० ब्लोक, क्वार्टर नं० 2
8.	श्री सम्पत पुत्र शंकरलाल, वसी मुसलमानी के मकान में, चोहुटी रोड़, बीकानेर।
9.	श्री नवरंग हरिजन पुत्र सुरजाराम, पता: बड़ी अस्पताल, ब्लोक नं० 4, बीकानेर ।
10.	श्रीमती पुत्री सून्डाराम, पता: चोकुटी मोहल्ला, रेल्वे फाटक के पास, बीकानेर।
11.	श्री पूरनचन्द पुत्र मुकनाराम हरिजन, बड़ी गुवाड़, बीकानेर ।

परिशिष्ट-6

(अता० प्र० सं० 473 की सूची)

राजकीय कुक्कुट शाला, अलवर की पिछले 5 वर्षों की आय की सूची

वर्ष	अन्डों से आय	परिन्दों से आय	योग
1	2	3	4
1968–69	15,927-54	14,593-00	30,520-54
1969–70	16,703-48	19,240-55	35,944-03
1970–71	11,166-05	13,203-25	24,369-30
1971–72	24,313-74	19,903-20	44,216-94
1972–73	18,967-20	15,438-00	34,405-20

परिशिष्ट—7

(स्थगित प्रश्न सं० 308 की सूची)

सर्वश्री नाथूलाल, सवाईसिंह व टीकमचन्द जैन भू-मापकों द्वारा गुमशुदा मिसलों की सूची जो मिसलें जहाजपुर मुख्यावास पर गुम हुई ।

कार्यालय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा

क्र० सं०	मिसल नं०	नाम ग्राम	मि० रज	उनवान
1	2	3	4	5
1.	12/65	सरसिया	4-7-65	गोरू पुत्र गंगाराम मीणा
2.	23/65	पीपलंद	—	रतनलाल पुत्र बलदेव सा०, जहाजपुर
3.	416/65	जीरा	—	मदनलाल पुत्र बलदेव, सा० जहाजपुर
4.	449/65	गांगोथला	—	मनोहरसिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत, सा० जितापुर, बेकड़ो
5.	542/65	,,	—	ग्रामवासी मजरा रतपुरा
6.	752/65	बदनपुरा	23-7-65	कल्याण, सुगा, हीरा, पि० गोपाल कहार
7.	811/65	सरसिया	24-7-65	गोरू पुत्र गंगाराम मीणा
8	813/65	पन्डेर	24-7-65	सरपंच-ग्राम पन्डेर नं० 83 बनाम लादू चमार
9.	890/65	सरसिया	26-7-65	गोरू, काना पुत्र गंगाराम मीणा
10	940/65	,,	28-7-65	नारायण, रामकिशन, पुत्र कजोड मीणा बनाम धुला पुत्र हीरा
11.	941/65	,,	28-7-65	रतनलाल पुत्र कदालाल महाजन बनाम धुला पुत्र भूरा
12.	942/65	,,	28-7-65	गोकुलचन्द पुत्र कन्दालाल महाजन
13.	951/65	गन्धर	28-7-65	बरदीचन्द पुत्र छीतरमल ब्राह्मण
14.	982/65	उयरण	29-7-65	हजारी पुत्र मदा भील
15.	1008/65	रापा	29-7-65	संग्राम पुत्र नारायण गुजर नि० इन्दाकिया
16	1194/65	जहाजपुर	29-7-65	फतहलाल, भगलाल, रामचन्द्र
17.	1330/65	देवरारापा	24-7-65	मुसम्मात केली बेवा पाला गुजर

1	2	3	4	5
18.	1332/65	हरीपुराहथोडी	—	खाना पुत्र कालू कीर बनाम गंगाराम
19.	1347/65	गन्धर	—	हरदेव, बलदेव, कल्याण पुत्र रूपा बनाम गंगाराम बलाई
20.	1350/65	जहाजपुर	19-7-65	बाराजी का मन्दिर जगन्नाथ दुर्गादास पारस बनाम गोवर्धन
21.	1351/65	,,	19-7-65	फूलचन्द पुत्र कन्हैयालाल महाजन
22.	1377/65	सरसिया	—	बद्री पुत्र पन्ना मीणा बनाम भंवरलाल
23.	1412/65	,,	25-7-65	बरदा, काना, गोरू पुत्र गंगाराम मीणा ब० गोरू मीणा
24.	1423/65	,,	2.-8-65	बरदा पुत्र पन्ना मीणा बनाम ओंकार
25.	1499/65	शंकरगढ़	9-9-65	पीरबक्स पुत्र इलाई बक्स
26	1445/65	सरसिया	17-9-65	रामलाल पुत्र हरनाथ मीणा
27.	1607/65	,,	27-9-65	हजारी पुत्र गिरधारी मीणा
28.	1686/65	सीकब	17-10-65	हरचन्दा गोपीलाल पुत्र कंवरा मीणा ब० सुखदेव
29.	1687/65	ऊंचा	17-10-65	छीतर गोपाल पुत्र हरदेव गूजर
30.	1701/65	सरसिया	3-11-65	मांग्या पुत्र रामा रेगर
31.	1703/65	पन्डेर	3-11-65	धन्नालाल ताम्बी, सा० पन्डेर
32.	1771/65	सरसिया	1-11-65	नन्दराम पुत्र गोरू मीणा ब० रामनाथ पुत्र हरनाथ
33.	1831/65	,,	18-10-65	भूरा पुत्र घासी कुम्हार व हजारी मीणा
34	1839/65	,,	2-11-65	लखमा पुत्र हीरा रेगर
35.	1840/65	,,	2-11-65	गोरू पुत्र देवा रेगर
36.	1841/65	,,	2-11-65	भूरा पुत्र भैरू रेगर
37.	1842/65	,,	2-11-65	रोड़ू पुत्र श्रीराम रेगर
38.	2005/65	,,	19-11-65	गोरू पुत्र भीमा मीणा
39.	2009/65	,,	19-11-65	गोरू पुत्र गंगाराम मीणा
40.	2013/65	,,	25-11-65	काना गोरू पुत्र गंगाराम मीणा
41.	2015/65	,,	22-11-65	काना पुत्र गंगाराम मीणा
42.	2017/65	,,	19-11-65	गोरू पुत्र गंगाराम मीणा
43	2022/95	,,	23-11-65	मोहन पुत्र गोरू खाती

(198)

1	2	3	4	5
44.	2023/65	सरसिया	18-11-65	जगन्नाथ पुत्र धूला बनाम रतनलाल भूरालाल महाजन
45.	2113/65	,,	3-12-65	कालू पुत्र जगन्नाथ
46.	2201/65	,,	6-12-65	चन्दा पुत्र गुलाब मीणा
47	2204/65	,,	7-12-65	बरदा पुत्र पन्ना मीणा
48.	2300/65	,, (गणेशपुरा)	27-12-65	भाग्या पुत्र जवाना मीणा
49.	2331/65	,, ,,	19-12-65	माधु पुत्र नाना मीणा
50	2537/65	,, (तालाब पेटा)	5-1-66	गोरू, काना पुत्र गंगाराम मीणा
51.	2538/65	,, (कबजेकी)	13-1-66	लाखा पुत्र दर्गा मीणा
52.	2545/65	,, ,,	15-1-66	बरदा पुत्र पन्ना
53.	2550/66	पन्डेर ,,	16-1-66	उदो पुत्र खाना भाट, रामा ब० भवाना
54	2560/66	बैई	10-1-66	धोला पुत्र लाखन व नाना बनाम चन्द्रा
55	2564/66	,,	10-1-66	हजारी पुत्र भोमा मीणा ब० हरदेव छोगा
56	2569/66	,,	1-1-66	हरदेव पुत्र भीमडा मीणा ब० जगन्नाथ हजारी
57.	2635/66	माइलापोलिया	7-10-66	सुखा पुत्र रतना मीणा ब० चन्द्रा धर्मपत्नि
58.	2810/66	सरसिया	10-2-66	लाखा पुत्र दर्गा मीणा
59.	2812/66	,,	10-2-66	नन्दकिशोर पुत्र दर्गा मीणा
60.	2831/66	जहाजपुर	17-2-66	खाना पुत्र घासी कुम्हार

श्री तिलक राज तलवार, कनिष्ट लिपिक की तहवील से गुम हुई मिसलों की सूची

क्र० सं०	मिसल नं० नये	नं० पुराने	नाम ग्राम	दिनांक रज	उनवान
1	2	3	4	5	6
1.	454	752	रूघनाथपुरा	—	कल्याण, सूरजा, हीरा बनाम गोपाल
2.	547	235	मुन्सीपुरा	—	सुखदेव पुत्र बल्देव

———

श्री पुरषोतमलाल, भू-मापक की तहवील से गुम हुई मिसलों की सूची

1.	178		बंरी	14-7-66	भुरे खां पुत्र अलावक्ष बनाम नूर खां

परिशिष्ट—8

(स्थगित प्रश्न संख्या 342 की सूची)

अतिक्रमण के नियमन किये जाने वाले मामलों की अनुसूची (सन् 1971–72)

क्र० सं०	नाम जिला	नियमित मामले		अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण का नियमन		अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण का नियमन		गांधी शताब्दी वर्ष में किये गये अतिक्रमणों का नियमन	
		संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भीलवाड़ा	4,647	7833 एकड़	919	3768 एकड़	591	1110 एकड़	—	—
2.	कोटा	2,085	4677 ,,	857	1517 ,,	(अनुसूचित एवं जन-जाति दोनों)		—	—
3.	चित्तौडगढ़	8,940	13759 ,,	986	1062 ,,	1355	3834 ,,	—	—
4.	झुन्झुनं	305	1156 ,,	73	279 ,,	(अनुसूचित जाति एवं जन-जाति दोनों)		—	—
5.	जैसलमेर	2	33 ,,	—	—	—	—	—	—
6.	श्रीगंगानगर	—	— ,,	—	—	—	—	—	—
7.	बांसवाड़ा	8,826	7317.30 ,,	557	336.41 ,,	7397	6455.91 एकड़	—	—
8.	सिरोही	419	898 18 ,,	51	58.68 ,,	160	248.28 ,,	—	—
9.	चूरू	906	1405566 व०ग०	98	485452 व०ग०	(अनुसूचित जाति एवं जन-जाति दोनों)		—	—
10.	झालावाड़	2,702	2407.50 एकड़	1061	771.50 एकड़	382	352.13 एकड़	—	—
11.	बीकानेर	113	2512.01 बीघा	19	286 बीघा	—	—	—	—
12.	सीकर	561	696 एकड़	85	81½ एकड़	(अनुसूचित जाति एवं जन-जाति दोनों)		—	—
13.	नागौर	1,585	5760 एकड़	309	1493 एकड़	(,, ,, ,,)		—	—

14.	डूंगरपुर	493	302.64 एकड़	38	45.12 एकड़	288	217.22 एकड़	167	60.30 एकड़
15.	पाली	1,214	6434.12 बीघा	244	1234.8 बीघा	69	393.00 बीघा	56	326।।) बीघा
16.	अजमेर	53,132	89842.00 एकड़	6926	1759.00 एकड़	111	459.00 एकड़	—	—
						(तहसील किशनगढ़, सरवाड़ एवं केकड़ी तहसील)			
17.	बाड़मेर	304	3876 एकड़	104	1837 एकड़	(अनुसूचित जाति एवं जन-जाति दोनों)		—	—
18.	टोंक	214	144 „	165	122 „	(„ „ „)		—	—
19.	स० माधोपुर	2950	3651 „	1276	1679 „	(„ „ „)		—	—
20.	जोधपुर	4582	39324 „	229	699 „	(„ „ „)		—	—
21	उदयपुर	11703	20711 „	1946	3254 „	4192	8816.50 एकड़	—	—
22	अलवर	717	1444.09 बीघा	198	308.8 बीघा	134	218.18 बीघा	—	—
23	भरतपुर	1797	1965 एकड़	394	331 एकड़	270	198 „	—	—
24	बून्दी	2379	3728 एकड़	1521	2483 „	(अनुसूचित जाति एवं जन-जाति दोनों)		—	—
25	जयपुर	3119	3468.5 „	771	1181.5 „	630	984.5	32	अप्राप्त
26.	जालोर	—	—	—	—	—	—	—	—
		27,461	2,11,554.12 एकड़	18,827	22,757.46 एकड़	15,579	22675.54 एकड़	255	60.30 एकड़
			10,391.2 बीघा		1,828.16 बीघा		611.18 बीघा		326।।) बीघा
			14,05,566.66 व०ग०		4,85,452 व०ग०				

परिशिष्ट—9

(स्थगित प्रश्न सं० 401 की सूची)

क्र० सं०	नाम जिला	पुराने सीलिंग कानून के तहत					नये सिलिंग कानून के तहत			
		भूमि प्राप्त होने की सम्भावना (एकड़ में)	भूमि प्राप्ति हेतु जारी आदेश (एकड़ में)	केसेज सं०	निर्णीत केसेज संख्या	भूमि निकाली गई या वास्तव में कब्जा प्राप्ति किया (एकड़)	सीलिंग के तहत प्राप्त भूमि (एकड़ में)	पुराने केसेज तय हुए	मुक्त की गई भूमि	नोटिस जारी हुए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	6805.44	6805.44	612	612	1716.63	..	..	..	1217
2.	कोटा	121495.23	5951.41	3197	2118	22.82	..	..	..	923
3.	चित्तौड़गढ़	23172.89	1394.94	318	309	3317.00	..	..	..	279
4.	जोधपुर	66314.00	8909.00	3387	3366	5385.00	..	..	..	377
5.	बांसवाड़ा	3427.40	3427.40	20	18	1359.80	..	..	..	11
6.	सीकर	732.00	283.00	26	22	49.00	..	..	..	19
7.	सिरोही	4448.93	2309.93	173	173	1920.43	..	..	..	311
8.	झुंझुनू	412.00	63.00	13	12	..	..	..	..	..
9.	नागौर	5360.50	1066.50	941	892	372.50	..	..	..	96
10.	भीलवाड़ा	29653.00	10000.00	463	427	10000.00	..	..	..	196
11.	पाली	51584.00	37549.50	1237	1237	13215.50	..	..	..	1060
12.	चूरू	2162.50	2162.00	926	926	932.00	..	..	..	72
13.	बाड़मेर	190425.00	31233.00	998	998	31233.00	..	..	..	75

14. बीकानेर	60070.00	58325.00	2048	2031	44731.00	..	..	..	559
15. गंगानगर	288152.00	14523.98	13089	12369	2156.00	..	..	..	7133
16. डूंगरपुर	2000.00	1836.26	42	42	458.66	..	..	..	11
17. जालोर	16185.64	6639.64	823	492	6639.64	..	..	..	..
18. झालावाड़	12762.75	4096.86	703	639	842.00	..	..	..	241
19. जैसलमेर	403757.00	263354.00	1686	[illegible]96	4696.00	..	..	..	760
20. अलवर	5910.00	5910.00	188	188	97.00	..	..	..	184
21. सवाई माधोपुर	8235.00	5719.00	854	740	4917.00	..	..	..	132
22. बून्दी	11862.13	12957.63	2703	2276	3722.62	..	..	..	561
23. टोंक	3386.00	3141.00	1178	1168	3141.00	..	..	..	749
योग..	13,18,313.41	4,87,658.49	35,625	32,451	1,40,924.60	..	..	..	14,966

शुद्धि-पत्र (204)

(मंगलवार दिनांक 9 अप्रैल, 1974)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
4	ऊपर से 4	जिनके	जिनकी
7	ऊपर से 4	आवंटियों के नोटिस	—
9	ऊपर से 9	उनकी	उनको
10	ऊपर से 3	शकुन्तला	सुश्री शकुन्तला
11	ऊपर से 11	पंतायत समिति	पंचायत
11	नीचे से 16	लेकिन वह दोनों	लेकिन
17	ऊपर से 2	जन राने	नजराने
20	ऊपर से 2	जदर्बस्त	जबर्दस्त
22	नीचे से 2	श्री शिवचरण माथुर : आप अलग से प्रश्न पूछिये । श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें	
23	ऊपर से 1	दो अन्य . . भ्रष्टाचार के अन्दर . .	
27	नीचे से 8	बिरला	बिड़ला
30	ऊपर से 16	बडा	बड़ी
30	नीचे से 16	बडा	बड़ी
57	,, 16	741	471
58	,, 8	742	472
79	ऊपर से 7	—	श्री अध्यक्ष :
88	,, ,, 3	सहस	शक्स
93	नीचे से 16	कान्स्ट्रकशन	कान्सट्रक्शन
101	,, ,, 19	इन्फारमेशन	इन्फर्मेशन
114	ऊपर से 17	हाइड्रो-इलेक्ट्री	हाइड्रो-इलेक्ट्रिक
120	नीचे से 17	तेंतें पत्ते	तेंदू पत्ते
134	ऊपर से 6	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
147	नीचे से 14	एजूकेटेड	एजूकेशन
148	नीचे से 5	जिवितात्माओं	जीवितात्माओं
151	नीचे से 15	श्री भानुकुमार शास्त्री	श्री भानुकुमार शास्त्री (अनुपस्थित)
151	,, ,, 14	श्री विजयसिंह	श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)

(205)

1	2	3	4
151	नीचे से 13	श्री यशवन्तसिंह नाहर	श्री यशवन्तसिंह नाहर (अनुपस्थित)
151	,, ,, 5	श्री रघुनाथ बिश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई (अनुपस्थित)
155	नीचे से 8	सदुयोग	सदुपयोग
157	ऊपर से 3	स्तीफा	इस्तीफा
165	ऊपर से 12	वह	उस में
204	ऊपर से 2	आर्पित	आर्पित
234	ऊपर से 11	मैंने	मैं
244	ऊपर से 5	मेन्युपोलाईजेशन	मेनुपुलेशन
245	ऊपर से 4	कदू	कद्दू
252	नीचे से 7	एस्टंबिलश	एस्टैब्लिश
260	ऊपर से 13	कीठारी	कोठारी
260	नीचे से 12	नहोदय	महोदय
265	ऊपर से 2	ये	थे
265	,, ,, 9	ड.इरेटर	डाइरेक्टर
279	,, ,, 14	प्रोर्फर्स	प्रोफेसर्स
280	,, ,, 9	शोधन	संशोधन
284	,, ,, 8	पइले	पहले
285	नीचे से 11	अवशय	अवश्य
290	,, ,, 5	आपने जो आबजेक्स आफ रीजन्स	आपने जो स्टेटमैंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स
290	,, ,, 5	राष्ट्री करण	राष्ट्रीयकरण
302	,, ,, 11, 7 व 6	सम्हाल	सम्भाल

———